लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20—सोमवार, 18 अगस्त, 1969/27 श्रावन, 1891 (शक)

No. 20—**Monday, August 18, 1969/Saravana 27, 1891 (Saka)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos :	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
572.	ऋषिकेश एन्टी बायोटिक्स फैक्टरी के निर्माण पर व्यय तथा मद्रास की सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी के उत्पादों की मांग — Construction expenditure on Antibiotics Factory Rishikesh and demand for products of Surgical Instruments Factory at Madras	2-9
573.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम — National Coal Development Corporation	9-13
574.	विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों और अस्पतालों को सहायता — Assistance to schools and Hospitals run by Foreign Missionaries	13-14
575.	राजस्थान तथा हरियाणा की ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनायें — Rural water supply schemes of Rajasthan and Haryana	14-19
576.	युगोस्लाविया से प्राप्त प्रथम ऋण पर अवमूल्यन का प्रभाव — Effects of Devaluation on first Yugoslav Credit	19-22
577.	बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में मिलाना — Amalgamation of sales tax with Excise Duties	22

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

571.	सरकारी क्षेत्र में एल्युमीनियम के कारखाने — Almuinia Plants in Public Sector	22
578.	गैर सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में उत्पादन — Production At Private Sector oil Refineries	23

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
579.	जाली मुद्रा तथा लेखा बाह्य धन Forged Currency and Unaccounted Money	23-24
580.	रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट Fall in Purchasing Power of Rupees	24
581.	विभिन्न सरकारी उपक्रमों में पूँजी का निवेश Investments in various public Undertakings	24
582.	त्रिपुरा में सुंरमा घाटी में तेल की खोज Oil exploration in Surma Valley of Tripura	24-25
583.	"पैट्रियाट तथा लिंक" समाचार पत्रों को दान देने वालों तथा अंशदाताओं के विरुद्ध जांच Enquiries against donors and contributors to Patriot and Link	25
584.	हृदय रोग Incidence of Heart Diseases	25-26
585.	आल इंडिया लिमिटेट और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये तेल कूप Oil wells drilled by Oil India Ltd. and Oil and Natural Gas Commission	26
586.	गाजियाबाद के निकट सरकारी कार्यालयों तथा रिहायशी मकानों का निर्माण Construction of Government offices and Residential Accommodation near Ghaziabad	27
587.	चौथी योजना में नई सिंचाई परियोजनाएँ New irrigation projects in the Fourth Plan	27-28
588.	भूतपूर्व नरेशों के विदेश में बैङ्कों में खाते Bank Accounts Maintained by Ex-princes abroad	28-29
589.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में हानि Losses in Oil and Natural Gas Commission	29
590.	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में मेथानोल संयन्त्र Methanol plant at Trombay unit of F.C.I.	29-30
591.	राजस्थान की दौसा खानों में लौह अयस्क का उत्पादन Production of Iron Ore in Dausa Mines in Rajasthan	30
592.	वीरभद्र स्थित ऋषिकेश के एण्टी बायोटिक्स कारखाने में हड़ताल Strike in Antibiotics plant at Virbhadra (Rishikesh)	30-31
593.	हिमालय क्षेत्र में गंगा नदी पर बांध Dams on the River Ganga in Himalayan Region	31-32

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
594.	अय्यर पंचाट के लागू होने के बारे में बैंक कर्मचारियों का विरोध	Protest by Bank Employees against Extension of Aiyar Award Operation	32
595.	असुरक्षित भवनों में स्थित सरकारी दफ्तर	Government offices housed in unsafe Buildings	32-33
596.	भारत स्थित यूनेस्को मिशन द्वारा देश के कानूनों का उल्लंघन	Violation of country's Laws by UNESCO	33
597.	जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों में धन लगाना	Life Insurance Corporation's investment in Companies	33
598.	दिल्ली के तिब्बिया कालेज तथा अस्पताल का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन को सौंपना	Handing over of Tibbia College and Hospital Delhi to Delhi Administration	33-34
599.	डाक्टरों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम लागू करना	Introduction of Short Term Course for Doctors	34
600.	मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल्स इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	M/S Imperial Chemicals Industries (India) Pvt. Ltd.	34-36
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Question Nos.**	
3710.	जीवन बीमा निगम के अधिकारियों से उनकी आयु के अधिकृत प्रमाण मांगे जाना	Production of authentic proof of age by LIC Officers	36
3711.	फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार द्वारा आयकर का कथित अपवंचन	Alleged evasion of income tax by Film Actor Dilip Kumar	37
3712.	गाँवों में होम्योपैथी के अवैध औषधालयों को खोलना	Opening of Homoeopathic Dispensaries in rural Areas	37-38
3713.	आयकर की एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि वाले व्यक्ति और समवाय	Income tax arrears over rupees one crore due from persons and companies	38-39
3714.	नई दिल्ली में वर्ग दो और तीन के क्वार्टरों में घरेलू इस्तेमाल के पावर की व्यवस्था	Domestic power connection for types II and III quarters in Delhi and New Delhi	39
3716.	गुजरात में सम्पदा शुल्क के मामले	Estate duty cases in Gujarat	39-40

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3717.	गुजरात की पेय जल सम्बन्धी आवश्यकताओं के सर्वेक्षण के लिए विशेष प्रभाग — Special division to survey drinking water requirements of Gujarat	40
3718.	गुजरात में पन बिजली परियोजना — Hydro Electric Projects in Gujarat	40-42
3719.	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास — Development of Irrigation facilities in the Tribal areas of Madhya Pradesh	42
3720.	मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य सुविधाएँ — Public Health facilities in Madhya Pradesh	42-43
3721.	मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत — Percentage of Electrified villages in Madhya Pradesh	43
3722.	गुजरात में तेल और गैस की उपलब्धता — Oil and Gas find in Gujarat	43-44
3723.	भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी — Indian Academy of Medical Sciences	44-45
3724.	मध्यवर्ती भारत में तेलशोधन शाखाएँ — Refinery in Central India	45-46
3725.	पेट्रोलियम जेली तथा पेट्रोलियम के लिए निर्यात बाजार — Export Markets for Petroleum Jelly and Petroleum	46 47
3726.	कोरवा में एल्युमीनियम कारखाने के कर्मचारी — Employment in Aluminium plant at Korba	47
3727.	मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता — Central Assistance to Madhya Pradesh	47-48
3728.	मध्य प्रदेश में निर्माणधीन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ — Major and Medium irrigation projects under construction in Madhya Pradesh	48
3729.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अफसरों के कार्य — Duties of Sectional officers of CPWD	48-49
3730.	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा के लिये भर्ती — Recruitment to central engineering services	49-50
3731.	गुजरात में सबसे अधिक आय कर देने वाले प्रथम दस व्यक्तियों के नाम — Top ten income tax payers in Gujarat	50
3732.	सरकारी उपक्रमों में जमा माल की मात्रा का अध्ययन करने हेतु समिति — Committee to study inventory levels in Public undertakings	50-51

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3733.	सरकारी उपक्रमों में गोदामों में जमा माल Level of inventories in public undertakings	51-52
3734.	सरकारी उपक्रमों में बहुत ज्यादा माल जमा होना Excessive stockings in public undertakings	52
3735.	कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना Kudremukh Iron ore project	52-53
3736.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियुटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष का त्यागपत्र Resignation by chairman of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	53
3737.	उर्वरकों की कीमतें Prices of Fertilizers	53-54
3738	उर्वरकों का उत्पादन Production of Fertilizers	54
3739.	भेषजों तथा औषधियों के मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन Tariff commission Report regarding prices of drugs and Medicines	54
3740.	कामनवैल्थ डेवलपमेंट फिनेंस कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनियों को सहायता Assistance to Indian Companies by Commonwealth Development Finance Company	54-55
3741.	एन्टीबायोटिक्स कारखाना, ऋषिकेष Antibiotics Project at Rishikesh	55
3742.	रूसी पुस्तिका "मैडिसन फार मिल्यिन्स" Soviet Booklet Medicine for Millions	56
3743.	गृह निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना National Plan for Housing	56-57
3744.	त्यागराज नगर, नई दिल्ली में सुविधाओं की व्यवस्था Provision of amenities in Thyagaraja Nagar New Delhi	57
3745.	दिल्ली में भूमि की कीमतों की अत्यधिक वृद्धि Land Speculation in Delhi	57
3746.	नई दिल्ली में पचकुइयां रोड क्वार्टरों में बिजली तथा पानी की व्यवस्था Provision for electricity and water in Panchkuin Road Quarters in New Delhi	58
3747.	राज्य सरकारों के पास उन्हें दिए गए ऋण की खर्च न की गई धनराशि का वापस दिया जाना Refund of unspent balance of loans given to state Governments	58
3748.	मंत्रियों की और बिजली, पानी तथा फर्नीचर के किराए को बकाया राशि Electricity water and furniture rent due from Ministers	58-59
3749.	बस्तियों को नियमित तथा विकसित करने पर विकास व्यय Development charges for the Regularisation and development of colonies in Delhi	59-60

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3750.	आयकर की वसूली के बारे में नीति Policy regarding realisation of incom tax	60-61
3751.	प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि का विवरण G. P. F. statement of employees of Defence science laboratory	61
3752.	केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगी Central Government pensioners	61-62
3753	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में अमोनिया पर आधारित उर्वरकों का उत्पादन Production of Ammonia based Fertilizers at Tromaby Furtilizer Plant	62
3754.	भारत के उत्तरी भाग में बिजली के सामान्य ग्रिड की स्थापना Common power Grid in the Northern Part of India	62-63
3755.	भारतीय उर्वरक निगम Fertilizer Corporation of India	63-64
3756.	पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड Pyrites and Chemicals Development Co. Ltd.	64-65
3757.	सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट करने की नीति Policy regarding allotment of residential accommodation for Government Employees	65-67
3758.	जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन Reorganisation of L. I. C.	67
3759.	भटिण्डा में उर्वरक कारखाना Fertilizer plant at Bhatinda	67
3760.	आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना Writing off of income tax arrears	68
3761.	दूसरा मद्रास तेल शोधक कारखाना Second Madras Refinery	68
3762.	छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों के आदिवासी किशोरों की नसबंदी Sterilization among tribal Teenagers of Chhotanagpur and Santhal Parganas	69
3763.	कोककर कोयला उत्पादन करने वाली कम्पनियों में सरकार के अंश Government participation in coking coal producing companies	69
3764.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण जन्म दर में गिरावट Fall in Birth Rate due to family planning programme	69-70
3765.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में क्षमता का उपयोग Utilization of capacity at the Trombay Unit of FCI	70-71
3766.	नमक का पता लगाने के लिए अरावली पहाड़ों का सर्वेक्षण Survey of Aravali Mountains for Salt	71

अ० प्र० सं० U. Q Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3767.	उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट, आसाम का प्रस्ताव — Proposal of regional Research Laboratory Jorhat, Assam for setting up a Fertilizer Factory	71
3768.	मालाबार कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मंगलौर — Malabar Chemicals and fertilizers Limited Mangalore	72
3769.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपने देशों को लाभ का भुगतान — Remittance of Profit by foreign oil companies to their respective companies	72-73
3770.	आयकर अधिकारियों को विवेकाधीन अधिकार का दिया जाना — Delegation of discretionary powers to I.T.O'S.	73
3771.	नर्स जांच आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति — Implementation of the recommendations of the Nurses Enquiry Commission	73-75
3772.	दिल्ली कोतवाली की भूमि की शिरोमणी गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी को हस्तांतरण — Handing over of Delhi Kotwali land to Shiromani Gurdwara Prabhandhak Committee	75-76
3773.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेनियूटिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत कारखानों का कार्यचालन — Working of plants under Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited	76
3774.	गत तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्राप्त ऋण — Loans received during last three plans for public sector	76-77
3775.	नगरों और गांवों में बिजली सम्बन्धी सुविधाएँ — Electricity facilities in cities and villages	77
3776.	अमरीकी आयकर विशेषज्ञ — U. S. income tax experts	77-78
3777.	एच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं के अन्तर्गत आय की घोषणा — Income declared under voluntary disclosure schemes	78-79
3778.	जम्मू और कश्मीर में विद्युत और जल-विद्युत शक्ति और तापीय परियोजनायें — Hydro electric and thermal power Projects in J. and K.	79-80
3779.	दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा विकसित प्लाट और आवास गृह — Plots and delling units developed by D. D. A. in Delhi	80-81
3780.	मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रम — Public undertakings in Madhya Pradesh	81-82

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3781.	मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रयोजन हेतु बिजली की दरें — Electricity rates for irrigation purposes in M. P.	82-83
3782.	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश में उद्योगों को ऋण — Loans to industries in Madhya Pradesh by Industrial Finance Corporation	83
3783.	मध्य प्रदेश में दीर्घावधि सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति को स्थगित करना — Postponent of execution of long term irrigation schemes in Madhya Pradesh	83
3784.	मध्य प्रदेश में बहु-प्रयोजनीय और बड़ी योजनओं के लिए केन्द्रीय सहायता — Central assistance for multipurpose and big projects in Madhya Pradesh	83-84
3785.	दोषसिद्ध के मामले — Conviction cases	84-85
3786.	गर्भपात को अवैध बनाना — Leglisation of abortion	85
3787.	भूमि और मकानों के बढ़ते हुए मूल्यों और किरायों के कमी करने के लिए उपाय — Measures to check increase in prices of lands and rents of Houses	85-86
3788.	उत्तर में नये तेलशोधक कारखाने की स्थापना — Setting up fo a New oil Refinery in North	86
3789.	गाँवों में बिजली लगाने संबंधी योजनाओं के लिए राज्यों को ऋण — Loans to States for Rural Electrification Schemes	86-87
3790.	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों का हिस्सा — Shares of Private and Public sectors in marketing of petroleum products	87
3791.	भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मन्त्रालय द्वारा दर्ज किये गये मामले — Cases Registered by Ministry under Indian Penal Code	87
3792.	दिल्ली के डाक्टरों को साप्ताहिक अवकाश — Weekly off for Delhi Doctors	87-88
3793.	उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले चिकित्सक — Doctors going abroad for Higher Studies	88
3794.	मध्य प्रदेश में अस्पताल और औषधालय — Hospital and Dispensaries in Madhya Pradesh	88-89
3795.	राजस्थान नहर कोष बनाया जाना — Creation of Rajasthan Canal Fund	89

अ० प्र० सं U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3796.	सरकारी उपक्रमों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुसंधान 'सेल' स्थापित करना / Setting up of Research Cell to raise Efficiency in Public Undertakings	89-90
3797.	भारतीय तेल निगम की परिवहन गाड़ियों पर चालन सम्बन्धी तथा अन्य व्यय / Running and other expenses on Transport Vehicles owned by the Indian Oil Corporation	90
3798.	लंका सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारतीय मुद्रा का पकड़ना / Seizure of Indian currency by the Ceylon customs	90-91
3799.	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता / World Bank's assistance for public sector fertilizer projects	91
3800.	पोलिस्टर रेशा बनाने वाले कारखाने स्थापित करना / Setting up of polyster fibre units	91-92
3801.	जापान द्वारा भारत को सहायता का पुनः आरम्भ किया जाना / Resumption of Japanese aid to India	92
3802.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जनसम्पर्क अधिकारियों का सम्मेलन / Conference of public relations officials of public Sector Undertakings	93-95
3803.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में संशोधन करने पर प्रतिबन्ध / Ban on revision of pay scales of Central Government Employees	95
3804.	सम्पूर्ण देश में समान कर प्रणाली / Uniform tax system throughout the country	95
3805.	नई दिल्ली नगरपालिका के इम्मूनाइजेशन सेंटर में टाइफाइड वेक्सीन की अनुपलब्धता / Non availability of typhoid vaccine at New Delhi Municipal Committee Immunisation Centre	96
3806.	लोदी रोड, नई दिल्ली की चमरियों में 'कामन रूम' / Common rooms in Lodi road Chummeries in New Delhi	96
3807.	सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की निर्धारित क्षमता का प्रयोग / Utilisation of rated capacities of public sector undertakings	97-98
3808.	सर्जिवल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट मद्रास की अधिष्ठापित क्षमा का कम प्रयोग किया जाना / Under utilisation of installed capacity of Surgical Instruments Plant Madras	98

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3809.	कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए तपेदिक चिकित्सा के नये अस्पताल / New T. B. Hospitals for Kanpur	99-100
3810.	आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पेय जल सप्लाई योजनाएँ / Drinking water supply schemes of M. P. and A. P.	100
3811.	दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में सरकारी उपक्रमों के लिए स्थान की व्यवस्था / Provisions of premises to public undertakings in Delhi, Madras, Bombay and Calcutta	101
3812.	सूखा सहायता के सम्बन्ध में तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री का वक्तव्य / Tamil Nadu Chief Minister's statement on drought Relief	101-102
3813.	नेपाल से बिजली / Electricity from Nepal	102
3814.	मध्य प्रदेश में मलेरिया इन्स्पेक्टरों का स्थानांतरण / Transfer of Malaria Inspectors in Madya Pradesh	102-103
3815.	दिल्ली में सड़कों का नवीकरण / Renovation of roads in Delhi	103
3816.	गुजरात में पेट्रो-रसायनिक कारखाने के लिए जर्मन सहायता / German aid for petro chemical complex at Gujarat	103-104
3817.	पूर्व तथा पश्चिम जर्मनी से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ / Projects aided by East and West Germany	104-105
3818.	कोककर कोयले के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा जापान की एक कम्पनी के साथ करार / NCDC Agreements with Japanese Company for cooking coal	105
3819.	मेसर्स कैपीटल फाइनेंस आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली द्वारा देय आयकर की बकाया राशि / Income tax arrears due from M/s Capital Finance of India (P) Limited Delhi	105
3820.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियाँ सप्लाई किया जाना / Supply of liveries to class IV Staff of Horticulture Directorate of C. P. W. D.	105-106
3821.	मानव स्वास्थ्य पर गधी तथा ऊटनी के दूध का प्रभाव / Effect of she-Donkey and she-Camel's Milk on Human Health	106
3822.	यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध तस्करी के आरोप / Charges of Smuggling against Administrative officer of UNESCO Office, New Delhi	106
3823.	आयकर के फार्मों की कमी / Shortage of Income Tax Forms	107

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3824.	यूनेस्को मिशन के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख द्वारा वातानुकूलकों का आयात / Import of Airconditioners by Former Acting Chief of UNESCO mission in India	107-108
3825.	गुजरात में तेल का पाया जाना / Oil find in Gujarat	108
3826.	रामगढ़ जिला (बिहार) में कैथा ड्रिलिंग कैम्प के श्रमिकों द्वारा की गई शिकायत / Complaint lodged by Labourers of Baitha Drilling Camp in Ramgarh Distt. (Bihar)	109
3827.	इण्डोनेशिया को ऋण कर दिया जाना / Loan Advanced to Indonesia	109
3828.	रामपुर के नवाब द्वारा जेवरात की चोरी छिपे पाकिस्तान भेजना / Alleged smuggling of Jewellery to Pakistan by Nawab of Rampur	109-110
3829.	उड़ीसा के कृषकों को ऋण / Finacial advances to agriculturists of Orissa	110-111
3830.	भारतीय उर्वरक निगम के प्रतिनिधि मण्डल का अमोनिया परियोजना के लिए ईरान का दौरान / Visit by Fertilizer Corporation of India's Delegation to Iran for Ammonia Project	111
3831.	उड़ीसा में कोरबा और तालचेर में उर्वरक कारखानों के लिए पश्चिम जर्मनी से सहायता / Aid from West Germany for Fertilizer Plants at Orba and Talcher in Orissa	111-112
3832.	चौथी योजना में उर्वरक कारखानों की स्थापना / Installation of fertilizer plants during Fourth Plan	112
3833.	आन्ध्र प्रदेश में मनुष्यों के उपभोग के लिए मरे हुए पशुओं के मांस का बेचा जाना / Selling of meat and dead animals for Human consumption in Andhra Pradesh	112-113
3834.	घाटे की अर्थव्यस्था तथा मुद्रास्फीति / Deficit financing and inflation	113-114
3835.	कोयाली में ऐरोमेटिक कारखाना / Setting up of aeromatics plant at Koyoli	114
3836.	झरिया कोयला क्षेत्र में परिव्यक्ति कोयला खानों की खुदाई / Exploration of abandoned coal mines in Jharia Fields	115
3837.	दिल्ली के निकट तेल शोधन कारखाना / Oil Refinery near Delhi	115
3838.	करों की बकाया राशि की अदायगी / Clearance of arrears of taxes	115-116
3839.	बाँध, डैम तथा बिजलीघर / Bunds, dams and power stations	116
3840.	चोरी छिपे लाई गई घड़ियों, नोट तथा सोने का पकड़ा जाना / Seizure of smuggled wrist watches, curreney and gold	116 117

अ० प्र० सं० U.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3841.	सूर्य तथा चन्द्रमा की किरणों से इलाज Treatment through sun and moon rays	117-118
3842.	चक्षु दानकर्ता Eye donors	118
3843.	संविहित गृहनिर्माण बोर्डों को आयकर तथा धनकर से छूट Exemption of statutory Housing Boards from income tax and wealth tax	118
3844.	"बम्बई हाई" से जापान को कच्चे तेल की बिक्री Sale of crude from Bombay high to Japan	118
3845.	सऊदी, अरब, इंडोनेशिया, तथा मस्कत में तेल निकालने के लिए संयुक्त उद्यम Joint ventures for oil drilling in Saudi Arabia, Indonesia and Muscat	119
3846.	किजु पल्लीकाड़ा, केरल में तेल के निक्षेप Oil deposits found in Kizhupalikara, Kerala	119
3847.	केन्द्रीय बिक्री कर 'सी' फार्म रैकेट Union sales tax 'C' form Racket	119-120
3848:	परिवार नियोजन का कार्य करने वाले डाक्टरों का सम्मेलन Conference of family Planning doctors	120
3849.	परिवार नियोजन के लिए आपरेशन और लूप का प्रयोग Family planning operations and insertion af loops	
3850.	तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज Oil exploration in coastal areas	120-121
3851.	मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स द्वारा युगोस्लाविया में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना Establishment of an alumium plant in Yugoslavia by M/S Birla Brothers	121
3852.	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की पदोन्नति Promotion to C. H. S. Doctors	121-122
3854.	राज्यों के बिजली बोर्डों की जीवन बीमा निगम से ऋण L. I. C. loans to state electricity Boards	122
3855.	मध्य प्रदेश में उद्योगों को सप्लाई की गई बिजली की दरें Rates of electricity suplied to industries in Madhya Pradesh	122
3856.	सरकारी क्षेत्र के निगमों की सेवा करने के कारण भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विमान तथा भारतीय खान ब्यूरो को मिलने वाली राशि Dues of Geolgical survey of India and Indian Bureau of Mines for services rendered to public sector corporation	122-123

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3857.	कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण Nationalisation of coking coal Mines	123-124
3858.	इंटर नेशनल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ग्रुप लंदन के एक विशेषज्ञ का खम्भात क्षेत्र का दौरा Vist to Cambay reion by an expert of Intemational Management and Engineering Group of London	124
3859.	मनीपुर के अस्पतालों के कर्मचारियों तथा नर्स कर्मचारियों के लिए छुट्टियां Holidays for hospital employees and Nursing Staff of Manipur	124-125
3860.	बिहार के उत्तरी दरभंगा जिले में कमला नदी में बाढ़ से क्षति Damages caused by floods in river Kamala in Northern Darbhanga District of Bihar	125
3861.	रानीगंज कोयला क्षेत्र के रेलवे साइडिंग में भूगर्भीय आग Underground fire in Railway siding of Raniganj coal field	126
3862.	दिल्ली कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास में पकड़ा गया काला धन और अवैध माल Black money and contraband goods seized in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras	126-127
3863.	कोसी कामगार यूनियन, बिहार Kosi Kamgar Union, Bihar	127
3864.	विदेशी मुद्रा नियंत्रण के कार्यकरण की समीक्षा Review of the working of foreign exchange control	127-128
3865.	मुजफ्फरपुर नगरपालिका की समस्यायें Probe of Muzaffarpur Municipality	128
3866.	मुजफ्फरपुर (बिहार) में सरकारी अस्पताल Government hospitals in Muzaffarpur, Bihar	128-129
3867.	बूढ़ी गंडक द्वारा बरियापुर (बिहार) में मिट्टी का कटाव Erosion of Bariarpur (Bihar) by Burdi Gandak River	129
3868.	महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा जिलों में ताँबे के निक्षेप Copper deposits in Nagpur Bhandara District of Maharashtra	129
3869.	गुजरात की पेयजल योजनाएँ Drinking water schems of Gujarat	130
3870.	पिछड़े क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था Financing of small and Medium Industries in Backward areas	130
3871.	कोरबा में कास्टिक सोडा बनाने के कारखाने की स्थापना Setting up of caustic soda factory at Korba	131
3872.	चूने पर स्वामित्व Royalty on limestone	131

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3873.	बस्तर के निकट लौह अयस्क के अंश	Iron ore fines near Bastar	131-132
3874.	हीरों पर स्वामित्व	Royalty on diamonds	132
3875.	सामान्य अस्पताल मनीपुर में विशेषज्ञों के ग्रेड के पद	Specialists Grade posts in General Hospital Manipur	132-133
3876.	मनीपुर के किसानों को स्टेट बैङ्क की सुविधाएँ	State banks facilities to Farmers of Mainpur	133
3877.	विदेशी सहायता	Foreign Aid	133-155
3878.	सस्ती तथा बढ़िया दवाइयों का उत्पादन	Production of cheap and quality drugs	135
3879.	जारोरी में लौह अयस्क के लिए क्रशर संयंत्र	Crusher plant for iron ore at Jaroiri	135-136
3880.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को पट्टे पर दिये गए लौह अयस्क वाले क्षेत्र	Iron ore lease hold areas for National Mineral development Corporations	136
3881.	केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों में फर्नीचर और पर्दे बदलना	Replacement of furniture and curtains sought by Central Ministrs at their residence	136
3882.	तमिलनाडु में टूटी कोरिन में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant at Tuticorin, Tamil Nadu	136-137
3883.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा निकाले गए कोयले के लिए मध्य प्रदेश को अनुग्रह पूर्वक भुगतान	Exgratia payment to Madhya Pradesh for coal raised by N.C.D.C.	137-138
3884.	योजनाओं में विभिन्न आवास योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to states for various housing schemes during the plans	138
3885.	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey of rural electrification in Uttar Pradesh	138-139
3886.	उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अधिष्ठापित विद्युत क्षमता	Per Capita power installed capacity in U. P.	139-140
3887.	उत्तर प्रदेश में कृषि और उद्योग के लिए बिजली का अभाव	Shortage of Electrity in Uttar Pradesh for Agriculture and Industry	140-141

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3888.	सिंचाई क्षमता का उपयोग Utilisation of Irrigation capacity	141
3889.	नई दिल्ली स्थित सफदर जंग हवाई अड्डे के निकट पेट्रोल पम्प की स्थापना Opening of Petrol Pump near Safdargunj Airport, New Delhi	141-142
3890.	दिल्ली और बंबई की फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि Income Tax Arrears standing against Firms of Delhi and Bombay	142
3891.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय, शक्तिनगर, दिल्ली C. G. H. S. Dispensary of Shakti Nagar, Delhi	142-143
3892.	ड्रेसरों, कम्पाउन्डरों तथा लेब-तकनीशनों के लिए राजधानी तथा उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान Training institutes for dressers, compounders and Laboratory Technicians in the capital end Uttar Pradesh	143
3893.	मैसूर में पोथदार एण्ड कम्पनी की खानें Mines owned by Pothdar and Company in Mysore	143-144
3894.	मैसूर में पोथदार एंड कम्पनी (खान मालिक) द्वारा स्वामित्व का भुगतान Payment of Royalty by Pothdar Company (Mine Owners) in Mysore	144
3895.	मैसूर राज्य में तमकुर जिले में खनिज Minerals in Tumkur District' Mysore State	144
3896.	खनन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना Setting up of Industries in Mining areas	144
3897.	प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य Member of Board of Direct Taxes	145
3898.	मनीपुर के लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले सैक्शनल अफसरों तथा ओवरसियरों को मकान किराया भत्ता House Rent Allowance to Sectional Officers and overseers working in P. W. D. Manipur	145-146
3899.	तेल तथा प्राकृतिक गैस खोज प्रक्रिया का आधुनिकीकरण Modernisation of Oil and Natural Gas Exploration System	146-147
3900.	गंगाजल दूषण जाँच आयोग Ganga Water Pollution Inquiry Comimssion	147-148
3901.	आद्यौगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को सहायता Assistance by Industrial Development Bank to Small and medium Industries in Backward Areas	148-150

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3902.	जी० डी० ओ० की पदोन्नति Promotion of G. D. O.	150
3903.	दिल्ली में सिविल अस्पताल Civil Hospitals of Delhi	150-151
3904.	मछुर जलविद्युत परियोजना, त्रिपुरा Dumbur Hydro Electric Project, Tripura	151-152
3905.	त्रिपुरा में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता Per capita availability of power in Tripura	152-153
3906.	जुलाई, 1969 में भूतपूर्व वित्त मंत्री की पश्चिम जर्मनी की यात्रा Former Finance Minister's visit to West Germany in July, 1969	153
3907.	कलकत्ता के सीमा शुल्क कार्यालय में निवारक अधिकारी Preventive officers in Customs House, Calcutta	153-154
3908.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी Shares of Indian Iron and Steel Company	154-155
3909.	भारत में विदेशी कम्पनियाँ Foreign Companies in India	155
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना Calling Attenion to Matter of Urgent Public Importance	
	पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई Supply of U. S. Arms to Pakistan	
	संसद सदस्यों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए सम्मन के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न Question of Privilege Re. Delhi High Court Summons to M. P's.	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र Papers Laid on the Table	
	राज्य सभा से सन्देश Message from Rajya Sabha	
	पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों की हड़ताल के बारे में Re. Strike of Tea Garden Workers in West Bengal	
	लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक Lokpal and Lokayuktas Bill	
	खंड 2 Clause 2	
	पृथक तेलंगाना राज्य के आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव Motion Re. Agitation for Separate State of Telengana	
	श्री कंवर लाल गुप्त Shri Kanwar Lal Gupta	
	श्री रंगा Shri Ranga	
	डा० मेलकोटे Dr. Melkote	
	श्री एस० कन्डप्पन Shri S. Kandappan	

पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. AGITATION FOR SEPARATE STATE OF TELENGANA

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	श्री चेंगलराया नायडू Shri Chengalraya Naidu	
	श्री योगेन्द्र शर्मा Shri Yogendra Sharma	
	श्री जी० वेंकटस्वामी Shri G. Venkataswamy	
	श्री प० गोपालन Shri P. Gopalan	
	श्रीमती लक्ष्मी बाई Shrimati Laxmi Bai	
	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी Shri Surendranath Dwivedy	
	श्री एम० वी० कृष्णप्पा Shri M. V. Krishnappa	
	श्री एस० एम० जोशी Shri S. M. Joshi	
	श्री गंगा रेड्डी Shri Ganga Reddy	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 18 **अगस्त,** 1969 / 27 **श्रावण,** 1891 **(शक)**
Monday, August, 18, 1969 / Sravana 27, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I have a point of order. The party to which the present Government belongs ?

श्री स्वैल : सभा के सामने क्या व्यवस्था है ?

श्री उमानाथ : क्या प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महदोय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Head of the Congress party is a defector and the party has broken. There is no joint responsibility and the Head of the Government has set up an example of indiscipline.....

अध्यक्ष महोदय : वह कृपया बैठ जायें । कोई सूचना दिये बिना माननीय सदस्य अचावक खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know why don't they resign when they do not have majority ?

श्री हेम बरुआ : संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मन्त्रि-परिषद् सभा के सामने सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी । हाल के राष्ट्रपतीय निर्वाचन से यह स्पष्ट हो गया है कि वह सामूहिक जिम्मेदारी खत्म हो गई है । इसलिए यह एक गम्भीर मामला है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a very serious matter. There is no whip, people are acting according to their conscience, how things will go on ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : अब यह प्रश्न उठाया गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसे चुनौती न दी जाये । मुझे आशा है कि संसदीय लोकतंत्र ने वास्तविक कार्यालय में उनकी सभी आशाओं पर बहुत शीघ्र पानी फिर जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, it would have been better if the matter had been raised with your permission. Since the matter has been raised, I request you to take the matter into consideration. After all we have to ask questions from the Ministers. Ministers are jointly responsible. But the Government is not being carried on jointly. Whom we should ask questions and who would reply !

अध्यक्ष महोदय : श्री तापड़िया यहाँ नहीं हैं । श्री बृज भूषण लाल भी उपस्थित नहीं हैं । श्री अटल बिहारी बाजपेयी ।

Construction Expenditure on Antibiotics Factory, Rishikesh and demand for Products of Surgical Instruments Factory at Madras

*572. **Shri Brij Bhushan Lal** : **Shri Ranjeet Singh** :
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction expenditure of the Anti-biotics Factory, Rishikesn, set up in collaboration with the U. S. S. R. had to be increased after successive revisions and no target date for the production was fixed in the beginning as a result of which it has suffered heavy loss;

(b) if, so, the names of the persons responsible for this and the action taken against them;

(c) whether it is also a fact that the demand for the instruments manufactured in the Surgical Instruments Factory at Madras, which was set up with the U. S. S. R. collaboration, is very less in the country and it has also suffered heavy loss; and

(d) if so, the action being taken in this regard ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) समय-समय पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमानों में संशोधन करना पड़ा । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विभिन्न एन्टीबायोटिक्स के लिए चालू करने की तिथियाँ नहीं दी

गई थीं लेकिन बाद में कम्पनी द्वारा 1966 में दी गई। चालू करने की प्रारम्भिक सूची की तुलना में उत्पाद चालू करने में कुछ देरी हुई। इसके कारण प्रशासनिक लागत के रूप में कुछ अतिरिक्त व्यय हुआ। लेकिन कम्पनी को जो घाटा हुआ उसका कारण केवल यह नहीं हो सकता कि आरम्भ में तारीखें निर्धारित नहीं की गई।

(ख) अनुमानों में संशोधन करने के कारण कम्पनी अथवा इसके अधिकारियों के नियन्त्रण से बाहर थे और इसलिए जिम्मेदारी नियत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ।

(घ) इस संयंत्र में बनाये गये सर्जीकल इन्स्ट्रमेंट्स की खपत सुधारने तथा इसकी क्षमता का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

(एक) विभिन्न राज्यों में सर्जीकल इन्स्ट्रमेंट्स की बिक्री के लिए अनन्य व्यापारी नियुक्त किये गये हैं।

(दो) सर्जीकल इन्स्ट्रमेंट्स के मूल्यों में इसलिए संशोधन किया गया है कि इन्स्ट्रूमेंट्स की किस्म को देखते हुए उनके मूल्य ऐसे हों कि वे मुकाबला कर सकें।

(तीन) सर्जीकल इन्स्ट्रुमेंट्स के मौजूदा स्टाक का विच्छेदन सेटों, छोटे सर्जरी सेटों और टूनेकटोनी सेटों जैसे विभिन्न सेटों में वर्गीकरण किया गया है ताकि इन्हें एक-एक करके बेचने के बजाय अधिक संख्या में बेचा जा सके।

(चार) निर्यात की सम्भावनाओं का भी तेजी से पता लगाया जा रहा है।

(पांच) इस समय कारखाने में परिवार नियोजन सम्बन्धी औजार तैयार किये जा रहे हैं जिनके लिए आर्डर विद्यमान हैं। कई तरह का उत्पादन भी शुरू किया गया है ताकि सर्जनों की भिन्न भिन्न मांगों को पूरा करने के लिए कई किस्मों के औजार तैयार किये जा सकें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, many things are not clear from the Statement laid on the table of the House by the Minister.

Mr. Speaker, there is no indication in the Statement about the progress made so for in regard to the factory proposed to the set up in Madras.

अध्यक्ष महोदय : कारखाना वहां पर पहले ही है। श्री मधोक इसके बारे में जानते हैं। माननीय सदस्य कारखाने के बारे में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This matter has been raised in the public Accounts Committee also. Difficulties are being experienced in regard to the factory proposed to be set up in Madras and the Parliamentary Committees have offered comments in regard there to. Is the Hon. Minister aware of it ?

श्री द० रा० चव्हाण : यदि माननीय सदस्य मद्रास स्थित सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी का हवाला दे रहे हैं तो इस फैक्टरी की स्थापना कुछ समय पूर्व 1965 में की गई थी। 1966 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ और पिछले 4 वर्षों से इस में कुछ ऐसे औजार तैयार किये जा रहे हैं जो डाक्टरों तथा चिकित्सा का काम करने वाले अन्य लोगों के बेचने के लिए हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Reply to my question has not come. The factory is working but difficulties are being experienced in selling the instruments produced there; what will happen to these goods ? Why such articles are followed to be manufactured? It seems to me that I have not read the question but the Minister has not read the reply also.

श्री द० रा० चव्हाण : सब से पहले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार मद्रास में एक कारखाना शुरू करने पर विचार कर रही है। वास्तव में, मैंने कहा कि यह सही नहीं है। कारखाना शुरू हो चुका है।

अब जहां तक बनाये गये औजारों का सम्बन्ध है, जैसा कि मेरे वरीय सहयोगी ने कहा है, कुछ कठिनाईयां हैं क्योंकि बनाये जाने वाले औजार बेचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो औजार बनाये जा रहे हैं उन के लिए देश में मांग नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale : I want to know how many times the cost of construction of Rishikesh Antiboitics Factory was increased, what were the original estimates and what was ultimately spent and who is responsible for the loss incurred in it ?

Despite this, names of the persons responsible for the loss to the Government have not been disclosed. I want to know the names of these persons.

Thirdly, I want to know whether it is a fact that due to Russian collabration in the construction of the factory, Russian experts have started sending various useful herbs found in the jungles of Rishikesh to Russia instead of planting them in the factory. Do Government propose to impose certain restrictions on such foreigners so that such people are not in a position to make the factory a failure and they are not in a position to send valuable goods abroad ? The Minister has not thrown any light on it.

श्री द० रा० चव्हाण : यह भिन्न प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि उन्हें बाहर भेजा जा रहा है और यहां पर कारखाने में उपयोग में नहीं लाया जा रहा। मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। पहली बात यह है।

दूसरे, उन्होंने कहा है कि जो अनुमान तैयार किये गये थे उनमें कितनी वृद्धि हुई है। मैंने कहा कि कुल अनुमान जो तैयार किया गया और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रखा गया, तीनों परियोजनाओं के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये था। अब इसमें संशोधन किया गया है। जैसा कि मैंने अभी कहा है यह अब 54 करोड़ रुपये होगा। अनुमानों में वृद्धि के कुछ कारण थे, अर्थात् :

(1) निर्माण के दौरान ऋण की रकम पर ब्याज की अदायगी

(2) तीन परियोजनाओं में विभिन्न मद चालू करने पर व्यय, और

(3) परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण प्रशासन तथा संस्थापना पर अधिक व्यय होना

उनके प्रश्न संख्या 2 अर्थात् जहां तक जिम्मेदारी नियत करने का सम्बन्ध है, यदि मेरे माननीय मित्र सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य का हवाला दे रहे हैं तो उस में उत्तर दिया गया है।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, I want to ask the Minister through you whether he is not wrong in saying that original estimates were Rs. 50 crores. Mr. Speaker, under your Chairmanship the report has come from which it is clear that the Minister is misleading the House. In 1961 the estimates were Rs. 25 crores 90 lakhs and he is saying that estimates were Rs. 50 crores whereas Rs. 53 crores and 90 lakhs has been spent upto 1968 and the factory has not yet been completed. He is saying that so far the estimates are Rs. 54 crores. I want to know on what basis the figures have been given to the House.

Secondly, I want to know whether it is not a fact that the Secretary of the Company had said, all this is there in the project report, we had accepted it reposing confidence in Russia, there was no date in the project report, there was no fixed time, there was no figure. Is it not a fact ? If not, I want to read some passages from page 14 of the report. Mr. Speaker, it is very important matter, it is a question of Rs. 54 crores. All this money had gone waste. The Committee have observed ander your chairmanship that ;

"समिति यह नहीं समझ सकती.....

अध्यक्ष महोदय : कोई वाद-विवाद नहीं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Prem Chand Verma : The Secretary's statement shows that these were accepted merely on the basis of faith. Is it correct to accept the project report merely on the basis of faith ? Has Russia not betrayedus in this regard ? Rs. 54 crores have been spent on it. What action has been taken in this regard and what the Hon. Minister has to say about the profitability of the factory in future ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : आप की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने पिछले वर्ष इस कारखाने का निरीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आप को याद होगा कि आप ने नोट किया कि समिति प्रसन्न है कि आई० डी० पी० एल० ने उनके सामने सभी तथ्य रखे हैं। यह सही है कि यह कहा गया कि समिति यह जान कर शप्रसन्न है कि संयंत्र के अनुसार 5 वर्षों की अवधि में 5 बार बढ़ाये गये और हर बार अनुमान बढ़ाये गये। एन्टीनायटिक्स परियोजना के नवीनतम अनुमान प्रारम्भिक अनुमानों की तुलना में 10·57 करोड़ अधिक हैं और सिन्थेटिक ड्रग्स परियोजना के मामले में 8·8 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस तरह एन्टीनायटिक्स परियोजना तथा सिन्थेटिक ड्रग्स परियोजना के अनुमानों में क्रमश: 67 और 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपने इसका भी उल्लेख किया है और यह सभी सदस्यों को भी मालूम है। जहाँ तक सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स संयंत्र का सम्बन्ध है. वृद्धि लगभग एक करोड़ रुपये है 33·65 करोड़ के बजाय अब यह 53·90 करोड़ रुपये है। आपने कुछ उपायों की सिफारिश की है जिस पर हम अमल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी समिति के सदस्य थे ?

डा० त्रिगुन सेन : उनको इन सब चीज़ों का पता है।

Shri Prem Chand Verma : It is a question of Rs. 25 crores and not Rs. 54 crores and the Minister should give a direct reply.

श्री रंगा : वह समिति के एक सदस्य थे। इस कारण वह उस विशेष प्रतिवेदन की ओर मन्त्री महोदय का विशेष ध्यान आकर्षित कर सके। सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? आपने कुछ सिफारशें की हैं। सरकार ने उन पर कौन-सी उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

डा० त्रिगुण सेन : हम आगे उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं और सभा की सूचना के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्वयं परियोजना का निरीक्षण किया। रूसी विशेषज्ञों का एक दल ऋषिकेश पहुँच गया है और हमारे विशेषज्ञों के सहयोग से एण्डीवायटिक्स काररखाने के कुछ संयंत्रों की मरम्मतों की ओर ध्यान दे रहा है। हमें विश्वास है कि बिना किसी अतिरिक्त व्यय के रूस द्वारा संयंत्रों में आवश्यक मरम्मत तथा सुधार किये जायेंगे। जहाँ तक सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स परियोजना का सम्बन्ध है, जिनके बारे में सदस्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है, उन्होंने भी कारखाने का दौरा किया है। यह स्वीकार किया जाता है कि कारखाने की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। इसका मुख्य कारण यह है कि औज़ारों की अच्छी मात्रा में बिक्री नहीं हो रही है। जहाँ तक हम समझते हैं, इसका कारण यह है कि भारतीय डाक्टरों को रूसी डिज़ाइनों का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है और कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। हमने उनकी जाँच की है और हमें आशा है कि समय आने पर हम नमूनों में सुधार कर सकेंगे।

Shri Prem Chand Verma : Even now hon. Minister has not given a direct reply.

श्री रणजीत सिंह : उन्होंने स्वीकार किया है कि इन औजरों की बहुत अधिक माँग नहीं है। इस बात पर विचार करते हुए कि रूस ने इस कारखाने की स्थापना की, क्या यह हो सकता है कि रूस को ही इन औज़ारों की आवश्यकता हो ? क्या मन्त्री महोदय ने इसके बारे में कोई जाँच की है ? यदि उन्हें जरूरत नहीं है और अन्य लोगों को भी जरूरत नहीं है तो इस कारखाने की स्थापना करने का क्या प्रयोजन है ? इसे अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए अब संशोधन करने की क्या आवश्यकता है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्ववर्ती मूल्य अत्याधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्धारित किये गये थे या क्या सरकार अब मूल्य बदलने और इन्हें कीमत से कम मूल्य पर बेचने का प्रयास कर रही है जैसा कि माल-डिब्बों के मामले में किया जाता है।

क्या सरकार की कोई ऐसी परियोजना है जहाँ अनुमानों में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दे सकता।

जहाँ तक प्रश्न के अन्य भागों का सम्बन्ध है। हम रूस तथा कुछ ऐसे पड़ोसी देशों को कुछ औजारों का निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ रूस की सहायता से अस्पतालों की स्थापना की गई है, जहाँ रूसी नमूने के औज़ार प्रयोग में लाये जाते हैं और वे अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैस कि मैंने पहले कहा है हम उन औज़ारों के डिजाइन बदल रहे हैं जिनकी देश में आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक मुझे याद है, स्थिति यह थी कि औज़ार हमारे नर-नारियों के आकार के अनुकूल नहीं थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा; उन्होंने ऐसा कहा है।

डा० त्रिगुण सेन : हम डिजाइन बदल रहे हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, you had rightly appealed the Ministers and all the hon. Members that hon. Members should ask direct questions, obtain information from the Government in brief and similarly the Ministers should also reply the question in brief to the point. But as Shri Atal Behari Bajpai has just said, the

statement laid on the Table of the House is vague. We had asked whether Rishikesh Antibiotics Factory has undergone loss. Instead of giving a claer reply the following vague answer has been given :

"परियोजना को चालू करने के प्रारम्भिक कार्यक्रम की तुलना में परियोजना को चालू करने में कुछ विलम्ब हुआ जिसके कारण प्रशासनिक लागत के रूप में कुछ अतिरिक्त व्यय हुआ।"

दूसरा यह है :

फिर भी, कम्पनी को हुए घाटे का कारण एकमात्र यह नहीं हो सकता कि आरम्भ में टार-जेट तारीखें नियत नहीं की गई।

आगे यह है :

"अनुमानों में संशोधन के कारण कम्पनी या इसके अधिकारियों के नियन्त्रण से बाहर थे और इसलिए उत्तरदायित्व नियत करने का प्रश्न नहीं उठता।"

When the Hon. Minister has given such vague replies, how we can ask Supplementary Questions ? When he admits that there has heen loss, he should clearly state the reasons and who is responsible for that and the action taken against them ? If we had information about this, we would have asked Supplementaries after some study. But the hon. Minister has given a vague reply.

Mr. Speaker : Read the next portion. Therein it is written.

Shri Jagannath Rao Joshi : That is other question. This is about Rishikesh Antibiotics Factory whereas that is about Surgical Instruments Factory in Madras.

डा० त्रिगुण सेन : हमने पहले ही बता दिया है कि इस परियोजना को आरम्भ करते समय कोई बाजार अध्ययन नहीं किया गया था और कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। हम मानते हैं कि ऐसा हुआ।

श्री उमानाथ : सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन में इस परियोजना और उसके परि-पालन के सम्बन्ध में विभिन्न त्रुटियों की चर्चा के बाद, यह बात निश्चित रूप से जोर देकर कहीं गई है कि सोवियत सहयोग के बारे में निर्णय करते हुए सरकार ने राजनैतिक कारणों को अधिक ध्यान में रखा। हांलाकि ठीक इन्हीं शब्दों में यह बात नहीं कही गई है लेकिन अभिप्राय स्पष्ट है कि सरकार ने परियोजना आदि की अपेक्षा राजनैतिक कारणों पर अधिक ध्यान दिया। अगर सरकार कहती है कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं जानना चाहूँगा कि उसके पास उस आधार के बारे में क्या जवाब हैं जो इस प्रकार के कथन के पीछे है।

डा० त्रिगुण सेन : मुझे कोई सन्देह नहीं कि इस परियोजना को हाथ में लेने वाले मेरे पूर्ववर्ती विशुद्ध सच्चाई से प्रेरित थे। मैंने देखा है कि 1961-62-63 में आम बात महसूस की जाती थी कि मूल औषधियों का मूल्य बहुत अधिक था जिसका परिणाम यह होता था कि आम जनता को औषधियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इसलिये मेरे पूर्ववर्तियों ने आवश्यक समझा कि सरकारी क्षेत्र में कुछ एकक स्थापित किये जाय विशेष रूप से मूल औषधियों के निर्माण के लिये। लेकिन सम्भवतः उन्हें इसका व्यावहारिक अनुभव नहीं था। और चूंकि अन्य देशों के साथ सहयोग सम्भव नहीं था इसलिये उन्होंने रूस का सहारा लिया। मुझे कागज-पत्रों से इतनी ही जानकारी मिली है।

Shri. M. A. Khan : It has not been made known from the reply given by the Hon. Minister as to what goods were necessary when this factory was set up. I would like to know from the Hon. Minister as to what is reason for the negligence and waste of public money, I would like to know why he wants to change the design now so that he may get those things made which the country required. I would like to know whether Hon. Minister is responsible for this or those officials on whose dictation the minister acts ? Will the Hon. Minister take the action against those, frittering awaay public money.

डा० त्रिगुण सेन : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 1961-62 से 1967-68 तक कम से कम छः मंत्री और उतने ही सचिव रहे हैं। मुझे उनके उद्देश्यों की ईमानदारी के प्रति कोई सन्देह नहीं है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न ईमानदारी का नहीं है अपितु प्रश्न यह है कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है।

श्री बलराज मधोक : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल है इसका कुछ जवाब हमें मिलना ही चाहिये। अगर सदन को इस प्रकार के उत्तर से गुमराह किया जाता है तो प्रश्न पूछने का फायदा ही क्या है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कुछ टिप्पणियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देना है परन्तु यदि मंत्री महोदय केवल इसी तरह प्रतिवेदन को पढ़ेंगे तो प्रश्न पूछने का ही क्या लाभ है ? यह पूरी सभा का अपमान है।

डा० त्रिगुण सेन : क्या माननीय सदस्य प्रतिवेदन के बाहर की कोई बाद गढ़कर सभा को गुमराह करना चाहते हैं ?

श्री पीलू मोडी : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऋषिकेश का संयत्र मूल रूप से पहले चीन में लगाया गया था फिर वहाँ से फिर उसे रूस वापिस भेज दिया गया और फिर सोवियत संघ ने उसी संयत्र को भारत में लगवा दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को समय की स्थापना के समय इस तथ्य का ज्ञान था और यदि नहीं था तो क्या अब वह तथ्यों से परिचित है और यदि अभी भी उसे नहीं मालूम है तो क्या भविष्य में वह इस बात की खोज करने का प्रयत्न करेगी कि उपरोक्त कथन में कोई सत्यता है भी कि नहीं।

डा० त्रिगुण सेन : जो कुछ आपने अपने प्रतिवेदन में कहा है मुझे केवल वही तथ्य मालूम हैं। आपने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि अब माननीय सदस्य का क्या कहना है इसलिये मुझे और किसी तथ्य का ज्ञान नहीं है।

श्री बलराज मधोक : इस तरह के उत्तर का हम विरोध करते हैं। माननीय सदस्य महोदय ने यह आरोप लगाया है कि यह एक पुराना संयंत्र था जिसे दुबारा रूस के हाथ बेचा गया और उसके यह भारत में लगाया गया। हम चाहते हैं कि या तो मंत्री महोदय इस आरोप को स्वीकार करें या इसका खण्डन करें।

श्री पीलू मोडी : क्या आप आरोप को स्वीकार करते हैं।

डा० त्रिगुण सेन : मैं आरोप का खण्डन करता हूँ।

श्री बलराज मधोक : या तो आप आरोप का खण्डन करिये या उसे स्वीकार कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है कि मैं इसे रखने की आज्ञा नहीं दे सकता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

+

*573. श्री क० लकप्पा : श्री ए० श्रीधरन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला बिकास निगम लिमिटेड की स्थापना के समय ओर 31 मार्च, 1969 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ख) इस निगम ने 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैङ्कों अथवा अन्य पक्षों से अलग-अलग कितना ऋण प्राप्त किया था

(ग) गत तीन वर्षों में निगम ने ब्याज के रूप में कितनी धन-राशि का भुगतान किया है;

(घ) गत तीन वर्षों में निगम द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और यदि उसे कोई लाभ अथवा हानि हुई है तो कितनी; और

(ङ) यदि कोई हानि हुई है तो इसके क्या कारण है और वर्ष 1969-70 के सम्बन्ध में क्या अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) से (ङ)—एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना के समय इसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 1969 तक 100 करोड़ रुपये तक बढ़ गई। निगम की स्थापना के समय इसकी चुकता पूंजी 6·5 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 1969 के अंत तक 94·11 करोड़ रुपये तक बढ़ गई।

मार्च 1969 के अंत तक निगम ने भारत सरकार से 84·14 करोड़ रुपये के तथा भारत के स्टेट बैङ्क से 4·36 करोड़ रुपये के कुल ऋण ले रखे थे।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान निगम ने क्रमश: 4·53, 5·26 और 5·40 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में अदा किये।

1968-69 के दौरान निगम द्वारा कोयले का उत्पादन 1967-68 और 1966-67 में क्रमश: 103·5 लाख तथा 94·9 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 126·1 लाख मैट्रिक टन के स्तर पर पहुँचा। निगम को 1966-67 तथा 1967-68 वर्षों में जहाँ क्रमश: 1·58 करोड़ तथा 0·73 करोड़ रुपयों की हानियाँ हुई वहाँ 1968-69 वर्ष में इसे थोड़े से लाभ की सम्भावना है। चालू

वर्ष के दौरान निगम को लगभग 150 लाख टन का उत्पादन करने तथा लाभ अर्जन करने की प्रत्याशा है ।

1966-67 तथा 1967-68 के दौरान निगम को हुई हानियों के मुख्य कारण ये थे :—

(1) कोयला बाजार में निरन्तर गिरावट, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी प्रायोजनाओं में स्थापित क्षमता अपयोजित रही;

(2) पुरानी गिरिडीह कोयला खानों के समूह में उपलभ्य राशियों के वस्तुतः निश्शेषिता अवस्था में आने आदि के कारण से बहुत अधिक हानियाँ;

(3) कोयला वेतन मंडल के पंचाट का उन पुरानी कोयला खानों पर प्रतिकूल प्रभाव, जिनमें श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है तथा जिनका प्रतिमानव पारी उत्पादन कम है; और

(4) कई खुले-मुख की खानों में कोयले पर ऊपरी—भार की अनुपात में वृद्धि जिसके कारण कोयला निषकर्षण अलाभप्रद हो गया ।

(5) 1966-67 में कुछ कोयला खानों को राजस्व लेखे में लिया गया और उनमें क्षमता से बहुत कम मात्रा तक कार्य हुआ; और

(6) निलम्बित/बन्द की जा चुकी खानों पर हुआ 55·89 लाख रुपये का रख-रखाव तथा पूंजीगत खर्चा 1966-67 में राजस्व लेखे में प्रभावित किया गया था ।

श्री क० लकप्पा : यह बड़े खेद की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के इस धोखे को छिपाने का प्रयत्न किया सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यों का ठीक-ठीक विवरण सभा को नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें प्रश्न पूछने दिया जाय ।

श्री क० लकप्पा : यदि हम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के इतिहास को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि सभा में और सभा के बाहर भी इसकी आलोचना होती रही है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के ठीक से न कार्य करने के सम्बन्ध में मुख्य आरोप वहाँ पर काम करने वाले उन कलम चलाने वाले नौकरशाहों पर है जो 2 करोड़ रुपये के नुकसान के उत्तरदायी हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यों के सम्बन्ध में जो वास्तविक तथ्य हैं उन्हें मंत्रालय जानबूझ कर क्यों दबाने का प्रयत्न कर रहा है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस निगम के कार्यों के सम्बन्ध में हमें ठीक-ठीक जानकारी क्यों नहीं दी गई ।

श्री जगन्नाथ राव : मुख्य प्रश्न के पाँच भाग हैं और उन पाँचों भागों के अलग-अलग उत्तर मैंने दे दिए हैं । वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए मैंने बहुत लम्बा वक्तव्य दिया था । मैं माननीय सदस्य के इस आरोप को स्वीकार नहीं करता कि मेरा उत्तर गुमराह करने वाला है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जो 1956 से शुरू हुआ था, उससे घाटा ही होता रहा, परन्तु मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि 1968-69 में इसने

1·26 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। इस एकक से सम्बन्धित कठिनाइयों की पहले ही विस्तृत चर्चा की जा चुकी है।

श्री क० लकप्पा : मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन विदेशी एजेन्सियों की तरफ खींचना चाहता हूँ। जिनके कामों से इस सरकारी उपक्रम को घाटा होता है ये एजेन्सियाँ कलम चलाने वाले नौकरशाहों के सहयोग से चलती हैं। मैं इस सम्बन्ध में "इकोनौमिक टाइम्स" का उद्धरण देना चाहता हूँ।

"खानों का विकास करने में निगम की असफलता उसकी अन्य असफलताओं में से एक है। कुल 27 कोयला खानों के विकास की योजना थी परन्तु इसने केवल 16 कोयला खानों का विकास किया। इनमें से भी 8 को बन्द करना पड़ा क्योंकि स्वयं निगम कोयले की पूरी मांग का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सका।"

क्या यह सच नहीं है कि तकनीकियों और अधिकारियों की हेराफेरी से 2 करोड़ से अधिक रुपयों का घाटा हुआ है? आपकी अध्यक्षता में जो समिति काम कर रही है, क्या उसने यह कहा है कि इन हालातों की जाँच एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति करे। मंत्रालय के विरुद्ध जो गम्भीर आरोप लगाए गए हैं उनकी आन्तरिक जाँच के लिए क्या मंत्री महोदय एक उच्चाधिकार समिति को आदेश देंगे?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का सम्पूर्ण कोयला उत्पादन 985 लाख टन होगा। परन्तु मध्यावधि में यह अनुमान 900 लाख टन कर दिया गया था। क्योंकि औद्योगिक विकास आशानुकूल नहीं हुआ। अनेक खानें जिनका विकास किया गया था बन्द हो गई क्योंकि कोयले की निकासी कम हो गई। वर्त्तमान समय में निगम 30 कोयला खानें और एक कोयला धुलाई का कारखाना चला रहा है। 5 कोयला खानें और तीन कोयला धुलाई वाले कारखानों का विकास किया जा रहा है। जिन सात खानों का विकास किया गया था उन्हें भी बन्द करना पड़ा क्योंकि उनमें से कोई निकासी नहीं हुई। परन्तु अब स्थिति में सुधार हो गया है और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से अब मुनाफा हो रहा है।

आयोग की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री क० लकप्पा : उत्तर नहीं दिया गया है। "इकोनौमिक टाइम्स" ने यह कहा है :

कामथ समिति पहले ही इस बात की जाँच कर रही है। परन्तु इससे स्पष्ट है कि इस दिखावे की भाग दौड़ से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोई विशेष लाभ नहीं होगा।"

मंत्री महोदय ने यह नहीं बनाया है कि निगम के कार्यों में कैसे सुझाव किया जायगा। मेरे प्रश्न के उत्तर में भी उन्होंने इसका कोई जबाब नहीं दिया। इसको ध्यान में रखते हुए क्या वे उच्चाधिकार प्राप्त जांच के लिये सहमत होंगे।

श्री जगन्नाथ राव : कामथ समिति ने 155 सिफारिशें की थी जिनमें से 130 सिफारिशों को मान लिया गया और 103 पर काम भी किया गया। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने उस दिन सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा था।

एक और समिति की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ए० श्रीधरन : सरकारी क्षेत्र बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और यह उचित ही है । परन्तु इस सरकारी उपक्रम के कामों को देखते हुए इसे "राष्ट्र विरोधी कोयला विकास निगम" कहा जाना चाहिये । मन्त्री महोदय ने प्रश्न को टालने का प्रयत्न किया है । प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि घाटे का कारण क्या है ? मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिये हैं वे मूल रूप में और आधारभूत रूप में सरकारी उपक्रम की समिति की खोजों से सर्वथा भिन्न है । उस समिति ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के घाटों के लिये चार स्पष्ट कारण दिये हैं वे मुख्य रूप से ये हैं; उच्चाधिकारियों की कार्य करने की अक्षमता और उनका बुरा प्रबन्ध, जरूरत से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उत्पादन लक्ष्यों को पूरा न कर पाना और स्टोरों की अनावश्यक खरीद । मन्त्री महोदय ने सभा को गुमराह करने का प्रयत्न किया है । सभा को यह अधिकार है कि इस मामले पर वह उचित कार्यवाही करे । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने सरकारी उपक्रम समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है और यदि ऐसा किया है तो उच्च स्तर की अक्षमता और बुरे प्रबन्ध की कमी को दूर करने जरूरत से अधिक की छटनी; उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति न कर पाने और अनावश्यक स्टोरों की खरीद को रोकने के लिये क्या कदम उठाए हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : सरकारी उपक्रम समिति ने 84 सिफारिशें की थीं । 79 सिफारिशों के सम्बन्ध में हमारा स्पष्टीकरण सचिवालय को भेज दिया गया था । 5 सिफारिशों की जाँच हो रही है । समिति इन स्पष्टीकरणों की फिर से जाँच करेगी । समिति ने यदि 84 कारण दिये थे तो मैंने 6 कारण दिये हैं । इसलिए सभा को गुमराह करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ए० श्रीधरन : मन्त्री महोदय ने जो 6 कारण दिये हैं उनमें ये चार कारण नहीं है । मन्त्री महोदय का कहना ठीक है या समिति का कहना ठीक है ।

श्री जगन्नाथ राव : यह एक प्रकाशित दस्तावेज है.....,

(व्यवधान)

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : अनुभव से यह सिद्ध है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और अन्य सरकारी निगमों में कोई तालमेल नहीं है । भारतीय उर्वरक निगम ने यह निश्चय किया था कि वह कोरबा में कोयले से चलने वाली एक उर्वरक फैक्टरी खोलेगा । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोरबा के पास खानों का विकास, लाइने आदि बिछाने में लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च किया । वहाँ पर जो कोयला निकलता है उसकी खपत के लिये कोई भी बाजार नहीं है क्योंकि वह घटिया किस्म का कोयला है और वह उर्वरक सयंत्र के लिये ही प्रयुक्त हो सकता है । इसलिये क्या मैं मानवीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम भारतीय उर्वरक निगम से कोयला से चलने वाली उर्वरक फैक्टरी को चालू करने के लिये कहेगा । जिससे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा चालू की गई खानों का कोयला काम में आ सके ।

श्री जगन्नाथ राव : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले से चलने वाली दो उर्वरक फैक्टरियों के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है । ऐसी दो फैक्टरियाँ लगाई जाएँगी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्त सरकारी निगमों की अपेक्षा

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का प्रबन्ध और कार्य सबसे खराब है। सरकारी उपक्रम समिति और अन्य समितियों के प्रतिवेदनों से यह बात स्पष्ट है। भ्रष्टाचार और अनियमितता के अनेक आरोप हैं और ऐसा करने वालों के नाम भी मौजूद हैं। हम देखते हैं कि इन लोगों को सजा देने की अपेक्षा उन्हें अन्य निगमों में और ऊँचे वेतन क्रम पर नियुक्त कर दिया जाता है। क्या सरकारी ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे उन व्यक्तियों को जिन पर भ्रष्टाचार और बुरे प्रबन्ध तथा अन्य अनियमितताओं के आरोप हैं उनको अन्य निगमों में नौकरी देने की अपेक्षा उन्हें सजा देगी ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिन व्यक्तियों भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप हैं उन्हें नौकरी पर नहीं लगाना चाहिए। यदि सदस्य महोदय मुझे कोई एक खास उदाहरण दे तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा।

Assistance to School and Hospitals Run by Foreign Missionaries

*574 **Shri Suraj Bhan** : Will the minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of assistance given to the Schools, hospitals and other institutions being run by the foreign missionaries during the last five years, State-wise ;

(b) whether Government are satisfied that the assistance given to these institutions is being utilised in the public interest and for the service of the people ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) to (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as the same is received.

Shri Suraj Bhan : This question was put atleast two months ago. He should have collected all the information in the mean time.

Mr. Speaker : Now there is no alternative.

Shri Suraj Bhan : Even then I want to ask a question. Is it a fact that the religion of the people is converted by taking undue advantage of their abject poverty and diseases, and most of them are Harijan. They become the victim of it. I want to know what adequate steps government is taking or is going to take to stop these practices.

Shri Jagannath Pahadia : Government has always been trying that no person should be forced to change his religion whether he is good or wicked, Harijan or Girijan.

Shri Ranjit Singh : How dare he comment that Harijans were wicked. He should take back his words.

Shri Onkar Lal Berwa : He should take back his words.

Shri Jagannath Pahadia : Government has always been trying for the economic and educational progress and improvement of the people of all classes and they should not be forced to convert their religion.

Shri Onkar Lal Berwa : The word wicked people should be withdrawn.

श्री रंगा : यदि उन्होंने कोई गलती की और यदि इस ओर उनका ध्यान खींचा गया तो उन्हें कहना चाहिये था कि मुझसे गलती हुई मेरा अभिप्राय यह नहीं था।

Shri Jagannath Pahadia : I never meant that Harijans were wicked.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं । इसलिये अब ठीक है । (व्यवधान) उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है इसलिये अनुपूरक प्रश्न नहीं उठते । दूसरा प्रश्न ।

राजस्थान तथा हरियाणा की ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनायें

+

*575. श्री देवकीनन्दन पटौदिया : श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन योजनाओं के दौरान विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में भारत के ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन राज्यों में तीनों योजनाओं के दौरान कितने क्षेत्र में उक्त प्रबन्ध किये गये हैं;

(ग) चौथी योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा प्रति वर्ष कितनी योजनायें पूरी होंगी; और

(घ) क्या अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में यह प्रगति संतोषजनक है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) इस प्रश्न में सुविस्तृत सूचना मांगी गई है और वह भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । तथापि हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) ग्राम क्षेत्रों में उपलब्ध पीने के पानी की सुविधाओं के सम्बन्ध में 1964-65 में ब्लाक संगठनों के माध्यम से किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला कि 5·68 लाख गाँवों में से 1·19 लाख ग्रामों में उस समय तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी । प्रथम तीन योजनाओं में इस सम्बन्ध में लगाये गये धन से सुगम क्षेत्रों में स्थित ग्रामों की लगभग 70 प्रतिशत जन संख्या तथा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की लगभग 10 प्रतिशत जन संख्या के लिए न्यूनतम पीने के पानी की व्यवस्था कर सकना संभव हो सका है ।

राजस्थान में तीन पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान पीने के पानी के 15700 नये कुओं का निर्माण किया गया तथा 18300 पुराने कुओं की मरम्मत करायी गई । तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त मे 94 ग्रामों में नल जल योजनाएँ पूरी हो गई थीं और 183 ग्रामों में ये योजनाएँ प्रगति पर थी ।

हरियाणा 1966 में बना, तथापि अविभाजित पंजाब में तीन पच वर्षीय योजनाओं के दौरान 24800 नये कुएँ बनाये गये तथा 33,200 पुराने कुओं की मरम्मत की गई । तीसरी पंच वर्षीय योजना तक हरियाणा में सम्मिलित क्षेत्रों में 173 ग्रामों में नल जल योजनाएँ पूरी हो गई थीं ।

(ख) क्योंकि कुछ कार्यक्रम तथा जल पूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले ग्राम दूर-दूर तक बिखरे हुए हैं इसलिए इनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि जल पूर्ति योजनाओं के लिए वार्षिक योजनाओं में आवश्यक धन की व्यवस्था करना तथा उनकी क्रियान्विति के लिए प्राथमिकता निश्चित करना राज्य सरकारों का काम है। ग्राम जल पूर्ति कार्यक्रम राज्य सेक्टर में आता है और अब राज्य सरकारों को उनके प्लान स्कीमों के लिए समेकित ऋण तथा अनुदान दिये जायेगें।

(घ) नल जल पूर्ति एवं कुओं के निर्माण के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा और राजस्थान में हुई प्रगति को सारे देश की प्रगति की तुलना में सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : पीने के पानी की सप्लाई करने के मामले में राजस्थान की समस्या देश के अन्य भागों की अपेक्षा बड़ी भयंकर है और फिर भी इस मामले में राजस्थान की पूरी उपेक्षा की गई है। अब इस प्रश्न के उत्तर के विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि आज भी वहाँ 1,19,000 गाँव हैं, जहाँ पानी की सप्लाई नहीं की गई है। मेरा प्रश्न यह है : (क) राजस्थान में ऐसे कितने गाँव हैं, जिनमें पानी की सप्लाई नहीं की गई है। (ख) क्या यह सही नहीं है कि 1968-69 में जल-पूर्ति और सफाई कार्यक्रम के मामले में केन्द्रीय सरकार के 5.74 करोड़ रुपये की नियत की गई कुल राशि में से राजस्थान के लिए केवल 12 लाख रुपये नियत किये गये हैं, जो केवल $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ही है और यदि हाँ, तो इतनी कम राशि को नियत करने का क्या कारण है ? और (ग) नियत की जाने वाली राशि के मामले में सरकार राजस्थान के साथ किस तरह अपना औचित्य ठहरायेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह सही नहीं है कि राजस्थान को पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है। विवरण में बताया गया है कि राजस्थान में पीने के पानी के 15, 700 नये कुयें बनाये गये और 18,300 पुराने कुयें—

Shri Onkar Lal Beawa : It is quite wrong.

श्री पीलू मोदी : कितने कुयें काम कर रहे हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पीने के पानी के 18,300 पुराने कुओं का नवीकरण किया गया। तीसरी योजना के अन्त में 94 गाँवों में नल-जल पूर्ति योजनायें पूरी की जा चुकी हैं और 483 गाँवों में नल जल पूर्ति योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्या उत्तर दिया है ? महोदय, क्या आपने मेरा प्रश्न और मंत्री महोदय का उत्तर सुना है ? मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। पहला प्रश्न यह है कि कुल 1,19,000 गाँवों में से, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, उनमें से राजस्थान में कितने हैं; दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि 1968-69 में धनराशि नियत करने के मामले में कुल 5·74 करोड़ रुपये की राशि में से राजस्थान को केवल 12 लाख रुपये दिये गये हैं, जो ठीक $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है। जो विवरण मेरे सामने है, वह केवल उसे पढ़ रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न के रूप में न पूछकर कुछ जानकारी दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त वह कहते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उनका प्रश्न क्या है ?

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न है : (क) देश में 1,19,000 गाँवों में से, जिनमें मंत्री महोदय के विवरण कथनानुसार आज भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, राजस्थान में ऐसे कितने गाँव हैं; और (ख) 1968-69 में जल-पूर्ति और सफाई कार्यक्रम के लिये दी जाने वाली कुल राशि में से क्या राजस्थान को केवल 12 लाख रुपये दिये गये हैं और जो दी जाने वाली कुल राशि का केवल $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। और यदि हाँ, तो राजस्थान को इतनी कम धनराशि क्यों दी गई है ?

श्री पीलु मोदी : सरल उत्तर या तो हाँ में हो या न में।

श्री ब० सू० मूर्ति : राजस्थान में कुल जितने गाँव हैं, उनमें से 2,244 गाँवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और योजनायें तैयार कर ली गई हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर यह नहीं है।

श्री पीलु मोदी : उन्हें केवल साधारण जानकारी लाखों या करोड़ों रुपयों में चाहिये। लेकिन वह कुछ अन्य ही जानकारी दे रहे हैं।

श्री ब० सू० मूर्ति : कुल गाँवों में से केवल 32, 241 गाँव ऐसे पाये गये हैं, जिनमें पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं हैं या पानी बिलकुल ही सप्लाई नहीं किया गया है। इन गाँवों का सर्वेक्षण किया गया है और एक योजना तैयार कर ली गई है। अनुमान है कि लगभग 689·60 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री बलराज मधोक : महोदय, वह सभा का समय क्यों बरबाद करते हैं ? वह कह सकते हैं कि उन्हें इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं केवल राजस्थान के बारे में जानकारी दे कर रहा था।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ?

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : हाँ, मैंने केवल एक प्रश्न पूछा है। यदि मंत्री महोदय उसका उत्तर न दें, तो इसके लिये क्या मैं दोषी हूँ ? राजस्थान सरकार ने गाँवों में जल सप्लाई करने के लिये 50 करोड़ रुपये का एक मास्टर प्लान भेज दिया है। तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं केवल राजस्थान के बारे में प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ और समूचे भारत के बारे में नहीं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं केवल राजस्थान के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपने स्थान पर बैठ जायें। उनका प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार

को राजस्थान सरकार से कोई मास्टर प्लान मिला है। यदि मन्त्री महोदय को इस विषय की जानकारी न हो, तो वह पूर्व सूचना देने के लिये कह सकते हैं।

श्री ब० सू० मूर्ति : जहाँ तक राजस्थान के मास्टर प्लान का सम्बन्ध है, एक दल ने $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक कार्य किया और उसने 32,241 गाँवों के बारे में जानकारी एकत्र की है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं राजस्थान के मास्टर प्लान के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री ब० सू० मूर्ति : यह मास्टर प्लान है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : सर्वेक्षण करने के बाद कुल अनुमानित लागत 54·37 करोड़ रुपये थी। औजारों, संयंत्रों, भवनों और शेष भाग को मिलाकर कुल लागत 69·60 करोड़ रुपये हुई। चौथी योजना में समूचे भारत में गाँवों में पानी सप्लाई करने का कुल प्रावधान 138 करोड़ रुपये है। इसलिए हमने राजस्थान सरकार को प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए लिखा है, ताकि उसकी प्राथमिकताओं की इसके अन्तर्गत व्यवस्था की जा सके।

श्री बल राज मधोक : यह जानकारी पहले दी जा सकती थी।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं इसे पढ़ रही थी।

श्री स० मो० बनर्जी : लेकिन मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्री को राज्य मन्त्री की अपेक्षा अधिक जानकारी होनी चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जर्मन विशेषज्ञों के एक अध्ययन दल के, जिसने हमारे देश के सूखाग्रस्त 7 राज्यों का छै सप्ताह तक अध्ययन किया, प्रतिवेदन की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनकी टिप्पणी यह है कि सूखे की समूची समस्या 5 वर्ष की अवधि के अन्दर पूरी तरह हल की जा सकती है। दुर्भाग्यवश, इस सरकार ने न तो जल-भूविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण ही कराया है और न ही उसने उस दल के नवीनतम तरीकों का ही प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न को पूछिये।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस दल ने सरकार के पास अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हाँ, तो सरकार ने उस अध्ययन दल की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है। दूसरा प्रश्न यह है कि उस बड़ी नहर योजना के बारे में क्या हो रहा है, जो गंगा को कावेरी से मिलायेगी और जो बरसात और बाढ़ के जल का उपयोग करेगी तथा जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि वह उस योजना को शुरू करने जा रहे हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : महोदय मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल : पहले प्रश्न के लिए भी ?

श्री रा० कृ० बिड़ला : राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने पत्रकारों

कौं जुलाई के महीने में किसी समय बताया कि केन्द्रीय सरकार ने 3·60 करोड़ रुपये की लागत से 100 नलकूप खोदने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिए वायदा किया है। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वह धनराशि राजस्थान सरकार को क्यों नहीं दी जा रही है ? 100 नलकूप खोदे जा रहे हैं। ये नलकूप पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में हैं। मैं नहीं जानता कि उनका क्या हो रहा है। श्री सुखाड़िया के अनुसार एक करोड़ रुपये देने के बाद सरकार इस वायदे से मुकर गयी। मैं जानना चाहता हूँ कि वह इस मामले में क्या कर रही है।

श्री के० के० शाह : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मित्र ने केवल 100 नलकूपों का ही उल्लेख किया है। मूल योजना 7,50,00,000 रुपये की लागत से बनाए जाने वाले 500 नलकूपों की थी। योजना का अनुमोदन नहीं किया गया है, लेकिन राजस्थान भूमि जल बोर्ड के लिए पहले 100 नलकूपों के निर्माण के लिए 72·25 लाख रुपये की राशि रखी गयी है। यह वायदा अभी भी है।

Shri Randhir Singh : I feel ashamed to state that in most of the villages of Hariyana people have also to drink water in the same ponds where camels, goats and pigs drink, while it has been mentioned in the Directive principles of the Constitution that the drinking water would be provided in the country. I would like to know whether Government have received from the Government of Hariyana a list of such villages, where drinking water should be provided. If not, whether hon. Minister would ask for a list of such villages and provide drinking water there. It is very necessary to provide drinking water in the State where the slogan 'Jai Jawan and Jai Kisan' is raised.

Shri K. K. Shah : The Chief Minister of Haryana has done good work. (**Interruption**) If honorable Members listen, they would agree with me.

श्री कंवरलाल गुप्त : वह दल बदलू हैं। वह आपके दल में आये हैं। क्या यह अच्छा काम है ?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि वह किसी विशेष मंत्री की प्रशंसा करेंगे, तो कोई भी उनके विरुद्ध बोलेगा। यह एक आम परम्परा है कि हम प्रायः इन चीजों को अर्थात् कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है, दूर रहें। इसके बाद कोई भी इस पर आपत्ति करके कहेगा कि इस व्यक्ति ने अच्छा कार्य नहीं किया है।

Shri. K. K. Shah : Would hon. Member Shri Dwivedy excuse me that he makes a complaint about the work where it has not been done well and sometimes I accept that complaint also. But hon. Member should also accept where the work has been done well. (**Interruption**)

Mr. Speaker : What hon. Minister has said about doing good work is relevant to some extent, but on this side what has been said that he is defector, I do not think that is some proper retort.

श्री के० के० शाह : सर्वेक्षण करने पर मालूम हुआ है कि हरियाणा में लगभग 6,679 गाँवों में सुरक्षित ढंग से जल सप्लाई की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इनमें से

लगभग 3,509 गाँवों में समानरूप से पानी की कमी है। तीसरी योजना के अन्त तक नियत की गई कुल धनराशि 212 लाख रुपये थी और जल सप्लाई का कार्य मोहिन्दरगढ़, गुड़गाँव, हिसार, रोहतक, करनाल, अम्बाला और जिन्द नामक सात जिलों में शुरू किया गया था तथा 173 गांवों में यह कार्य तीसरी योजना काल में पूरा हो गया। 1967, 1968 और 1969 में कुल प्रावधान 93·35 लाख रुपये किया गया। चौथी योजना में लगभग 600 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और गाँवों में जल व्यवस्था कार्य का हिस्सा 370 लाख रुपये होगा। 1969-70 में 44 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और लक्ष्य 44 गाँवों में जल की व्यवस्था करने का है। 1970-71 में 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और 88 गाँवों में जल की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1971-72 में प्रावधान 76 लाख रुपये है और लक्ष्य 76 गाँवों का है। 1972-73 में प्रावधान 76 लाख रुपये और निर्धारित लक्ष्य 76 गाँवों का है तथा 1973-74 में प्रावधान 76 लाख रुपये और लक्ष्य 76 गाँवों का है।

Shri Shiv Charan Lal : Honourable Minister has just stated the allocation for the drinking water wells for Hariyana and Rajsthan, while some part of Uttar Pradesh is also linked with Hariyana. There is scarcity of drinking water in the whole of Uttar Pradesh. The people of backward castes have to drink the water of the ponds in place of wells. There is no scheme of water supply for them. I therefore would like to know from the Hon. Minister as to how much amount has been allocated for Uttar Pradesh ?

Mr. Speaker : There is no mention of Uttar Pradesh in the question.

Shri Shiv Charan Lal : That part of Uttar Pradesh is linked with Hariyana.

Shri P. L. Barupal : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the Hon. Minister that in the Bikaner Divison and Jaislmer we find saline water even after digging at the depth of 350 to 700 feet, so what arrangements are being made to provide drinking water through pipeline or canal in place of salime water ? I recollect that the late Prime Minister Pt. Jawahar Lal Nehru once said that it is sad if there is no arrangement to provide drinking water in free India, so we must provide drinking water, whether we have to sink deep tubewells or else I would like to know whether any arrangement is being made in this regard.

Shri K. K. Shah : So, it has been stated that arrangement has been made for sinking tube wells, where the water is not made available easily, and a sum of Rs. 72 lakhs has deen provided for 100 tube wells in the first instance. 500 tube wells are to be sunk in all.

युगोस्लाविया से प्राप्त प्रथम ऋण पर अवमूल्यन का प्रभाव

★ 576. **श्री नरेन्द्र कुमार सात्वे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को युगोस्लाविया से प्राप्त प्रथम ऋण में यह व्यवस्था थी कि ऋण की राशि ब्रिटिश पौंड में भारतीय रुपये के मकक्ष मूल्य पर आधारित होगी;

(ख) क्या भारतीय रुपये के अवमूल्यन परिणामस्वरूप उक्त ऋण की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पौंड के अवमूल्यन के पश्चात् 2·97 करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था और यदि हाँ, तो क्या इस प्रश्न पर निर्णय किया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जून, 1966 में रुपये का अवमूल्यन हो जाने से युगोस्लाविया के प्रथम ऋण की बकाया रकम में 57·5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी।

(ग) इस मामले पर यूगोस्लाविया की सरकार के साथ अभी बातचीत चल रही है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मुझे यह बता देना चाहिए कि प्रश्न के भाग (ख) में प्रेस की भारी गलती है। प्रश्न इस प्रकार पढ़ा गया "क्या रुपये के अवमूल्यन के साथ इस ऋण की बकाया रकम बट्टे खाते में डाल दी गई।" "बट्टे खाते में डाल दी गई" के स्थान पर "दर्ज की गई" होना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इस भूल के बावजूद हमने बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आर्थिक सहयोग के समझौतों के अधीन पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों से हमने जो ऋण लिये हैं, उनका सम्बन्ध या तो डालर या केवल पाउन्ड स्टर्लिंग से है, जिससे कन्सोर्टियम देश इस बारे में कि उन्होंने क्या वायदे किये हैं और उन्होंने किस हद तक वायदे पूरे किये हैं, समान आधार पर सुविधा प्रदान कर सकें। डालर या पाउन्ड स्टर्लिंग के मूल्य को रुपये के साथ सम्बद्ध करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया गया है। इसका ऋण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह रुपये के वास्तविक मूल्य के आधार पर है। इसलिये क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि इस विशेष मामले में सामान्य प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया गया और यूगोस्लाविया को रुपये को पाउन्ड के मूल्य के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी गई, हालांकि पूर्वी यूरोप के किसी देश के साथ ऐसा नहीं किया गया ? क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रक्रिया को हटने में क्या औचित्य है ? क्या यह मुद्रा और बैंक प्रणाली का विरोध नहीं करता है ? और सम्बद्ध प्रश्न यह है कि इन ऋणों के बारे में जो सौदे किये गये हैं, उसके सिलसिले में, क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि पूर्वी यूरोप के देशों ने अपने उपभोग के लिए भारतीय माल का प्रत्यक्ष रूप से आयात किया है लेकिन जब माल समुद्र में ही होता है, तब वे उसे अन्य देशों की ओर ले जाते हैं और उस माल को रियायत देकर उनको बेच देते हैं। (व्यवधान) इससे वास्तव में वे भारतीय रुपये को रियायत देकर बेचते हैं और वे अपने लिये विदेशी मुद्रा कमाते हैं। क्या इस बारे में कोई शिकायत मिली है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहाँ तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, 21-1-1960 के ऋण समझौते और उस पत्र व्यवहार के अनुसार जो समझौते का एक अंग था तथा इसके बाद 24-3-1961 को हुए लेखा प्रबन्ध के समझौते के सम्बन्ध में जो बकाया रकम व्यक्तिगत संविदा के अधीन देय हैं और जो राशि संगत गारंटी के अन्तर्गत आती हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा। चूंकि रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया, इसलिए स्वभावत: यह 57·5 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

शेष राशि के बारे में हमने भाग (ग) में पहले ही उत्तर दे दिया है कि इस मामले पर बातचीत चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो समिति इस मामले पर विचार कर रही है, माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य हैं। वहाँ भी हमने कहा था कि जैसे ही बातचीत पूरी हो जायेगी, वैसे ही हम समूची जानकारी दे देंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा प्रश्न स्पष्ट था। इस प्रक्रिया से हटने में क्या औचित्य है ? ऋण की मात्रा भारतीय रुपये के अनुसार निर्धारित की जाती है। जब इसे किसी अन्य मामले में समता मूल्य के साथ नहीं जोड़ा गया, तब यह इस विशेष मामले में क्यों किया गया ?

श्री रंगा : यह भेद क्यों किया गया ?

श्री प्र० चं० सेठी : समझौते में यह व्यवस्था है कि खरीद ठेके भारतीय रुपयों में व्यक्त करने होंगे और इसमें अन्य बातों के बीच समुचित समता खण्ड के अधीन आवश्यक ब्यौरे रखने होंगे। पोलैंड और सोवियत संघ सहित पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों के साथ हमारे जो समझौते हुए हैं, उनके सम्बन्ध में प्रायः ऐसा मामला हुआ है। इसलिये यह समझौते का एक अंग है और अधिकांश समझौते में समता खंड है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मुझे दुःख है कि मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न को नहीं समझा है। मन्त्रालय ने लोक लेखा समिति को जो टिप्पण प्रस्तुत किया है, उसमें यह बताया गया है कि केवल यूगोस्लाविया के मामले में ऐसा किया गया है। मुद्रा प्रणाली की दृष्टि से यह बहुत अनुचित प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले उत्तर दे दिया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उन्होंने यह नहीं बताया है कि इस विशेष मामले में प्रक्रिया को क्यों छोड़ा गया है।

श्री प्र० चं० सेठी : जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है.....

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : पहले भाग के बारे में क्या कहा ? क्या मेरा प्रश्न संगत नहीं हैं ? यदि मेरा प्रश्न संगत है, तो मुझे उत्तर प्राप्त करने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है, तो आप एक दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि जहाँ तक समता खण्ड का सम्बन्ध है, यह केवल यूगोस्लाबिया के ऋण के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु यह सोवियत संघ, पोलैंड और यूरोप के कुछ अन्य देशों के साथ हमारे ऋण समझौते पर भी लागू होता है। इसलिये जहाँ तक यूगोस्लाबिया के ऋण का सम्बन्ध है, विशेष रूप से प्रक्रिया को नहीं छोड़ा गया है।

माननीय सदस्य ने व्यापार को बदलने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है, तो हम इसकी छानबीन करेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्री साल्वे का प्रश्न रुपयों और पौंड से सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले अगले प्रश्न के लिये कह दिया है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इसे स्पष्ट करता हूँ । पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के सम्बन्ध में स्वर्ण सम्बन्धी खण्ड है और यूगोस्लाविया के ऋण के सम्बन्ध में पाउन्ड सम्बन्धी खण्ड शुरू किया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र में एल्युमीनिया के कारखाने

*571. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्युमीनिया निर्यात करने के नये समझौतों तथा करारों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में एल्युमीनिया के नये कारखाने स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये कारखाने कहाँ-कहाँ पर स्थापित किये जायेंगे तथा प्रस्तावों की क्रियान्विति में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) लम्बी अवधि के आधार पर एल्यूमिना के आयात के सम्बन्ध में विभिन्न देशों द्वारा पूछताछ की गई हैं, परन्तु एल्यूमिना के किसी देश को निर्यात करने के लिये कभी कोई समझौता या करार नहीं किया गया है । एल्यूमिना के निर्यात की सम्भावनाओं को विचार में रखकर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को गुजरात में निर्यात-अनुस्थापित एक एल्यूमिना संयंत्र के लिये प्रथमत: एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये नियुक्त किया गया है ।

(ख) स्थापना-स्थल तथा समयावलि के सम्बन्ध में ब्यौरे केवल सम्भाव्यता अध्ययन के पूरा होने पर ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में मिलाना

*577. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में मिलाये जाने के बारे में पाँचवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) पाँचवे वित्त आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 जुलाई 1969 को राष्ट्रीपति को प्रस्तुत की । रिपोर्ट की जाँच की जा रही है और सिफारशों पर कार्यवाही के बारे में ज्योंही निर्णय लिए जाएँगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार उक्त रिपोर्ट को, उस पर की गयी कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, संसद के दोनों सदनों की मेजों पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में उत्पादन

*578. श्री जुल्फिकार अली खाँ : श्री रा० की० अमीन :
श्री मीठा लाल मीना : श्री अजमल खाँ :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की कुल निर्धारित उत्पादन-सीमा कितनी है;

(ख) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने अपनी निर्धारित सीमा के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं अथवा उस सीमा से अधिक; यदि हाँ, तो क्या उनके उत्पादन में कटौती करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इससे देश में तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादनों की पूर्ति तथा माँग की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) आयातित कच्चे तेल का उपयोग करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के तीन तेल शोधक कारखाने को दिये गये औद्योगिक लाइसेन्सों में लिखी हुई क्षमताओं की मात्रा 4·575 मिलियन टन है।

(ख) और (ग) : इन तेल शोधक कारखानों का वर्तमान वार्षिक परिचालन स्तर 7·30 मिलियन टन है। पेट्रोलियम उत्पादों की माँगों को दृष्टि में रखते हुये, इस समय इन स्तरों में कमी किये जाने की संभावना नहीं है।

Forged Currency and Unaccounted Money

*579. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sundar Lal : **Shri P. C. Adichan :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have ever estimated the total amount of currency issued;

(b) the amount of currency actually in circulation at present ;

(c) the estimated amount of the unaccounted money which is not in circulation ;

(d) the efforts being made by Government to unearth the unaccounted money in the interest of the nation; and

(e) the amount of unaccounted money unearthed by Government during the last five years ?

The Minister of State in the ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) : The published figures indicate the outstanding position regarding the amount of currency issued and in circulation. The currency in circulation with public as at the end of March 1969 amounted to Rs. 3680 crores.

(c) It is not possible to estimate unaccounted money.

(d) Government is constantly engaged in detecting tax evasion which is the principal source of unaccounted money. Towards that end, various measures have been taken to check tax evasion and tighten collection machinery.

(e) The available information relates to incomes disclosed under the voluntary disclosure schemes and those detected as a result of the Department's effort. Incomes disclosed under the two voluntary schemes introduced in 1965 aggregated Rs. 197 crores and concealed incomes detected by the depai tment amounted to Rs.2376 crores in 1965-66, Rs. 32.92 crores in 1966-67 and Rs· 37. 72 crores in 1967-68. Besides, there is unaccounted money voluntarily disclosed every year by assesees in view of the deterrent Penalty provisions; this amounted to Rs. 42 crores between 1. 4. 1964 and 31. 3. 1968.

रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट

★580. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये की क्रय शक्ति में 1947 से अब तक कितनी गिरावट आई है; और

(ख) रुपये की क्रय शक्ति में हुई भारी गिरावट को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार का विचार नया रुपया, जो वर्तमान दस रुपयों के बराबर हो, जारी करके मुद्रा सम्बन्धी सुधार करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक की अंतरिम श्रेणी के लिए 4949 के आधार वर्ष माना गया है। इस सूचक अंक में हुई वृद्धि के अनुसार 1949 से1968-69 के बीच रुपये की क्रय-शक्ति में 52.8 प्रतिशत की कमी हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

विभिन्न सरकारी उपक्रमों में पूँजी निवेश

★581 **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या स्वस्थ तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 तक उनके मन्त्रालयों के नियन्त्रयाधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों में कुल कितनी पूँजी लगी हुई थी और साम्य पूँजी तथा ऋणों और अग्रिम राशियों के रूप में कितना धन लगा हुआ था (प्रत्येक उपक्रम के अलग-अलग आंकड़े दिये जाने चाहिये);

(ख) गत तीन वर्षों में उनका कार्य संचालन कैसा रहा है, और क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) विद्यमान उपक्रमों में चौथी पंचवर्षीय योजना में और कितनी पूँजी लगाने का प्रस्ताव है और नए उमक्रमों में कितनी पूँजी लगाई जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1697/69]

त्रिपुरा में सुरमा घाटी में तेल की खोज

★582 **श्री मणिभाई जे० पटेल** : **श्री प० मु० सईद** :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सुरमा घाटी में तेल खोज सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव तेल और प्रकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विशेषज्ञों को वहाँ तेल के बड़े भंडार मिलने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के बारे में अग्रेतर ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) त्रिपुरा में सुरमा नामक कोई घाटी नहीं है ।

(ख) त्रिपुरा में हाइड्रोकार्बन के बड़े निक्षेप मिलने की संभावना है ।

(ग) आयोग का विचार है कि कुछ संरचनाओं का ड्रिलिंग से परिक्षण किया जाये ।

'पेट्रियाट' तथा 'लिंक' समाचार-पत्रों को दान देने वालों तथा अंशदाताओं के विरुद्ध जाँच

*583. श्री जय सिंह : श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वित्त मन्त्री 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2302 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पेट्रियाट' तथा 'लिंक' समाचारपत्रों को दान देने वाले तथा उनके अंशदाताओं के बारे में इस बीच जाँच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

Incidence of Heart Diseases

*584. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have had any research conducted to find out the cause of the increasing incidence of heart diseases in the country;

(b) the age group and the profession of the person who are mostly affected by the heart disease; and

(c) whether some special medicines have been found out to cure heart diseases ?

Minister For Health And Family Planning And Works, Housing And Urban Development (Shri K. K. Shah) :

(a) No survey has so far been conducted to find out the prevalence of heart diseases in India.

(b) Various types of heart diseases appear in different age groups. While rheumatic heart disease commonly manifests between the age of 10 and 30 years, hypertension, ischaemic heart disease and corpulmonale manifest usually after

the age of 40 years. Congenital heart disease occurs commonly in the early years of life. Hypertensive and ischaemic heart diseases are more likely to occur in persons with occupations where not much manual labour or physical exercise are involved.

(c) There is no special medicine to cure heart diseases. Heart diseases are of various types and each one demands special treatment. Drugs are available of varying potencies for diffent symptoms of heart discase. "Peruvoside", a new Cordiac glycoside has been lately discovered for the treatment of congestive heart failure. This has been put on clinical trial by the Indian Council of Medical Research.

आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये तेल कूप

★585 **श्री हिम्मतसिंह का :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों में अलग-अलग क्षेत्रों में कुल कितने तेल कुएँ खोदे;

(ख) कितने कुएँ तेल और गैस का उत्पादन करने में समर्थ है और कितने कुएँ सूखे है;

(ग) प्रत्येक एजेंसी द्वारा इस प्रकार की खुदाई में कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ की गयी खोज परियोजनाओं को कुछ कम सफलता प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) गत तीन वर्षों में आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खोदे गये कुओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र	तेल तथा प्राकृतिक गैर आयोग	आयल इंडिया लिमिटेड	खोदे गये कुल कुएँ
गुजरात	183	—	183
आसाम	85	53	138
पश्चिमी बंगाल	1	—	1
तमिल नाडू तथा पांडीचेरी	6	—	6
राजस्थान	4	—	4
पंजाब	2	—	2
	281	53	334

(ख) इनमें से, 187 कुओं में तेल पाया गया, 15 कुओं में गैस पाई गई, 73 शुष्क थे तथा शेष 59 कुएं परीक्षणाधीन हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक ने निम्नलिखित खर्च किया :—

	लाख रुपये
(१) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	6766.00
(२) आयल इंडिया लिमिटेड	1043.82
	7809.82

(घ) जी नहीं।

Construction of Government Offices and Residential Accommodation near Ghaziabad

*586. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the time by which construction work would be started on the land which was acqnired for some Government offices and residential accommodation near Ghaziabad several years ago ;

(b) whether it is a fact that the land for the acquisition of which Government spent crores of rupees is lying unused and thus a big amount has been blocked unnecessarily ; and

(c) whether it is also a fact that the farmers to whom this land belonged were deprived of cultivation on this land and Government allowed thousands of acres of fertile land to remain idle for years together ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Owing to the paucity of resources at present, it cannot be said when the construction of office and residential accommodation at Ghaziabad will be taken up.

(b) Yes, Sir.

(c) About half of the total area of about 958 acres acquired has been allowed to be cultivated by the previous owners on their request; the other half has been lying unutilised.

चौथी योजना में नई सिंचाई परियोजनाएँ

★587. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1969 को सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन में उनके वक्तव्य के अनुसार वित्तीय कठिनाइयों के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में नई परियोजनाओं के लिये बहुत कम धन नियत किया गया है; यदि हां, तो क्या नई योजनायें तैयार हो गई हैं और उनके लिये कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) क्या वर्तमान कर्मचारियों और बेरोजगार इंजीनियरों के खाली रहने की सम्भावना है।

(ग) योजनाओं के लिये कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तथा कौन से प्रक्कलन तैयार किये जा चुके हैं;

(घ) स्टोनवेयर पाइपों की अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए तेल की तरह पानी की सप्लाई में उनका प्रयोग नहीं करने के क्या कारण हैं क्योंकि इस प्रकार रिसने से होने वाली हानि को रोका जा सकता है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई परीक्षण किये गए हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दूसरी फसल में सिंचाई का कम अनुपात होने के क्या कारण हैं और इसमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) जी, हाँ। चौथी योजना के प्रारूप में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए केवल 97·4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें कुछ नई परियोजनाओं के बारे में अनुसंधान-कार्य कर चुकी है और कई अन्य परियोजनाओं के बारे में अनुसंधान कार्य प्रौढ़ावस्था में है और वे क्रियान्वित के लिए तैयार है। इन परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए तकनीकी स्टाफ काफी उपलब्ध है ।

यह अनुमान लगाया गया है कि अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए चौथी योजना में नई स्कीमों पर न्यूनतम व्यय 250 करोड़ रुपये होगा।

मई, 1969 में हुए राज्यों के सिंचाई व बिजली मन्त्रियों के चौथे सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था। इस चीज को नोट करते हुए कि चौथी योजना के मसौदे में प्रबन्धित ओवटन विशेषकर नई सिंचाई परियोजनाओं और बिजली उत्पादन स्कीमों के लिए, अपर्याप्त हैं, सम्मेलन ने यह सुझाव दिया कि योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित पुनरवलोकन करने के पश्चात् उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता को सर्वथा राज्यों के सिंचाई व बिजली सेक्टरों के लिए निर्धारित कर देनी चाहिये। इस सुझाव को योजना आयोग के ध्यान में ला दिया गया है।

(घ) और (ङ) सिंचाई परियोजनाओं की नहरों में बहुत अधिक मात्रा में जल निस्सार होता है और इनका प्रवाह दबाव-रहित होता है। अतः ये मिट्टी की खुली नालियों के रूप में बनाई जाती है और इन पर पाइपलाइनों के मुकाबले बहुत कम खर्च आता है। मिट्टी की इन नालियों में उन जगहों पर पलस्तर भी कर दिया जाता है जहाँ जल क्षति से बचाव करना होता है। 100 क्यूजक जल निस्सार करने के लिए, मिट्टी की नालियों, पलस्तर की नालियों और पत्थर की बनी नालियों की लागतों का अनुपात यह है। 1:1. 5:50

(च) दूसरी फसल न उगने का कारण केवल यह है कि अपेक्षित मौसम में पानी पर्याप्त नहीं होता। संचय जलाशय बनाकर और मानसून के पानी को सुरक्षित रखकर, दूसरी फसल के लिए पानी उपलब्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अपेक्षित है, नलकूप और खुले कूप बनाकर, सिंचाई जल सप्लाई करने के लिए भूमिगत जल का विकास किया जाता है।

भूतपूर्व नरेशों के विदेश में बैंकों में खाते

★588. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वित्त मन्त्री 11 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच यह जानकारी एकत्रित कर ली गयी है कि 38 भूतपूर्व नरेशों और शाही परिवारों के 11 अन्य सदस्यों की 31 मार्च, 1968 और 31 दिसम्बर, 1968 को विदेशों में बैंकों में कुल कितनी राशि जमा थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) अभी तक केवल 21 सम्बद्ध पार्टियों ने सूचना दी है। 31 दिसम्बर,

1968 को इनके खातों में 62.2 लाख रुपया जमा था। अन्य पार्टियों से भी सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में हानि

*589. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक त्रुटिपूर्ण करार कर लिया था जिससे आयोग को काफी हानि हुई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उस मामले की जांच कर ली है; और

(ग) इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश में व्यधन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इटली के स्नाम एस० पी० ए० के साथ किये गये एक व्यधन समझौते के बारे में आडिट ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि अन्य बातों के साथ समझौते के एक उपबन्ध की त्रुटिपूर्ण शब्दावली के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 8.46 लाख रुपया का अतिरिक्त परिहार व्यय करना पड़ा। आयोग ने यह स्वीकार नहीं किया है कि समझौते में आरोपित त्रुटिपूर्ण शब्दावली के कारण कोई हानि हुई है।

(ख) और (ग) : जी हां। यह मालूम हुआ है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने समझौते में आडिट द्वारा आरोपित त्रुटिपूर्ण शब्दावली के कारण परिहार व्यय किया है।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में मेथानोल संयंत्र

*590. श्री एस० आर० दामानी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में मेथानोल संयंत्र के लिए ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किया गया मूल रिफार्मर कैटेलिस्ट बिल्कुल बेकार सिद्ध हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कैटेलिस्ट, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धारित क्षमता में से 60 प्रतिशत क्षमता तक उत्पादन हो सका, किस फर्म ने सप्लाई किया था;

(घ) क्या उपयुक्त वैकल्पिक कैटेलिस्ट खोजने की समस्या अब हल हो गई है और पूरी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक ऐसा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) ठेकेदारों के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण तय करने में असफल होने पर, भारतीय उर्वरक निगम ने ठेके की उपबन्धों के अनुसार झगड़े को मध्यस्थता के लिये सौंप दिया है।

(ग) लोबिल बिल्ला अमरीका के मेसर्स कैटेलिस्टस केमीकल्स इन्कारपोरेटिड ।

(घ) और (ङ) : उपयुक्त वैकल्पिक कैटेलिस्ट खोजने की समस्या कमोवेश हल हो गई है किन्तु पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकती है क्योंकि सन्यन्त्र की रिफार्मर क्षमता में मूल कमियां हैं । पाइलाट प्लांट टैस्टों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह आशा है कि भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग द्वारा विकसित एक कैटेलिस्ट भी आवश्यकताओं को पूरा करेगा । इस के अलावा, कमी को पूरा करने के लिए प्रति दिन 40 मीटरी टन मैथानोल की अतिरिक्त मात्रा के बराबर अनुपूरक गैस के उत्पादन के लिए एक अतिरिक्त मट्टी को लगाने की स्कीम विचाराधीन है । रिफार्मर यूनिट को लगाने तथा चालू होने में लगभग तीन वर्ष लगने की आशा है ।

राजस्थान की दौसा खानों में लौह अयस्क का उत्पादन

*591. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में दौसा खानों में लौह अयस्क का उत्पादन प्रति वर्ष घटता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) लौह अयस्क से कितने प्रतिशत कच्चा लोहा तैयार हुआ ;

(घ) उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इस उत्पादन से देश की मांग कहां तक पूरी हो रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) सम्भवतया निर्देश दौसा रेल्वे स्टेशन के निकट निमला क्रम संख्या 8-क लौह अयस्क खान के सम्बन्ध मे है । यह खान एक गैर-सरकारी कम्पनी के पास पट्टे पर है जो कि पिछले तीन वर्षों से इसे नहा चला रही है । क्योंकि यह सूचित किया जाता है कि खान से पत्तन तक के लम्बे रास्ते के कारण अधिक परिवहन प्रभारों तथा अयस्क के तुलनात्मक रूप से निम्न श्रेणी के होने से इस अयस्क का कोई बाजार नहीं है ।

(ग) सम्भवतया माननीय सदस्य लौह अयस्क की अयस्क मात्रा के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं । जब यह निमला खाने चल रही थी उस समय यह यात्रा 60 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य कही जाती थी ।

(घ) इस अयस्क के लिये बाजार न होने के कारण उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) क्योंकि खान उत्पादन नही कर रही अतः प्रश्न नहीं उठता ।

वीरभद्र स्थिति ऋषिकेश के एण्टीबायोटिक्स कारखाने में हड़ताल

*592. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र पुलिस ने वीरभद्र (ऋषिकेश) में स्थित एण्टीबायोटिक्स कारखाने के हड़ताली कर्मचारियों पर आक्रमण किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना इन गड़बड़ियों के कारण तभी से बन्द पड़ा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हड़तालियों द्वारा, जो हिंसात्मक कार्य करने लगे थे, उत्पन्न स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए पुलिस को शक्ति का प्रयोग करना पड़ा।

(ख) जी नहीं।

Dams on the River Ganga in Himalayan Region

*593. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Dams proposed to be constructed in the Himalayas on the river Ganga and its tributaries, surveys in respect of which have been conducted ; and

(b) the number of them which would be completed or commissioned during the Fourth Plan ?

The Minister of Iirrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Surveys and investigations in respect of the following schemes which involve construction of dams on the Ganga and its tributaries in the Himalayan region have been completed or are in progress :

Name of scheme	Name of river
(i) Schemes on which investigations have been completed	
1. Yamuna, Stage I	Yamuna
2. Yamuna, Stage II	Tons (Yamuna)
3. Ramganga	Ramganga
4. Manri, Bheli, Stage I.	Bhagirathi
5. Yamuna, Stage IV	Yamuna
6. Lakhwar	—do—
7. Biyasi	—do—
8. Giri, Stage I	Giri
(ii) **Schemes on which investigatios are in Progress.**	
1. Maneri Bhali, Stage II	Bhagirathi
2. Yamuna, Stage III (Kishan)	Tons (Yamuna)
3. Tehri	Gange
4. Kotoshwar Shivpuri	—do—
5. Pancheswar	Sarda
6. Rameswar	—do—
7. Vishnu Prayag	Alakananda

(b) The following five schemes are expected to be completed during the Fourth Plan :—

1. Yamuna, Stage I
2. Yamuna, Stage II
3. Ramganga
4. Maneri Bhali, Stage I
5. Giri, Stage I

अय्यर पंचाट के लागू होने के बारे में बैंक कर्मचारियों का विरोध

*594. **श्री मुहम्मद शरीफ़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई हजार बैङ्क-कर्मचारियों ने एक वर्ष के लिये अय्यर पंचाट के लागू होने के विरुध अपना विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इह बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अखिल भारतीय रिजर्व बैङ्क कर्मचारी संघ ने, अय्यर अवार्ड की अवधि को, 5 अप्रैल, 1969 से एक वर्ष तक और आगे बढ़ाने के विरोध में, 30 अप्रैल, 1969 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया था।

(ख) अखिल भारतीय रिजर्व बैङ्क कर्मचारी संघ ने मई, 1969 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि बैङ्क से बातचीत करके समझौता करने के लिये गम्भीर रूप से प्रयत्न किये जाने चाहिए। रिजर्व बैङ्क ने कर्मचारी संघ को सूचित किया है कि वह अवार्ड के ढांचे के अन्दर रहते हुए रियायतें देने के अनुरोध पर और उन कर्मचारियों के मामलों पर, जिन्हें अय्यर अवार्ड के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं पहुँचा या जिनके वेतनों में केवल नगण्य सी वृद्धि हुई है, संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने को तैयार है।

Government Offices Housed in unsafe Buildings

*595. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that some of the Ministries of Government of India and some of their offices are still housed in such buildings as have been declared unsafe;

(b) whether it is a fact that the Election Commission and the subordinate offices of certain Ministries are still functioning in Talkatora Barracks in New Delhi which had been declared unsafe much earlier;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether any action has been taken by his Ministry to get such buildings vacated; and

(d) if not, whether Government have adopted any measures for the safety of employees working in such buildings ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No Ministry as such is housed in buildings which have been declared unsafe. A few offices under some Ministries are however housed in such buildings.

(b) The Talkotara Barracks in which the Election Commission and other offices are fuuctioning have not been declared unsafe.

(c) and (d) : The offices concerned have been requested to vacate the unsafe portions of the buildings by moving the offices/sections concerned to other accommodation by internal adjustment to the extent possible. Steps are also being taken to find alternative accommodation where such internal adjustments are not possible.

भारत स्थित यूनेस्को मिशन द्वारा देश के कानूनों का उल्लंघन

★596. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमारे देश में यूनेस्को मिशन द्वारा देश के कानूनों का उल्लंघन किये जाने के बारे में एक संसद सदस्य से और सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : शायद इस प्रश्न का संकेत तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री के नाम संसद सदस्य श्री मधु लिमये द्वारा 19 मई 1969 को भेजे गये पत्र की ओर है जिसमें नई दिल्ली स्थित यूनेस्को-कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। उस पत्र में लगाये गये मुख्य आरोप इस प्रकार हैं :

(एक) नई दिल्ली स्थित यूनेस्को-कार्यालय के संपरिवर्तनीय मुद्रा लेखे का तदर्थ प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में दुरुपयोग;

(दो) बांडेड स्टाक से शुल्क मुक्त शराब की निकासी और बाद में, नई दिल्ली स्थित यूनेस्को कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री एस० पी० दीवान द्वारा उसकी बिक्री।

(तीन) कुछ वस्तुओं के आयात सम्बन्धी मामले में, नई दिल्ली स्थित यूनेस्को कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग और उसमें श्री एस० पी० दीवान का ग्रस्त होना।

(ग) इस मामले में आवश्यक जांच की जा रही है।

Life Insurance Corporation's Investment in Companies

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the procedure followed by the Life Insurance Corporation regarding the investment of funds in the various Companies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia): Proposals for investments may emanate from the Investment Department of the Corporation based on their study. Offers from brokers are also received for sale or purchase of shares, debentures etc. and companies also write requesting for loans or under-writing. All proposals are considered by the Investment Committee.

दिल्ली के तिब्बिया कालेज तथा अस्पताल का प्रबंध दिल्ली प्रशासन को सौंपना

★598. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तिब्बिया कालेज तथा अस्पताल में उपयुक्त तथा

पर्याप्त मात्रा में साजो सामान नहीं है क्योंकि उनके लिए अपेक्षित धन और समुचित पर्यवेक्षण का अभाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन इसे अपने नियन्त्रण में लेने और इसे पूर्ण-रूपेण आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेज के रूप में चलाने को तैयार है; और

(ग) यदि हां, यह कालेज तथा अस्पताल दिल्ली प्रशासन को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस संस्थान की वर्तमान गतिविधियों के स्तर के अनुसार इसमें साज-सामान की कमी नहीं है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। इस संस्थान का प्रशासन पहले से ही उप-राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक बोर्ड चलाता है।

डाक्टरों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम लागू करना

*599. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सकों के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से सरकार डाक्टरों के लिए एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह पाठ्यक्रम कब से आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए अन्य किस वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। भारतीय चिकित्सा परिषद तथा अन्य विशेषज्ञ समितियों ने डाक्टरों के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाने का समर्थन नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक्टरों के प्रशिक्षण के सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। देश में इस समय लगभग 11,500 की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले 93 मेडिकल कालेज हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में 10 और मेडिकल कालेज खोलने का विचार है।

मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल्स इंडस्ट्रीज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

*600. श्री शंकरराव माने : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से 4.85 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ कर वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है हालाँकि उनकी आस्तियाँ इस दायित्व से कम हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस कम्पनी के चैयरमैन ने न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील न करके कर वसूल न करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है,

(ग) यदि हाँ, तो इस निर्णयाधीन मामले के बारे में सरकारी अधिकारी साक्षात्कार की अनुमति क्यों दे देते हैं;

(घ) क्या उस कम्पनी ने कैमिकल्स एण्ड फाइवर्स आफ इण्डिया लिमिटेड तथा अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन के साथ विलय करने की अनुमति माँगी है जिसका भारतीय अंशधारी विरोध कर रहे हैं; और

(ङ) क्या ऐसा विलय होने से सरकारी खजाना उस कम्पनी के करों के वर्तमान अंश से वंचित रह जायेगा तथा कम्पनी यू० के० में अधिक धन भेज सकेगी और यदि हाँ, तो क्या इस विलय प्रस्ताव को अस्वीकार करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

आयकर अधिकारी द्वारा इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध पूंजी-लाभ-कर की 4.32 करोड़ रुपये की माँग जारी की गयी थी। परन्तु, निर्धारित ने कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की और अपीलीय सहायक आयुक्त ने पूंजी-लाभ के कारण बढ़ाया गया कर छोड़ दिया। विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के यहाँ अपील दायर की, परन्तु वह असफल रही। आयकर आयुक्त, कलकत्ता ने अब न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्देश-आवेदन पेश किया है, परन्तु उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अब चूंकि कोई माँग बकाया नहीं है इसलिये उसकी वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) कम्पनी ने सरकार को अभ्यावेदन दिया था कि उसकी आय पर पूंजी लाभ-कर का निर्धारण न्यायसंगत नहीं है। परन्तु ये अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये गये और अब मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में है।

(ग) यदि कोई निर्धारिती अपने मामले को समझाने के लिये साक्षात्कार की प्रार्थना करता है तो उसे अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं होगा।

(घ) मैसर्स केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई, मैसर्स अलकली केमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता और मैसर्स आई० सी० आई० (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 2 दिसम्बर 1968 को इस आशय का एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया था कि सर्व-प्रथम अलकली केमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड में विलय करने का प्रस्ताव है और बाद में इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का विलय संबंधित सम्मिलित कम्पनी में होगा। सार्विजनिक घोषणा की शर्तों के अनुसार केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड ने पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को कम्पनी के प्रस्ताव के अनुरूप व्यवस्था की सिद्धान्त रूप में अनुमति के लिये आवेदन किया।

अलकली एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लिमिटेड के साथ प्रथम स्थिति विलय सम्बन्धी कंपनी का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

जहाँ तक इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का संघित केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ द्वितीय स्थिति विलय का सम्बन्ध है, इम्पीरियल केमिकल्स इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड सरकार की इस सलाह से सहमत हो गई है कि कर की देनदारी को ठीक तरह से निश्चित करने और उसका भुगतान करने तक विलय को स्थगित रखा जाए। इस आशय की औपचारिक सूचना, पहली स्थिति के विलय के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने के बाद कम्पनी को भेज दी जायगी।

(ङ) इन तीनों कम्पनियों के विलय के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विलय के प्रश्न पर निर्णय करते समय मामले के इस पहलू पर ध्यान रखा जायगा।

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों से उनकी आयु के अधिकृत प्रमाण माँगे जाना

3710. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अपने लगभग 150 अधिकारियों से अपनी आयु का अधिकृत प्रमाण देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) प्रमाण माँगने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह पाया गया है कि कुछ अधिकारियों ने अपनी आयु के गलत प्रमाण दिये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) से (ग) जीवन बीमा निगम नियुक्ति के समय श्रेणी/अधिकारियों की जन्म-तारीख का सत्यापन करता है। जीवन बीमा निगम ने श्रेणी/के उन अधिकारियों के मामले मे, जो भूतपूर्व बीमा कम्पनियों में थे, एकरूपता की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, उनकी जन्म-तारीख को उनके मैट्रिक/स्कूल प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में सत्यापित करने का फैसला किया।

(घ) और (ङ) : केवल इस बात से ही कि भूतपूर्व बीमा कम्पनियों के समक्ष आयु के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये गये कागजातों में जैसे जन्म-पत्रियों तथा आयु संबंधी घोषणाओं में मैट्रिक/स्कूल प्रमाण-पत्र में दी गयी जन्म-तारीख से भिन्न जन्म तारीख है गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया नहीं समझा जा सकता। लेकिन, जिस मामले में प्रस्तुत किये गये कागजात जाली पाए जाते हैं उसमें जीवन बीमा निगम समुचित कार्यवाही करता है। मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र के अनुसार जिन अधिकारियों की आयु उनके द्वारा भूतपूर्व बीमा कम्पनियों को दी गयी आयु से भिन्न है उनकी संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा किया जाएगा तथा यथा संभव शीघ्र सदन को मेज पर रख दिया जाएगा।

फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार द्वारा आयकर का कथित अपवंचन

3711. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके मामले में तलाशी के परिणाम-स्वरूप फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के विरुद्ध अपराधरोपक प्रमाण पाया गया और दिलीप कुमार के मामले में करापवचन की लगभग कितनी राशि अन्तग्रस्त है;

(ख) श्री दिलीप कुमार के विरुद्ध किन कराधान वर्षों के लिये और किस धारा के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है और उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) श्री दिलीप कुमार पर अब तक प्रति वर्ष कितना जुर्माना किया गया है और इसमें से कितना जुर्माना वसूल किया गया; और

(घ) श्री दिलीप कुमार पर सरकार की इस समय कर की कुल कितनी बकाया राशि है और इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) मेसर्स के प्रोडक्शन्स तथा मेसर्स यूनाइटेड एन्टरप्राइजेस के स्थानों में तलाशी लिये जाने पर कुछ ऐसी सामग्री पाई गई थी जिससे फिल्म अभिनेता, श्री दिलीप कुमार द्वारा कर-अपवंचन किये जाने का संकेत मिलता है। इसमें छिपायी गयी आय की ग्रस्त रकम 6 लाख रुपये हैं।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 277 के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 तथा 1964-65 के सम्बन्ध में मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमा न्यायालय के समक्ष विचारधीन हैं।

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 तथा 1964-65 के सम्बन्ध में दाण्डिक कार्यवाही अभी भी चल रही है।

(घ) वर्ष 1963-64 से सम्बन्धित अविवादास्पद माँग पहले ही अदा की जा चुकी है। श्री दिलीप कुमार की तरफ अब कुल बकाया रकम 14,59,542 रुपये है। इनका सम्बन्ध कर-निर्धारण-वर्ष 1963-64 की विवादास्पद माँग तथा कर-निर्धारण-वर्ष 1964-65 की माँग से है, जिनके सम्बन्ध में मुकदमा दायर किया गया है। निर्धारिती से माँग की रकम को किश्तों में अदा करने के लिए कहा गया है।

गाँवों में होम्योपैथी के औषधालयों को खोलना

3712. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐलोपैथी के डाक्टर गांवों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, सरकार द्वारा गांवों में होम्योपैथी के औषधालय खोलने के लिये प्रोत्साहन तथा राजसहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) ग्राम्य होम्योपैथी चिकित्सा सहायता समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या व्यावहारिक कार्यवाही की है;

(ग) इस समय गांवों में होम्योपैथी के कितने औषधालय है और वे किन-किन राज्यों में हैं और इनका कितने लोग फायदा उठाते हैं;

(घ) इस मामले में अन्य राज्यों के पीछे रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष प्रत्येक राज्य को वस्तुत: कितनी-कितनी धनराशि दी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) राज्यों में होम्योपैथी के औषधालय खोलने अथवा उनको राजसहायता देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

(ख) ग्राम्य होम्योपैथी चिकित्सा सहायता समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न-लिखित हैं:—

(1) आरम्भ में प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 होम्योपैथी औषधालय खोले जायें।

(2) 10 ग्रामीण औषधालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 10-20 शैय्याओं वाला एक अंतरंग अस्पताल खोला जाय;

(3) जो रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथी डाक्टर ग्रामों में बसने के लिये तैयार हो, उन्हें राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश में प्रचलित योजना के आधार पर राजसहायता दें;

(4) ग्राम्य औषधालयों में काम करने के लिए होम्योपैथी डाक्टरों को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाय;

(5) ऐसे सामुदायिक विकास केन्द्रों में चार वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों का उपयोग किया जाना जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहायता नहीं मिलती है। इन व्यक्तियों को उप-केन्द्रों में नियुक्त किया जाय परन्तु इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अभारी न बनाया जाय।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने वर्ष 1964 की अपनी बैठक में समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इन्हें क्रियान्वित करने के लिए जनवरी 1965 में राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

(ग) और (घ) : एक विवरण, जिसमें राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1698/69]

(ङ) राज्यों को औषधालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायना नहीं दी जाती है क्योंकि यह काम राज्य सरकारों का है।

आयकर की एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि वाले व्यक्ति और समवाय

3713. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों और समवायों के नाम क्या हैं जिन पर 31 मार्च, 1969 को सरकार की एक करोड़ रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि थी और प्रत्येक व्यक्ति तथा समवाय पर कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) कर की इतनी अधिक बकाया राशि हो जाने के क्या कारण हैं और इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दिसम्बर 1968 तक उपलब्ध है और वह अनुबन्ध में दी गई है। आयकर आयुक्तों से प्राप्त सूचना के आधार पर, ऐसे व्यक्तियों तथा कम्पनियों की तरफ बकाया रकमें भी अनुबन्ध में दे दी गई हैं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1699/69]

तथापि यह बता देना उचित ही होगा कि अग्रिम कर की जिन अदायगियों का समायोजन नहीं हुआ है, उनके अथवा वैसी ही अन्य मदों के कारण कुछ समायोजन हो सकते हैं।

नई दिल्ली में वर्ग दो और तीन के क्वार्टरों में घरेलू इस्तेमाल के पावर की व्यवस्था

3714. श्री म० ल० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में वर्ग दो तथा तीन के ऐसे सरकारी मकानों की क्या संख्या है जहाँ वर्ष 1967 तथा 1968 में वहाँ रहने वालों की प्रार्थना पर घरेलू इस्तेमाल के लिये पावर की व्यवस्था की गई है; और

(ख) राजधानी में बिजली के उपकरणों के उपयोग में वृद्धि तथा पावर की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केवल कुछ लोगों को उनकी प्रार्थना पर पावर की सुविधा देने की बजाय वर्ग दो तथा तीन के सभी मकानों में पावर की व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना नीचे दी जाती है :—

	टाइप II	टाइप III	कुल
1967	1	4	5
1968	38	26	64
	39	30	69

(ख) लगने वाली भारी लागत को देखते हुए सभी टाइप II और III के क्वार्टरों में पावर-प्लग की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा।

गुजरात में सम्पदा शुल्क के मामले

3716. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 के दौरान गुजरात में सम्पदा शुल्क के विचाराधीन और अपवचन के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि सम्पदा शुल्क के रूप में वसूल की गई और कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं; और

(ग) कितने मामले जांचाधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और वह इकट्ठी की जा रही है। उसे यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

गुजरात की पेय जल सम्बन्धी आवश्यकताओं के सर्वेक्षण के लिये विशेष प्रयाग

3717. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण तथा आवास एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों की पेय जल सम्बन्धी आवश्यकताओं के सर्वेक्षण के लिये एक विशेष प्रभाग स्थापित किया गया था।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ग) सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई।

(घ) यदि कोई प्रभाग स्थापित नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) विशेष जाँच प्रयोग ने गुजरात के ग्रामों में जल की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये धन की आवश्यकता के विषय में सूचना एकत्र की। उनसे एकत्र की गई सूचना का पुनः वर्गीकरण करने के लिए अनुरोध किया गया है।

तत्पश्चात राज्य सरकार विस्तृत योजनायें एवं प्राक्कलन तैयार करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी; प्राथमिकतायें निर्धारित करेंगी एवं उचित धन का नियतन करेगी।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पन-बिजली परियोजना

3718. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में छोटी और बड़ी नदियों की क्षमताओं का पता लगाने के लिये पिछली पंचवर्षीय योजना में कोई जाँच पड़ताल की गई थी।

(ख) प्रत्येक नदी के मामले में जाँच पड़ताल का क्या परिणाम निकला और उन नदियों के नाम क्या हैं जहाँ पर पन-बिजली परियोजनाओं का चालू किया जाना सम्भव पाया गया;

(ग) किन-किन पन-बिजली परियोजनाओं के बारे में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और व्यवहार्यता प्रतिवेदन पूरे हो गये हैं और प्रत्येक परियोजना के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी पन-बिजली परियोजनायें पूरी हो जायेंगी,

प्रत्येक परियोजना किस सीमा तक पूरी हो जायेगी और चौथी पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात में संभाव्य पन-बिजली स्कीमों के अनुसंधान की वर्तमान स्थिति नीचे दी जाती है :

वे स्कीमें जिनका अनुसंधान पहले ही हो चुका है

बृहत् पन-बिजली स्कीमें

(1) तापी नदी पर उकई

(2) माही नदी पर कडाना

लघु पन-बिजली स्कीम

(3) साबरमती

वे स्कीमें जिनका इस समय अनुसंधान हो रहा है

बृहत पनबिजली स्कीमें

(1) नर्मदा नदी पर नवगाम

(2) दामन गंगा नदी पर दामनगंगा

लघु पनबिजली स्कीमें

(3) सेत्रुजी

(4) पूर्णा

(5) औरंगा

(6) अम्बिका

(7) कोलाब

(ख) और (ग) : उकई बहुद्देश्यीय परियोजना क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत हो चुकी है और क्रियान्विति की प्रौढ़ावस्था में है। इस परियोजना के विद्युत् पक्ष के अंतर्गत 75-75 मेगावाट के चार उत्पादन यूनिट लगाए जाएँगे और, इस बाँध की लागत के विद्युत् पक्ष को निकाल कर, इस पर 22.6 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। मार्च, 1969 तक 4 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई थी।

कडाना बहुदेश्यीय परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट और साबरमती परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर, उन्हें 1968 के दौरान केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेज दिया गया था। इनमें कडाना परियोजना के विद्युत् पक्ष के अंतर्गत 5.2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 28-28 मेगावाट के 3 उत्पादन यूनिट लगाए जाएँगे; और साबरमती परियोजना प्रासंगिक विद्युत् लाभ के साथ प्रमुखतः सिंचाई स्कीम है। इन स्कीम रिपोर्टों की इस समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में जाँच हो रही है।

(घ) उकई पन-बिजली परियोजना की चौथी योजना के दौरान पूरा हो जाने की संभावना

है । इस परियोजना के विद्युत् पक्ष के लिए चौथी योजना के अंतर्गत 18.4 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की गई थी ।

मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास

3719. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की पहली संयुक्त विधायक दल सरकार ने मध्य प्रदेश के अत्यधिक उपेक्षित आदिवासी जिलों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में एक परियोजना पेश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा तथा उस पर कितना व्यय होगा;

(ग) क्या सरकार द्वारा वह परियोजना इस बीच स्वीकार कर ली गई है; यदि हाँ, तो किन संशोधनों के साथ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) चौथी पंच वर्षीय योजना के अधीन मध्य प्रदेश के सिंचाई-कार्यक्रमों के कुल वित्तीय परिव्यय की कितनी प्रतिशतता इस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये आवंटित करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क)से(घ) : राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य सुविधाएं

3720. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 के लिये तथा चौथी योजना में कार्यान्विति के लिए मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के जिसमें अस्पताल, औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं, विकास का कोई कार्यक्रम सरकार के पास भेजा गया था; यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय क्या है और इसकी कार्यान्विति के लिए केन्द्र से कितनी सहायता माँगी गई है;

(ख) मध्य प्रदेश में अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सा संस्थाओं में इस समय एक हजार जनसंख्या के पीछे कितने बिस्तरे हैं और यह संख्या अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना में कैसी है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1969-70 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश में बिस्तरों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और इस कार्यक्रम की अवधि की समाप्ति पर उस राज्य में एक हजार जनसंख्या के पीछे बिस्तरों की संख्या अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या की तुलना में कैसी हो जायेगी ।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कितने नए अस्पताल, औषधालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और इससे तथा वर्तमान अस्पतालों आदि के विस्तार से कुल कितने अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था हो जायेगी; और

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है और यदि हाँ, तो किन परिवर्तनों सहित ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) 1969-70 के लिये, जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं जिनमें अस्पताल, औषधालय इत्यादि शामिल हैं के विकास के लिये राज्य सरकार ने 238 लाख रुपयों का प्रस्ताव किया था। योजना आयोग ने अस्थायी रूप से 120 लाख रुपये नियत किये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकार ने 2012 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे थे। योजना आयोग ने अस्थायी रूप से 1500 लाख रुपये निर्धारित किये हैं। राज्यों की सभी विकास योजनाओं के लिए जिनमें स्वास्थ्य योजनाएँ भी शामिल हैं, केन्द्रीय सहायता समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में द्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत

3721. श्री दे० वि० सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत गाँवों की संख्या और प्रतिशतता देश में सबसे कम है;

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों की संख्या और प्रतिशतता अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में कितनी है; और

(ग) मध्य प्रदेश में चालू वर्ष में और चौथी योजना में विद्युतीकृत किए गये गाँवों की संख्या और उनकी जनसंख्या कितनी है और इस योजना पर कितना खर्च आयेगा और उसको क्रियान्वित करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता माँगी गई और कितनी सहायता मंजूर की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (कुल ग्रामों में उनके प्रतिशतांश सहित) से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1700/69]

(ग) चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य का 2000 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाले 80 ग्रामों का, तथा 500 से 2000 तक की जनसंख्या वाले 244 ग्रामों का क्रमश: 80 लाख रुपये तथा 75 लाख रुपये की लागत से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान ही 2000 तथा इससे अधिक जनसंख्या के बाकी ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य भी हाथ में लिये जायेंगे जिन पर 100 लाख रुपये तक व्यय किया जाएगा। राज्य ने ग्राम विद्युतीकरण के लिये 30 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय बनाया है। स्कीम-वार ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।

गुजरात में तेल और गैस की उपलब्धता

3722. श्री सोमचन्द्र सोलंकी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार हैं जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले वर्ष वहाँ तेल का पता लगाया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहाँ पाया जाने वाला तेल किस्म और मात्रा में अंकलेश्वर तथा गुजरात के अन्य स्थानों और आसाम में मिलने वाले तेल के बराबर ही है;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार वहाँ पर दूसरा शोधन कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) उत्तरी गुजरात के कई क्षेत्रों में तेल और गैस के कुछ निक्षेप पाये गये हैं।

(ख) इस तेल की किस्म अंकलेश्वर के तेल के बराबर अच्छी नहीं है किन्तु वह तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के आसाम के तेल क्षेत्रों की तेल की किस्म के अनुकूल है। उत्तरी गुजरात में तेल के भण्डारों के बारे में अभी अन्तिम अनुमान लगाना है। वर्तमान चिन्हों के अनुसार तेल की मात्रा अंकलेश्वर या आसाम के तेल क्षेत्रों के तेल की मात्रा से कम है।

(ग) और (घ) : गुजरात में तेल के वर्तमान अनुमानों के अनुसार बरौदा में वर्तमान गुजरात शोधनशाला में तेल को साफ करना अधिक लाभदायक दिखाई देता है।

भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी

3723. श्री सोमचन्द्र सोलंकी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य हैं और इस अकादमी की सदस्यता के लिये परीक्षा लेने के लिये कौन से स्थान चुने जाते हैं; और

(ख) क्या यह संस्था एक अनुसंधान संस्था है यदि नहीं तो इसके कृत्य तथा कार्यक्रम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राजमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की कार्यकारिणी समिति में सोलह सदस्य हैं।

इस अकादमी की सदस्यता के लिये लिखित परीक्षा चार स्थानों नामत: बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में तथा मौखिक, प्रैक्टिकल एवं नैदानिक परीक्षा दिल्ली में ली जाती रही थी। किन्तु जुलाई, 1969 में परीक्षार्थियों के अनुरोध पर ये परीक्षाएँ दिल्ली में ली गई।

(ख) भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी एक अनुसंधान संस्थान नहीं है। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) भारत में चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय कल्याण विषयक समस्याओं में इसका व्यावहारिक उपयोग।

(2) चिकित्सा विज्ञान की सभी शाखाओं में अच्छे कामों को मान्यता तथा प्रोत्साहन देना ।

(3) चिकित्सा एवं अन्य वैज्ञानिक अकादमियों, समितियों, संस्थानों तथा सरकारी चिकित्सा वैज्ञानिक विभागों और सेवाओं में समन्वय करना ।

(4) जनता और सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी जिन कामों की इस अकादमी से करने की माँग की जाती है उन्हें सुगठित चिकित्सा विज्ञान की राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से कराना ।

(5) वांछनीय कार्यवाहियों, पत्रिकाओं, संस्मरणों, कार्य-सम्पादन एवं अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करना ।

(6) चिकित्सा तथा अन्य विज्ञानों एवं विद्याओं के बीच सम्पर्क स्थापित करना तथा उसे बढ़ावा देना ।

(7) चिकित्सा विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए धन तथा दान प्राप्त करना और प्रबन्ध करना ।

1969-70 में इस अकादमी का निम्नलिखित कार्यक्रमों को लागू करने का विचार है :—

(1) विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान मालाओं का आयोजन ।

(2) चुने हुए केन्द्रों में अकादमी के सदस्यों के द्वारा व्याख्यान एवं प्रदर्शन ।

(3) कनिष्ट वैज्ञानिक द्वारा किए गये कामों की अकादमी की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना ।

(4) कर्मशालाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन ।

(5) मेडिकल फिल्मों का वितरण ।

(6) त्रैमासिक वृत्तान्त का प्रकाशन ।

मध्यवर्ती भारत में तेलशोधन शालायें

3724. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे समुद्र-तटीय क्षेत्र में जहाँ हमारी अधिकतर तेल शोधन शालाएँ हैं या पूर्वी राज्यों में जो बहुत सुरक्षित नहीं हैं, संकट काल के समय सप्लाई लाइन बनाये रखने के लिए और प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्या मध्यवर्ती भारत में किसी स्थल पर एक तेल शोधनशाला स्थापित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की गई है जो केवल पैट्रोलियम उत्पादों की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में जलगांव नगर तक तेल की पाइप लाइनें जाती हैं और मध्य प्रदेश में किस स्थान पर बिना किसी कठिनाई के एक तेल शोधनशाला स्थापित की जा सकती है जो प्रतिरक्षा की तैयारियों की दृष्टि से सर्वाधित उपयुक्त होगी;

(घ) क्या इस योजना पर इस स्थिति में विचार किया जा सकता है कि राज्य सरकार इसके लिए धन जुटाए और प्राथमिकता के आधार पर इसे अन्य सुविधाएँ भी दें; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ङ) केवल प्रतिरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए, मध्यवर्ती भारत या मध्य प्रदेश में एक पेट्रोलियम शोधनशाला को लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि मध्यवर्ती भारत या मध्य प्रदेश में कोई फालतू देशीय कच्चा तेल उपलब्ध नहीं है, एक शोधनशाला की स्थापना, जिसके लिए कच्चा तेल आयात करना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से, यदि समुद्रतटीय क्षेत्र में शोधनशालाएँ सङ्कट काल में सुरक्षित नहीं है, तब यह बात कच्चे तेल के आयात को भी लागू होगी, जिसे निकटतम बन्दरगाह से आना है। जलगांव नगर में कोई तेल की पाइप लाइन नहीं जाती है।

पेट्रोलियम जेली तथा पेट्रोलियम के लिए निर्यात बाजार

3725. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पेट्रोलियम उत्पाद तथा पेट्रोलियम जेली जो औषधियों और गोला बारूद बनाने के काम में आती है तथा पेट्रोलियम से निर्मित होने वाले विशेष उत्पाद अपनी अत्यधिक क्षमता तथा किस्म के कारण दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में तथा सुदूर पूर्व के निर्यात बाजारों में सफलता पूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अधिक क्षमता में लाइसेंस देने के कारण इस उद्योग में लागत का स्तर अलाभकारी हो गया है जिससे इस उद्योग को काफी हानि उठानी पड़ रही है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि बड़े-बड़े उत्पादक जिनके पास प्रचुर उत्पादन क्षमता है पहले निर्यात बाजार में प्रवेश करने का प्रस्ताव लेकर आये थे;

(घ) यदि हाँ, तो इन वस्तुओं का भारत से बाहर निर्यात करने की अनुमति न देने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस उद्योग की निर्यात उद्योग सूची में लाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण : (क) जी नहीं।

(ख) क्षमता के मुकाबले में अधिक दिये गये हैं।

(ग) केवल एक उत्पादक ने अपने उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत भाग निर्यात करने की पेशकश की थी।

(घ) और (ङ) इस उत्पादक ने अपने परिचालनों को हाल में ही स्थिर किया है। यदि

उत्पादक ने अपने उत्पादन का भाग निर्यात करने की प्रार्थना की तो देशीय माँग के संदर्भ में इस पर विचार किया जायेगा ।

Employment in Aluminium Plant at Korba

3726. **Shrimati Minimata : Agam Dass Guru :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines & Metals** be pleased to state :

(a) the number of Class III and Class IV employees appointed since the establishment of the Aluminium Plant in Korba;

(b) the number of local people and their percentage among those appointed ;

(c) the number of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their percentage among the appointed persons ;

(b) whether the local engineers who passed their examination with good marks could not secure jobs in Korba and if so, the reasons therefore; and

(c) the number of such engineers ?

The Minister of State in the ministry of Petroleum And Chemicals And Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

3727. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में 95·69 प्रतिशत आबादी ऐसी बस्तियों में रहती है जहाँ एक वर्ग मील में 350 से भी कम जनसंख्या है और इस राज्य की 33·77 प्रतिशत जन-संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिस जातियों की है और वहाँ भारत की आदिम जातीय जनसंख्या (22·03 प्रतिशत) सबसे अधिक है और कम आबादी वाले इन क्षेत्रों में संचार के साधन लगभग नहीं के बराबर हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवे वित्त आयोग तथा योजना आयोग में राज्यों के उचित अंश निर्धारित करने के लिए समुचित परिवर्तन करने तथा राज्यों को केन्द्र से वित्तीय सहायता के वितरण के लिए कसौटी निर्धारित करने की मांग की है ताकि मध्य प्रदेश जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य को औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के स्तर पर आने का अवसर मिल सके और परिणामस्वरूप वह नगरीय विकास कर सके; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह बात सही है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या तथा संचार साधनों के विकास की दृष्टि से, मध्य प्रदेश देश के कम विकसित राज्यों में से एक है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना आयोग के साथ बातचीत करते समय; राज्य सरकार ने आयोग से अनुरोध किया था कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में जिन रकमों की व्यवस्था की गयी है उनके अतिरिक्त इन

राज्यों के लिए और केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिये ताकि सभी राज्यों के योजना परिव्यय के लिए समुचित रकमों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने यदि पाँचवें वित्त आयोग के पास कोई अभ्यावेदन भेजे हों, तो आयोग द्वारा अपनायी गयी कार्य-प्रणाली के अनुसार, उक्त अभ्यावेदनों को गोपनीय रखा गया है।

(ग) राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के वितरण के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जो सिद्धान्त निश्चित किये हैं उनके अनुसार आर्थिक पिछड़ेपन और आदिम जातियों आदि की विशेष समस्याओं का पहले से ही खास ख्याल रखा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

3728. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन/क्रियान्वित की जा रही बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई तथा प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है तथा प्रत्येक परियोजना किस तारीख को आरम्भ की गई थी तथा प्रत्येक के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि धन की कमी इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब तथा धीमी प्रगति का मुख्य कारण है;

(ग) इन परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए चालू वर्ष में कितनी केन्द्रीय सहायता माँगी गई तथा यह माँग किस सीमा तक पूरी की गई है; और

(घ) क्या इन माँगों में कटौती की गई है तथा कितनी कटौती की गई है और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1701/69]

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) : चौथी योजना के दौरान राज्य की योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों की क्रियान्विति के लिये जो केन्द्रीय सहायता दी जाएगी वह ब्लाक अनुदानों/ऋणों के रूप में होगी और विकास के पृथक्-पृथक् शीर्ष के साथ उसे नहीं जोड़ा जाएगा। चौथी योजना के प्रारूप में मध्य प्रदेश के लिए परिकल्पित 355·96 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से केन्द्रीय सहायता 262 करोड़ रुपये हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अफसरों के कार्य

3729. **श्री एस० डी० सोममुन्दरम्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अफसरों के कार्य के बारे में 28 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्राधिकारी द्वारा अनुपूरक तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किये हैं;

(ख) शिकायत पंजी में कौन कर्मचारी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं;

(ग) इन्सुलेशन तथा अर्थ टैस्ट करना किन कर्मचारियों का काम है;

(घ) सफाई तथा रोगन करने सम्बन्धी पंजियों की देखभाल किन कर्मचारियों द्वारा की जाती है; और

(ङ) विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय-कमरों में की गई मूल्यवान फिटिंग की निगरानी करने के तरीके क्या हैं, और क्या उनका पालन नियमों के अनुसार किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अनुपूरक तथा पुनरीक्षित प्राकल्लन की तैयारी के लिये अधिकारी, प्राकल्लन की लागत पर निर्भर करता है। तथापि वास्तविक व्यवहार में प्राकल्लन आरम्भ में निर्माण कार्य प्रभारी डिविजनल अधिकारी द्वारा तैयार किये जाते हैं, क्योंकि बहुत से मामलों में पुनरीक्षित प्राकल्लन किए गए वास्तविक खर्चे के आधार पर तैयार करने होते हैं।

(ख) मुख्य पूछ-ताछ कार्यालयों में, जहाँ पूछ-ताछ क्लर्क नियुक्त किया गया है, ये कार्य पूछ-ताछ क्लर्क द्वारा किया जाता है। छोटे पूछ-ताछ कार्यालयों में, जहाँ पूछ-ताछ क्लर्क नियुक्त नहीं किया गया है, यह कार्य दफ्तर के समय में वर्क सहायक या बिजली वाले, या सेक्शनल अधिकारी द्वारा किया जाता है; और कार्यालय के समय के बाद ड्यूटी पर वायरमैन द्वारा किया जाता है।

(ग) इलैक्ट्रीशन या क्सैशनल अधिकारी की देख-रेख में वायरमैन तथा सहायक वायर-मैन द्वारा टेस्ट किया जाना अपेक्षित है।

(घ) ऐसा अनुमान है, कि रजिस्टरों का संकेत इलैक्ट्रीशल साइड की ओर है। ऐसे रजिस्टरों की देख भाल सेक्शनल अधिकारी द्वारा की जाती है।

(ङ) प्रत्येक मंत्रालय के पास कार्यालय के कमरों की आन्तरिक सुरक्षा के लिए अपने वाच एण्ड वार्ड की व्यवस्था है और उनसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सुरक्षा अनुदेशों के अनुसरण करते हुए ये आशा की जाती है कि अनधिकृत रूप से कोई सरकारी सम्पत्ति नहीं ले जायी जाती।

केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा के लिए भर्ती

3730. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 के पश्चात् वर्ष-वार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से दूसरी श्रेणी/डिवीजन के कितने डिग्री धारियों की सहायक इंजीनियरों तथा सहायक कार्यकारी इंजीनियरों (इलैक्ट्रिकल तथा सिविल) के पदों पर भर्ती की गई; और

(ख) ऐसे कितने डिग्री धारी हैं जो सेक्शनल आफिसर के रूप में तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सन् 1961 तथा उससे आगे द्वितीय श्रेणी की उपाधि (डिग्री) लिए हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये सहायक इंजीनियरों/सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वर्षानुसार कुल संख्या निम्नांकित है :

वर्ष	सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर		सहायक इंजीनियर	
	सिविल	बिजली	सिविल	बिजली
1961	2	—	10	4
1962	2	—	20	—
1963	3	1	18	1
1964	—	—	3	1
1965	1	—	6	—
1966	—	—	13	2
1967	1	—	8	2
1968	3	1	7	—
1969	—	—	1	—
जोड़	12	2	86	10

(ख) उपाधि (डिग्री) लिए हुए उन सैक्शनल आफीसर्स की कुल संख्या निम्नांकित है जिन्होंने 1.8.1969 को इस ग्रेथ में तीन वर्ष से अधिक सेवा कर ली है :—

सेकशनल आफीसर्स (सिविल)	387
सेकशनल आफीसर्स (बिजली)	61
जोड़	448

गुजरात में सबसे अधिक आयकर देने वाले प्रथम दस व्यक्तियों के नाम

3731. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सबसे अधिक आय कर देने वाले प्रथम दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) 31 मार्च, 1969 को उपरोक्त प्रत्येक व्यक्ति पर यदि आयकर की कोई राशि बकाया थी, तो वह कितनी थी; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सरकारी उपक्रमों में जमा माल की मात्रा का अध्ययन करने हेतु समिति

3732. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने गये सरकारी उपक्रमों में जमा माल की मात्रा का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) वस्तु नियंत्रण समिति ने निम्नलिखित पांच उपक्रमों की जांच की थी :

(i) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड

(ii) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया (ट्रोम्बे एकक)

(iii) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया (सिंदरी एकक)

(iv) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन)

(v) हिन्तुस्तान स्टील (राउरकेला इस्पात कारखाना)

समिति ने कहा कि इन एककों में वस्तु-नियंत्रण के आधुनिक तकनीकों को लागू करके जमा माल की मात्रा को कम करने की काफी गुंजाइश है। समिति ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, खास तौर से इन तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की है।

(1) वस्तु-नियंत्रण के लिए ए० बी० सी० विश्लेषण और आर्थिक-व्यवस्था परिमाण तकनीकों (इक्नामिक आर्डर क्वांटिटी टेकनीक) का अपनाया जाना;

(2) पुनर्भरण की युक्तिसंगत सीमाएँ निर्धारित करना;

(3) भंडार की मदों का उपयुक्त वर्गीकरण, मानकीकरण और उन्हें संहिताबद्ध तथा सूचीबद्ध करना;

(4) फालतू सामान की मात्रा का समय-समय पर पुनरीक्षण करना;

(5) निर्माण सम्बन्धी वस्तुओं और विशेष सामान का अलग-अलग हिसाब रखना;

(6) स्वतः-पुनर्भरण पद्धतियों को लागू करना; और

(7) मशीनी उपकरणों/संगणकों का उपयोग करना।

सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

सरकारी उपक्रमों में गोदामों में जमा माल

3373. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के कई औद्योगिक उपक्रमों में 1964-65 में 1963-64 के मुकाबले में गोदामों में पड़े हुए माल का मूल्य बढ़ गया था जो उनके पन्द्रह महीनों के उत्पादन के बराबर था; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इन उपक्रमों को निश्चित आदेश दिये गये हैं कि गोदामों में माल की मात्रा को कम करें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1964-65 में, केन्द्रीय सरकार के चालू औद्योगिक उपक्रमों की संख्या 22 थी। इनमें से आठ उपक्रमों के मामले में, उनकी मासिक उत्पादन-लागत के आधार पर उनके तालिकागत सामान का जो हिसाब लगाया गया था उसके अनुसार उनका तालिकागत सामान 1963-64 के स्तर से बढ़ गया था और औसतन 22 महीनों की उत्पादन-लागत के बराबर हो गया था। अन्य छः उपक्रमों के तालिकागत सामान के स्तर में, पिछले वर्षों के सामान के स्तर की तुलना में कमी हो गयी थी, किन्तु सात उपक्रमों के

तालिकागत सामान की स्थिति में वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत अर्थ मूवर्स के मामले में, उसके पिछले वर्षों के तालिकागत सामान के साथ तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह उपक्रम 1963-64 तक हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का भाग था और यह अलग उपक्रम के रूप में 1964-65 में ही गठित किया गया था।

(ख) सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त समिति ने "सरकारी उपक्रमों में सामान का प्रबन्ध" के बारे में अपनी 40वीं रिपोर्ट में जो सिफारिशें की है उनके अनुसार, सरकार ने सरकारी उपक्रमों को यह हिदायत दी हैं कि उनके लिए यह आवश्यक है कि वे सामान के प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों का ठीक ठीक उपयोग करके अपना तालिकागत सामान, जहाँ तक सम्भव हो, कम रखें। सरकार ने एक समिति भी इसीलिये नियुक्त की थी कि वह सामान के प्रबन्ध की दृष्टि से कुछ चुने हुए उपक्रमों का अध्ययन करे। समिति ने इन उपक्रमों के तालिकागत सामान में कारगर ढंग से कमी करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

सरकारी उपक्रमों में बहुत ज्यादा माल जमा होना

3734. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने उपक्रमों में आयोजन और सामान तथा कल-पुर्जों की खरीद के बारे में प्रचलित पद्धतियों तथा जमा सामान की वस्तुओं का पुनरावलोकन करने के निर्देश जारी कर दिये हैं ताकि इन उपक्रमों में अत्यधिक माल जमा न हो; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त समिति ने "सरकारी उपक्रमों में सामान का प्रबन्ध" के बारे में अपनी 40वीं रिपोर्ट में जो सिफारिशें की है उनके अनुसार, सरकार ने सरकारी उपक्रमों को यह हिदायत दी है कि वे अपने आवश्यक सामान और फालतू पुर्जों के बारे में ऐसा समुचित आयोजन करें जिससे नयी खरीद करते समय वर्तमान स्टाक को तथा उन वस्तुओं को हमेशा हिसाब में ले लिया जाय जिनके लिए आर्डर दिये जा चुके हों। इसके अलावा उपक्रमों को यह हिदायत भी दी गयी है कि वे स्टाक में पड़ी सभी चीजों की समय समय पर नियमित रूप से जांच करने की प्रणाली शुरू करें ताकि इस्तेमाल न होने वाले अधिशेष सामान का पता लगे और इस तरह के सामान का निपटारा जल्दी किया जा सके। सरकारी उपक्रमों से पहले ही यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कार्रवाई की हो उसकी रिपोर्ट वे सरकार के पास भेजें।

कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना

3735. **श्री लोबो प्रभु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना के बारे में मई, 1969 में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये;

(ख) परियोजना तक पहुँचने के लिये बरास्ता कारकल और माला सड़क बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजना के बारे में अब तक किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप इससे कितना लौह-अयस्क प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कार्य की प्रगति का पुनरावलोकन करने तथा सभी साझेदारों को प्रगति से सूचित रखने के लिये विवरण-ढंग का निश्चय करने के लिए समय समय पर अपने साझेदारों के साथ बाचीत की थी।

(ख) सड़क पर चार पुल तथा 2 नाले अब तक पूरे किये जा चुके हैं। इसे जीप चलाने योग्य बनाने के लिये कुछ छोटी मरम्मतें भी की गई है। मैसूर के लोक कर्म विभाग को भी वर्षा के वर्तमान मौसम के पश्चात और सुधार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) कुद्रेमुख लौह अयस्क निक्षेपों सम्बन्धी तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता और प्रायोगिक-संयन्त्र अध्ययन अभी भी प्रगति पर हैं तथा 1970 के मध्य तक पूरे किये जाने सम्भावित है। उपयोग की सम्भावनाएँ अध्ययनों के परिणामों पर निर्भर करेगी।

इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियुटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष का त्यागपत्र

3736. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियुटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने नये अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है, और यदि नहीं, तो उसकी नियुक्ति करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इण्डियन ड्रग्स और फामोस्यूटिक्लज लि० के भूतपूर्व चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक ने सेवा-निवृत होने की अनुमति मांगी थी और आवश्यक अनुमति दी गई थी।

(ख) जी हां। नया चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक नियुक्त हो चुका है और उसने 24 जुलाई से कार्य भार सम्भाल लिया है।

Prices of fertilizers

3737. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of fertilizer is fixed arbitrarily by each Fertilizer Factory ;

(b) ifso, the present per-kilogram cost of nitrogen and phosphorous produced by each factory separately; and

(c) the per kilogram cost of pure complex fertilizer (nitrogen plus phosphorous) in each factory ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) As far as Government is aware, prices are not fixed arbitrarily.

(b) and (c) : Complete information on all factories is not readily available and is being collected.

Production of Fertilizers

3738. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) Whether the targets of fertilizer production for this year have not been achieved and the target for the next year is also not likely to be achieved :

(b) if so, the reasons therefor ? and

(c) the action proposed to be taken by Government to increase fertilizer production ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c) ; No target as such has been fixed for year-wise production, but an estimate of the attainable production of nitrogenous fertilizers in each unit was made in the beginning of the year. It is too early to say at this stage whether production will reach the estimated figure. However, according to the present indications, the actual production in 1969-70 is likely to be less than the estimated figure on account of the delay in the construction schedule of some projects and on account of the fall in production in some of the existing units for various reasons. Government are constantly watching the situation and have impressed upon the production units the need for increasing the production.

Tariff Commission Report regarding prices of Drugs and Medicines

2739. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri K. P. Singh Deo :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Ustarred Question No. 4082 on the 24th March, 1969 and state :

(a) whether the Report of the Tariff Commission on drugs and other medicines has since been considered ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) (a) and (b) The report is still under consideration.

(c) The report has dealt with several important issues and has therefore to be considered carefully in all its implications in consultation with all concerned.

Assistance to Indian Companies by Commonwealth Development Finance Company

3740. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Valmiki Choudhary ;**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the proposal made by the Commonwealth Development Finance Company to the effect that they want to help the Small Indian companies with foreign capital for imports has been accepted by Government; and

(b) if so, the number of applications for such help received so far and the decision taken thereon ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) (a) and (b) In November 1968, the Commonwealth Development Finance Company indicated to Government that it will be willing to consider assistance to smaller Indian companies for providing foreign exchange as well as working capital Government, while welcoming the proposal, have indicated to the Company that individual proposals will be considered on merits in the light of Government's polices in the matter of foreign investment, foreign borrowing etc. However, no proposals have been recived so far.

एन्टीबायोटिक्स कारखाना ऋषिकेश

3741. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) एन्टीबायोटिक्स प्लांट, ऋषिकेश में, इस वर्ष के आरम्भ में तैयार की गई पुनरीक्षित अनुसूची के अनुसार, उत्पादन आरम्भ हो सकेगा;

(ख) क्या इस कारखाने में बनने वाली औषधियां जब तैयार होकर बाजार में आयेंगी तो वे काफी मात्रा में नहीं बिक पायेंगी;

(ग) क्या इस कारखाने में बड़े पैमाने पर औषधियां बनाना आरम्भ करने में और विलम्ब हो जाने की आशंका है; और

(घ) इस कारखाने में प्रयोग आदि पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस वर्ष में प्लांट में विभिन्न एन्टी बायोटिक्स के 66 मीटरी टनों के उत्पादन का कार्यक्रम है। इसमें चार दवाइयों (अर्थात् सोडियम पैंसिलीन, प्रोकेन पैंसिलीन स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट और टेट्रासाक्लीन हाइड्रोक्लोराइड) का उत्पादन शुरू हो गया है और आक्सीटेट्रासाइक्लीन हैड्रो क्लोराइड को चालू किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। उपर्युक्त एन्टीबायोटिक्स के लिए माँग है; जो इस समय अंशतः आयात से पूरी की जा रही है।

(ग) अनुवर उत्पादों अर्थात् पैंसिलीन और स्ट्रप्टोमाइसीन के उत्पादन के स्थिरीकरण में अभी समय लगेगा। एक बार उत्पादन के स्थिरीकृत हो जाने पर समूह उत्पादन के शुरू होने में कोई कठिनाई पूर्वानुमानित नहीं है।

(घ) गवेषणा और विकास, (जो सतत प्रक्रिया है) पर अब तक व्यय की गई धनराशि 28·67 लाख रुपये है (जिसमें उपरि खर्च तथा अन्य प्रभार शामिल) हैं।

इसी पुस्तिका "मैडिसिन फार मिलियन्स"

3742. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत दूतावास ने "मैडिसिन फार मिलियन्स" शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी संसदीय समिति की इस टिप्पणी को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि इंडियन ड्रग एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, के अधीन उसकी सहायता से भारत में स्थित परियोजनाओं को अपर्याप्त तथा पुरानी प्रोद्योगिक जानकारी दी गयी है; और

(ख) क्या सरकार ने इस पुस्तिका को पढ़ा है, और यदि हाँ, तो इसमें व्यक्त दृष्टिकोण के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है.?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को, भारत में सोवियत दूतावास के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित "मैडिशिनफार मिलियन्स" नामक पुस्तक की जानकारी है। प्रकाशित लेखों की सर्वश्री ओ० पी० मेहरोत्रा और के० एल० गोपालाकृष्ण राव ने भेजा था। यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें व्यक्त विचार, सरकारी उपक्रमों की समिति की रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों का खण्डन करते हैं। सरकार पुस्तक के विषयों के बारे में अपने विचार का प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरूरी महसूस नहीं करती।

गृह-निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना

3743. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अनुमान के अनुसार हमारे देश में 10 करोड़ 24 लाख मकानों की माँग है जबकि 1 करोड़ 87 लाख से अधिक पक्के मकान नहीं हैं;

(ख) क्या यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि न तो केन्द्र और न राज्य अपने साधनों से इस मांग को पूरा कर सकेंगे;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने गृह-निर्माण के सिलसिले में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेना वांछनीय समझा है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय योजना बनाई गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में स्व-साधनों पर निर्भर योजनाओं, सहकारी समितियों तथा आवास बोर्डों के माध्यम से निजी साधनों का संग्रहण और आवास के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। जून, 1969 में बंगलौर में हुए आवास, नगर-विकास तथा नगर-आयोजना मंत्रियों के सम्मेलन ने एक केन्द्रीय आवास प्राधिकरण के बनाने की सिफारिश की है, जिसे देश के अन्दर से तथा बाहर से धन इकट्ठा करना चाहिए

और उसका संचालन एक आवर्तन निधि के रूप में करना चाहिए, तथा इस उद्देश्य के लिए सरकारी नियतनों, निजी बचतों और अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों से 200 करोड़ रुपये का संग्रह बनाना चाहिये। जब कभी ये प्रस्ताव कार्यान्विति हो जाते हैं, राष्ट्रीय आधार पर उचित कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

त्यागराज नगर, नई दिल्ली में सुविधाओं की व्यवस्था

3744. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्यागराज नगर, नई दिल्ली के निवासियों की आवास, जल तथा सफाई की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) सरकार ने इस सरकारी बस्ती पर गत एक वर्ष में कितना धन व्यय किया है; और

(ग) क्या इस बस्ती में सुधार करने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और आवास सुविधाओं के मामलों में इस बस्ती को अन्य बस्तियों के स्तर पर लाने की कोई योजना बनाने का सरकार का विचार हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) वार्षिक अनुरक्षण पर 21,045 रुपये।

(ग) इस बस्ती के क्वार्टरों में सुधार के लिए कुछ संवर्धन/परिवर्तन परीक्षाधीन हैं।

दिल्ली में भूमि की कीमतों की अत्यधिक वृद्धि

3745. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से नगरीय विकास योजनाओं पर किस हद तक कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने सही-सही क्या कार्यवाही की है; और

(ग) दिल्ली में भूमि की कीमतें अत्यधिक बढ़ाने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर मुकदमें चलाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली में उपलब्ध अधिकांश शहरी भूमि 1959 में तथा "बड़े पैमाने पर दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटान" की योजना आरम्भ होने के बाद, अर्जन के लिये अधिसूचित कर दी गयी थी। इसके बाद में सिवाय अनधिकृत बस्तियों में जाली सौदे के, भूमि की कीमतों को अत्यधिक बढ़ाने वाले तत्व नहीं रहे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में पंचकुइयां रोड क्वार्टरों में बिजली तथा पानी की व्यवस्था

3746. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने नई दिल्ली में पंचकुइयां रोड मकानों में (ब्लाक संख्या 85) का दौरा किया था तथा यह वचन दिया था कि वहां के निवासियों को विद्युत तथा जल सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी;

(ख) क्या पंचकुइयां रोड के मकानों में ब्लाक संख्या 85 में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अनेक वर्षों से केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उदासीनता तथा उपेक्षा के शिकार रहे हैं; और

(ग) विद्युतीकरण योजना को कब लागू किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तत्कालीन निर्माण आवास, और पूर्ति मन्त्री ने 24 अप्रैल, 1968 को इन क्वार्टरों के दौरे के दौरान आश्वासन दिया था कि शौचालय ब्लाकों के विद्युतिकरण तथा कुछ और नलों की व्यवस्था की स्वीकृति दी जायगी । ये कार्य अब पूरे हो चुके हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन क्वार्टरों के विद्युतिकरण की स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है ।

राज्य सरकारों के पास उन्हें दिये गये ऋण की खर्च न की गयी धनराशि का वापस किया जाना

3747. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की कुल कितनी ऐसी धनराशि उनके पास है जो न तो उन्होंने खर्च की है और न ही केन्द्रीय सरकार को अब तक लौटाई है; और

(ख) उसे वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) राज्य सरकार/राज्य महालेखाकार से केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए दिये गये ऋणों की खर्च न की गयी रकम के बारे में सूचना मिलने पर सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालयों को तुरन्त ही वह रकम या तो नकद वसूल करनी होती है या राज्य सरकार को देय अन्य रकमों के हिसाब में उस रकम का समायोजन करना होता है ।

मंत्रियों की ओर बिजली, पानी तथा फर्नीचर के किराये की बकाया राशि

3748. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मन्त्रियों के नाम क्या-क्या हैं जिनकी ओर 1 जून, 1969 को बिजली, पानी तथा फर्नीचर के किराये की बकाया राशि थी तथा प्रत्येक की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया थी;

(ख) ऐसे प्रत्येक मन्त्री की ओर किस-किस अवधि की यह राशि बकाया थी तथा क्या समय पर भुगतान न किये जाने पर कोई ब्याज लिया जाता है और यदि हाँ, तो किस दर से;

(ग) यदि कोई ब्याज नहीं लिया जाता है तो क्या समय पर भुगतान न करने वालों से ब्याज लेने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(घ) ऐसे कौन-कौन से मन्त्री हैं जो प्रायः भुगतान नहीं करते हैं तथा जिनका मामला प्रधान मन्त्री को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिये भेजा गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) एक वितरण संलग्न है जिसमें उन मन्त्रियों के नाम दिये गये हैं जिनकी ओर 1 जून, 1969 को बिजली, पानी और फर्नीचर का किराया बाकी था। उसमें यह भी बताया गया है प्रत्येक मन्त्री की ओर कितनी राशि बकाया है और वह राशि किस अवधि की है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1702/69]

बिल की अदायगी न करने पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है।

(ग) जी नहीं। यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम में और इस सम्बन्ध में जारी की गई अन्य हिदायतों में मन्त्रियों द्वारा देय राशि पर ब्याज लेने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) अदायगी में विलम्ब के किसी मामले की सूचना प्रधान मन्त्री को नहीं दी गई है।

बस्तियों को नियमित तथा विकसित करने पर विकास व्यय

3749. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : श्री बलराज मधोक :
श्री झा० सुन्दरलाल : श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में गौतम नगर, कृष्णानगर तथा अर्जुन नगर के लोग अपनी अपनी बस्तियों को नियमित तथा विकसित कराने के लिये विकास-व्यय देने को तैयार हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बस्तियों की परिव्यय योजना तैयार भी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कुछ प्लाटधारियों ने विकास प्रभार देने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

(ख) जी हाँ।

(ग) आशा की जाती है कि जैसे ही प्लाट-धारी दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकास प्रभार (लेखा-आधार पर 15 रुपये प्रति गज) अदा कर देंगे, जिसके लिए शीघ्र ही प्लाटधारियों को नोटिस जारी किया जा रहा है, विकास कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

Policy Regarding Realisation of Income-Tax

3750. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Narain Swarup Sharma**
Shri J. Sunder Lal: **Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state : (a) whether Government are aware that owing to its defective policy for the realisation of the Income-tax, the Income-tax Officers do not levy tax on the income shown in the Account books but levy tax on the imaginary income, as a result of which many businessmen have started maintaining fake books to show them to Government due to which, on one hand, Government are losing Income-tax and on the other, the unaccounted money is increasing;

(b) whether Government propose to change their income-tax policy;

(c) if so, the nature thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) For the purposes of charge of income-tax, income is classified under six heads of income, namely :

1. Salaries;
2. Interest on securities;
3. Income from house property;
4. Profits and gains of business or profession,
5. Capital gains, and
6. Income from other sources (i.e, income not falling under any of the preceeding heads).

The Income-tax Act, 1961 lays down in detail the scope and the method of computing income under each of the above mentioned heads. Income derived under the head "Profits and gains of business or profession" or "Income from other sources" is required to be computed in accordance with the method of accounting regularly employed by the taxpayer where the accounts produced are correct and complete. However, if the accounts produced are not correct and complete or no method of accounting has been regularly followed, it is open to the Income-tax Officer to make a "best judgement assessment" on the basis of material before him. The law requires that even in such cases, the I.T.O. should make a fair and proper estimate of the taxpayers' income. It would not be correct to say that Income-tax Officers make assessments on imaginary figures, althongh in some cases there might be substantial differences between the returned income and the assessed income on account of suppression of income by assessees or due to honest differences of opinion as to the quantum of income or admissible expenses, deductions, etc. In view of what has been stated

above, it cannot be said that businessmen are compelled or induced to maintain fake books because the Income-tax Officers are levying tax on imaginary income.

(b) and (c) The taxation policies of Government are under constant study and review with a view to removing lacunae, difficulties and hardship and making the tax system simple and easy of compliance by the large majority of taxpayers.

(d) Does not arlse.

G. P. F. Statement of Employees of Defence Science Laboratory

*3751. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Bal Raj Madhok : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that correct statements of General Provident Fund are not made available to the employees of the Defence Science Laboratory by the Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut;

(b) if so, the action being taken in this regard ; and

(c) the number of employees of this Laboratory who have not been supplied with any General Provident Fund Statements for the last one year ?

The Deputy Minister in the ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No Statements of accounts are sent to subscribers by Controller of Defence Accounts (Funds). Normally they are correct. In some cases, discrepancies may occur if schedule of recoveries, on the basis of which credit is afforded in the Fund Accounts, are not sent to C. D. A. (Funds) in time, or if wrong account numbers are given in the schedules.

(b) Whenever discrepancies in statements of accounts are pointed out to C. D. A. (Funds) by subscribers, they are investigated immediately and rectified. Instructions have meen issued by Army Head Quarters recently to ensure correct preparation of Fund Schedules.

(c) on the basis of the nominal rolls of subscribers furnished to C. D. A. (Funds) by the Laboratory, statements of accounts for 1967-68 have been sent in all cases due except one. In this case, the account number quoted in the nominal roll by the Laboratory was wrong, and the correct account number has been asked for by C. D. A. (Funds).

केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी

3752. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना और अन्य केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के उन पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है जो/अप्रैल, 1969 को निम्नलिखित वेतनवर्गों में पेंशन पा रहे थे;

(1) 50 रुपये तक
(2) 51 से 109 रुपये तक
(3) 110 से 149 रुपये तक
(4) 150 से 209 रुपये तक
(5) 210 से 399 रुपये तक

(6) 400 से 449 रुपये तक
(7) 450 से 499 रुपये तक
(8) 500 से 531 रुपये तक
(9) 532 से 652 रुपये तक
(10) 653 से 750 रुपये तक
(11) 751 से आगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में अमोनिया पर आधारित उर्वरकों का उत्पादन

3753. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाना अमोनिया पर आधारित उर्वरकों का नियमित रूप से उत्पादन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसमें इस्तेमाल करने के लिए किसी विकल्प पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या अमोनिया की नियमित सप्लाई केवल ईरान के साथ कुछ करारों के पूरे हो जाने के बाद ही हो सकती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हाँ । अमोनिया के उत्पादन का स्थापित्व किया जा रहा है ।

(ख) दीर्घ अवधि के आधार पर स्थानपन्न का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संयंत्र में ही सुधार करना होगा । पूरी क्षमता तक उत्पादन बढ़ाने के लिये सुधार सम्बन्धी कदम उठाये गये हैं । इस संयंत्र को पूरी क्षमता तक लाने के लिये लगभग तीन वर्ष का समय और लगेगा ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये वर्तमान संयंत्र के लिये लम्बे समय तक अमोनिया के आयात की आवश्यकता नहीं होगी ।

भारत के उत्तरी भाग में बिजली के सामान्य ग्रिड की स्थापना

3754. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री भोला नाथ मास्टर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उत्तरी भाग में राज्यों को बिजली के एक सामान्य ग्रिड के अन्तर्गत ले आया जायेगा ताकि खेती तथा अन्य प्रयोजनों के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध की जा सकें;

(ख) यदि हाँ, तो इस ग्रिड की कुल क्षमता कितनी होगी; और

(ग) उसके कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और संघीय प्रदेश चण्डीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश में बिजली प्रणालियों का अन्त: सम्पर्क स्थापित कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट के साथ 66 के० वी० लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। जम्मू से होती हुई पठानकोट से श्रीनगर तक एक 132 के० वी० पारेषण लाइन का निर्माण हो रहा है। इस लाइन के पूरा हो जाने पर उत्तरी क्षेत्र में सभी बिजली प्रणालियों आपस में जुड़ जाएँगी। एक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निर्माण करने का प्रस्ताव है ताकि उपलब्ध संसोधनों का इष्टतम सीमा तक समुपयोजन करने के लिये इन बिजली प्रणालियों का समेकित रूप से प्रचालन हो सके।

(ख) 1973-74 तक उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 53 लाख मैगावट हो जाएगी।

(ग) उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड की चौथी योजना अवधि के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

भारतीय उर्वरक निगम

3755. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वित्त-वर्ष में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के कार्य-परिणामों को देख लिया है तथा क्या उन्हें किसी प्रगति अथवा अवनति का पता लगा है;

(ख) क्या इस निगम का कार्य गत वर्षों की तुलना में अधिक अच्छा है अथवा नहीं, और इसका कुल लाभ तथा हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्यात तथा गोदाम के माल की सूची क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों से यह निगम उन्हीं अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है, अथवा नहीं, तथा उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, कब से वे इन पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन व भत्ते आदि क्या हैं, तथा वे कहाँ से इस कम्पनी में आये है; और

(घ) पिछले वर्ष गत वर्ष की त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये गये तथा क्या जनता में इस निगम की प्रतिष्ठा और साख बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय उर्वरक निगम लि० के लाभ और हानि लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी हाँ, 6-9-1965 को श्री सतीश चन्द्र चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए और वह प्रति मास 3,500 रुपये तथा 75 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता ले रहे हैं। वह आई० सी० एस० केडर हैं तथा भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं श्री पी० बी० जजोदिया 1-4-1961 को सचिव के तौर पर नियुक्त हुए। वह इण्डिस्ट्रियल मनेजमैण्ट पूल के एक अधिकारी हैं तथा वह 2,000 रुपये मूल वेतन और 175 रुपये मंहगाई भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता ले रहे हैं।

(घ) निगम अपने कार्य कलापों में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है ।

पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

3756. श्री प्रेम चन्द वर्मा: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क्या उन्होंने पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स डिवेल्पमेंट कम्पनी लिमिटेड के 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के काम के परिणामों को देखा है तथा क्या उन्हें उसमें प्रगति अथवा अवनति दिखाई दी है;

(ख) क्या उस कम्पनी में गत वर्षों की तुलना में अधिक अच्छा काम हुआ है अथवा नहीं लाभ और हानि, उत्पादन; बिक्री, निर्यात तथा माल की मात्रा के तुलनात्मक आंकड़े आदि दिये जाये;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में इस कम्पनी का संचालन अधिकारियों की एक ही टोली ने किया है अथवा नहीं उस कम्पनी के चेयरमैन, प्रबन्धक निदेशक सचिव के नाम बताये जायें, यह भी बताया जाये कि वे अपने-अपने पद पर कितने समय तक कार्य करते रहे उनको कितना वेतन तथा भत्ते मिलते थे तथा वे उसमें कहां से आये थे; और

(घ) विगत काल की कमियों को दूर करने के लिये पिछले वर्ष क्या उपाय किए गए तथा क्या लोगों में कम्पनी की प्रतिष्ठा और सख बनाने के लिये कोई उपाय किये जाते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में कम्पनी के लेखों का अभी भी संकलन किया जा रहा है । पिछले वर्षों की तुलना में 1968-69 वर्ष के दौरान पाइराइट के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार था ।

(ख) पिछले दो वर्षों के कार्यकरण के परिणामों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:—

वर्ष	खान का विकास (मीटर)	पाइराइट अयस्क का उत्पादन (मैट्रिक टन)	अयस्क का विक्रय रु०	निर्यात	स्टाक की सूचियां (केवल पाइराइट अयस्क) रु०
1967-68	2506	520	1, 563/-	कुछ नहीं	34, 731/-
1968-69	3862	19, 310	40, 55, 000/-	कुछ नहीं	6, 97, 000/-

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष (अंश-कालिक) तथा सचिव (पूर्ण-कालिक) के पदों के पदधारियों में कुछ बदलियां हुई है । प्रबन्ध-निदेशक के पद पर दिसम्बर 1966 से वही अधिकारी आसीन रहा है । ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1703/69]

(घ) 1968-69 वर्ष के दौरान कम्पनी विकास-तथा-उत्पादन अवस्था में थी । वह पाइराइट

राइट अयस्कों का अपना उत्पादन सिन्दरी के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र, जो कि इसका एकमात्र उपभोक्ता है, की अयस्क की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तरोत्तर बढ़ाती रही है। सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को, जो अब प्रायोगिक परीक्षण कर रहा है, 29,000 मैट्रिक टन पाइराइट का संथरण किया गया है। कम्पनी बहुत कठिन परिस्थितियों के अन्तर्गत पाइराइट के निष्कर्षण में संलग्न है। अयस्क के गुणों को सुधारने के लिए एक लाभप्रद ढंग सुनिश्चित करने के विचार से अयस्क के परिष्करण के परीक्षण राष्ट्रीय धातुकर्णीय प्रयोगशाला में किये जा रहे हैं। खनन की लागत को कम करने के विचार से लम्बी-दिवार-गुफा पद्धति द्वारा खनन करने के लिए परीक्षण किया जाना भी प्रस्तावित है। केन्द्रीय खनन गवेषण शाला की सहायता से शिथिल स्तर परिस्थितियों की समस्याओं को भी हल किया जा रहा है। भूतल जल की अम्लता को निष्प्रभावित करने के लिये भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किये जा रहे हैं ;

सरकारी कर्मचारियों को क्वाटर अलाट करने की नीति

8757. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को क्वाटर अलाट करने की सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं, यह नीति किस तारीख को बनाई गई थी तथा उसमें बाद में समय-समय पर कौन-कौन से संशोधन किये गये;

(ख) चालू वर्ष में प्रत्येक श्रेणी से किस-किस वर्ष तक आवेदन-पत्र माँगे गये तथा किस वर्ष तक क्वाटर अलाट किये गये;

(ग) इस काम के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है प्रत्येक श्रेणी में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे तथा कितने कर्मचारियों को क्वार्टर मिलने की सम्भावना है; और

(घ) 31 मार्च, 1969 तक किस वर्ष वालों को क्वार्टर अलाट किये जा चुके हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सामान्य पूल में रिहायशी वास का आवंटन एक नियमावली के अधीन किया जाता है, जिसे "एलाटमेंट आफ गवर्नमेंट रेज़ीडेन्सिज (जनरल पूल इन दिल्ली) रूल्ज़, 1963" कहते हैं और जो 15 मई, 1963 से लागू किए गए हैं। मुख्य तौर पर नीति यह है कि पात्र कार्यालयों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को उनकी प्राथमिकता की तारीख के आधार पर सामान्य पूल वास का आवंटन किया जाए। मई, 1963 में नियमों के लागू किए जाने से लेकर, निम्नांकित मुख्य परिवर्तन एलाटमेन्ट रूल्ज में किए गए हैं :—

(i) टाइप II से IV तक के पात्र सरकारी कर्मचारियों को, केवल वास की श्रेणी के अनुसार परिलब्धियों की प्राप्ति की तारीख के स्थान पर, केन्द्रीय सरकार के अधीन सारी सेवा को प्राथमिकता की तारीख में गिनने के लिए, नियमों को, 1964 में उदार बनाया गया।

(ii) 1966 में (इन्हें) और उदार बनाने के लिए राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा या इतर सेवा को भी प्राथमिकता की तारीख में गिनने का निर्णय किया गया ।

(iii) 1966 में 4 विशेष पूल, जिनमें महिला अधिकारी पूल शामिल है, समाप्त कर दिये गए, परन्तु बाद में जून, 1967 में, महिला अधिकारियों को हुई कठिनाई को देखते हुए, "महिला अधिकारी पूल" पुनः बना दिया गया ।

(iv) सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए सामान्य किराए की अदायगी पर, 1966 में मकान वाले अधिकारियों को पात्र घोषित कर दिया गया ।

(v) 1968 में नियमों में संशोधन से यह व्यवस्था की गई कि स्थानान्तरित, अथवा जिनकी पहली नियुक्ति दिल्ली में हुई है से अन्य, सरकारी कर्मचारी वर्ष में आवंटन के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा वार्षिक आवेदन मांगे जाने पर एक बार आवेदन दे सकते हैं । दिल्ली में पहली नियुक्ति पर कार्य पर आने वाले, अथवा स्थानान्तरित अधिकारीगण, कार्य पर आने के केवल एक मास के अन्दर आवेदन दे सकते हैं ।

(vi) वेतन में महँगाई भत्ते के मिलाए जाने के कारण, फरवरी, 1969 में टाइप I से V तक की पात्रता को पुनरीक्षित किया गया ।

(ख) जहां तक दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है सूचना निम्न प्रकार से है :—

टाइप	1968 के आवंटन वर्ष के दौरान, जिन तारीखों तक आवंटन के लिये आवेदन पत्रों पर विचार किया गया	31 जुलाई, 1969 तक जिन प्राथमिकता की तारीखों तक दे दिया गया
I	31-12-1956	1-3-1956
II	31-12-1957	4-11-1952
III	31-12-1951	3-8-1943
IV	31-12-1948	24-11-1941
V	31.12-1962	1-7-1959
VI	31-12-1967	31-12-1960
VII	31-12-1967	30-7-1962
VIII	31-12-1967	30-6-1965

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में, सामान्य पूल में रिहायशी तथा गैर रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए, जिसमें भूमि का विकास शामिल है, 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस नियतन से बनाए जाने वाले रिहायशी एककों के विभिन्न टाइपों के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) प्रत्येक टाइप में 31 मार्च, 1969 तक, जिन प्राथमिकता की तारीखों तक व्यवस्था कर दी गई है, निम्न प्रकार हैं :—

टाइप	प्राथमिकता की तारीख जहां तक व्यवस्था कर दी गई है
I	12-10-1955
II	3-6-1949
III	27-3-1944
IV	20-1-1941
V	1-7-1959
VI	19-1-1961
VII	जुलाई, 1963
VIII	17-5-1965

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

3758. श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नायनार :
श्री उमानाथ :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री गणेश घोष :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के बारे में इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

भटिण्डा में उर्वरक कारखाना

3759. श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री दिनांक 17 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक कारखाने को भटिण्डा में स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना

3760. श्री जय सिंह : श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1969 तक की आय-कर की बकाया राशि के एक बड़े भाग को बट्टे खाते में डाल देने के प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन के सम्बन्ध में की गई उन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है जिनमें यह कहा गया है कि स्पष्टत: वसूल न हो सकने योग्य बकाया माँग को बट्टे खाते डाल दिया जाये। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

(ख) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

दूसरा मद्रास तेल शोधक कारखाना

3761. श्री सीताराम केसरी : श्री जुगल मंडल :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे मद्रास तेल शोधक कारखाने के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस तेल शोधक कारखाने की पूरा करने में असाधारण देर लगी है;

(ग) इस तेल शोधक कारखाने की विभिन्न मदें तैयार करने के लिये अनुमानत कितने कच्चे तेल की आवश्यकता है;

(घ) क्या उसकी सारी आवश्यकता पूरी कर दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) मद्रास तेल शोधक कारखाने का प्रारम्भिक परिचालन जून, 1969 में शुरु हुआ था तथा इसके उत्पाद भारतीय तेल निगम ले रहा है। मद्रास में दूसरा तेल शोधक कारखाना लगाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल।

(घ) जी हाँ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों के आदिवासी किशोरों की नसबन्दी

3762. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों के बहुत से किशोरों ने परिवार नियोजन के उद्देश्य और अभिप्राय को जाने बिना ही लगभग 18 रुपये के लिये नसबन्दी करवा ली है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्धनता-ग्रस्त क्षेत्र में परिवार नियोजन के लिये किये जाने वाले इस बलात् कार्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) आदिवासी जातियों को सही निर्देश देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कोकर कोयला उत्पादन करने वाली कम्पनियों में सरकार के अंश

3763. **श्री हिम्मत सिंहका** :
डा० रानेन सेन :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री रवि राय :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या पेट्रिलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोकिंग कोयला पैदा करने वाली कम्पनियों के साम्य पूंजी के अंश लेने का निश्चिय किया है ताकि विस्तार और उत्पादन के लिये उनकी वित्त सम्बन्धी समस्याओं को तुरन्त दूर किया जा सके;

(ख) क्या सरकार ने इन कम्पनियों से पूछा है कि वे सरकार द्वारा उनके अंश लिये जाने की बात को पसन्द करेगी अथवा नहीं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में उन कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार कितनी और किन-किन कम्पनियों के साम्य पूंजी के अंश लेगी तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण जन्म दर में गिरावट

3764. **श्री पी० विश्वम्भरन** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन्म दर के वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के राज्यवार आंकड़े क्या-क्या हैं; और

(ख) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप जन्म दर काफी कम हो गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (डा० श्री चन्द्रशेखर)(क) इन वर्षों के राज्यवार जन्म दर सम्बन्धी सम्पूर्ण सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जन्म दर के सही आंकड़े जनगणना के समय ही उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) जन्म दर में हुई कमी की वास्तविक स्थिति को केवल 1971 की जनगणना के पश्चात ही आंका जा सकता है और तभी यह आंकड़े उपलब्ध किए जा सकते हैं। फिर भी देश के विभिन्न भागों में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के शुरू होने से जन्म दर में निश्चित रूप से कमी आई है। नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवार नियोजन की जरूरत के सम्बन्ध में जागरुकता बढ़ी है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सलाह और सेवाओं के अपनाने में भी वृद्धि हुई है। इसका प्रमाण यह है कि 1965 से अब तक 60 लाख 30 हजार से अधिक लोग नसबन्दी करा चुके हैं, 92 लाख 10 हजार स्त्रियों ने लूप पहने हैं और 10 लाख से भी अधिक प्रचलित गर्भनिरोधकों का प्रयोग किया गया है; ये सभी जन्म-दर में कमी करते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को और भी शसक्त किया जा रहा है और देश के सभी भागों को इसमें सम्मिलित करने के लिये इसे अधिक विस्तार दिया जा रहा है ताकि यह प्रसव शक्ति पर नियन्त्रण पाने में और भी सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर सके और तदनुसार जन्म-दर को कम करने में सहायक हो सके।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में क्षमता का उपयोग

3765. श्री एस० आर० दामानी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के ट्राम्बे स्थित कारखाने में 1968-69 में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है;

(ख) उस कारखाने में उस वर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या उस वर्ष उसे चलाने से लाभ हुआ अथवा हानि तथा कितनी मात्रा में ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1968-69 के दौरान विभिन्न संयंत्रों में निर्धारित क्षमता की प्राप्त प्रतिशतता निम्न प्रकार थी :—

1. अमोनिया	67 प्रतिशत
2. यूरिया	69 प्रतिशत
3. नाइट्रोफास्फेट (सुफाला)	61 प्रतिशत
4. मेथेनोल	50 प्रतिशत

(ख) 20.02 करोड़ रुपये। इसमें दूसरे यूनिटों के उत्पादों की 3.56 करोड़ रुपये की बिक्री भी शामिल है।

(ग) संयंत्र में इस वर्ष के लिये लाभ हुआ था और ह्रास तथा ब्याज से पहले 5.80 करोड़ रुपये का सकल लाभ हुआ और ह्रास तथा ब्याज निकाल कर 0.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इन आंकड़ों का अभी आडिट होना है।

नमक का पता लगाने के लिये अरावली पहाड़ों का सर्वेक्षण

3766. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पहाड़ों में नमक का पता लगाने के उद्देश्य से अरावली पहाड़ों का सर्वेक्षण करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) किन-किन स्थानों से नमक मिलने की सम्भावना है; और

(घ) कब तक पूरे जोर शोर से काम आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Proposal of Regional Research Laboratory, Jorhat, Assam for Setting up a Fertilizer Factory.

3767. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposal submitted by the Regional Research Laboratory, Jorhat (Assam) for the setting up of a Factory has been turned down by Government on the plea that its demand is less in Assam;

(b) if so, the constitutional or commercial difficulties in supplying the fertizers produced in Assam to other regions when Government provides imported fertilizer in each part of the country;

(c) whether it is also a fact that this laboratory seeks approval for manufacturing cheap and complex fertilizer; and

(d) if so, whether Government propose to reconsider their decision ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (d) The Regional Research Laboratory, Jorhat (Assam) had furnished in December, 1967, an outline of a proposal for setting up an Integrated Coal Fertilzer Complex in the Assam valley. On an examination of the proposal, it was felt that at present there was not sufficient justification for establishment of such a project. However, in order to examine the matter more closely, a proposal to prepare a detailed techno-economic feasibility of a scheme for a coal-based fertilizer project in Assam is being considered. There will be no difficulty to supply fertilizers produced in Assam to other regions except that a large portion of the production will have to be transported over long distances and the high cost of such transport may make the products uncompetitive.

Malabar Chemicals and Fertilizer Limited Mangalore

3768. **Shri Mahaharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the details of the proposal submittad by the Malabar Chemicals and Fertilizers Limited, Mangalore, for the alteration and renewal of terms and conditions of Foreign Collaboration in respect of Urea and complex Fertilizer Factory and the action taken by Government so far :

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri R. Chavan) : The revised foreign collaboration proposals submitted by M/s. Malabar Chemicals and Fertilizers Ltd. envisaged financial and technical collaboration with M/s Humphreys and Glasgow Ltd. of U.K. and M/s. Stamicarbon NV of Holland, according to which, the foreign collaborators are expected to contribute Rs. 3.30 crores towards equity capital capital of the company and to provide technical assistance in the establishment of the project. The total cost of the project, excluding working capital, is estimated at Rs. 37 crores with Rs. 16.84 crores in foreign exchange. The Government of India have approved :

(i) M/s Malabar Chemicals and Fertilizers Ltd. entering into an agreement with the foreign collaborators mentioned above; subject to certain conditions;

(ii) the financing plans for the project ; and

(iii) the pattern of production for the project as under :

Ammonia	198,000 tonnes/annum
Urea	344,000 tonnes/annum

The company has been asked to take immediate steps to finalise their arrangements for the management and financing of the project as also the marketing of its products.

Remittance of Profit by foreign oil companies to their respective Companies

3769. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state;

(a) the percentage of net profit of the foreign Oil Companies which they have remitted in cash to their countries during each of the last three years;

(b) whether it is a fact that some Companies remitted more than 80 percent of their profit to the foreign countries in a few years; and

(c) if so, whether it is in conformity with the respective agreements ?

Tbe Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The statement of total net profits earned and remitted abroad by the foreign Oil Companies during the years 1965, 1966 and 1967 is as under:—

Year	Total net profit earned by all the Oil Companies. Rs./lakhs	Net amount remitted abroad Rs/lakhs	Percentage of profit remitted abroad
1965	1121.144	715.324	63.80%
1966	1543.934	1097.414	71.08%
1967	1690.334	1143.704	67.66%

(b) and (c): Yes. Some of the Oil Companies have remitted more 80% of their net profit to their principals in foreign countries during some of the previous years. This is generally in conformity with the existing policy of the Governmens of India.

आयकर अधिकारियों को विवेकाधीन का दिया जाना

3770 **श्री. रामावतार शर्मा** : क्का वित्त मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों को कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विवेकाधीन अधिकारों की स्पष्ट परिभाषा देते हुए आयकर अधिकारियों को ऐसे अधिकार देने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि आयकर अधिकारियों के पास विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, आयकर अधिकारी को अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे कर-निर्धारण की कार्यवाही शुरू करना तथा उसे चलाना, कर-निर्धारण करना तथा अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत कर की अदायगी के लिये उपाय करना। इन कर्त्तव्यों के पालन करने में आयकर अधिकारी के पास विवेकानुसार निर्णय लेने के कुछ अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिये, विवरणी दाखिल करने के लिये समय की मंजूरी के मामले में, अथवा कर-निर्धारण कार्यवाही के संबंध में अपेक्षित वही खाते अथवा अन्य दस्तावेज पेश करने, अथवा कुछ परिस्थितियों के अधीन कर-निर्धारण से अथवा अन्यथा उत्पन्न कर की माँग को स्थगित करने की मंजूरी के संबंध में अधिकार/उनके पास विभिन्न चूकों तथा आय छिपाने के मामलों में कुछ सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए दण्ड लगाने का अधिकार भी है। किन्तु अधिनियम के अधीन दिये गये अधिकार निरपेक्ष नहीं होते। आयकर अधिकारी के समक्ष कार्यवाही अर्ध-न्यायिक स्वरूप की होती है तथा विवरणी दाखिल करने के लिये समय की मंजूरी देने अथवा कर की अदायगी के लिये अथवा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कर-निर्धारण करने में आयकर अधिकारी को विवेकानुसार निर्णय लेने के अधिकार का पालन समानता, निष्पक्षता तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार करना होता है। इसके अलावा, आयकर अधिकारी निरीक्षी सहायक आयुक्त, आयकर आयुक्त, निरीक्षण निदेशक तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीनस्थ होता है और ये प्राधिकारी उसे अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में ध्यान में रखने योग्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर सकते हैं। लेकिन, अलग-अलग मामलों में निर्णय लेने की अथवा सक्ष्य की उचित जाँच के बाद कर-निर्धारण करने की जिम्मेदारी संबंधित आयकर अधिकारी की होती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

नर्स जाँच आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

3771. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरी विकास मंत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्स जाँच आयोग द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं तथा कितनी सिफारिशें अब तक लागू की जा चुकी हैं;

(ख) शेष सिफारिशें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में स्थानीय संसत्सदस्यों के साथ कोई सलाह मशविरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह आवश्यक नही समझा गया।

विवरण

इर्विन और विलिंग्डन अस्पतालों में छात्र नर्सों की मृत्यु के कारणों की जाँच करने के लिये नर्स जाँच आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में छात्र नर्सों की मृत्यु के कारण सम्बन्धी अपने निष्कर्ष के साथ-साथ इर्विन अस्पताल के नर्सिंग स्कूल की वर्तमान हालातों एवं मौलाना आजाद मेडिकल कालेज कम्प्लैक्स के प्रशासकीय ढाँचे के विषय में भी कतिपय टिप्पणियाँ की :

इर्विन अस्पताल के नर्सिंग स्कूल के विषय में इस आयोग ने सुझाव दिया कि :—

(i) पर्याप्त अध्यापन स्टाफ की व्यवस्था की जाय।

(ii) एक छात्र पार्षद नियुक्त किया जाय।

(iii) वार्ड में छात्र नर्सों की ड्यूटी का उचित समायोजन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अध्ययन के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज कम्प्लैक्स के सम्बन्ध में आयोग ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का और पर्याप्त अध्यापन स्टाफ व्यवस्था करने एवं वार्ड में ड्यूटी के घण्टों के उचित समायोजन के सुझाव दिये थे।

आयोग के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) इर्विन अस्पताल में नर्स प्रशिक्षण स्कूल में सिस्टर ट्यूटर के छः पदों को बढ़ाकर बारह कर दिया गया है।

(ii) होम सिस्टर का एक पद और सहायक होम सिस्टर के चार अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है।

(ii) इर्विन अस्पताल के नर्स प्रशिक्षण स्कूल का सारा कार्य भार एक नर्सिंग अधीक्षक को सौंपा गया है।

(iv) नर्स प्रशिक्षण स्कूल में काम कर रहे पुरुष सिस्टर ट्यूटर के स्थान पर एक महिला सिस्टर ट्यूटर को लगाया गया है। पुरुषों को सिस्टर ट्यूटर के रूप में प्रशिक्षण के लिये भेजने की प्रथा को बन्द कर दिया गया है।

(v) ऐसे वार्डों में जहाँ कि छात्र नर्से प्रेक्टिकल कार्य के लिये जाती हैं उनमें पुरुष वार्ड मास्टरों को काम पर लगाने की प्रथा समाप्त कर दी गई है।

(vi) छात्र नर्सों सम्बन्धी कार्य एक अधिकारी को सौंपा गया है और नर्सिंग स्टाफ संबंधी कार्य एक अन्य अधिकारी को सौंपा गया है। ये दोनों अधिकारी सीधे ही चिकित्सा अधीक्षक के अधीन रखे गये हैं।

(vii) एक आदेश जारी करके नर्सिंग स्टाफ और छात्र नर्सों को अपनी शिकायतों एवं कठिनाइयों के विषय में चिकित्सा अधीक्षक और अस्पताल के अन्य अधिकारियों से मिलने की अनुमति दे दी गई है।

(viii) छात्र नर्सों के कल्याण के लिये अस्पतालों में महिला कल्याण समिति बनायी गई है।

(vi) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज कम्प्लैक्स के प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया गया है।

Handing over of Delhi Kotwali Land to Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee

3772. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to starred question No. 367 on the 10th March, 1969 and state :

(a) the time by which the Delhi Kotwali land would be handed over to the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee;

(b) the reasons for not giving this land to the Committee when in Delhi itself Government have allotted land for construction of memorials for several leaders; and

(c) the names of persons from whom representations have been received in this connection and the demand made therein and also the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (**Shri B. S. Murthy**) : (a) As soon as the new Kotwali building at Daryaganj, Delhi, is completed.

(b) Does not arise, as a portion of the Kotwali land is proposed to be transferred to the Committee.

(c) Representations have been received by the Delhi Administration from the following persons :

(1) Dr. Sant Parkash Singh,
General Secretary,
All India Sikh Students Association,
Chandigarh.

(2) Shri Harbans Singh,
General Secretary,
Shri Guru Singh Sabha,
Calcutta.

(3) Secretary,
Shri Guru Singh Sabha,
Raipur (M. P.)

In these, representations requests had been made to the Delhi Administration to give the land free of cost to the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. As the transfer of the land is to be effected as per the terms and conditions of the agreement already entered into between the Committee and the Delhi Administration, no action was taken on these requests.

इन्डियन ड्रग्स फार्मेसियूटिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत कारखानों का कार्यचालन

3773. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन आर खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसियूटिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत कारखाने सन्तोषपूर्ण ढंग और पूर्ण क्षमता से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कारखानों को पूरा करने और इन्हें आरम्भ करने के बारे में इसी सहायकों से कोई समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इन कारखानों में निर्मित कुछ औषधियाँ अब अप्रचलित हो गई हैं और वे अब डाक्टरों द्वारा नहीं दी जातीं और उन कारखानों में निर्मित उपकरण भारतीय डाक्टरों को स्वीकार नहीं हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार स्थिति के सुधारने की ओर यथा समय ध्यान देगी और उनमें होने वाली हानि को रोकेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विभिन्न तकनीकी और परिचालन कठिनाइयों के कारण इन्डियन ड्रग्स और फार्मेसियूटिकल्स लिमिटेड के संयन्त्र इस समय पूर्ण क्षमता पर नहीं चल रहे हैं लेकिन इन कठिनाइयों को इसी विशेषज्ञों की सलाह से हल किया जा रहा है।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कोई समय-निर्धारण नहीं किया गया था, लेकिन बाद में रूसी विशेषज्ञों की सलाह से विभिन्न उत्पादों को चालू करने के लिए विभिन्न तारीखें निर्धारित की गई हैं।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि उत्पादन के लिए आयोजित सारी या अधिकांश दवाइयाँ अप्रचलित हो गई हैं। परन्तु एक दवाई अर्थात् क्लोरोटेटरा साइक्लीन के बारे में कुछ शंकाएँ प्रकट की गई हैं। यह सत्य है कि कुछ औजार स्वीकार नहीं हुए हैं किन्तु उत्पाद-मिश्र का व्यपवर्तन प्रगति पर है।

(घ) जी हाँ, सरकार इस पर पहले से ही, गम्भीरता से ध्यान दे रही है।

गत तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्राप्त ऋण

3774. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विदेशों से कितना ऋण प्राप्त हुआ और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक ऋण की क्या-क्या शर्तें हैं और

(ग) उक्त अवधि में इन ऋणों के लिए हमने कितना ब्याज दिया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : विशिष्ट प्रायोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए गये ऋणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात् सरकारी क्षेत्र के लिए ऋण और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए ऋण। आगे दिये गये विवरण में प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उम्बन्ध में मांगी गयी सूचना दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1704/69] वस्तुओं के आयात (अर्थात् गेहूँ, उर्वरक आदि, जिनका आयात सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है पर उनकी खपत गैर-सरकारी क्षेत्र में होती है) या कच्चे माल, फालतू पुर्जों और मशीनों के हिस्सों के आयात या विविध पूंजीगत सामान के आयात के लिए लिए जाने वाले अन्य प्रकार के ऋणों का इस्तेमाल सरकारी और गैर-सकारी दोनों क्षेत्र करते हैं। इन ऋणों का प्रयोजन वार ब्योरा देना सम्भव नहीं है। पिछली तीन आयोजनाओं की अवधि में लिये गये ऐसे ऋणों की कुल रकम अवमूल्यन से पहले की दरों के अनुसार 1462·82 करोड़ रुपया बैठती है।

Electricity Facilities in Cities and Villages

3775. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electricity facilities are being given more in the cities than in the villages;

(b) whether it is also a fact that the supply of electricity in the cities is regular and continuous whereas in the villages the supply is entirely irregular; and

(c) if so, the steps being taken by Government to remove this discrimination ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a): Electricity is more intensely utilised in the cities than in the villages. But during the recent years greater emphasis has been placed on the electrification of rural areas.

(b) and (c): Power supply both in cities and villages is by and large continuous and regular excepting for some break downs. In the rural areas owing to the longer distances involved there is, however, likelihood of more frequent breakdowns. The State Electricity Boards are constantly endeavouring to provide better service to the consumers and to strengthen their transmission and distribution systems.

अमरीकी आयकर विशेषज्ञ

3776. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी आयकर विशेषज्ञों के एक दल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सलाहकारों के रूप में यह किसी अन्य हैसियत से काम किया है।

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने कितनी अवधि तक काम किया और किन शर्तों पर काम किया और उनकी सलाह किन-किन मामलों पर ली गई;

(ग) उनकी सहायता के क्या परिणाम निकले और क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है; और

(घ) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई या खर्च की जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हाँ ।

(ख) मई 1965 से दिसम्बर 1968 तक । भारत में ठहरने की अवधि के लिये प्रत्येक विशेषज्ञ को 15 रु० प्रति दिन के हिसाब से खर्चा दिया गया । उनकी सलाह ली गयी और उसका उपयोग प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में सुधार लाने के लिये किया गया ।

(ग) उनकी सलाह पर 84 बहुपदीय अधिकारी मण्डलों के आय-कर अधिकारियों और उनके कर्मचारियों में कर्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की प्रणाली लागू की गई जिससे न केवल मामलों के निपटान तथा करों की उगाही में बल्कि आय-कर कार्यालय के कार्य की अन्य मदों पर अधिक ध्यान देने में भी सामान्य सुधार हुआ है । कर-अपवंचन करने वालों पर इस्तगासे की कार्यवाही सम्बन्धी हिदायतों और मार्ग-दर्शक रूपरेखा को तैयार करने में भी उन्होंने सहायता की ।

(घ) लगभग 66000 रु० ।

ऐच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं के अंतर्गत आय की घोषणा

3777. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों ने पहली तथा दूसरी ऐच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् अपनी आय की घोषणा की तथा घोषणा करने वाले कितने व्यक्ति थे जिनका आय निर्धारण उनके घोषणा करने से पहले नहीं किया गया था तथा (1) ऐसे कुल कितने मामले हैं जिनके सम्बन्ध में निर्धारण पूरा नहीं हुआ है (2) ऐसे मामलों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है (3) ऐसे अन्य निर्धारित कितने मामले हैं जिनके सम्बन्ध में निर्धारित आय घोषणाओं पर आधारित है (4) ऐसे अन्य निर्धारित कितने मामले हैं जिनके सम्बन्ध में निर्धारण आय घोषणाओं पर निर्धारित नहीं है (5) ऐसे कितने मामले हैं जिनके सम्बन्ध में आय घोषणाओं पर आधारित निर्धारण फिर से करने की आवश्यकता पड़ी है और (6) घोषणाओं को स्वीकार करते हुए मूल आय निर्धारण तथा पुनरीक्षित आय निर्धारण की माँग के बीच अन्तर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अधीन आय घोषित करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2001 है । ये घोषणाएँ मार्च से मई 1965 तक की तीन महीने की अवधि के अन्दर ही की गई थी । वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1965 की धारा 24 के अन्तर्गत 19-8-1965 से 31-3-1966 तक की अवधि के दौरान 1, 14, 266 व्यक्तियों ने आय घोषित की । स्वेच्छा से आय घोषित करने की पहली योजना के अन्तर्गत 191 और द्वितीय योजना के अन्तर्गत 77,030 व्यक्ति ऐसे थे जिनके सम्बन्ध में आय घोषित करने से पूर्व कर निर्धारण नहीं किया गया था ।

(i) इन दो योजनाओं के अन्तर्गत किसी प्रकार के कर निर्धारण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । पहली योजना के अन्तर्गत घोषित रकम के 60 प्रतिशत की दर से

कर की अदायगी की जानी थी (इस शर्त पर कि 31-3-1965 से पहले की जाने वाली अदायगियों पर 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी)। इसी प्रकार दूसरी योजना के अन्तर्गत घोषित आय पर कर की गणना यह मान कर की जाती थी कि घोषित आय उस वर्ष की कुल आय है जिस वर्ष उनकी घोषणा की गई हो और इस मामले में किसी प्रकार की घटौती या अन्य छूट की व्यवस्था नहीं थी। स्वीकार की गई घोषणाओं की संख्या पहली योजना के अन्तर्गत 2001 और दूसरी योजना के अन्तर्गत 1,07,565 थी।

(ii) इन दो योजनाओं के अन्तर्गत की गई वैध घोषणाओं के सम्बन्ध में क्रमश: 30,80,33 लाख रुपये और 1971,15 लाख रुपये की माँगें जारी की गई।

(iii) उक्त भाग (1) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में कर निर्धारण का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। जारी की गई माँग, इन दो योजनाओं के अन्तर्गत घोषणा करने वाले व्यक्तियों द्वारा घोषित की गई रकमों के सम्बन्ध में थी।

(iv) से (vi) उक्त भाग (1) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, घोषणा करने वाले व्यक्तियों के कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और काश्मीर में विद्युत और जल-विद्युत शक्ति और तापीय परियोजनाएँ

3778. **श्री बलराज मधोक :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर में अब तक आरम्भ की गई विद्युत और जल-विद्युत और तापीय विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और उनके स्थान आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर एककबार वास्तविक या अनुमानित कुल कितना परिव्यय होगा;

(ग) इन परियोजनाओं की वास्तविक या प्रस्तावित क्षमता कितनी है;

(घ) क्या विशेष रूप से सलाल और चनारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनको निर्धारित समय पर पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

(घ) और (ङ) संशोधित कार्य-क्रम के अनुसार चेमानी पन-बिजली परियोजना के 1972-73 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। जहाँ तक सलाल परियोजना का संम्बंध है; यह स्कीम कार्यान्विति के लिये अभी अनुमोदित नहीं हुई है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और उसका स्थान	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	मार्च, 1969 तक हुआ व्यय (करोड़ रुपये)	वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीनगर के निकट चंद्रावल पन-बिजली परियोजना	2×3.0 2×4.5	अनुपलब्ध	—	पूर्ण हो चुकी है।
2.	राजोड़ी भदरवाह पर लघु पन-बिजली स्कीमें	2×0.25 2×0.16	,,	—	पूर्ण हो चुकी हैं।
3.	मोहोरा पन-बिजली परियोजना 8 किलोमीटर उरी के उत्तर-पूर्व में	2×4.5	1.99	—	पूर्ण हो चुकी हैं।
4.	चेनाती पन-बिजली परियोजना, 5 किलोमीटर उधमपुर के उत्तर-पूर्व में	5×4.6	8.82	6.16	तीन यूनिटों के 1971-72 में चालू होने की संभावना है और शेष यूनिटों के 1972-73 में।
5.	सुंबल पन-बिजली परियोजना, 48 किलोमीटर श्रीनगर के उत्तर-पूर्व में	2×11.25	8.50	3.13	1972-73 तक इसके पूरा होने की संभावना है।
6.	लोअर जेहलम पन-बिजली परियोजना, 72 किलोमीटर श्रीनगर के पश्चिम में।	7×16	35.00	2.00	पाँचवीं योजना के दौरान इसके पूरा होने की संभावना है।
7.	कालकोटे तापीय बिजली परियोजना, जम्मू से 120 किलोमीटर दूर।	3×7.5	5.00	4.68	एक यूनिट चालू हो चुका है। शेष दो यूनिटों के मार्च 1970 तक पूरा होने की संभावना है।
8.	श्रीनगर में डीजिल केन्द्र	8×0.52	0.56	—	पूर्ण हो चुका है।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा विकसित प्लाट और आवास गृह

3779. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने वर्ष 1968-69 में कुल कितने प्लाटों का और आवास गृहों का विकास और निर्माण किया और इनके सम्बन्ध में उसका वर्ष 1969-70 का लक्ष्य क्या है; और

(ख) इनमें से कितने प्लाटों और आवास गृहों को अब तक (1) नीलाम (2) लाटरी डालकर और (3) किराया खरीद के आधार पर अलाट किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1968-69 के दौरान विकासित किए गए प्लाटों और निर्मित किए गए रिहायशी एककों की संख्या, तथा 1969-70 के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित विकासित किए जाने वाले/बनाए जाने वाले प्लाटों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	1968-69	1969-70 का लक्ष्य
रिहायशी प्लाट	2,663	5,200
औद्योगिक प्लाट	2,376	1,791
रिहायशी एकक	1,138	10,574

(ख) 1968-69 में विभिन्न प्रकार से निपटान किए गए (डिस्पोस्ड) प्लाटों और रिहायशी एककों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	नीलाम	लाटरी से	किराया-खरीद
रिहायशी प्लाट	324	395	—
औद्योगिक प्लाट	66	802	—
रिहायशी एकक	—	—	739

Public Undertakings in Madhya Pradesh

3780. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the profit earned or the loss sustained by each Central public sector undertaking in Madhya Pradesh during the year 1967-68; and

(b) the reason for loss where it has occurred and the steps taken by Government to improve their condition so that those undertakings could be made profit-earning ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) the Financial results of the operations of the public sector takings of the Central Government located in Madhya Pradesh during the year 1967-68 were as follows :—

Name of Undertaking/Unit	Net profit (+)Loss(—) (Rs. crores).
1. Hidustan Steel Ltd. (Bhilai Steel Plant).	(—) 7.78
2. Havy Electricals (India) Limited.	(—) 5.62
3. National Coal Development Corpn.	
Collieries in Baikunthpur area;	(+) 0.42
Collieries in Bisrampur area	(+) 0.50
Collieries in Korba area	(—) 0.44

4. National Mineral Development Corporation.		
Bailadila Project		(—) 0.01
Panna Diamond Project		(—) 0.18
5. National Newsprint and Paper Mills	:	(+) 0.20

(b) The main reasons for the adverse results of operations in Hindustan Steel Ltd., Heavy Electricals (India) Ltd., National Coal Development Corporation and National Mineral Development Corporation were as follows:—

(i) Hindustan Steel (Bhilai Steel Plant)

While the main facilities of the 2.5 million tonne expansion scheme had been completed, optimum production could not be attained, due to the lack of certain balancing equipment. The market conditions for the products of the Plant were also unsatisfactory during the year 1967-68. The Wire Rod Mill, which commenced production during 1967-68, will take some years to reach the rated capacity due to a comparatively long gestation period of such manufacturing operations. Cost of production, on account of rise of raw material prices as well as salaries and wages, did also considerably increase during the period.

(ii) Heavy Electricals (India).

The expansion schemes for the manufacture of new items like water and steam turbines, power transformers and traction equipment, which are highly capital intensive, have not yet become fully productive and, as a result, the fixed charges could not be fully recouped.

(iii) National Coal Development Corpn.

The output from the Korba quarry was low due to its exhaustion and the new mine at Banki was operating below the breakeven point during the year under review.

(iv) National Mineral Development Corpn.

The Bailadila Project entered the production phase only in April 1968. The float-ore arising from 1967-68 operations had to be exported to Japan at uneconomical prices in view of international market conditions. In the Panna Diamond Project, the targeted output is expected to he reached only in 1970. In the meantime, attempts are being made to increase the points of sale so as to ensure the disposal of stocks of diamond.

It would be seen from the above, that many of the factors resulting in adverse financial results were beyond the control of the management of the respective enterprises However, Government are alive to the situation and continuous efforts are being made to control the factors where such control is possible.

Electricity Rates For Irrigation Purposes in Madhya Pradesh

*3781. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to give financial assistance in order to enable them to reduce the electricity rates for irrigation purposes in the States and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry or Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loans to Industries in Madhya Pradesh by Industrial Finance Corporation.

*3782. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of loans sanctioned and given by the Industrial Finance Corporation to the industries in Madhya Pradesh in 1967-68 for industrial development of the State; and

(b) whether Government propose to liberalise the terms of such loans so that more and more under developed industries in Madhya Pradesh may benefit from it?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) During its accounting year 1967-68 (July-June), the Industrial Finance Corporation sanctioned loan assistance of Rs. 120.00 lakhs to one industrial co-operative society for manufacture of sugar in Madhya Pradesh, no part of which has yet been disbursed. During this period, however, the Corporation disbursed loans to the extent of Rs. 127.53 lakhs which related to past sanctions.

(b) The Corporation has been directed to assist, as far as may be practicable, the industrial development of backward States and areas in order that such regions may attain a more balanced economic development. The Corporation considers applications for financial assistance for projects located in less developed States sympathetically subject to such projects being found technically and financially viable.

The question of liberalising the terms and conditions of assistance to projects established in the underdeveloped areas of the country is also under consideration.

Postponement of Execution of long term Irrigation Schemes in Madhya Pradash

*3783. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government, keeping in view the financial difficulties, have advised the Madhya Pradesh Government to postpone the execution of the long term schemes and to get the maximum land irrigated through short-term schemes;

(b) Whether the Central Government is providing financial assistance to Madhya Pradesh to meet financial difficulties; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No Sir.

(b) and (c) : The Central Government have been providing Central assistance for financing the plan. In the draft Fourth plan, the total outlay for Madhya Pradesh is Rs. 355.96 crores which consists of Central assistance of Rs. 262 crores. The planning Commission, however, propose to review the States resources in the light of the recommendations, made by the Fifth Finance Commission.

Central assistance for multipurpose and big projects in Madhya Pradesh

3784. **Shri G. C. Dixit** : **Shri Lakhan Lal Gupta** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The name of the selected multipurpose and big projects at present in Madhya Pradesh for which Central assistance is being given;

(b) the locations of these projects and the amount of Central assistance provided for each project during the last two years;

(c) the number of irrigation projects proposed to be started in Madhya Pradesh during the Fourth Five year plan; and

(d) the expenditure estimated to be incurred on each project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Inrrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) The requisite informatiod is given below:

S. No.	Name of the Project	Earmarked assistance provided during 1967-68 and 1968-69.	Earmarkod assistancc proposed for 1969-70
1.	2.	3.	4.
		(Rs. in lakhs)	
1.	Chambal Project Stages I and II (Gandhisagar Dam, Ranapratapsagar Dam, Kotah Barrage and irrigation canals) in erstwhile Madhya Bharat area.	783.19	80
2.	Bagh Project (The right bank canal of the Bagh Project in Bhandara District of Maharashtra, will irrigate some areas in Madhya Pradesh).	52	60
3.	Tawa Project (of Hoshangabad District)	Earmarked assistance for this project is being given from 1969-70 onwards.	300

(c) Programme of new irrigation projects in Madhya Pradesh for the fourth Plan has yet to be finalised by the Planning Commission.

(d) Does not arise.

Conviction Cases

3785. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of cases registered by each of the Offices/Department under his Ministry separately during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 under Sections 409, 420, 467, 477-A and 120 of Indian Penal Code and the number of such cases resultinging in conviction; and

(b) the full details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) No such case was registered during the years 1967-68 and 1969-70 (upto July, 1969).

However, during 1968-69, one case was registered under Sections 380 and 409 o the Indian Penal Code, against a Sectional Officer of the Beas-Sutlej Link Project for theft/ misappropriation of electrical instruments and sillican bronze welding rods. The case is still under investigation by the Police.

गर्भपात को वैध बनाना

3786. **श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गर्भपात की वैध करार देने के प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां तो किन-किन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस कार्यवाही का समर्थन किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों तथा गोवा, दमन और दियू, हिमाचल प्रदेश, पांडचेरी, अंडमान और निकोबार प्रशासन, लक्ष्यदीव, मिनिकाय और अमीन द्वीप समूह, चंडीगढ़ तथा दादर और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों ने गर्भपात के वैधीकरण का पूर्ण समर्थन किया है । आंध्रप्रदेश तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा दिल्ली के संघ राज्य ने भी इस प्रस्ताव का संशोधित रूप में समर्थन किया है ।

Measures to check increase in Prices of Lands and Rents of Houses

3787. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the situation that the housing problem is worsening day by day in the country and the prices of lands and rents of houses particularly in big cities, are increasing enormously; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check the increasing prices of lands and rents of the houses and to solve the housing problem in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b) With a view to relieving the housing shortage in the country, Government have already formulated a number of Social Housing Schemes which are being implemented by the State Government and the Administrations of Union Territories. These Schemes include one for large scale acquisition and development of land which provides, **inter-alia,** for sale of house-sites to prospective house builders-particularly those in the low income

brackets-at reasonable prices. Due to constraint of resource, the progress under the Schemes is much below the demand. To meet the situation, the Conference of Ministers of Housing, Urban Development and Town Planning held at Bangalore in June, 1969, has recommended setting up of a Revolving Fund of about Rs. 200 crores to enable acquisition and development of land for housing purposes, and oonstruction of houses being taken up on a large scale.

उत्तर में नये तेलशोधक कारखाने की स्थापना

3788. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने वर्ष 1974 से पूर्व उत्तर में एक नये तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव की जाँच की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) भारतीय पेट्रोलियम संस्था अपनी रिपोर्ट अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि 1973 तक 26.8 मिलियन मीटरी टन की आयोजित शोधन क्षमता उस वर्ष की माँग को भी पूरा करने में काफी नहीं होगी। 1975 की परियोजनाकृत कुल माँग को पूरा करने के लिए, रिपोर्ट में, फालतू/कमी को ध्यान में रखते हुए, लगभग 8 मिलियन मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए सिफारिश है। रिपोर्ट में 1974 तक उत्तर-पश्चिम भारत में, कम से कम 3 मिलियन मीटरी टन की क्षमता की एक नई शोधन शाला को चालू करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में वर्णित है कि शोधनशाला की वास्तविक क्षमता शोधनशाला की आर्थिक सप्लाई पर निर्भर होगी और इसका तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के आधार पर निर्णय करना होगा।

(ख) और (घ) यह निर्णय करने के लिये जाँच की जा रही है कि कब, कहाँ और कैसे कुल अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जाये।

गाँवों में बिजली लगाने सम्बन्धी योजनाओं के लिये राज्यों को ऋण

3789. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष में गाँवों में बिजली लगाने सम्बन्धी योजनाओं के लिये राज्यों को ऋण देना स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष से कोई पृथग् रक्षित ऋण सहायता नहीं दी जा रही है परन्तु भारत सरकार राज्य-योजना स्कीमों के लिये जिनमें ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें शमिल हैं, ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता

प्रदान करती है । राज्य सरकारें केन्द्र से मासिक मार्गोपाय पेशगियाँ प्राप्त करती हैं और वित्तीय वर्ष के अन्त में इन पेशगियों का समंजन राज्य सरकारों को दी गई समग्र केन्द्रीय सहायता के प्रति किया जाता है ।

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों का हिस्सा

3790. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग है, वह कितनी-कितनी मात्रा और मूल्य के उत्पाद बेचती है; और

(ख) वर्ष 1973-74 के अन्त में क्या स्थिति होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) मात्रा तथा प्रतिशतता के रूप में 1968 के दौरान प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री में, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के हिस्सों का ब्यौरा विवरण पत्र में दे दिया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1705/69] मूल्य सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1973-74 तक सरकारी क्षेत्र के बिक्री सम्बन्धी भाग के काफी बढ़ जाने की सम्भावना है । तथापि, वास्वतविक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि विभिन्न उत्पादों की माँग किस प्रकार होती है ।

Cases Registered by Ministry Under Indian Penal Code

3791. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of **Health and Family Planning Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of cases initiated by each of the offices/Departments under his Ministry and the number of cases initiated in respect of employees' of the Offices/ Departments of his Ministry direct by the police separately during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 under Sections 409, 420, 467, 468. 471 and 120 of Indian Penal Code and the number of such cases resulting in conviction; and

(b) the full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) and (b) The time and labour required for compiling this information for all the offices and departments of the Ministry in the whole country will not be commensurate with the results.

दिल्ली के डाक्टरों को साप्ताहिक अवकाश

3792. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डाक्टरों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर; और

(ग) क्या यह बारी के आधार पर होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्य की स्थिति देखते हुए सभी डाक्टरों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है;

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य करने वाले डाक्टरों को भी साप्ताहिक अवकाश मिलता है क्योंकि रविवार को औषधालय बन्द रहते हैं। रविवार छुट्टी के दिन आपतकालीन सेवा की व्यवस्था करने के लिये कुछ चुने हुए औषद्यालयों में दिन के समय अथवा रात्रि के समय डाक्टरों की बारी-बारी ड्युटी लगाई जाती है। जो डाक्टर रात्रि के समय ड्युटी पर होता है, उसे अगले दिन प्रातःकाल की ड्युटी से छुट्टी दी जाती है। रविवार अथवा छुट्टी के दिन, दिन के समय कार्य करने वाले डाक्टरों को कोई छुट्टी नहीं दी जाती है।

उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले चिकित्सक

3793. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों से गत तीन वर्षों में उच्चतर शिक्षा के लिये कुल कितने चिकित्सक विदेश गये तथा उच्चतर शिक्षा के लिये चिकित्सकों को विदेश जाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में उच्चतर चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है किन्तु उच्चतर चिकित्सा शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले लोगों पर पारपत्र-कानून के अधीन कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते हैं।

Hospitals and Dispensaries in Madhya Pradesh

3794. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the present number of Government hospitals in the rural and urban areas of Madhya Pradesh as also the number of private dispensaries and hospitals in the State to which Government give grants;

(b) the present number of doctors in the Government hospitals in Madhya Pradesh as also the number of doctors asked for by the State Government to meet the shortage of doctors in the hospitals in that State ; and

(c) the steps proposed to be taken by the Central Government to meet the shortage of doctors in the State ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The information will be collected and laid on the Table of the Sabha.

(b) and (c) information in regard to the present number of doctors in the Government hospitals in Madhya Pradesh will be collected and laid on the Table of

the Sabha. The State Government has not approached the Central Government for meeting the shortage.

Creation of Rajasthan Canal Fund

3795 : **Shri P. L- Barupal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Deputy Prime Minister had advised the villagers and the public to set up a Rajasthan Canal Fund in the speech made by him at a public meeting in Bikaner during his visit to the famine-affected areas of Rajasthan in the first week of June this year ;

(b) if so, the intention behind his advice to set up the said Fund and whether Government have under consideration any scheme to this effect ; and

(c) if so, the proposed contributions of the public, the State Government and the Central Government respectively to that Fund ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

सरकारी उपक्रमों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुसंधान "सैल" स्थापित करना

3796. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता में 27 मई के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य-कुशलता बढ़ाने में सहायता देने के लिए शीघ्र एक अनुसन्धान "सैल" खोलेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हाँ । सरकारी उद्यम कार्यालय के सूचना तथा गवेषणा प्रभाग (इन्फार्मेशन ऐण्ड रिसर्च डिवीजन) और अन्य प्रभागों में, निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किये जाने का विचार है :

(1) कार्यालय का सूचना तथा गवेषणा प्रभाग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ की सहायता से, जिसकी सेवायें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की जा रही हैं, सरकारी उपक्रमों की सूचना सम्बन्धी प्रणालियों का अध्ययन शुरू कर रहा है ।

(2) कार्यालय के सूचना तथा गवेषणा प्रभाग ने और अन्य प्रभागों ने, विभिन्न क्षेत्रों में प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर गवेषणा सम्बन्धी अध्यय शुरू करने की एक योजना तैयार की है ।

(3) प्रशासनिक सुधार आयोग ने जैसी सिफारिश की थी, कार्यालय में आंकड़ों सम्बन्धी बैङ्क (टाटा बैङ्क) की स्थापना की जा रही है । आंकड़ों सम्बन्धी प्रस्तावित बैङ्क में, इकट्ठे किए गए तथ्यों तथा आंकड़ों से, उन विभिन्न तकनीकी मामलों के सम्बन्ध में गवेषणा सम्बन्धी प्रायोजनाएँ शुरू की जायँगी जिनसे काम के मानकों के निर्धारण तथा कार्य और कार्य प्रणालियों को युक्तियुक्त बनाने के लिए सहायता मिलेगी ।

(4) कुछ मुख्य सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में, प्रबन्ध विषयक विकास के क्षेत्र में भी विस्तृत अध्ययन किये जा रहे हैं।

भारतीय तेल निगम की परिवहन गाड़ियों पर चालन सम्बन्धी तथा अन्य व्यय

3797. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम की उन गाड़ियों के मरम्मत, घिसाई, ब्याज तथा चालन व्यय तथा लुबरीकेटिंग तेल तथा टूट-फूट का प्रति वर्ष व्यय क्या है जो समस्त भारत की संस्थापनाओं में हैं तथा इन्हीं का डीजल अथवा पेट्रोल और कर्मचारियों का व्यय भी कितना है;

(ख) उन गाड़ियों की प्रतिशतता क्या है जो पूर्णतः नष्ट हो चुकी है और नीलाम की जा चुकी हैं अथवा बेची जा चुकी हैं अथवा इधर-उधर कहीं पड़ी हैं और इससे निगम को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस अवधि में निजी स्वामित्व प्राप्त गाड़ियों द्वारा की गई सप्लाई तथा निगम की गाड़ियों द्वारा की गई सप्लाई के व्यय का अनुपात क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : पिछले वर्षों के विस्तारपूर्ण ब्योरों को इकट्ठा करने में किये जाने वाले प्रयत्नों से प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप होने की आशा नहीं है।

लंका सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारतीय मुद्रा का पकड़ना

3798. **डा० रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सीमा शुल्क विभाग के पास लगभग 2 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा है, जिसको उन्होंने लंका की यात्रा करने वाले यात्रियों से अवैध मुद्रा के रूप में पकड़ा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई जांच कारवाई है कि धन भारत से बाहर कैसे गया; और

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय मुद्रा को इतनी बड़ी मात्रा में बाहर जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख) श्री लंका में भारत के हाई कमीशन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्री लंका के सीमाशुल्क अधिकारियों का दावा है कि उनके पास भारतीय तथा पाकिस्तानी मुद्राओं के लगभग 1,50,000 रुपये हैं जिनको उन्होंने सभी देशों से आने वाले नागरिकों से पकड़ा था जो इन मुद्राओं को अनधिकृत तौर पर श्रीलंका में लाये थे। इस रकम के बारे में यह रिपोर्ट है कि यह बहुत वर्षों में इकट्ठी हुई है। इस हालत में इस मामले में कोई विशिष्ट जाँच संभव नहीं है और न ही यह आवश्यक समझा जाता है।

(ग) सभी वस्तुओं जिसमें मुद्रा भी शामिल है, के तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए सुदृढ़ उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों के अनुरूप ही गुप्त सूचना इकट्ठी करने, कर्मचारियों

की विशेष तैनाती, समुद्री किनारे पर अधिक गश्त आदि के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों में अधिक कड़ी चौकसी बरती जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3799. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री राममूर्ति :
श्री क० अनुरुद्धन :
श्री के० रमानी :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने में कोई सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक का नवीनतम दृष्टिकोण क्या है और इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप उर्वरक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितनी और किस किस्म की सहायता मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनाओं के लिए ऋण सम्बन्धी सहायता के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये विश्व बैंक ने इच्छा प्रकट की है। विश्व बैंक के दल के साथ, जो कुछ समय पूर्व देश में आया था, इस मामले पर प्रारम्भिक रूप में बातचीत हुई थी और दल को दो परियोजनाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है। ऐसी आशा है कि दल की रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक यह फैसला करेगा कि एक अथवा दोनों परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देना सम्भव होगा अथवा नहीं।

पौलिस्टर रेशा बनाने वाले कारखाने स्थापित करना

3800. श्री हिम्मत सिंहका : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डल की मूल्य, उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी समिति ने यह निर्णय किया है कि देश में पौलिस्टर रेशा बनाने वाले कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशी फर्मों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फर्मों से और किन शर्तों पर यह सहायता ली जायेगी; और

(ग) इस देश को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की बचत करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) पौलिस्टर रेशा संयन्त्रों की स्थापना के लिए चुने गये उद्यमकर्ताओं को, दो विदेशी फर्मों अर्थात् मैसर्स इम्पीरियल केमीकल्स इण्डस्ट्रीज, लण्डन और अमेरिका के मैसर्स केमटैक्स इन्कारपोरेटिड, के साथ तकनीकी जानकारी की सप्लाई के लिए बातचीत करने की अनुमति दी गई है। सूची में एक और विदेशी फर्म को शामिल करने की सम्भावना की जांच की जा रही है। ऐसी आशा है कि दूसरे तथा उत्तरोत्तर संयन्त्रों के लिए विदेशी मुद्रा लागत कम होगी। विस्तृत शर्तों के बारे में सम्बद्ध भारतीय उद्यमकर्ता को सीधी बातचीत करनी है बशर्ते कि सरकार उनका अनुमोदन करे।

(ग) विदेशी मुद्रा की बचत, चौथी योजना में स्थापित किये जाने वाले नये कारखानों में पौलिस्टर रेशों के वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगी। किन्तु यह आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष 24000 मीटरी टन पौलिस्टर रेशों का उत्पादन होगा; जिसका मूल्य विदेशी मुद्रा में 24 करोड़ रुपये के बराबर होगा।

जापान द्वारा भारत को सहायता का पुनः आरम्भ किया जाना

3801. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० कु० सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान सरकार से अनुरोध किया है कि वे परियोजना सहायता देना पुनः आरम्भ कर दे जो 1965 से वस्तुतः बन्द हो गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो किस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठाया गया था और इस सम्बन्ध में भारत सरकार का वास्तविक पक्ष क्या है; और

(ग) इस बारे में जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) कृषि और उद्योग दोनों में अनूकूल प्रवृति के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था में काफी सुधार हो जाने से और उसमें स्थायित्व आ जाने से तथा चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किये जाने के संदर्भ में जापान समेत सहायता संघ के सारे देशों से, प्रायोजना-भिन्न सहायता के अतिरिक्त, प्रायोजनागत सहायता देने के लिये अनुरोध किये गये थे। जून 1969 में प्रधान मन्त्री की जापान यात्रा के दौरान इस मामले पर भी चर्चा हुई थी। प्रधान मन्त्री के दौरे की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी थी उसमें और बातों के साथ-साथ, यह भी कहा गया था कि जापान के प्रधान मन्त्री भारत को प्रायोजनागत सहायता फिर से चालू करने के लिये सहमत हैं और यह सहायता विशाखापत्तनम की बाहरी बन्दरगाह प्रायोजना के विकास और तेल की खोज से शुरू की जायेगी। विस्तृत व्यवस्थायें तैयार करने के लिए दोनों सरकारों के बीच अब बातचीत होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जन सम्पर्क अधिकारियों का सम्मेलन

3802. **श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरे ने हाल में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के जन सम्पर्क अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था ;

(ख) सम्मेलन की कार्य-सूची में क्या विषय रखे गये थे;

(ग) सम्मेलन के निर्णय तथा सिफारिशें क्या है;

(घ) सम्मेलन में भाषण देने के लिए बाहर से किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था; और

(ङ) क्या सरकार सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की सूची सभा-पटल पर रखेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सम्मेलन में इन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी; (1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जन-सम्पर्क की समस्यायें, (2) सरकारी क्षेत्र में जन-सम्पर्क के उद्देश्य, (3) जन-सम्पर्क अधिकारियों के कार्य, उनके उत्तरदायित्व तथा उनकी हैसियत और (4) जन सम्पर्क विभाग का संगठन।

(ग) सम्मेलन की मुख्य सिफारशें इस प्रकार थीं :

(1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बुनियादी उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को जनता के सम्बन्धित वर्गों के सामने उपयुक्त रीति से पेश किया जाय ताकि जनता में प्रचलित गलत धारणायें दूर हो जाये और जनता के सम्मुख उपक्रमों की सही तस्वीर पेश की जा सके।

(2) जन-सम्पर्क के उद्देश्य स्पष्ट रीति से निर्धारित किये जाने चाहिए और कार्यक्रमों की योजना दीर्घावधिक आधार पर तैयार की जानी चाहिए।

(3) जन-सम्पर्क अधिकारियों तथा प्रबन्धकों के कामों, उत्तरदायित्वों, हैसियत तथा उनके कृत्यों का सही और स्पष्ट निरूपण किया जाना चाहिए तथा उनके सम्बन्ध में अपेक्षित योग्यताएँ निर्धारित की जानी चाहिए।

(4) जन सम्पर्क प्रबन्धकों की पहुँच मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तक होनी चाहिए।

(5) सरकारी उपक्रमों में एक समिति स्थापित होनी चाहिए, जिसमें बोर्ड तथा जन-सम्पर्क प्रबन्धकों के सदस्य हों। इस समिति को जन सम्पर्क सम्बन्धी नीतियां, उनके उद्देश्य तथा कार्यक्रम तैयार करने चाहिए तथा उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए।

(6) उपक्रमों के सर्वोच्च प्रबन्धक अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों में जन सम्पर्क सम्बन्धी भावना के प्रति जागरुकता होनी चाहिए।

(7) समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उससे जन सम्पर्क अधिकारियों को सम्पर्क और जन सम्पर्क के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों तथा उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जा सके।

(8) जिन गतिविधियों का प्रभाव जन सम्पर्क पर पड़ता हो, उनमें अनुसंधान और अध्ययन किया जाना चाहिए ।

(9) सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा एक स्थाई समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें उपक्रमों के वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी तथा सरकारी प्रतिनिधि हो ताकि यह जन सम्पर्क के मामलों में उपक्रमों का मार्ग-दर्शन करे तथा उन्हें परामर्श दे ।

(घ) और (ङ) सम्मेलन में इन उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया :—

1. एयर इंडिया
2. अशोक होटल्स लिमिटेड
3. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
4. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड
5. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
6. भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्ज लि०
7. बोकारो इस्पात लि०
8. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
9. केन्द्रीय भाण्डागार निगम
10. कोचीन रिफाइनरीज लि०
11. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
12. इंजीनियर्स इंडिया लि०
13. निर्यात ऋण और गारन्टी निगम लि०
14. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०
15. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
16. भारतीय खाद्य निगम
17. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन
18. हिन्दुस्तान एण्टीक्वायोटिक्स लि०
19. हिन्दुस्तान केबुल्स लि०
20. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि०
21. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि०
22. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
23. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि०
24. हिन्दुस्तान स्टील लि०
25. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स-कंस्ट्रक्शन लि०
26. हिन्दुस्तान जिंक लि०
27. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०
28. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन
29. इंडियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लि०

30. भारतीय तेल निगम
31. इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०
32. औद्योगिक वित्त निगम
33. इस्ट्रूमेंटेशन लि०
34. जनपथ होटल्स लि०
35. जीवन बीमा निगम
36. लुब्रीजोल इंडिया लि०
37. मद्रास रिफाइनरीज लि०
38. मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
39. माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
40. मार्डन बेकरीज (इंडिया) लि०
41. दी मुगल लाइन लि०
42. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०
43. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम
44. नेशनल इस्ट्रूमेंट्स लि०
45. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
46. राष्ट्रीय बीज निगम लि०
47. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०
48. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम
49. हिन्दुस्तान कापर लि०
50. तेल और प्रकृतिक गैस आयोग
51. प्रागा टूल्स लि०
52. पाइराइट्स एण्ड फास्फेट्स केमिकल्स लि०
53. शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
54. राज्य व्यापार निगम
55. त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लि०
56. युरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया

गैर-सरकारी संगठनों में प्रचलित पद्धति और आधुनिक विचार-धारा का लाभ उठाने के लिये कुछ बाहरी विशेषज्ञों को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। जिन गैर-सरकारी विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था वे ये थे :— डनलप इंडिया लिमिटेड, इम्पीरियल टोबेको कम्पनी आफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैङ्क के जन-सम्पर्क प्रबन्धक और एक स्वतन्त्र जन-सम्पर्क सलाहकार (जो पहले टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के जन-सम्पर्क प्रबन्धक थे); हैदराबाद के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी महाविद्यालय के मानव सम्बन्धों के विशेषज्ञ और नयी दिल्ली स्थित व्यापक जन-सम्पर्क संस्थान के निदेशक।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में संशोधन करने पर प्रतिबन्ध

3803 . श्री स० मो० बनर्जी : श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री रवि राय : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण पर अब भी प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सभी संघों तथा महासंघों ने विरोध प्रकट किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) खर्च में किफायत करने के उपाय के रूप में ।

(ग) जी, नहीं, किन्तु कुछ कर्मचारी संघ नया वेतन आयोग नियुक्त करने की माँग करते रहे हैं। सरकार का विचार है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नया 'वेतन आयोग नियुक्त करना अभी समयोचित नहीं है ।

Uniform Tax System Throughout th e Country

3804. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a suggestion made by Shri S. Bhoothalingam, Director General, National Council of Applied Economic Research, that there should be uniform tax system throughout the country ;

(b) if so, the details of the suggestions made; and

(c) the reaction of Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P.C. Sethi) :

(a) Yes, Sir.

(b) Shri Bhoothalingam had made two principal suggestions. First, he had advocated the abolition of the present system of excise duty and sales tax and their substitution by a universal tax on value added. Secondly, he had suggested levy of a progressive unified income tax embracing both agricultural and non-agricultural incomes.

(c) Government do not feel called upon to react to these suggestions, which were put forward by Shri Bhoothalingam himself as an ideal solution requiring radical amendment of the Constitution. The recommendations made by Shri Bhoothalingam in his report on the "Rationalisation and Simplification of the Central Tax Structure" have already been considered by Government. Such of these recommendations as have been found acceptable and feasible of implementation have been implemented partly through the Finance Act, 1968 and 1969 or are proposed to be implemented through the Taxation Laws (Amendment) Bill 1969 now pending before Parliament.

नई दिल्ली नगरपालिका के इम्मूनाइजेशन सेंटर में टाइफाइड वेक्सीन की अनुपलब्धता

3805. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में जून, 1969 में जब टाइफाइड फैला था उस समय नई दिल्ली नगरपालिका के इम्मूनाइजेशन सेंटर में वेक्सीन नहीं थी;

(ख) कितने पुरुष, महिला तथा बालक रोगियों को टाइफाइड रेक्सीन नहीं लगाया गया था; और

(ग) टाइफाइड वेक्सीन की कमी के क्या कारण थे तथा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

लोदी रोड, नई दिल्ली की चमरियों में 'कामन रूम'

3806. **श्री एन० शिवप्पा : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोदी रोड, नई दिल्ली की चमरियों के अलाटियों से खाली कराये गये 'कामन रूम' को उपयोग में लाने का है;

(ख) क्या आवंटी डाइनिंग हाल तथा किचन की सुविधाओं के बिना एक कमरे में रह सकते हैं;

(ग) क्या निवास स्थान बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) एक कमरे वाली चमरियां आरम्भतः अविवाहितों को आवंटन के लिए बनाई गई थी, परन्तु अब ये विवाहित अधिकारियों को भी आवंटित की जाती हैं । अनधिकृत दखलकारों से खाली कराए गए डाइनिंग हाल और रसोईघरों, अन्य आवंटियों की सहमति प्राप्त होने पर, आवंटियों में से किसी एक के नाम इस शर्त पर आवंटित किए जा सकते हैं कि सभी आवंटी साझे के स्थानों की देखरेख तथा उनके उचित प्रयोग के लिए उत्तरदायी होंगे । खाली पड़े डाइनिंगहाल और रसोईघरों के आवंटन के लिए आगे आना, ब्लाक के आवंटियों का काम है ।

(ग) और (घ) चमरियों के 10 ब्लाकों में से, 4 ब्लाकों को कुछ वर्ष पूर्व पारिवारिक कमरों (फैमिली सूट्स) में बदल दिया गया था । निधियों की उपलब्धता होने पर, शेष 6 ब्लाकों को पारिवारिक कमरों में बदलने का प्रस्ताव है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्धारित क्षमता का प्रयोग

3807. **श्री गाडिलिंगन गौंड :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की प्रयोग की गई निर्धारित क्षमता की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन उपक्रमों में वास्तविक उत्पादन और प्रयुक्त उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत से कम है; उनमें ऐसा होने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1968-69 के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की निर्धारित क्षमताओं के उपयोग का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1706/69]

(ख) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कतिपय एककों/विभागों, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स; नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन, उर्वरक निगम (ट्रांम्बे और सिंदरी एकक) और भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेट (इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स) में, इन की निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत से भी कम क्षमता का उपयोग हुआ है। इन एककों/विभागों में क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण ये थे :—

(1) बिजली के भारी सामान और भारी इंजीनियरी उद्योगों में मन्दी की स्थिति के कारण मांग अपर्याप्त रही। इसके अलावा, कुछ एक परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, तथा भारतीय औषध तथा भेषज निगम को कम मांग की स्थिति का सामना करना पड़ा।

(2) श्रम सम्बन्धी असंतोषजनक परिस्थितियां, जिनका प्रभाव खास तौर पर पूर्वी क्षेत्र के एककों पर पड़ा।

(3) माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड में कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों की कमी के कारण उत्पादन पर बुरा असर पड़ा।

(4) भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड के ऋषीकेश स्थिति संयन्त्र में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई।

(5) शुरू-शुरू की विकास सम्बन्धी जिन कठिनाइयों का हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, भारतीय औषध और भेषज लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर असर पड़ा उनसे उत्पादन की मात्रा भी कम हुई।

(6) कुछ एक निर्माणधीन सुविधाओं के अभाव के कारण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड के संचालन पर असर पड़ा।

सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंन्ट प्लांट, मद्रास की अधिष्ठापित क्षमता का कम प्रयोग किया जाना

3808. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में मद्रास स्थित सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स पलांट में केवल 4 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता ही प्रयोग की गई; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्य कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ाद० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ।

(ख) 1965-66 और 1966-67 में तैयार किये गये औजारों के स्टाक्स के संचय को ध्यान में रखते हुए, 1967-68 में संयन्त्र के उत्पादन को पहले से प्राप्त वास्तविक आर्डरों और ब्राइबियंग तथा अस्भली में श्रमिकों के प्रशिक्षण तक समिति रखा गया। अचल मदों के बारे में, औजार केवल असज्जित स्थिति में पूरे किये गये। इसके परिणाम स्वरूप संयन्त्र की क्षमता का कम प्रयोग हुआ।

किन्तु प्रयोग में सुधार करने के लिए, बिक्री सर्वेक्षणों के तथ्यों की ध्यान में रखते हुए, संयन्त्र में एक नियमित उत्पाद व्यपवर्तन कायक्रम बनाया गया है परिवार नियोजन के औजारों को, जिनके लिए सम्भरण और निपटान महा निदेशालय से आर्डर प्राप्त हो चुके हैं, उत्पाद-मिश्रण में शामिल किया गया है।

सर्जनों की विभिन्न समितियाँ स्थापित की गई हैं यह परामर्श देने के लिए कि प्राथमिकता पूर्वक संयंत्र में किस प्रकार के औजारों का विकास एवं व्यापारिक उत्पादन किया जाए। बिक्री को बढ़ाने के बारे में औजारों के लिए व्यापारियों की नियुक्ति तथा विद्यार्थी के विच्छेदन टूल किट को प्रचलित करने जैसे कुछ वृद्धियुक्त उपायों को भी अपनाया गया है।

कानपुर, उत्तर प्रदेश के लिये तपेदिक की चिकित्सा के नये अस्पताल

3809. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की तुलना में कानपुर में तपेदिक के रोगियों की संख्या अधिकतम है परन्तु तपेदिक की चिकित्सा वाले अस्पतालों की संख्या सब से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार कानपुर में अधिक अस्पताल खोलने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन नगरों में तपेदिक के रोगियों की सही प्रतिशत का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्धारित क्षमता का प्रयोग

3807. **श्री गाडिलिंगन गौंड :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की प्रयोग की गई निर्धारित क्षमता की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन उपक्रमों में वास्तविक उत्पादन और प्रयुक्त उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत से कम है; उनमें ऐसा होने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1968-69 के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की निर्धारित क्षमताओं के उपयोग का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1706/69]

(ख) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कतिपय एककों/विभागों, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स; नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन, उर्वरक निगम (ट्रांम्बे और सिंदरी एकक) और भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेट (इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स) में, इन की निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत से भी कम क्षमता का उपयोग हुआ है। इन एककों/विभागों में क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण ये थे :—

(1) बिजली के भारी सामान और भारी इंजीनियरी उद्योगों में मन्दी की स्थिति के कारण मांग अपर्याप्त रही। इसके अलावा, कुछ एक परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, तथा भारतीय औषध तथा भेषज निगम को कम मांग की स्थिति का सामना करना पड़ा।

(2) श्रम सम्बन्धी असंतोषजनक परिस्थितियां, जिनका प्रभाव खास तौर पर पूर्वी क्षेत्र के एककों पर पड़ा।

(3) माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड में कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों की कमी के कारण उत्पादन पर बुरा असर पड़ा।

(4) भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड के ऋषीकेश स्थिति संयन्त्र में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई।

(5) शुरू-शुरू की विकास सम्बन्धी जिन कठिनाइयों का हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, भारतीय औषध और भेषज लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर असर पड़ा उनसे उत्पादन की मात्रा भी कम हुई।

(6) कुछ एक निर्माणधीन सुविधाओं के अभाव के कारण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड के संचालन पर असर पड़ा।

सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंन्ट प्लांट, मद्रास की अधिष्ठापित क्षमता का कम प्रयोग किया जाना

3808. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में मद्रास स्थित सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स पलांट में केवल 4 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता ही प्रयोग की गई; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्य कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ।

(ख) 1965-66 और 1966-67 में तैयार किये गये औजारों के स्टाक्स के संचय को ध्यान में रखते हुए, 1967-68 में संयन्त्र के उत्पादन को पहले से प्राप्त वास्तविक आर्डरों और ब्राइबियंग तथा अस्मली में श्रमिकों के प्रशिक्षण तक समिति रखा गया। अचल मदों के बारे में, औजार केवल असज्जित स्थिति में पूरे किये गये। इसके परिणाम स्वरूप संयन्त्र की क्षमता का कम प्रयोग हुआ।

किन्तु प्रयोग में सुधार करने के लिए, बिक्री सर्वेक्षणों के तथ्यों की ध्यान में रखते हुए, संयन्त्र में एक नियमित उत्पाद व्यपवर्तन कायक्रम बनाया गया है परिवार नियोजन के औजारों को, जिनके लिए सम्भरण और निपटान महा निदेशालय से आर्डर प्राप्त हो चुके हैं, उत्पाद-मिश्रण में शामिल किया गया है।

सर्जनों की विभिन्न समितियाँ स्थापित की गई हैं यह परामर्श देने के लिए कि प्राथमिकता पूर्वक संयंत्र में किस प्रकार के औजारों का विकास एवं व्यापारिक उत्पादन किया जाए। बिक्री को बढ़ाने के बारे में औजारों के लिए व्यापारियों की नियुक्ति तथा विद्यार्थी के विच्छेदन टूल किट को प्रचलित करने जैसे कुछ वृद्धियुक्त उपायों को भी अपनाया गया है।

कानपुर, उत्तर प्रदेश के लिये तपेदिक की चिकित्सा के नये अस्पताल

3809. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की तुलना में कानपुर में तपेदिक के रोगियों की संख्या अधिकतम है परन्तु तपेदिक की चिकित्सा वाले अस्पतालों की संख्या सब से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार कानपुर में अधिक अस्पताल खोलने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन नगरों में तपेदिक के रोगियों की सही प्रतिशत का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पेय जल सप्लाई योजनायें

3810. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4093 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित पेय जल योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है :

(एक) शहरी योजनाएँ :—जमशई, ग्वालियर, जबलपुर, गरौथ (मध्य प्रदेश)

(दो) ग्रामीण योजनाएँ :—गाला मंडीपुरा (मध्य प्रदेश)

(तीन) शहरी योजनाएँ :—सिकन्दराबाद जल सप्लाई सुधार (आन्ध्र प्रदेश); और

(ख) यदि हाँ, तो ये योजनाएँ कब चालू की जायेंगी ?

स्वाथ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) विभिन्न योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :—

(क) मध्य प्रदेश : 1 शहरी योजनाएँ :—

(1) जमई तथा गरौथ : केन्द्रीय जव स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन की टिप्पणी के आधार पर राज्य सरकार से इस योजना को संशोधित करने के लिये कहा गया है ।

(2) ग्वालियर : इस योजना को अनुमोदित कर दिया गया है और इस पर काम चल रहा है ।

(3) जबलपुर : इस योजना को अनुमोदित कर दिया गया है और यह लगभग पूरी होने वाली है, जितना भाग तैयार हो चुका है उसे उपयोग में लाया जाने लगा है ।

2. ग्राम योजनाएं :—

(1) गाला मण्डीपुरा : इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह पूरी हो गई है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश :

1 शहरी योजना

(1) सिकन्दराबाद जलपूर्ति सुधार योजना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ने सिकन्दराबाद जलपूर्ति प्रणाली को नया रूप देने सम्बन्धी संशोधित प्रस्तावों की जाँच कर ली है और राज्य के इंजीनियर से कतिपय बातों पर स्पष्टीकरण माँगा गया है, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और अनुमान है कि 1971-72 में पूरा हो जायेगा ।

दिल्ली, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में सरकारी उपक्रमों के लिए स्थान की व्यवस्था

3811. **श्री गाडिलिंगन गौंड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता स्थित, विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों को सरकारी स्थान देने में सरकार के प्रयत्नों में शिथिलता आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन शहरों में स्थित सरकारी उपक्रमों ने वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में कितना वार्षिक किराया दिया तथा इस मद पर व्यय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं। सरकारी दफ्तरों के लिए स्थान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सरकार के पास यदि कोई जगह बची रहती है तो वह उसे निश्चित रूप से सरकारी उपक्रमों को दे देती है। दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में जब कभी किसी सरकारी उपक्रम को सरकारी जगह उपलब्ध नहीं होती है तो सरकारी उपक्रम गैर-सरकारी जगह किराये पर ले लेते हैं। इस सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों से किसी कठिनाई की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) दिल्ली मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में सरकारी उपक्रमों द्वारा किराये पर ली गयी जगह के लिए 1966-67 और 1967-68 में दिये गये किराये की सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन, लोक-लेखा समिति ने अपनी पन्द्रहवीं रिपोर्ट (तीसरी लोक-सभा) (1964) में यह हिसाब लगाया था कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के शहरों में सरकारी उपक्रमों ने किराये के रूप में 87·78 लाख रुपया दिया था। इस सम्बन्ध में सबसे हाल के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

सूखा सहायता के सम्बन्ध में तमिल नाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

3812. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने 1968-69 से विभिन्न राज्यों को राज्यवार सूखा सहायता के लिए कितनी राशि मंजूर की;

(ख) क्या तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने 16 जून, 1969 को मद्रास में लोगों से सूखा सहायता देने के मामले में केन्द्र द्वारा भेदभाव किये जाने के कारण उसकी निन्दा करने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ करने तथा अधिक धन प्राप्त करने के लिए केन्द्र के साथ संघर्ष करने के लिए कहा था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार की गारन्टी देने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं की तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने लोगों से ऐसा आन्दोलन चलाने के लिए कहा है। उन्होंने राज्य के पंचायती-संघों तथा अन्य

स्थानीय निकायों से राज्य में सूखे की स्थिति तथा सहायता कार्यों के लिए अधिक रकम देने की आवश्यकता की ओर केन्द्र का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए तार भेजने की केवल अपील की थी।

(ग) मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि प्राकृतिक प्रकोपों के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम सुस्थापित नीति के अनुसार दी जाती है, जो सभी राज्यों के सम्बन्ध में समानरूप से लागू होती है।

विवरण

1968-69 में सूखा सम्बन्धी सहायता के खर्च के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को केन्द्र की ओर से दी गयी वित्तीय सहायता

राज्य	दी गयी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	14·00
2. गुजरात	4.50
3. मैसूर	10·00
4. उड़ीसा	5·00
5. राजस्थान	14·51
6. तमिल नाडु	1·25

नेपाल से बिजली

3813. श्री भोगेन्द्र झा : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने अपनी फालतू बिजली भारत सरकार को बेचने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) चूंकि नेपाल सरकार के डीजल उत्पादन पर अधिक लागत आती थी, इसलिए उन्होंने तराई क्षेत्र में भारत की सीमा से लगे अपने इलाकों में बिजली सप्लाई का फायदा उठाने की इच्छा प्रकट की थी। उस सरकार ने पारस्परिक प्रबन्धों का भी सुझाव दिया था ताकि जहाँ नेपाल में पन बिजली उपलब्ध हो और यदि नेपाल की सीमा से लगे भारतीय इलाकों में ऐसी बिजली की आवश्यकता हो तो उसे इन इलाकों में उपलब्ध किया जा सकता है। अर्थ सम्बन्धी तथा अन्य ब्यौरा का अभी अध्ययन किया जाना है।

Transfer of Malaria Inspectors in Madhya Pradesh.

3814. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Malaria Units working in Madhya Pradesh at present under the Malaria Eradication Programme ;

(b) the period after which Malaria Inspectors and Senior Malaria Inspectors are transferred from one Unit to the other under general administrative rules : and

(c) whether Government have issued or propose to issue instructions to the State Government to comply with the rules regarding transfer generally ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 29·00 Malaria Units are at present functioning in Madhya Pradesh under the National Malaria Eradication programme.

(b) Acording to the rules of the State Government, the normal period prescribed for transfer of Malaria Inspectors and Senior Inspectors from one place to the other is after 3 to 5 years, subject to the exigencies of public service.

(c) For the smooth running of the programme, the State Health authorities have been advised from time to time to avoid transfers of their Malaria staff as far as possible during the transmission season.

Renovation of Roads in Delhi

3815. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state;

(a) whether Government propose to make arrangements for cleanliness and widening of roads in Delhi and to replace the bulbs and tubes of low watts fitted over these roads by those of high watts so that there may be sufficient light on the roads and paths during the night time,

(b) if so, the amount allocated by the Delhi Administration in 1969-70 for this purpose, and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy); (a) N.D.M.C. has reported that it has widened the roads and improvod the road lighting wherever there was need to do so. D.M.C. has reported that they have under consideration proposals to widen roads and improve the lighting where necessary.

Both the bodies have informed that there are arrangements for cleanliness of roads.

(b) The Delhi Administration have allocated Rs. 20.00 lakhs and Rs. 120.00 lakhs for the improvement of roads to the N.D.M.C. and M.C.D. respectively during 1969-70. The Delhi Administration have made no allocation for electric works.

(c) Does not arise.

गुजरात में पेट्रो-रसायनिक कारखाने के लिए जर्मन सहायता

3816. **श्री हरदयाल देवगुण क्या** : पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी, संघीय गणराज्य सरकार ने गुजरात में एक पेट्रो-रसायनिक कारखाना स्थापित करने के लिए ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण की पेशकश की गई है; और

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० (चव्हाण) : (क) जी हाँ।

(ख) 39 मिलियन हयूटिच मार्कस जो कि 7·5 करोड़ रुपये के बराबर है।

(ग) सम्बद्ध पश्चिमी जर्मन क्रेडिट इन्स्टीट्यूट के साथ किये जाने वाले विस्तृत ऋण करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पूर्व तथा पश्चिम जर्मनी से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3817. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (एक) जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार और (दो) पूर्वी जर्मनी की सरकार ने भारत में जिन-जिन विकास परियोजनाओं के लिए सहायता दी है, उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन कुछ महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं के नाम दिये गये हैं जो पूर्णरूप से या आंशिक रूप से जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार से प्राप्त ऋणों से वित्त-पोषित किये गये हैं।

(ii) भारत में ऐसी कोई विकास प्रायोजनाएँ नहीं हैं जो जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य की सहायता से चल रही हों।

विवरण

जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के प्रायोजना, ऋणों से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त-पोषित विकास प्रायोजनाओं की सूची

1. राउर केला इस्पात संयंत्र
2. मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना, भद्रावती
   (विस्तार : मिश्रित इस्पात कारखाने में परिवर्तन)
3. रेलवे कार्यक्रम
4. राउर केला उर्वक संयंत्र
5. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन—खनन योजना
6. नेवेली का ईंट, ईंटें बनाने का और कार्बनीकरण करने का संयंत्र
   (नेवेली ब्रिकेटिंग ऐण्ड कार्बनाइजेशन प्लाण्ट)
7. बंगलौर-स्थित बिजली का नया सरकारी कारखाना
8. कलिंग पिग आयरन वर्कस, बारबिल (उड़ीसा)

नोट : इस सूची में उन प्रायोजनाओं के नाम दिए गये हैं जिनमें एक करोड़ ड्यूश मार्क

(1875 करोड़ रुपये) या उससे अधिक रकम के लिए जर्मन संघीय गणराज्य से सरकारी ऋण का उपयोग किया गया है।

कोक-कर कोयले के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा जापान की एक कम्पनी के साथ करार

3818. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोक-कर कोयला सप्लाई करने के लिए जापान की एक कम्पनी के साथ करार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Income-tax Arrears due from M/S Capital Finance of India (P) Limited, Delhi

3829. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of arrears of Income-Tax due from M/S Capital Finance of India (P) Limited Delhi for the financial years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(b) the action since taken by Government in regard to the realization of these arrears ; and

(c) the action proposed to be taken by Govenment in this regard in case no action has been taken so far :

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) As on 31st March, 1969 an amount of Rs. 3,04,561 was out-standing against M/S Capital Finance of India (P) Ltd. Delhi out of the demands raised for the assessment years 1966-67 to 1968-69 corresponding to the financial years 1965-66 to 1967-68. The demands are being contested in appeal.

(b) The folowing action has been taken for the realization of these arrears:

(i) Recovery certificates under section 222 of the Income-tax Act have been issued;

(ii) Garnishee proceedings under section 226 (3) have becen initiated ; and

(iii) A penalty of Rs. 26,180/- for non-payment of demand has also been levied.

(c) Does not arise.

Supply of Liveries to Class IV Staff of Horticulture Directorate of C.P.W.D.

3820. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government supply liveries to all the class IV staff ; and

(b) if so, the reasons for which these are not supplied to the Class IV employees working in the Directorate of Horticulture, C.P.W.D. ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No. Sir,

(b) Such of the Class IV staff of the Horticulture Directorate as are eligible for supply of uniforms under general orders issued by Government have been supplied with uniforms.

Effect of She-Donkey and She-Camel's Milk on Human Health

3821. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housiug and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the States in which the milk of she-camel is used for drinking and for preparing eatables ; and

(b) its effect on the health of human beings ;

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) According to the information available, the milk of she-donkey and she-camel is used in some areas of Gujarat and Haryana,

(b) No survey has been conducted to assess its effect on human health.

युनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध तस्करी के आरोप

3822. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री 31 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उत्पादन शुल्क कलेक्टर, दिल्ली ने यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री एम० पी० दीवान के विरुद्ध लगाये गये तस्करी के आरोपों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय में इस मामले के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन श्री एस० पी० दीवान के खिलाफ मामले में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता दिल्ली के यहाँ अभी भी न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्री दीवान के खिलाफ अभी तक अदालत में इस्तगासे की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही अदालत में इस्तगासे की किसी कार्यवाही के प्रश्न पर समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली द्वारा विचार किया जायगा।

आयकर के फार्मों की कमी

3823. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छपे हुए फार्मों की जैसे (एक) आय विवरण फार्म (दो) आय कर अधिनियम की धारा 194क के अधीन प्रत्याभूमि पर ब्याज के अतिरिक्त स्रोत पर काटे गये ब्याज के भुगतान के लिये चालान फार्म और (तीन) कर की कटौती और इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को भेजे जाने वाले विवरण के फार्म आदि की कमी है;

(ख) क्या इन फार्मों के समय पर उपलब्ध न होने के कारण कार्य करने में रुकावट पड़ी है;

(ग) क्या अन्य किन्हीं फार्मों के समय पर उपलब्ध होने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मद (II) में उल्लिखित फार्मों को छोड़ कर, अन्य फार्मों की कमी के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों से कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) इन फार्मों के उपलब्ध नहीं होने से विभाग के रोजपर्रा के कार्य पर असर नहीं पड़ा हालांकि स्रोत पर काटे गये कर को जमा करने की कार्यवाही इस कारण स्थगित करनी पड़ी।

(ग) जी, हाँ। क्षेत्रीय कार्यालयों से ये शिकायतें मिली थीं कि प्रबन्धक, फार्म स्टोर, कलकत्ता (जो फार्मों के मुद्रण तथा उनकी आयकर विभाग को सप्लाई की केन्द्रीय एजेन्सी हैं) से धन-कर विवरणी फार्मों की सप्लाई पर्याप्त अथवा समय से नहीं की गयी।

शिकायतें निम्नलिखित आयुक्तों से प्राप्त हुई थीं :—

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. बम्बई
4. दिल्ली
5. हैदराबाद
6. कानपुर
7. लखनऊ
8. मद्रास
9. पटियाला
10. पूना

इसी प्रकार, अग्रिमकर के अनुमान, कर की अग्रिम अदायगी के लिए चालान, मांग-नोटिस, आदि के फार्मों की न्यून सप्लाई के बारे में कुछ आयुक्तों से शिकायतें मिली थीं।

(घ) प्रबन्धक, फार्म स्टोर, कलकत्ता और मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियन्त्रक के साथ यह मामला उठाया गया था और कुछ अतिरिक्त सप्लाई उपलब्ध की गई थी। कुछ आयकर आयुक्तों ने धन-कर विवरणी फार्मों का स्थानीय मुद्रण भी करवाया था।

यूनेस्को मिशन के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख द्वारा वातानुकूलकों का आयात

3824. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री भारत में यूनेस्को मिशन के भूतपूर्व प्रमुख द्वारा निजी उपयोग के लिये गैर-कानूनी रूप से वातानुकूलकों का आयात करने और मिशन के प्रशासनिक

अधिकारी श्री एस० पी० दीवान के साथ गटबन्धन करके उनके सरकारी उपयोग के लिये प्रमाण-पत्र देने के बारे में 21 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री दीवान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिशन के प्रमुख का जो भारत में यूनेस्को का उच्चतम अधिकारी होता है, इस राजनयिक विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में हाथ है, क्या सरकार का विचार सम्बन्धित प्रमुख तथा प्रशासनिक अधिकारी के आचरण के बारे में यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस को सीधे लिखने का है; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी इस मिशन में अब भी कार्य कर रहा है, भविष्य में राजनयिक विशेषाधिकारों का इस प्रकार पुनः उल्लंघन न होने देने के लिये सरकार का क्या एहतियाती कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन श्री एस० पी० दीवान के खिलाफ चल रहे मामले पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, समाहर्त्ता, दिल्ली द्वारा न्याय-निर्णय किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) श्री एस० पी० दीवान के खिलाफ चल रहे मामले पर अभी फैसला होना है । भारत में यूनेस्को मिशन के वर्तमान अध्यक्ष ने सरकार को इतमीनान दिलाया है कि सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ तथा भविष्य में इस प्रकार की होने वाली घटनाओं के खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी । इसलिये इस मामले के सम्बन्ध में उक्त संगठन के पेरिस स्थित मुख्यालय को सीधे ही लिखने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वे इसके पहले ही अवगत हैं ।

गुजरात में तेल का पाया जाना

3825. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को मेहसाना परियोजना के अधीन उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में थराड में 18 जून, 1969 को तेल मिला था;

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में कितने कुएँ खोदे गये और कितने कुओं में से तेल निकला है;

(ग) क्या उस तेल की किस्म तथा मात्रा के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय पहले कुएँ में व्यधन हो रहा है । अब तक, इस कुएँ में तेल के चिह्न नहीं पाये गये हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Complaint Lodged by Labourers of Kaitha Drilling Camp in Ramgarh District (Bihar).

3826. **Shri Ram Avatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 18 labourers of the Kaitha Drilling Camp, Ramgarh in the Hazaribagh District of Bihar, sent a letter of complaint to the Director General, Geological Survey, Government of India, Calcutta, on the 6th or 25th May, 1969 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action so for taken and proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Loan Advanced to Indonesia.

3827. **Shri Shashi Bhushan :** **Shri Himatsingha :**
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have decided to advance a fresh loan of Rs. 5 crores to Indonesia ;

(b) if so, the terms and conditions thereof ; and

(c) the amount of earlier Indian loan outstanding against Indonesia ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. No formal proposal to advance a fresh loan of Rs. 5 crores to Indonesia has been received from the Government of Indonesia.

(b) Does not arise.

(c) An earlier Indian loan of Rs. 10 crores is outstanding against Indonesia.

रामपुर के नवाबद्वारा जेवरात को चोरी छिपे पाकिस्तान भेजना

3828. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री शशि भूषण :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री वे० कु० दास चौधरी :**
श्री जुगल मंडल : **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री रामावतार शर्मा : **श्री ज्योर्तिमय बसु :**
श्री वंश नारायण सिंह : **श्री पी० रामूर्ति :**
श्री भारत सिंह चौहान : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री मधु लिमये :**
श्री शारदानन्द : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री शु० कु० तापड़िया : **श्री जी० मो० विश्वास :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के प्रवर्तन निदेशालय तथा राजस्व आसूचना विभाग ने मई, 1969 में रामपुर के नवाब के सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली स्थित मकान पर छापा मारा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे जिनसे पता चला है कि उपर्युक्त नवाब के 12 लाख रुपये के मूल्य के जेवरात चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाये गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो क्या नवाब के विरुद्ध मुकमदमा चलाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) कुछ लेन-देनों की जांच-पड़ताल के सिलसिले में जिनमें सीमाशुल्क अधिनियम 1962 तथा विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम 1947 के उल्लंघन का संदेह था रामपुर के नवाब तथा बेगम से सम्पर्क किया गया था। जांच-पड़ताल के लिए अपेक्षित दस्तावेज उन्होंने तत्काल प्रस्तुत किये। इसलिये, प्रवर्त्तन निदेशालय अथवा राजस्व गुप्त-चर्या निदेशालय द्वारा रामपुर के नवाब के घर की तलाशी आवश्यक नहीं थी। दस्तावेजों की छान-बीन की जा रही है। सीमाशुल्क अधिनिमम 1962 तथा/अथवा विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, 1947 का प्रथम दृष्ट्या कोई उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं इस बात का तथा ऐसे उल्लंघन में ग्रस्त रकम का पता जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर ही चलेगा।

इस स्थिति में इस्तगासे की कार्यवाही शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के कृषकों को ऋण

3929. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्टेट बैंक ने 1968-69 में और 1969-70 में अब तक उड़ीसा में किसानों और कृषकों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(ख) उड़ीसा में कृषि ऋण निगम ने इस अवधि में अब तक कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(ग) उड़ीसा में कृषि-पुनर्वित्त निगम ने इस अवधि में अब तक कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(घ) उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों ने इस अवधि में अब तक कृषि कार्यों के लिये कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं; और

(ङ) भारत के रिजर्व बैंक ने इस प्रयोजन के हेतु 1969-70 के लिये ऋण समितियों को कुल कितनी राशि के ऋण उपलब्ध किये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख)उड़ीसा में अभी तक किसी राज्य कृषि ऋण निगम की स्थापना नहीं की गयी है ।

(ग) उड़ीसा में 66.6 लाख रुपये की तीन योजनाएं मंजूर की गयी हैं। इस रकम में से कृषि पुनर्वित्त निगम ने 54·7 लाख रुपया देने का वचन दिया है, जिसमें से 23 जून, 1969 तक 3.6 लाख रुपया निकाला गया था ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ङ) मौसमी कृषि कार्यों और फसलों के विपणन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक को देने ऋण देने के लिये 1969-70 के सम्बन्ध में कुल 820 लाख रुपये की सीमा मंजूर की है ।

भारतीय उर्वरक निगम के प्रतिनिधि मंडल का अमोनिया परियोजना के लिये ईरान का दौरा

3830. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमोनिया परियोजना के बारे में शीघ्र क्रियान्विति के लिये भारतीय उर्वरक निगम का एक प्रतिनिधि मंडल तेहरान गया था;

(ख) भारत-ईरान संयुक्त उर्वरक परियोजना वहाँ पर स्थापित की जायेगी; और

(ग) इसकी पूंजीगत लागत कितनी होगी और इसके कब चालू होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों सरकारों द्वारा नामित एजेन्सियों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्यकारी दल बनाया गया है; जो ईरान में अमोनिया के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु एक तकनीकी आर्थिक रिपोर्ट तैयार करेगा । भारतीय उर्वरक निगम भारत सरकार की नामित एजेन्सी है और उसके दो इन्जीनियर ईरान गये हैं ।

(ख) और (ग) फिलहाल यह बताना सम्भव नहीं है कि ईरान में यह संयुक्त भारतीय ईरानियन उद्यम किस स्थान पर स्थापित होगा तथा इसकी सम्भावित लागत कितनी होगी और यह कब चालू होगा ।

उड़ीसा में कोरबा और तालचेर में अउर्वरक कारखानों के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता

3831. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री उड़ीसा में कोरबा और तालचेर में कोयले पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक कारखानों के लिये ऋण प्राप्त करने के लिये जुलाई, 1969 के प्रथम सप्ताह में पश्चिम जर्मनी गये थे;

(ख) क्या इन विशिष्ट परियोजनाओं के लिये ऋण की व्यवस्था हो गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितने ऋण की और किस प्रकार व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री श्रीमोरारजी देसाई, जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के नियन्त्रण पर, जर्मन गाँधी समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में महात्मा गाँधी के बारे में मुख्य भाषण देने के लिए जुलाई 1969 में उस देश में गये थे। इस दौरे से जो अवसर प्राप्त हुआ उसका उपयोग जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर तथा संघीय सरकार के अन्य प्रमुख सदस्यों से पारस्परिक हित के विभिन्न विषयों पर बात-चीत करने के लिए भी किया गया था। बात-चीत में अन्यान्य प्रश्नों के साथ-साथ जर्मन पद्धति पर स्थापित उर्वरक संयत्रों सहित प्रायोजनाओं की आयात-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जर्मन पूंजीगत सहायता और सम्भरक ऋणों की आवश्यकता के सामान्य प्रश्न पर भी विचार किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चौथी योजना में उर्वरक कारखानों की स्थापना

3832. डा० कर्णी सिंह : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उर्वरक कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : दुर्गापुर कोचीन, मद्रास बरौनी और कानपुर में नई उर्वरक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य हो रहा है। नाम रूप और उद्योगमंडल के कारखानों को विस्तार योजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, गोवा में एक उर्वरक परियोजना पर निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने की आशा है। साथ ही, कांडला, शीवा-नोवा, मंगलौर, मिर्जापुर, विशाखापटनम-काम्पटी और उत्तर प्रदेश। पंजाब में किसी एक स्थान पर उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिये सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है। विशाखापटनम और ट्राम्बे उर्वरक कारखानों के विस्तार के लिये भी सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है। रामागुडंम तलछर, हल्दिया, प्रदीप, मिथापुर, तुतीकौरन, कोरबा में उर्वरक कारखाने लगाने और नंगल तथा कोचीन परियोजनाओं के विस्तार के प्रस्ताव विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में मनुष्यों के उपभोग के लिये मरे हुये पशुओं के मांस का बेचा जाना

3833. श्री ए० श्रीधरन : श्री विश्वम्भरन :
श्री मोहन स्वरूप : श्री राम चरन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र में विजय वाडा में आये तुफान में बड़ी संख्या में मरे पशुओं का मांस मनुष्यों के उपभोग के लिये बेचा जा रहा है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मांस को खाने के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई थी; और

(ग) क्या सरकार ने मरे हुए पशुओं का मांस खाने से हानि से लोगों को अवगत कराने तथा आन्ध्र प्रदेश के तुफान से पीड़ित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : आंध्र में विजयवाड़ा में आये तूफान में मरे पशुओं का मांस आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के जुज्जरु ग्राम में मनुष्यों के उपभोग लिये बेचा गया था ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) राज्य सरकार ने मृत पशुओं के मांस के सेवन करने से होने वाली हानियों से लोगों को अवगत कराने के लिये और वहाँ एवं अन्य बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ पहुँचाने के लिये प्रबन्ध किये थे । मृत पशुओं के मांस का उपभोग न करने के बारे में भी जनता को चेतावनी दे दी गई थी ।

घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा मुद्रस्फीती

3834. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में घोषित किये गये राज्य आयव्ययकों में बताये गये घाटों का व्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि यदि राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की घाटे की अर्थव्यवस्था करने से उनकी नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा और अनुत्पादक रूप में व्यय से मुद्रास्फीति बढ़ेगी;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने मुद्रास्फीति के लिये केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सूचक अंक में गत एक महीने में अनाज के मूल्यों में 13 प्वाइंट और गत वर्ष की तुलना में (23 जून को) 12 प्वाइंट की वृद्धि का अध्ययन किया है, और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार गत चार महीनों में निर्धारित मूल्यों पर, विशेषकर गेहूँ के समर्थन मूल्यों पर, जहाँ से वृद्धि आरम्भ होती है, पुनर्विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1707/69]

(ख) राज्य सरकारों द्वारा बहुत ज्यादा घाटे की वित्त व्यवस्था करने से, मुद्रा बाहुल्य-कारी दबाव पैदा होंगे । लेकिन राज्य सरकारों के वास्तविक घाटे उन घाटों के मुकाबले कम हो सकते हैं, जिनका अनुमान उनके बजटों में किया गया है । यह भी हो सकता है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने बजटों में प्राप्तियों तथा व्ययों के जो अनुमान दिखाये गये हैं, उनमें संशोधन

किया जाय । यह भी सम्भव है कि चालू वर्ष के दौरान कुछ एक राज्य सरकारें अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रयत्न करें ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ प्रेस रिपोर्टों को देखा है ।

(घ) 21, जून, 1969 को समाप्त हुए सप्ताह में सामान्य मूल्यों का सूचक-अंक (1952-53=100) 224.8 था । पिछले वर्ष के इसी सप्ताह के अंक के मुकाबले इसमें 20.6 अंक (10.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी और पिछले महीने के अकों के मुकाबले इसमें 9.7 अंकों (4.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । 21 जून, 1969 को खाद्य पदार्थों के मूल्य का सूचक अक 241.9 था और इससे पहले के महीने के अंक के मुकाबले इसमें 14.0 अंकों (6.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । 26 जुलाई, 1969 को समाप्त हुए सप्ताह के सामान्य मूल्यों के सूचक-अंक के अनुसार, इस महीने में सभी वस्तुओं के मूल्यों में 1.4 अंकों (0.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और खाद्य-पदार्थों के सूचक अक में 1.7 अंकों की (0.7 प्रतिशत) वृद्धि हुई ।

(ङ) कई एक कारणों से मूल्यों में वृद्धि हुई है और तेलहन खास तौर से मूँगफली, कपास और चने आदि की फसल के उत्पादन स्तर में हुई कमी भी इन्हीं कारणों में से एक है । हाल के सप्ताहों मे मौसमी कारणों का भी कुछ असर हुआ है । सरकार का यह विचार है कि गेहूँ की वसूली के मूल्यों में किसी तरह की तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। ये मूल्य, अल्पावधिक मूल्य स्थिति की ओर ध्यान रखकर ही नहीं बल्कि खेती बाड़ी की पैदावार को बढ़ावा देने की जरूरत और अनाज की काफी मात्रा में वसूली के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निर्धारित किए गए हैं ।

कोयाली में एरोमेटिक कारखाना

3835. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयाली में सरकारी क्षेत्र में ऐरोमेटिक कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विदेशी पार्टी के साथ तकनीकी सहयोग के लिए किये गये हैं । आयात किये जाने वाले उपकरणों की विस्तृत सूची को, एक भारतीय इन्जीनीयरिंग कंपनी की सहायता से अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत, 22-3-1969 को गुजरात राज्य में, इण्डियन पेट्रो-रसायन कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से एक नई कम्पनी संगठित की गई है ।

(ख) परियोजना के लिए कुल 103.50 लाख रुपये की रकम दी गई है । 1969-70 के बजट अनुमानों में गुजरात ऐरोमेटिक परियोजना के लिए 550 लाख रुपये की व्यवस्था है ।

(ग) 1971-72 में एरोमेटिक सन्यन्त्र के उत्पादन शुरू करने की आशा है ।

झरिया कोयला क्षेत्र में परित्यक्त कोयला खानों की खुदाई

3836. **श्री जर्नादन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाने के विचार से झरिया खानों में की परित्यक्त खानों की खुदाई करवाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) देश में कोकिंग कोयले के अपर्याप्त संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकार अन्तर्गत क्षेत्रों (झरिया कोयला क्षेत्र की त्यक्त कोयला खानों सहित) से कोकिंक कोयले का वैज्ञानिक विधियों द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। इस उद्देश्य की ओर बढ़ाने वाले एक प्रस्ताव की जांच हो रही है। अभी किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका है और न ही ब्यूरे निश्चित हुए है।

दिल्ली के निकट तेल शोधन कारखाना

3837. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में दिल्ली के निकट एक तेल शोधन कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Clearance of arrears of Taxes

3838. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons who cleared their arrears of taxes between April, 1968 and June, 1969 as also the amount so collected ;

(b) the amount of arrears of taxes for whose recovery cases are pending ; and

(c) the number of persons penalised under the new taxation policy of Government and in case no action has been taken against anybody, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) the collection of information regarding the number of persons who cleared their arrears of taxes between April 1968 and the amount so collected will involve considerable time and labour.

(b) As on 31st March, 1969 the arrears of Income-tax amounted to Rs. 435.49 crores.

(c) The information regarding the number of persons on whom penalties for concealment were levied u/s 271 after their quantum was stopped up by the Finance Act, 1968 is not available. Its collection would involve considerable time and labour.

बाँध, डैम तथा बिजली घर

2839. **श्री अब्दुल गनी दर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने बांधों, डैमों तथा बिजली घरों का निर्माण पूरा हो गया है या होने वाला है, आरम्भ में उनकी क्षमता कितनी थी और वे कहाँ-कहाँ पर बनाये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय हुई अथवा व्यय करने का बिचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : (1) बांधों और डैमों, (2) बिजली घरों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दो विवरणों में संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1708/69]

यहाँ इस बात का उल्लेख कर दिया जाये कि सिंचाई स्कीमों के सम्बन्ध में सिंचाई व बिजली मन्त्रालय केवल वृहत स्कीमों (5 करोड़ रुपये लागत और इससे अधिक की लागत की स्कीमें) और मध्यम स्कमों (15 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की लागत की स्कीमें) से सम्बन्धित है हाल ही में निर्णय किया गया है मध्यम सिंचाई स्कीमों की परिभाषा बदल दी जाए और उन स्कीमों को इसके अन्तर्गत रखा जाये जिनकी लागत 15 लाख रुपये से 5 करोड़ तक है। बाँधों और डैमों के सम्बन्ध में सूचना वृहत् और मध्यम स्कीमों तक ही समिति है।

चोरी छिपी लाई गई घड़ियों, नोट तथा सोने का पकड़ा जाना

3840. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से 30 मील दूर भिवण्डी में जुलाई 1969 के प्रथम सप्ताह में 16 लाख रुपये के मूल्य की घड़ियाँ तथा 3 लाख रुपये के नोट पकड़े गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) जून और जुलाई 1969 में देश भर में कुल कितनी घड़ियाँ, नोट तथा तस्करी का सोना पकड़ा गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्त्ता-कार्यालय, पूना के अधिकारियों ने 4 जुलाई 1969 के दोपहर बाद को बम्बई-अहमदाबाद मार्ग पर एक ट्रक को रोका तथा उसकी तलाशी लेने पर निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद की :—

	मूल्य
(i) स्विटजरलैण्ड की बनी 11750 कलाई घड़ियाँ	15,96,250.00 रु०
(ii) घड़ी के 605 फीते	9,075.00 रु०
(iii) घड़ी के फीतों की 600 क्लिपें	300.00 रु०
(iv) सौ सौ रुपयों के 3000 करेंसी नोट	3,00,000.00 रु०
(v) 6500 किलो-ग्राम वजन का भारतीय स्ट्रा बोर्ड	6,500.00 रु०
	जोड़ 19,12,125.00 रु०

उपर्युक्त वस्तुओं और 40,000 रुपये मूल्य का एक ट्रक तथा 18,000 रुपये मूल्य की एक फियेट कार पकड़ी गई।

(ख) अभी तक तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) वर्ष 1969 के जून तथा जुलाई महीनों में सारे देश भर में निम्नलिखित वस्तुएँ पकड़ी गई :—

वस्तुएँ	जून, 1969	जुलाई, 1969
घड़ियाँ	63,331 नग	33,058 नग
सोना	315 किलोग्राम	185 किलोग्राम
भारतीय मुद्रा	3,42,631 रुपये	7,62,149 रुपये
विदेशी मुद्रा (मुल्य)	30,600 रुपये तथा 30 पौंड	24,400 रुपये 10 अमरीकी डालर 29 पूरी और 6 आधी अशर्फियाँ

सूर्य तथा चन्द्रमा की किरणों से इलाज

3841. श्री अब्दुल गनी दार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूर्य तथा चन्द्रमा की किरणों से कुछ रोगों का इलाज संभव होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वैज्ञानिक साहित्य में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह पता चलता है कि सूर्य एवं चन्द्रमा की किरणों से कुछ रोगों का उपचार करना सम्भव होगा। बहुधा क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। यद्यपि इसकी

चिकित्सीय प्रभावकारिता सुनिश्चित नहीं हुई है। विटामिन "डी" की कमी को रोकने के लिए भी सूर्य की किरणों को लाभदायक समझा जाता है। किन्तु चन्द्रमा की कोई किरणें नहीं हैं।

(ख) इस संबंध में कोई योजना नहीं हैं।

चक्षुदानकर्ता

3842 श्री अब्दुल गनी दार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कितने देश भक्तों ने प्रतिवर्ष जरूरत मन्द लोगों के लिए अपनी आंखों का दान दिया; और

(ख) ऐसे चक्षुदाताओं का पूरा पता तथा उनके नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैङ्क संघ की प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक दानदाताओं के नाम तथा पते गुप्त रखे जाने चाहिए। इस परिपाटी को छोड़ने का विचार नहीं है।

संविहित गृह निर्माण बोर्डों को आय कर तथा धन कर से छूट

3843. श्री अदिचन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग ने संविहित गृह-निर्माण बोर्डों को आय-कर तथा धन-कर से छूट दी जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

'बम्बई हाई" से जापान को कच्चे तेल की बिक्री

3844. श्री जि० मो० विश्वास : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने यह सुझाव दिये हैं कि भारत को तट दूर समुद्र में तेल की खोज सम्बन्धी परियोजना "बाम्बे हाई" से कच्चे तेल के उत्पादन का कुछ भाग जापान को बेचना चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सऊदी अरब, इंडोनेसिया तथा मस्कत में तेल निकालने के लिए संयुक्त उद्यम

3845. **श्री जनार्दन :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सऊदी अरब इंडोनेशिया और मस्कत में तेल निकालने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार ने सऊदी अरब, इडोनेशिया तथा मस्कत में तेल व्यधन के लिए संयुक्त उद्यम की सम्भावनाओं का अभी पता नही लगाया है। वह, सऊदी अरब और इंडोनेशिया में अति शीघ्र ऐसा करने का विचार रखती है।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इंडोनेशिया में तेल व्यधन के लिए संयुक्त उद्यम की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कहा गया है। तेल-व्यधन, उर्वकों तथा पेट्रो रसायनों में संयुक्त उद्यम को सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए दो तकनीकी अफसर शीघ्र ही सऊदी अरब का दौरा करेंगे।

किजु पल्लीकाड़ा, केरल में तेल के निक्षेप

3846. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री सी० के० चक्रापाणि**

श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि किजुपल्लीकाड़ा, त्रिचुरा जिला, केरल में बड़ी मात्रा में तेल के निक्षेप हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कथित तेल झलक की जाँच की थी और यह मालूम हुआ कि किजुपल्लीकाड़ा में तेल भण्डारों की मालूमात की रिपोर्ट सही नहीं थी।

Union Sales Tax 'C' Form Racket

Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some information regarding the Union Sales Tax 'C' Form racket was passed on by Shri M.K. Jaju to the Chairman of the Central Board of Direct Taxes, and

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :

(a) and (b) : Shri Jaju furnished some information to the Deputy Director of Inspection (Intelligence), Bombay concerning misuse of 'C' form. As the matter had a bearing on the administration of Central Sales Tax Act, levy and collection of which vests with the State Government concerned, Shri Jaju was introduced to the Deputy Commissioner of Sales Tax (Enforcement), Bombay about 4 months back; he did not furnish any information regarding existence of racket relating to misuse of C forms.

Conference of Family Planning Doctors

3848. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a conference of Family Planning doctors had been called at Delhi on the 11th August, 1969; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) : A conference of State Family Planning Officers was called on the 11th and 12th August, 1969 but has been postponed to the 1st and 2nd September, 1969. The conference will consider the progress of family planning programme so far and recommend steps to be taken for more effective implementation of the programme in future.

परिवार नियोजन के लिए आपरेशन और लूप का प्रयोग

3849. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के लिए कराये गए आपरेशनों तथा लूप के प्रयोग के बारे में अब तक का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) किस राज्य में सबसे अधिक आपरेशन कराये गये तथा सबसे अधिक लूप प्रयोग किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1709/69]

(ख) महाराष्ट्र और पंजाब ने क्रमशः नसबन्दी आपरेशनों और लूप पहनाने का कार्य सबसे अधिक संख्या में किया है।

Oil Exploration in Coastal Areas

3850. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :—

(a) Whether it is a fact that Government are inviting experts from foreign countries for oil exploration work in the coastal areas ;

(b) if so, the names of the countries from which experts have been invited ;

(c) the number of foreign experts engaged on the said work at present and the places where they are working ;

(d) the names of their respective countries ; and

(e) the agency which is bearing their expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (e) It is presumed that by coastal areas is meant off shore areas near the coast. If so, the Oil and Natural Gas Commission have entered into a Contract with V/o Technoexport, Moscow for technical assistance in designing, construction and installation of a fixed platform for off-shore drilling in the Aliabet areas of the Gulf of Cambay using a fixed platform. As per the Contract, five Soviet experts will assist the Commisson for 12 months each. They are expected to arrive shortly. The expenditure will be borne by the Oil and Natural Gas Commission.

मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स द्वारा युगोस्लाविया में एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना

3851. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स को युगोस्लाविया में एक एल्यूमीनियम कारखाना स्थापित करने और उसमें सहयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर; और

(ग) क्या गैर-सरकारी उद्योगपतियों को भारत के स्थान पर विदेशों में अधिकाधिक उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार को मैसर्स बिरला ब्रादर्स की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गैर-सरकारी उद्योगपतियों से प्राप्त इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर गुणानुसार विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की पदोन्नति

3832. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की पदोन्नति के पहलुओं पर विचार किया है और उनकी माँग को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बा० सू० मूर्ति): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनाओं जैसा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम में उल्लिखित हैं अर्थात् जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड—II के उन अधिकारियों की जिन्होंने इस ग्रेड में पाँच वर्ष से अधिक सेवा

की है, जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड—I में पदोन्नति तथा जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड—I एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के अधिकारियों की सुपरटाइम ग्रेड II में पदोन्नति करने के बारे में विचार किया गया था और वर्तमान नियमों के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

राज्यों के बिजली बोर्डों को जीवन बीमा निगम के ऋण

3844. **श्री स० कुन्दू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों को 1965 से जून, 1969 तक कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने जीवन बीमा निगम को ऋण के लिए आवेदन पत्र दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी राशि के ऋण की माँग की गई है, आवेदन पत्र की तिथि क्या है और क्या यह ऋण दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Rates of Electricity Supplied to Industries in Madhya Pradesh

3855. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of electricity being supplied to industries in Madhya Pradesh have been increased ; and

(b) the reaction of Government to the likely effect of this increase on the industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The rates of electricity have been increased in the case of high tension supply only.

(b) The Electricity Board has explained that the increase in tariff forms a small part of the total cost of production of finished goods of the industries and therefore does not materially affect them.

सरकारी क्षेत्र के नियमों की सेवा करने के कारण भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरों को मिलने वाली राशि

3856. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ निगमों के लिए खोज कार्य करने के लिए भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो को दी जाने वाली काफी बड़ी राशियों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के जिन निगमों ने भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग किया था, वे उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, जिसका कारण है संतोषजनक ढङ्ग से बिल तैयार न किये जाना या विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध न किये जाना;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण निभाग ऐसा अनुभव करता है कि इन निगमों द्वारा देय राशि का भुगतान न किये जाने का एकमात्र कारण यह है कि वे इसका भुगतान ही नहीं करना चाहते; और

(घ) क्या इन शिकायतों की जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। परन्तु सरकारी क्षेत्र के कुछ निगमों ने अभिवेदन किया है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के समन्वेषण विभाग के बिल, हीरक टुकड़ों आदि के भ्रंशोद्धार मूल्य, उपकरणों के अवशेष के मूल्य, सहायक उपकरणों के लिये स्वीकार किये गए मूल्यह्रास प्रभार आदि को विचार में रख कर संशोधित किये जाए। इन विषयों पर विचार हो रहा है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के समन्वेषण विभाग द्वारा निगमों की ओर से किये गये कार्य के लिये लगाये जाने वाले प्रभारों को युक्ति युक्त बनाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं।

पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के समन्वेषण विभाग द्वारा उपलब्ध की गई आधार सामग्री की विश्वसनीयता पर सन्देह प्रकट किया था, जिसकी ठीक स्थिति निगम को स्पष्ट कर दी गई है। निगम के लिये भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गए इस कार्य के दावे को स्वीकार करने का एक प्रस्ताव भी इस समय निगम के निर्देशक मंडल के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण

3857. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री भोगेन्द्र झा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कोकिंग कोयले के निश्चित भंडार बहुत थोड़े हैं और नये भंडारों का पता लगाने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अन्य बातों के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में देश में कोकिंग कोयला उद्योग का मंद गति से विकास का एक कारण यह भी है कि उद्योगपतियों के मन में यह भय है कि सरकार कभी न कभी समस्त कोकिंग कोयला खानों को अपने अधिकार में ले लेगी; और

(ग) क्या सरकार अपने इरादों के बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य जारी करेगी, कोकिंग कोयला उद्योग के भावी विकास के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करेगी और इस प्रकार से उद्योग-पतियों के मन से राष्ट्रीयकरण के बारे में भ्रम को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हाँ। चातुकार्मिक उद्योगों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उपयुक्त कोयले के उत्पादन के लिए नये क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। कोकिंग कोयले का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से अपरिवर्तित रहा है क्योंकि चातुकार्मिक उद्योगों का विकास संभावित गति से धीमा हुआ है।

(ग) कोयला उद्योग में और जैसा कि अन्य उद्योगों में भी है, गैर-सरकारी के साथ सरकारी उद्योग के विकास के लिये गुंजाइश है।

एंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ग्रुप लंदन के एक विशेषज्ञ का खम्भात क्षेत्र का दौरा

3858. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ग्रुप, लंदन के एक विशेषज्ञ ने हाल ही में खम्भात क्षेत्र का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) क्या उस विशेषज्ञ ने अपने अध्ययन पर आधारित प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ग्रुप, लंदन के एक तटदूर विशेषज्ञ ने जुलाई, 1969 में गुजरात के खम्भात क्षेत्र का दौरा किया था।

(ख) उसके दौरे का उद्देश्य खम्भात की खाड़ी के गहरे भागों तथा अरब सागर से मिलते-जुलते क्षेत्रों में तटदूर परिस्थितियों का दिक्षा प्राप्त करना और खम्भात बेसिन में ड्रिलिंग परि-स्थितियों के प्रारम्भिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। तकनीकी पहलुओं, जिनमें हमारे परि-चालनों के लिये उपयुक्त तटदूर मोबाइल ड्रिलिंग का तरीका शामिल है, तथा इस काम के लिए मानवशक्ति की आवश्यकताओं सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिये इनकी जरूरत है।

(ग) आशा है कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग ग्रुप अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1969 के अन्त तक भेज देगा।

मनीपुर के अस्पतालों के कर्मचारियों तथा नर्स कर्मचारियों के लिए छट्टियां

3859. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के कर्मचारियों तथा नर्स कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टियां तथा सामान्य छुट्टियां दी जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सामान्यतः उपर्युक्त वर्ग के कर्मचारियों को कौन सी छुट्टियां दी जाती हैं; और

(ग) क्या वही सुविधाएँ संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर के अस्पतालों के कर्मचारियों तथा नर्स कर्मचारियों को दी जाती हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में नर्स कर्मचारियों तथा रोगियों की देखभाल करने/उपचार करने वाले अन्य कर्मचारियों को महीने में औसतन पांच दिन की छुट्टियां मिलती हैं। उन्हें आम छुट्टियां नहीं दी जाती हैं।

(ग) मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के अस्पतालों में इस वर्ग के कर्मचारियों को उनकी सुविधा के अनुसार महीने में एक दिन की छुट्टी दी जाती है और रविवार तथा आम छुट्टियों के दिन उन्हें आधे दिन की छुट्टी दी जाती है।

बिहार के उत्तरी दरभंगा जिले में कमला नदी में बाढ़ से क्षति

3860. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमला नदी की बाढ़ से नेपाल राज्य क्षेत्र में जयनगर के उत्तर में किनारों से पानी बह कर बिहार में दरभंगा जिले के उत्तरी भागों में बांधों के दोनों ओर फैल कर बड़े पैमाने पर क्षति पहुँचाता है ;

(ख) क्या नेपाल सरकार ने हिमालय की तराई में सीसा पानी के बांधों का विस्तार करने का प्रस्ताव भेजा है,

(ग) क्या पश्चिम कमला नहरों का जल सप्लाई करने के लिये रेगुलेटर के निर्माण में भी इसी कारण देरी हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो नेपाल में जयनगर के परे बाँधों को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में राज्य उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) . (क) नेपाल में कमला नदी के तटबैद्यहीन भाग से पानी उमड़ जाने से दरभंगा जिले के उत्तरी भाग में बाढ़ आ जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) नेपाल क्षेत्र में कमला नदी के दोनों किनारों पर तटबंध बनाने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। नियामक (रेगुलेटर) का निर्माण केवल तब ही शुरू किया जा सकता है जबकि तटबंधों का कार्य पूर्ण हो जाए। किन्तु सिंचाई मौसम के दौरान पश्चिम कमला नहर को पानी देने के लिए अस्थायी उपाय कर दिए गए हैं।

रानीगंज कोयला क्षेत्र के रेलवे साइडिंग में भूगर्भीय आग

3861. **श्री देवेन सेन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र में पूर्व रेलवे के जोतमुटुक साइडिंग के 22 फुट में भूगर्भीय आग के फैलने के कारण गम्भीर संकट उत्पन्न होने की आशंका है;

(क) क्या यह भी सच है कि क्षेत्र में अनेक कोयला खानों, जिन में प्रति दिन औसतन 15,000 कर्मचारी काम करते हैं और जिन में प्रति मास एक लाख मीटरी टन अकोककर कोयले का उत्पादन होता है, तथा जे० के० नगर स्थित एल्यूमीनियम कारखाने के लिये जोतमुटुक साइडिंग अत्यन्त उपयोगी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे अधिकारियों ने जोतमुटुक साइडिंग को बन्द करने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संकट को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पूर्वी रेलवे की जोतमुटुक साइडिंग के निकट हाल ही में हुई धसान के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं समझा जाता है।

(ख) पूर्वी रेलवे की यह ब्रांच कई कोयला खानों तथा आसनसोल के निकट जे० के० एल्यूमीनियम उद्योग के काम में आती है।

(ग) यदि इस आग के विस्तार के कारण और धसान हो तो रेलवे विभाग को यह ब्रांच बन्द करनी पड़ सकती है।

(घ) कोयला बोर्ड भूतकाल में संरक्षणात्मक उपाय, अर्थात् डाट लगाना, भराई तथा भूमिगत जल के स्तर को उठाने आदि का कार्य कर रहा है। अतिरिक्त संरक्षणात्मक उपायों के लिये लगभग एक लाख रुपये की और राशि बोर्ड द्वारा हाल ही में मंजूर की गई है।

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में पकड़ा गया काला धन तथा अवैध माल

3862. **श्री देवेन सेन :** क्या वित्त मन्त्री दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में काला धन तथा अवैध माल पकड़े जाने के बारे में 12 मई, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सीमा शुल्क प्राधिकारियों और राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय ने 1-1-1969 से 15-3-1969 तक की अवधि में लगभग 1.58 करोड़ रु० मूल्य का दिल्ली में, 1.63 करोड़ रु० का

कलकत्ता में, 15.5 करोड़ रु० का बम्बई में और 3.08 करोड़ रु० का निषिद्ध माल मद्रास में पकड़ा। इस अवधि में कोई काला-धन नहीं पकड़ा गया।

इस सम्बन्ध में 1485 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। 456 व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही की गई जिनमें से 162 को सजा हो गई है 62 बरी कर दिये गये और शेष मामलों का अभी निर्णय आहु नहीं है।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में कोई राजपतित अधिकारी नहीं है। राजस्व गुप्तचर्या विभाग ने किसी सरकारी अधिकारी के बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि उसने मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

कोसी कामगर यूनियन, बिहार

3863. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी कामगर यूनियन (पंजीकृत संख्या 1348) उन कर्मचारियों की संस्था है जो बिहार में कोसी परियोजना के अन्तर्गत बीरपुर, सहरसा में काम कर रहे हैं।

(ख) क्या बिहार सरकार (सिंचाई तथा विद्युत विभाग) का उक्त कोसी कामगार यूनियन के साथ दिनांक 12 सितम्बर, 1967 के पत्र संख्या 5114 के द्वारा कोई समझौता हुआ था;

(ग) क्या अधिकारी लोग उस करार की शर्तों को लागू नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ। कोसी कामगार यूनियन, बीरपुर कोसी परियोजना कर्मचारियों की तीन मजदूर संस्थाओं में से एक है परन्तु यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ख) जी, नहीं। जिस पत्र का उल्लेख किया गया है वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के भाग २ (त) में परिभाषित समझौते के रूप में नहीं है। यह तो केवल एक ज्ञापन है जिसके द्वारा तत्कालीन सिंचाई मन्त्री के कार्यालय में 12 सितम्बर, 1967 को मन्त्री और मजदूर संघ के सदस्यों के बीच हुए विमर्श की टिप्पणियां भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त कोसी कामगर यूनियन को केवल 18 सितम्बर, 1968 को एक मजदूर संघ के रूप में पंजीकृत किया गया था और यूनियन के पंजीकरण से पहले राज्य सरकार तथा मजदूर संघ के बीच कोई कानूनी समझौता नहीं हो सकता था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण के कार्यकरण की समीक्षा

3864. **श्री यश पाल सिंह** : **श्री वेणी शंकर शर्मा** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा नियन्त्रण के कार्यकरण की विस्तृत समीक्षा करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह निर्णय घोषित किया जायगा ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा नियन्त्रण के कार्य सहित देश की विदेशी मुद्रा विषयक स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है । इस सम्बन्ध में अलग से कोई विस्तृत समीक्षा करने का विचार नहीं है।

Problems of Muzaffarpur Municipality

3865. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any measures have been adopted during the Presidential Rule in Bihar to solve the problems of Muzaffarpur Municipality (Headquarters of the Tirhut Division), such as supply of dringking water, repair of roads and slum clearance ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether Government propose to appoint an inquiry commission to go into the problems of the said Municipality so that they could have complete details of those problems ; and

(e) if so, the time by which the said Commission would be appointed ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Government Hospitals in Muzaffarpur, Bihar

3866. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state ;

(a) the recasons for the leakage of roofs of the rooms during the rains of the Government Hospital in Muzaffarpur, the Headquarter of Tirhut Division of Bihar, non-provision of separate rooms to each Doctor, not whitewashing of the rooms, non-provision of adequate medicines to patients and non-provision of additional bed despite a large number of patients :

(b) whether it is a fact that the conditions in the hospital are deteriorating :

(c) whether Government's attention has ever been drawn to this deplorable plight of this hospital during the President's Rule there:

(d) if so, whether any measures have been adopted to improve the position and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) The roof of the District Public Health Laboratory which leaked duriug the rains has been repaired. Due to paucity of space separate rooms cannot be provided for each medical officer. All essential medicines are provided to the patients according to necessity. Extra patients are accommodated by providing additional beds. Subject to availability of funds, more beds will be added in the Fourth Plan period.

(b) No.
(c) Does not arise.
(d) Does not arise.
(e) Does not arise.

Erosion of Bariarpur (Bihar) by Buri-Gandakiriver

3867. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during his visit to North Bihar he inspected the place, namely Bariarpur near Motipur, being eroded by the river Buri Gandak and had given an assurance that certain other measures would be taken for this purpose as the retiring line was not serving the purpose and that he would have this examined early;

(b) if so, the steps taken in that direction and the results thereof; and

(c) if no steps have been taken, the reasons there for ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) After inspection of the sites of erosion on Burhi Gandak, it was felt that reasons for the excessive meander have to be investigated and the effect of cut off has to be studied to evolve suitable protective measures. A team of experts was directed to visit the site for the purpose.

(b) This team visited the site in June, 1969 and recommended certain short term and long term measures. Five submersible spurs and Bullah piling were constructed to afford immediate protection to the embankments against erosion. However two of the spurs gave way during the recent floods in July, 1969. The spill was contained by the retired line already constructed. Acting on the long term measurs will be initiated after further investigations.

(c) Does not arise.

महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा जिलों में तांबे के निक्षेप

3868. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री देवराव पाटिल :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के नागपुर स्थित मध्य क्षेत्रीय कार्यालय ने नागपुर जिले में भावपुर के उत्तर में और भंडारा जिले में और नदी के दोनों किनारों तक फैली हुई नीची पहाड़ियों की तंग तथा लम्बी शृंखला में ताँबे के निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हाँ, ।

(ख) निक्षेप के आकार तथा आर्थिक महत्व का निर्धारण करने के लिये गहन समन्वेषण किया जाना प्रस्तावित है ।

गुजरात की पेयजल योजनाएँ

3869. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पेय जल सप्लाई की जो योजनायें अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिए भेजी है, वे कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) किन-किन योजनाओं का अनुमोदन तथा स्वाकृति दी गई है और कौन सी योजनाओं को अभी स्वकृति दी जानी शेष हैं; और

(ग) इन योजनाओं पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना सूची में दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1710/69]

(ग) ये योजनाएँ गुजरात सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं । राज्य सरकार द्वारा किये खर्च के बारे में भारत सरकार के पास जितनी सूचना उपलब्ध है, वह संलग्न सूची के कालम 5 में प्रत्येक योजना के आगे दिखाई गई है ।

पिछड़े क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के लिये धन की व्यवस्था

3870. श्री जर्नादनन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैङ्क ने पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे तथा माध्यम उद्योगों के लिये रियायती शर्तों पर धन की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ताकि इन क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाई जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे तथा माध्यम श्रेणियों के उद्योगों को क्या रियायतें देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न राज्यों के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों की स्पष्ट और एक समान स्वीकार्य परिभाषा निश्चित करने तथा उन क्षेत्रों में स्थित प्रयोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की शर्तों को उदार बनाने के उद्देश्य से प्रस्ताओं पर विचार कर रही है । पर, भारतीय औद्योगिक विकास बैङ्क ने अभी हाल ही में , अन्तरिम उपाय के तौर पर, अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों के मध्यम तथा छोटे उद्योगों प्रायोजनाओं को उदार शर्तों पर सहायता देने के लिये कुछ मोटे-मोटे प्रस्ताव तैयार किये हैं । सहयता की शर्तों में दी जाने वाली रियायतें कैसी और कितनी होगी, इसका निश्चय प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर करना होगा । मोटे तौर पर ये रियायतें इस प्रकार होंगी :—

(क) ब्याज की दर में रियायत (ख) ब्याज चुकाने के लिये रियायती अवधि (ग) मूलधन की वापसी अदायगी के लिए ज्यादा लम्बी अवधि और रियायती अवधि और (घ) जोखिम-पूंजी आदि में पहले की अपेक्षा अधिक अभिदान ।

Setting up of Caustic Soda Factory at Korba

3871. **Shri Hukam Chand Kachwai:** **Shri G. C. Dixit :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Corporation of Madhya Pradesh had made an application to the Government of India in November, 1966 for a licence for setting up a Caustic Soda factory at Korba so that the requirement of Aluminium plant to be set up in the Public Sector, could be met ;

(b) whether it is also a fact that the said Corporation had assured Government that the establishment of the factory would result in annual saving of Rs. 4 lakhs (in bulk), and

(c) if so, the time by which the licence in question would be granted and the present position of the proposals ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) Yes.

(b) The Corporation has estimated that a saving of approximately Rs. 30 lakhs will accrue annually to the Aluminium plant on this account.

(c) The application is under consideration and a decision is likely to be taken shortly.

चूने पर स्वामिस्व

3872. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री अ० सिं० सहगल :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि मुख्य खनिज के रूप में प्रयोग किये जाने वाले चूने के बारे में स्वामिस्व लघु खनिज के रूप में प्रयोग किये जाने वाले चूने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि चूने का विक्रय मूल्य बढ़ गया है जब कि स्वामिस्व में उस अनुपात में वृद्धि नहीं की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Iron Ore Fines Near Bastar

3873. **Shri Hukum Chand Kachwai:** **Shri D. V. Singh :**
Skri G. C. Dixit :

will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a huge quantity of iron ore fines near Bailadila Iron ore Project near Bastar which is not being put to any use at present,

(b) whether it is also a fact that the National Mineral Development Corporation propose to set up there a Pelletisation Plant in the public sector with a view to use the said quantity of fines ; and

(c) if so, the time by which the proposed plant is likely to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Petrolenm and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao): (a) In the course of the mechanised mining operation of Bailadila Irbn Ore mines, apart from lump Ore, a considerable quantity of fines are also produced which are at present being stock-piled pending finalisation of proposals for their utilisation.

(b) and (c) : The National Mineral Development Corporation has undertaken a techno-economic feasibility study on pelletising the iron ore fines and blue dust in the Bailadila area which is expected to be completed by about the middle of 1970 Decision on setting up of pelletisation plants can be taken only after the feasibility studies have been completed and the results examined.

हीरों पर स्वामिस्व

3874. श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री अ० सिंह सहगल :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्ना जिले में हीरों को निकालने का काम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हीरों पर स्वामिस्व की दर पर खान द्वारा विक्रय मूल्य के 20 प्रतिशत से हाल ही में घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि यह दर 20 प्रतिशत ही रहनी चाहिये; और

(घ) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) अभी तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य अस्पताल मनीपुर में विशेषज्ञों के ग्रेड के पद

3885. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के सामान्य अस्पताल के लिये चक्षु विशेषज्ञ तथा अन्य विषयों के विशेषज्ञों के ग्रेड के पद बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने चक्षु विशेषज्ञ का पद बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि विशेषज्ञ ग्रेड के पद न बनाए जाने के कारण मनीपुर से चक्षु विशेषज्ञ के प्रस्तावित स्थानान्तरण तथा पहले मनीपुर से कान, नाक तथा गला विशेषज्ञ के स्थानान्तरण से मनीपुर के लोगों और विशेषकर रोगियों के जो विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई तथा परेशानी महसूस कर रहे हैं हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त विशेषज्ञ ग्रेड पदों को बनाने के लिये अपने वर्तमान दृष्टिकोण को बदल रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (घ) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ग) चक्षु विशेषज्ञ के मणिपुर से स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश को रद्द कर दिया गया है।

मनीपुर के किसानों को स्टेट बैंक की सुविधायें

3876. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक ने गत दो वर्षों में वर्ष-वार, मनीपुर के किसानों को कितनी राशि का ऋण तथा ऋण की क्या सुविधाएं प्रदान की है;

(ख) वर्ष 1968-69 में भारतीय स्टेट बैंक के किसानों को सीधे ऋण देने के योजना के अन्तर्गत मनीपुर के किसानों को उक्त सुविधाओं से अब तक लाभ पहुँचा है; और

(ग) उक्त वर्षों 1968-69 और 1969-70 के लिए भारतीय स्टेट बैंक, इम्फाल को उक्त उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि का धन दिया गया ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने मणिपुर के किसानों कोजुलाई 1968 से जून 1969 तक 50,000 रुपये का ऋण दिया जबकि जुलाई 1967 से जून 1968 तक की इसी अवधि में कोई ऋणनहीं दियागयाथा। यह ऋण किस्तों में चुकाये जाने वाले ऋण के रूप में दिया गया था।

(ख) दो।

(ग) ऋण की रकम की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विदेशी सहायता

3877. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार विदेशों से कितनी राशि की सहायता मिली।

(ख) किन-किन देशों से सहायता प्राप्त हुई है और उक्त अवधि में प्रत्येक देश ने कितनी-कितनी सहायता दी है;

(ग) चतुर्थ योजना में सहायता के लिए प्रत्येक देश ने क्या वचन दिये हैं; और

(घ) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विदेशी सहायता पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हाँ, तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) और (क) 1966-67 से 1968-69 तक विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों की नयी मंजूरियों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे में कुल मिलाकर 4030 रुपये की विदेशी सहायता मिलने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि इस समय अधिकतर सहायता के बचन वार्षिक आधार पर ही दिये जा रहे हैं, इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि चौथी आयोजना में विभिन्न देशों से कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है।

(घ) सरकार को ऐसी प्रत्याश नहीं है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सहायता के नये वचनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

देश के संस्था का नाम	1966-67	1967-68	1968-69
(1)	(2)	(3)	(4)
I. सहायता संघ के सदस्य			
1. आस्ट्रिया	3.52	3.42	0.67
2. बेल्जियम	—	2.78	9.38
3. कनाडा	41.30	52.66	26.01
4. डेनमार्क	3.23	3.00	4.00
5. पश्चिमी जर्मनी	45.00	46.88	43.08
6. फ्रांस	22.50	—	45.00
7. इटली	25.50	—	4.12
8. जापान	33.75	39.00	33.75
9. नीदरलैंड	8.28	8.25	6.90
10. ब्रिटेन	76.16	59.48	64.80
11. संयुक्त राज्य अमेरिका	255.79	147.00	427.83
12. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक	22.50	30.00	11.25
13. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	229.50	—	93.75
जोड़ I. :	767.00	392.47	770.54
II. सहायता संघ और पूर्वी यूरोप के देशों से भिन्न देश			
1. नार्वे	—	—	1.50
2. स्वीडन	3.48	—	10.88
जोड़ II. :	3.48	—	12.38

करोड़ रुपयों में

देश के संख्या का नाम	1966-67	1967-68	1968-69
(1)	(2)	(3)	(4)
III. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और पूर्वी यूरोप के अन्य देश			
1. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	258.36	—	—
2. बुल्गारिया	—	11.25	—
3. हंगरी	25.00	—	—
4. यूगोस्लाविया	60.00	—	—
जोड़ III. :	343.39	11.25	—
कुल जोड़ (I+II+III)	1113.87	403.72	782.92

सस्ती तथा बढ़िया दवाइयों का उत्पादन

3878. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह बात महसूस की है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़े भारी पैमाने पर सस्ती तथा बढ़िया दवाइयों का उत्पादन करना राष्ट्र की मुख्य आवश्यकता है :

(ख) क्या सरकार ने किसी अनुसंधान परियोजना, चाहे वह एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक, को सहायता देने का निर्णय किया है और क्या उसका यह लक्ष्य था; और

(ग) क्या किसी संस्था ने सरकार से ऐसी सहायता मांगी है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) सरकार का विचार है कि जनता को बढ़िया दवाइयां उचित दामों पर उपलब्ध होनी चाहिए ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जारोरी में लौह अयस्क के लिए क्रशर संयंत्र

3789. **श्री गु० चं० नायक :**
श्री दे० अभात :
श्री दी० ना० देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लौह अयस्क खानों के लिए जारोरी में या उसके आस पास कही एक क्रशर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किसके द्वारा और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): खनिजों (कोयले तथा तेल से भिन्न) सम्बन्धी आयोजना दल के लौह-अयस्क विषयक उपदल ने बडाजमदा क्षेत्र, जिसमें जोरोरी स्थित है, हल्दिया, बेल्लारीहास्पेट और गोवा क्षेत्रों की गैर-

सरकारी खानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय क्रशिंग तथा स्क्रीनिंग संयंत्रों की स्थापना करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव एक अध्ययन दल को सौंपा गया है जो इसकी जाँच कर रहा है। अध्ययन दल द्वारा क्षेत्रीय अध्ययन के लिए इन क्षेत्रों की पहिले ही यात्रा की जा चुकी है और यह अब अयस्क निक्षेपों के सम्बन्ध में अतिरिक्त तकनीकी आधार सामग्री तथा विशिष्टताएं एकत्रित कर रहा है। अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को पट्टे पर दिये गये लौह अयस्क वाले क्षेत्र

3880. **श्री गु० च० नायक :**
श्री दे० अभात :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को लौह अयस्क के लिये कौन-कौन से क्षेत्र पट्टे पर दिये गये है और किन-किन राज्य में तथा उनके क्षेत्र तथा विक्षेपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के खनन पट्टे सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा किन राज्यों में वे आवेदन-पत्र कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं और इसके क्या कारण है; और

(ग) बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में किरिबुर परियोजना में खनन पट्टे के अन्तर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास कितना क्षेत्र है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) राव : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों में फर्नीचर और पर्दे बदलना

3881. **श्री अ० सिंह सहगल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार के किन मंत्रियों ने अपने निवास-स्थानों में फरनीचर और पर्दे आदि बदले हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितना धन व्यय हुआ है; और

(ग) उन वस्तुओं को किस तिथि को खरीदा गया था और जो फरनीचर, पर्दे हाल ही में बदले गए हैं, उससे पहले प्रत्येक मामलों में कितना धन व्यय किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) 1967-68 तथा 1968-1969 के सम्बन्ध में ब्यौरा देते हुए विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1711/69]

तमिल नाडू में टूटीकोरिन में उर्वरक कारखाना

3882. **श्री एस० जेवियर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में टूटीकोरिन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार है :

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए सहयोगकर्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितना प्रारम्भिक व्यय होने का अनुमान है;

(घ) इस परियोजन के लगभग किस तिथि की पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी अध्यक्ष और निदेशक बोर्ड का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तूतीकोरन में एक उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिये मद्रास राज्य औद्योगिक विकास निगम से, इन्डट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, 1951 के अन्तर्गत, प्राप्त एक प्रार्थना पत्र विचारा-धीन है।

(ख) प्रार्थी ने विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रबन्धों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत ४३ करोड़ रुपया है जिसमें १६ करोड़ रुपया का विदेशी अंश होगा।

(घ) क्योंकि प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, फिलहाल यह बताना संम्भव नहीं है कि परियोजना कब तक पुरी हो जायगी।

(ङ) प्राइवेट पार्टियों व अन्य लोगों के सहयोग से मद्रास राज्य औद्योगिक विकास निगम इस योजना को कार्यान्वित करेगा। परियोजना की कार्यान्वित करने के लिये बनाई जाने वाली कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर के गठन के बारे में अभी जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा निकाले गये कोयले के लिये मध्य प्रदेश को अनुग्रह पूर्वक भुगतान

3883. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य को अछूते क्षेत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा वर्ष 1963-64 में निकाले गये कोयले के आधार पर अनुग्रह भुगतान किया जायेगा;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य ने कोयले की निकाली गई वास्तविक भाग के आधार पर स्वामिस्व के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और संशोधित आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) विषय सरकार के विचाराधीन है।

योजनाओं में विभिन्न आवास योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3884. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधियों में (एक) आर्थिक सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, (दो) ग्रामीण आवास योजना (तीन) निम्न आय वर्ग आवास योजना (चार) मध्यम आय वर्ग आवास योजना (पांच) बागान श्रमिक आवास योजना (छः) गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए कुल कितना धन ऋण और अनुदान के रूप में मंजूर किया है;

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रत्येक मद के अन्तर्गत वस्तुतः कुल कितना धन दिया गया; और

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य ने प्रत्येक मद के अन्तर्गत वस्तुतः कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : (क) से (ग) वर्ष के लिए प्लान-आउटले अनुमोदित होने पर तथा नियतन होने पर, राज्य सरकारे प्रतिवर्ष उन द्वारा सूचित किए गए खर्च के आधार पर ऋण तथा अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता लेती हैं। तीनों योजनाओं की अवधियों में छः आवास योजनाओं के अधीन, नियत की गई तथा राज्य सरकारों द्वारा ली गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण I-VI में दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1712/69]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी सर्वेक्षण

3885. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के उन गांवों का सर्वेक्षण किया है जहाँ बिजली नहीं है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने गांवों में बिजली लगायी जायेगी;

(ङ) 1969-70 में इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी राशि दी जायेगी; और

(च) राज्य में गत वर्ष गांवों में बिजली लगाने के कार्य की प्रगति धीमी रहने के क्या कारण थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य अधिकारियों ने आवश्यक सर्वेक्षण किये हैं ।

(ख) और (ग) जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है, वहां विद्युत परिषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में 10,000 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है।

(ङ) 1969-70 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है परन्तु आजमायशी तौर पर 850 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है।

(च) 1968-69 में 1052 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 22,474 सिंचाई नलकूपों को उर्जित किया गया था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 2,558 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 22,670 नलकूपों को उर्जित किया गया था। 1968-69 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ था, क्योंकि पहले से ही विद्युतीकृत ग्रामों में अधिक सिंचाई नलकूपों को उर्जित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अधिष्ठापित विद्युत क्षमता

3886. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में तथा इस समय उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता और विद्युत की उपलब्धता क्या है तथा यह अखिल भारतीय स्तर के आंकड़ों की तुलना में कितनी कम है या अधिक;

(ख) उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत, पैदा करने के प्रस्ताविक कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अखिल भारतीय स्तर की उपलब्धता के आंकड़ों के कितने समीप पहुँच जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	प्रति व्यक्ति बिजली खपत (किलोवाट)
प्रथम योजना के अंत में		
उत्तर प्रदेश	286	8
अखिल भारत	3,420	25
दूसरी योजना के अंत में		
उत्तर प्रदेश	397	15
अखिल भारत	5,650	38
तीसरी योजना के अंत में		
उत्तर प्रदेश	914	30
अखिल भारत	10,170	61
1968-69 के अंत में		
उत्तर प्रदेश	1,350	43
अखिल भारत	14,250	77

(ख) विद्युत की प्रति व्यक्ति निम्न उपलभ्यता का प्रमुख कारण यह है कि विद्युत क्षेत्र में अपर्याप्त धनराशि व्यय की गई है।

(ग) राज्य के विद्युत विकास कार्यक्रम में चौथी योजना के दौरान वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त 1304·5 मैंगावाट बिजली का उत्पादन परिकल्पित है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)
यमुना-एक	28
यमुना-दो	360
ओवरा तापीय	100
ओवरा पन-बिजली	99
रामगंगा	180
हरदुआगंज विस्तार	110
ओवरा तापीय विस्तार	300
मानेरी भाली	100
ढुकवां	22·5
कुल :	1304·5 मैंगावाट

चौथी योजना के अंत तक, उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रति-व्यक्ति खपत के 85 यूनिट हो जाने की संभावना है जबकि अखिल भारतीय खपत 121 यूनिट है।

उत्तर प्रदेश में कृषि और उद्योग के लिए बिजली का अभाव

3887. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का अभाव है जिसके कारण वहाँ कृषि और उद्योग क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा तथा विद्यमान उद्योगों में उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है और भाविष्य में स्थापित होने वाले प्रस्तावित उद्योगों का कार्यक्रम के अनुसार स्थापित नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपर्युक्त राज्य में बिजली के अभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा किए आधुनिकतम निर्धारणों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में समस्त चौथी योजनावधि में कुछ बिजली की तंगी रहेगी।

(ख) और (ग) उत्तरी क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं; इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि उपलब्ध क्षमता के अधिकतम समुप-

योजन हेतु यथासंभव समेकित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पारेषण पथ बनाए जायें जिससे प्रत्याशित तंगी को कम किया जा सके ।

Utilisation of Irrigation Capacitv

3888. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) the irrigation capacity which has been built up in the various States ;

(b) the irrigation capacity which is being utilised and which is lying idle separately ; and

(c) the scheme under consideration of Government for full utilization of this capacity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power Shri (Siddheshwar Prasad) :

(a) and (b) A statement giving the requisite information is laid on Table of the House **(Placed in Library. See No. LT-1713/69** The utilisation is over 90%.

(c) The development period for full utilisation from irrrigation projects used to be about 10 years bofore Independence for the construction of field channels, land shaping etc. by the farmers. This has now been considerably reduced. The State Government have been requested to take up area development programmes for providing the farmers with credit facilities, improved seeds, facilities for fertilisers, pesticides, communication to market centres and guidance on secientific methods of cultivation (crop planning) and application of water. The Irrigation Departments have also been asked to excavate water cources upto 2 cusecs and dig field channels where the farmers delay them. In some States, compulsory irrigation cess is being levied. Some have fixed promotional rates for water. Every encouragement is being given to the farmers to use the waters as soon as they are made availablo.

Opening of Petrol Pumps Near Saf dargunj Airport, New Delhi.

3889. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be plesed to state:

(a) whether it is a fact that a petrol pump is being opened near the Safdargunj Airport where Indian Airlines office is located ;

(b) the names and address of the person to whom the said petrol pump has been allotted and the reasons for allotting the same to that person ;

(c) the total number of applications received for that petrol pump and the date on which the applications started coming, the date on which the said person submitted his application and the reasons for not allotting the said petrol pump to other applicants ; and

(d) in case somehow fire breaks out in the said petrol pump would that be dangerous for the Airlines office in any way ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a): Yes.

(b) and (c) The matter is under consideration of the Indian Oil Corporation and a final decision is yet to be taken.

(d): No.

दिल्ली और बम्बई की फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि

3890. **श्री देवेन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **वर्ष** 1966-67 तथा **वर्ष** 1967-68 के अन्त में बम्बई और दिल्ली की निम्नलिखित फर्मों की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया थी और 1968-69 के अन्त में यह राशि कितनी होगी।

(1) सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिक्ल प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

(2) पौलीकेम प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

(3) मैसर्स किला चन्द देव चन्द एण्ड कम्पनी, बम्बई।

(4) कैशर शूगर वर्क्स, बम्बई।

(5) डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिल्ली ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सूचना नीचे दी गयी है :—

फर्म/कम्पनी का नाम	31-3-67	31-3-68 को बकाया रकमें	31-3-69
	रुपये	रुपप	रुपये
1	2	3	4
(1) सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(2) पौलीकेम प्राइवेट लिमिटेड बम्बई।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(3) मैसर्स किला चन्द दैवी चन्द एण्ड कम्पनी, बम्बई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	7,585
(4) कैशर शूगर वर्क्स, बम्बई	1,34,157	3,78,548	1,79,756
(5) डिस्टीलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिल्ली	कुछ नहीं	94,153	2,53,214

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय, शक्ति नगर, दिल्ली

3891. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय से शक्ति नगर (दिल्ली) के लिये जो नया भवन लिया गया है, उसमें बहुत कम स्थान है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस औषधालय में डाक्टर ठीक समय पर नहीं पहुँचते, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय के माध्यम से लाभ उठाने वाले कर्म-

चारियों के मन में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है तथा उन्हें अत्याधिक असुविधा तथा कठिनाई होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसमें औषधियों का सदा अभाव रहता है; और

(घ) यदि हां, तो वहां की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे औषधालय में डाक्टर ठीक समय पर पहुँचे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) स्थान की कमी है ।

(ख) ऐसी कोई शिकायात प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भवन को औषधालय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये उसमें कुछ परिवर्तन-परिवर्धन किये जा रहे हैं ।

Training Institutes for Dressers, Compounders and Laboratory Technicians in the Capital and Uttar Pradesh.

3892. **Shri Nihal Singh :** will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the institutions in the Capital (Delhi) and Uttar Pradesh where training of Laboratory Assistant, Dresser, Compounder, and Lab-Technician is imparted and the duration of the training course;

(b) the number of students belonging to Scheduled Castes and Backward classes trained there during the last two years separately and the amount of scholarships paid to them, and

(c) the extent to which the educational qualification is relaxed in respect of the students of these classes at the time of admission and the percentage of seats reserved for them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

मैसूर में पोथदार एण्ड कम्पनी की खानें

3893 : **श्री क० लकप्पा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर्स राज्य में मैसर पोथदार एण्ड कम्पनी कितनी खानों की मालिक है ;

(ख) इस कम्पनी के विरूद्ध कर अपवंचन, श्रम नियमों के उल्लंघन, अपने व्यवसाय में अन्य कदाचार के द्वारा सरकार को धोखा देने के सम्बन्ध मेंकितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार इस कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में पोथदार एण्ड कम्पनी (खान मालिक) द्वारा स्वामिस्व का भुगतान

3894 : **श्री क० लकप्पा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मैसूर राज्य में पोथदार कम्पनी (खान मालिक) द्वारा सरकार से स्वामिस्व की चोरी किये जाने के बारे में इस कम्पनी के काम का पर्यवेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तीन गत वर्षों में उस कम्पनी ने क्या-क्या अनियमितताएँ की ; और

(ग) क्या सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर राज्य में तमकुर जिले में खनिज

3895 : **श्री क० लकप्पा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मैसूर राज्य में तमकुर जिले में खनिज मिलने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या खनन क्षेत्रों में मुख्यत: चिक्कनारकन्तल्ली की स्थिति की सुधारने के लिए जैसे सफाई, सड़क-निर्माण तथा अन्य प्रकार के सुधार कार्य करने का प्रयत्न किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने 1965-66 वर्ष के दौरान बेल्लारा क्षेत्र में प्रारंभिक अन्वेषण किये और 1968-69 वर्ष के चालू क्षेत्रीय कार्य मौसम के दौरान चिक्कानयाका-हल्ली क्षेत्र में लोह और मैंगनीज अयस्कों के लिये प्रादेशिक निर्धारण किया है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खनन-क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

3896 : **श्री क० लकप्पा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के खनन-क्षेत्रों में कितने उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) नई योजना अवधि में खनन उद्योगों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या नये प्रयास किये है; और

(ग) इस कार्यक्रम में कितने राज्यों को शामिल किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य

3897. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष कर बोर्ड की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है और उसके अध्यक्ष कौन हैं तथा उनकी सदस्य संख्या 1950 और 1960 में क्या क्या थी तथा प्रत्येक के कार्य एवं कर्तव्य क्या थे ;

(ख) उनकी संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता क्या थी और क्या ऐसा करना इस बोर्ड के स्वस्थ विकास के लिये सहायक हैं :

(ग) प्रत्येक सदस्य के पारिश्रमिक सहित उसके कार्यालय और कर्मचारियों पर कितना धन खर्च होता है; और

(घ) क्या प्रशासनिक खर्च घटाने के लिये बोर्ड की सदस्य-संख्या को घटाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1 जनवरी, 1964 को स्थापित किया गया था और इस समय इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्य हैं। इससे पहले, प्रत्यक्ष और अप्रत्क्ष दोनों प्रकार के करों की प्रकाशन व्यवस्था केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के अधीन स्थापित किये गये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा की जाती थी। 1950 और 1960 में इसके सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष के अतिरिक्त क्रमश: दो और चार थी। बोर्ड का अध्यक्ष नीति, प्रशासन तथा समन्वय सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण मामलों की देख भाल करता है और सम्बन्धित सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किये गये बाकी कार्य करते हैं। बोर्ड में 11-8-1969 को किये गये कार्य-निर्धारण सम्बन्धी ब्योरे दर्शाने वाले आदेशों की एक प्रति अनुबन्ध (अनुबन्ध 1) में दी गई है।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1714/69]

(ख) पिछले वर्षों में, बोर्ड के कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों में और उनको सौंपे गये कार्यों में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार उदाहरणत: 1960-61 में प्रत्यक्ष कर की 306.97 करोड़ रुपये की वसूली 1967-68 में बढ़कर 654.28 करोड़ रुपये हो गई है। बोर्ड की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों तथा कामकाज के कुशल और शीघ्र निपटान की दृष्टि से बोर्ड के सदस्यों की मौजूदा क्षमता को बनाये रखना आवश्यक है।

(ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है। (अनुबन्ध II)।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1714/69]

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मनीपुर के लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले सैक्शल अफसरों तथा ओवरसियरों को मकान किराया भत्ता

3898. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों तथा ओवरसियरों को इस बात का विचार किये बिना कि उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल, 1964 से पहले हुई थी या बाद में, मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त भत्ता देने का आधार क्या है और उसे देने में किस आधार पर भेदभाव किया जाता है;

(ग) क्या भत्ता देने के इस भेदभाव पूर्ण अधार को सरकार ने स्वीकृत दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे ऐसे सभी कर्मचारियों को यह भत्ता मिलने लगे और इस बात पर विचार न किया जाए कि उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 1964 से पहले हुई थी या बाद में ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बं० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) असम पैटर्न पर 20 रुपये का भत्ता केवल उनको दिया जाता है जो 1-4-1964 से पूर्व निशुल्क किराये के स्थान पर मकान के इस किराया भत्ता को लेते थे।

(ग) और (घ) पुनरीक्षित वेतनमान में काम कर रहे, सभी ओवरसियरों को इस भत्ते के बिना किसी प्रतिबन्ध के दिये जाने के लिये सेक्शनल आफिसरों की ऐसोसियेशन के अनुरोध पर विचार किया गया, परन्तु इसे इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसोसियेशन के अनुरोध को मानने का अर्थ "असम पेटर्न" से विचलन होगा जिसका अनुसरण मणिपुर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस खोज प्रक्रिया का आधुनिकीकरण

3899. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस खोजने का काम आधुनिकतम कम्प्यूटरयक्त भूकम्पलेखी यंत्र की सहायता से आरम्भ करने का है; और यह यंत्र विदेश से मंगवाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना धन खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस खोजने की वर्तमान प्रणाली की तुलना में उपरोक्त प्रणाली से समय और धन की कितनी बचत होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भूकम्पीय सर्वेक्षण में, डिजिटल तकनीक का, सीमित पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिये डिजिटल सिसनिक फील्ड रिकार्डिंग डेटा सिसटम्ज़ तथा एक डिजिटल सिसमिक डेटा प्रौसैसिंग सिस्टम उपलब्ध करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेशी मुद्रा के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) 68. 18 लाख रुपये के लिये विदेशी मुद्रा अंश सहित 116.29 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव है।

(ग) नये तकनिक से भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिये अपेक्षित समय तथा खर्च में कोई बचत नहीं होगी, किन्तु तकनीक से भूमिगत संरचना की परस्थितियों के बारे में ज्यादा अच्छी सूचना मिलने की संभावना है।

गंगाजल दूषण जांच आयोग

3900. **श्री रा० कृ० सिंह :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री शशि भूषण :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल,1968 में नियुक्त किये गये गंगा जल दूषण जांच आयोग ने बरौनी के समीप गंगा नदी के जल को दूषित होने के कारणों की जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायम और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) यह विचाराधीन है।

विवरण

1. अक्तूबर, 1967 में फरवारी, 1968 के अन्त तक और विशेष रूप से फरवरी, 1968 के दूसरे पखवाड़े में शोधनशाला से अपशिष्ट के साथ भारी मात्रा में तेल छोड़ने के कारण दूसरी। तीसरी मार्च, 1968 को मुगेर में पानी दूषित हुआ।
2. मुगेर नगरपालिका, मुगेर के नागरिकों और कुछ दूसरों को 2,46,171 रुपये 60 पैसे तक का नुकसान हुआ है।
3. भविष्य में हाइड्रो-कारबन की प्रक्रिया में संलग्न उद्योगों द्वारा प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने के लिये सामान्य रूप से सभी शोधन शालाओं सहित बरौनी शोधन शाला, बिहार राज्य सरकार और भारत सरकार को कदम उठाने होंगे।

(क) शोधन शाला द्वारा उठाये जाने वाले कदम

1. शोधन शाला विभिन्न इकाइयों की, विशेष रूप से सैक्टर 6 और 7 की इकाइयों की, उन समस्याओं का जिसके कारण अपशिष्ट के साथ भारी मात्रा में तेल के अंश जाते हैं, उनकी देखरेख की पद्धति और उपकरणों के सही प्रयोग के बारे में गहन तकनीकी अध्ययन करेगी। यदि आवश्यक हो, तो वह इस कार्य में बाहर की विशेषज्ञ संस्थाओं की, जिन्होंने परिचालन अन्वेषण, औद्योगिक दक्षता और प्रबन्ध में विशेषता प्राप्त की हुई है, सहायता ले लेवें।
2. यह सुनिश्चित करने के लिये कि मल निस्सार शोधन संयन्त्र निश्चित दक्षता प्राप्त करले, तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये।
3. मल निस्सार एवं औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयन्त्र और निपटान संयन्त्र के ठीक प्रकार

से कार्य करने की देख माल के लिये एक पूर्ण अहर्ता प्राप्त जन स्वास्थ्य इंजीनियर को उत्तरदाई बनाया जाना चाहिये ।

4. शोधन शाला इस बात को सुनिश्चित करे कि आखिरी अपशिष्ट गंगा की मुख्य धारा में गिरे और दाखिल होने के तुरन्त बाद नदी की धारा में ठीक प्रकार से छितरा जावे ।

(ख) बिहार सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार को शोधन शाला के अपशिष्ट गिरने के स्थान के ऊपर तथा नीचे गंगा नदी की उत्तरी दिशा में वार्षिक निकर्षण तथा देख रेख में शोधन शाला की सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिये, ताकि अपशिष्ट बहाये जाने तुरन्त बाद अपशिष्ट नदी में समाविष्ट हो जाये । बहाये गये अपशिष्ट की किस्म की जांच करने तथा शोधनशाला द्वारा देखरेख के उचित स्तरों को अपनाये जाने को सुनिश्चित करने के लिये कारखानों का राज्य निरीक्षणालय शोधनशाला तथा अपशिष्ट गिरने के स्थान का बार बार दौरा करें । कारखानों का राज्य निरीक्षणालय नियमित रूप से अपशिष्ट के नमूनों को इकट्ठा करें और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में उनका विश्लेषण कराये । अपशिष्ट पदार्थों की पाइप लाइन तथा उसकी फिटिंगज की सुरक्षा के लिये, जिससे कि देहात के लोग उन्हें तोड़ फोड़ न सकें, राज्य सरकार बरौनी शोधनशाला को सुविधाएँ प्रदान करें ।

(ग) भारत सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम

1. केवल शोधनशालाओं द्वारा ही नहीं, बल्कि हाइड्रोकारबन को तैयार करने वाले सारे अन्य उद्योगों द्वारा, (जो भूमि गत या तटीय पानी या शुष्क नदी क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थ बहाते हैं) बहाये गये अपशिष्ट पदार्थ की किस्म पर नियन्त्रण करने के बारे में भारत सरकार को एक एक्ट पास करना चाहिये ।

2. भारत सरकार को हाइड्रोकारबनज को तैयार देखने वाले सारे उद्योगों के परिणाम स्वरूप दूषित होने वाले वातावरण पर नियन्त्रण के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड कायम करना चाहिए । इस एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये ।

3. राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार का विधान पास करना चाहिये और इसी प्रकार के नियन्त्रण बोर्डों की स्थापना करनी चाहिये ।

4. **विस्तृत जांच** अयोग के विचार में शोधनशाला के कुछ अफसर अपशिष्ट के ठीक प्रकार शोधन तथा इसके तथा इसके नदी में सही तरीके से बहाव को सुनिश्चित करने में असफल हुए हैं । उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि आयोग को मामले के तथ्यों को मालूम करने में कुछ अफसरों का रविया सहायता हीन था । भारत सरकार को सम्बन्ध अधिकारियों के आचरणकी विस्तृत जांच करनी चाहिये तथा उचित कार्यवाही करनी चाहिये और बरौनी शोधनशाला मेंदेख रेख की वर्तमान पद्धतियां का भली प्रकार एवं ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के लिये भारतीय तेल निगम को निदेश जारी करने चाहिये ।

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछले क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को सहायता

3901. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास बैंक का पिछड़े क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को रियायती दर पर धन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस माध्यम से सहायता दी जायगी;

(घ) क्या नई परियोजनाओं की सम्भावनाओं का पता लगाने और विनियोजन के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये परामर्शदाता नियुक्त करने का भी विचार है; और

(ङ) इस योजना के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करने के लिये क्या तरीके अपनाये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में स्थिति आपेक्षिक दृष्टि से अविकसित क्षेत्रों की स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित करने के लिये तथा उन क्षेत्रों में स्थापित प्रायोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं की मारफत वित्तीय सहायता दिये जाने शर्तों को उदार बनाने के कई प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्तरिम उपाय के रूप में, हाल ही में, आपेक्षिक दृष्टि से अविकसित क्षेत्रों में दरमियाने और छोटे पैमाने के उद्योग धन्धों की हकदार प्रायोजनाओं को सहायता देने के लिये कुछ एक मुख्य मुख्य प्रस्ताव तैयार किये हैं। सहायता की शर्तों में किस प्रकार की और कितनी रियायतें दी जायंगी, यह बातें हर मामले के गुणावगुणों को देखकर तय की जायंगी। मुख्य रूप से ये रियायतें इस रूप में होंगी : (क) ब्याज की दर में रियायत, (ख) व्याज की अदायगी के लिये रियायतीअवधि, (ग) मूल रकम की वापसी अदायगी की-अवधि को और ज्यादा बढ़ाने के साथ-साथ रिया-यत ही अवधि को बढ़ाया जाना और, (घ) जोखिम पूँजी आदि में अधिक अंशदान करना।

(ग) विचार है कि शुरू शुरू में, सहायता प्रमुख रूप से भारतीय औद्योगिक विकाश बैंक के चार नये क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जायगी। ये कार्यालय बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और नई दिल्ली में शीघ्र ही खोले जायंगे। बहुत छोटे प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में, जिनके साथ सीधे लेनदेन करना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिये सदैव आसान न हो। राज्य वित्त नियमों की मार-फत सहायता दी जा सकेगी।

(घ) और (ङ) सम्भावित प्रायोजनाओं की जांच का काम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अपने उन कर्मचारियों की मारफत पूरा कराया जायगा जो इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, विपणन, प्रबन्ध और मीयादी वित्त व्यवस्था विषयक विशिष्ट जानकारी रखते हों। इन कर्मचारियों को उन केन्द्रों पर नियुक्त किया जायगा जहाँ से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक जल्दी से पहुँचा जा सकता हो। राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त करने की कोशिशें की जायंगी। प्रायोजना तैयार करने तथा उसकी जांच-पड़ताड़ के समय, भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक को अकसर चुनी हुई स्वायत्त फरमों से परामर्श करना पड़ सकता है। उपर्युक्त तरीके से उसी समय काम शुरू कर दिया जायगा जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध होंगे और वह अपने चारों क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कर देगा। इस बीच, जब कभी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को किसी भी उद्यमकर्ता द्वारा अपेक्षाकृत किसी पिछड़े इलाके में प्रायोजना स्थापित किये जाने की कोशिश की सूचना, उद्यमकर्ता से या किसी अन्य साधन से मिलेगी, वह तभी उस उद्यमकर्ता के सम्बन्ध में अत्यधिक ध्यान देकर उसके प्रस्ताव पर विचार करेगा और उसकी प्रायोजना को विस्तृत रूप से तैयार करने में सभी व्यावहारिक तरीकों से उसकी मदद करेगा और उसे धन और मार्गदर्शन देकर उसकी सहायता करेगा।

जी० डी० ओ० की पदोन्नित

3902. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी० डी० ओ० ग्रेड दो के अधिकारियों की जी० डी० ओ० ग्रेड एक के पद पर पदोन्तति के बारे में अधिसूचना कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है;

(ख) जी० डी० ओ० ग्रेड एक की पिछली सूची प्रकाशित किये जाने के बाद भी जी० डी० ओ० ग्रेड एक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति किये गये व्यक्तियों के नाम क्या है और उन्हें कहाँ तैनात किया गया है; और

(ग) जी० डी० ओ० ग्रेड एक के पद पर तदर्थ पदोन्नति जिन सिद्धान्तों के आधार पर की जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-II के अधिकारियों का जिन्होंने 1 फरवरी, 1669 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, केन्द्रीय स्वास्थ्य के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में पदोन्नति देने के प्रश्न पर पहले से ही संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है और आवश्यक अधि सूचना विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर जारी की जायेगी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1715/69]।

(ग) (i) जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड II में पांच वर्ष की सेवा पूरी होना

(ii) वरिष्ठता; और

(iii) भरे जाने वाले रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्तता।

दिल्ली में सिविल अस्पताल

3903. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सिविल अस्पतालों की स्थिति को सुधारने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिये दिल्ली नगर निगम को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत सिविल अस्पतालों में 1100 अतिरिक्त पलंगों की व्वस्था करने के एक प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कार्य की जांच के लिए बनाई अस्पताल जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सिविल अस्पतालों की वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव भी है। समिति की मुख्य सिफारिशों तथा उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में एक विवरण 4 अगस्त, 1969 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

(ग) और (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था की जा सकती है।

दमवर जल-विद्युत परियोजना, त्रिपुरा

3904. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन के अभाव में त्रिपुरा में दमवर जल-विद्युत परियोजना पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है जैसा कि त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने इस वर्ष में जून में नैनीताल में हुए विद्युत और सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन में कहा था;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर चल रहे कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए समय पर धन न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना के पूरा होने में पहले से ही बिलम्ब हो रहा है यदि हां, तो कितना; और

(घ) क्या त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने उक्त सम्मेलन में यह अपील की थी कि उक्त परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर पूरा किया जाये और यदि हां तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और इसके कल तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। वित्तीय तंगी के कारण, इस परियोजना के लिये चालू वर्ष में उचित मात्रा में धन उपलब्ध कराना संभव न था। अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कि परियोजना की प्रगति में रुकावट न आये।

(घ) त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने परियोजना को केन्द्र द्वारा हाथ में लिये जाने के बारे में सलाह नहीं दी थी। उन्होंने तो परियोजना को समय से पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

आधुनिकतम पूर्वानुमान के अनुसार प्रथम उत्पादक यूनिट (5 मैगावाट) की 1972 के आरंभ में चालू होने की आशा है, और दूसरी यूनिट की इसके छः महीने पश्चात् ।

त्रिपुरा में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3905. **श्री कीरित विक्रम देव वर्मन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आसाम से त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र को बिजली की सप्लाई के लिये कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में प्रयोग के लिये कितनी बिजली और किन शर्तों पर सप्लाई की जायेगी; और

(ग) इससे त्रिपुरा में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कितनी वृद्धि होगी और अखिल भारतीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर विद्यमान उपलब्धता से यह कितनी कम होगी या अधिक होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । असम से त्रिपुरा को बिजली की थोक सप्लाई के लिए, सितम्बर, 1967 में असम राज्य बिजली बोर्ड और त्रिपुरा की सरकार के बीच एक करार हुआ था ।

(ख) एक करार के अनुसार, असम पहले वर्ष त्रिपुरा से 750 किलोवाट बिजली सप्लाई करेगा जो बढ़ते-बढ़ते चौथे वर्ष में 8000 किलोवाट हो जायेगी । पहले तीन वर्षों के दौरान, त्रिपुरा इस सप्लाई के लिए, या तो असम राज्य बिजली बोर्ड के थोक सप्लाई टैरिफ के अनुसार शुल्क, या कुल मिलाकर 45 लाख रुपये, इनमें जो भी अधिक हो वह देगा । त्रिपुरा शासन ने यह गारन्टी भी दी है कि वह बिजली की सप्लाई आरम्भ होने की तारीख से 10 वर्ष की अपधि के लिए कम से कम 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष अदा करता रहेगा ।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों में 1968-69 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत और 1973-74 के अन्त तक प्रत्याशित खपत नीचे दिखलाई गई है :—

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र	1968-69 के दौरान प्रतिव्यक्ति खपत (यूनिट)	1973-74 तक प्रत्याशित प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट)
1.	2.	3	4.
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	61
2.	असम	15	47
3.	विहार	62	93
4.	गुजरात	112	176
5.	जम्मू व कश्मीर	33	73
6.	केरल	62	127

क्रम संख्या	राज्यसंघीय क्षेत्र	1968-69 के दौरान प्रतिव्यक्ति खपत (यूनिट)	1973-74 तक प्रत्याशित प्रतिव्यक्ति खपत (यूनिट)
1	2	3	4
7.	मध्य प्रदेश	51	67
8.	महाराष्ट्र	133	150
9.	मैसूर	70	126
10.	उड़ीसा	90	154
11.	पंजाब तथा हरियाना	132	201
12.	राजस्थान	34	120
13.	तमिल नाडु	117	200
14.	उत्तर प्रदेश	38	85
15.	पश्चिमी बंगाल	112	146
16.	दिल्ली	240	310
17.	त्रिपुरा	3.8	28
18.	अखिल भारतीय	76	121

जुलाई, 1969 में भूतपूर्व वित्त मंत्री की पश्चिम जर्मनी की यात्रा

3906. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जुलाई, 1969 में पश्चिमी जर्मनी की यात्रा की थी, और यदि हां, तो उनकी यात्रा का परिणाम क्या निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जी, हां। भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार के निमंत्रण पर जुलाई 1969 में जर्मनी गये थे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जर्मन गांधी समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में महत्मा गांधी पर उद्घाटन भाषण करना था। इस दौरे से जो अवसर प्राप्त हुआ उसका उपयोग जर्मनी संघीय गणराज्य के चांसलर और संघीय सरकार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ आपसी हित के बहुत से मामलों पर बातचीत करने के लिए भी किया गया था। इस दौरे से तत्काल निकालने वाले परिणामों के बारे में न तो सोचा गया था न उनकी कोई प्रत्याशी थी।

कलकत्ता के सीमा शुल्क कार्यालय में निवारक अधिकारी

3907. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सीमा शुल्क कार्यालय के निवारक अधिकारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विचाराधीन अपील पर इस बीच निर्णय दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में और अधिक बिलम्ब होने के क्या कारण हैं, जो अपील करने वालों के लिये हानिकारक हैं;

(घ) वरिष्ठता के प्रश्न से सम्बन्धित मामलों में शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है क्योंकि इसका कर्मचारियों के भविष्य से घनिष्ट सम्बन्ध है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससें अपील करने वाले की पदोन्नति से सम्बन्धित अधिकार उस समय तक आरक्षित रह सकें जब तक कि उसके अभ्यावेदन या अपील पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता तथा उसकी अवहेलना करके उसके स्थान पर किन्हीं और व्यक्तियों को पदोन्नत न किया जाय ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) मामला जटिल है और उस पर गृह मन्त्रालय के साथ परामर्श करके अभी भी विचार किया जा रहा है।

(घ) इस प्रकार के सामान्य प्रश्नों से सम्बन्धित अपीलों पर फैसला करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। लेकिन, शीघ्र फैसला करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है।

(ङ) वरिष्ठता के बारे में पहले से ही किये गये निर्णयों के आधार पर पदोन्नतियां की जानी होती हैं क्योंकि पदों को बिना भरे नहीं रखा जा सकता। यदि अपीलकर्त्ता सफल हो जाता है तो आवश्यक राहत देने पर तब विचार किया जाएगा।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

3908. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या वित्त मन्त्री 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9359 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में राष्ट्रीयकृत किये गये 14 बैंकों में से प्रत्येक ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयरों पर गोयन्का-समूह को कितना ऋण दे रखा है;

(ख) उपरोक्त बैंकों में से प्रत्येक ने अन्य पार्टियों को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के गोयन्का-समूह के शेयरों में से कुल शेयर खरीदने के लिए कितना-कितना ऋण दिया है; और

(ग) श्री रामनाथ गोयन्का और उसके साथियों के हाथ में इस समय इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कुल कितने इक्विटी शेयर हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने इण्डियन आयरन के शेयरों पर गोयनका-समूह को लगभग 57 लाख रुपये का ऋण दिया था। इसके अलावा, उपर्युक्त बैंक ने अगस्त 1968 में, दो पार्टियों को 50 लाख रुपये की रकम दी थी ताकि वे गोयनका-समूह द्वारा रखे गये शेयरों में से कुछ शेयर खरीद सकें। इस प्रकार, उपर्युक्त बैंक ने इण्डियन आयरन के शेयरों पर कुल मिलाकर 107 लाख रुपये के ऋण दिये थे। पता चला है कि इसमें से इस समय

43.51 लाख रुपये की रकम बकाया है। गोयनका-समूह से सम्बन्धित एक कम्पनी को कनारा बैंक ने 10 लाख रुपये का ऋण दिया था और मालूम हुआ है कि उसमें से इस समय 3.8 लाख रुपये की रकम बकाया है। इण्डियन बैंक ने गोयनका-समूह को 10 लाख रुपये का ऋण दिया था जिसमें से 6.91 लाख रुपया अभी बकाया बताया गया है। पता चला है कि यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक और सिंडीकेट बैंक ने गोयनका-समूह को इण्डियन आयरन के शेयरों पर कोई ऋण नहीं दिया है। जहां तक बाकी चार बैंकों का सम्बन्ध है, ठीक-ठीक अद्यतन जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, पंजाब नेशनल बैंक ने अगस्त, 1968 में दो पार्टियों को 50 लाख रुपये के ऋण दिये थे ताकि वे रिजर्व बैंक की स्वीकृति से, गोयनका-समूह द्वारा रखे गये शेयरों में से कुछ शेयर खरीद सकें। इन ऋणों को फरवरी 1969 के अन्त तक वापस अदा कर दिया गया था। यदि दूसरे बैंकों ने कुछ ऋण दिये हों तो उनके बारे में, ठीक-ठीक और अद्यतन जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) श्री रामनाथ गोयनका और उनके सहयोगियों के पास आज इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कितने सामान्य शेयर हैं, इसकी ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह मालूम हुआ है कि श्री गोयनका और उनके सहयोगियों के हाथ में लगभग 70 लाख सामान्य शेयर है।

Foreign Companies in India

3909. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of foreign companies which are carrying on their business in India giving details, in regard to each of these companies ;

(b) the amount of foreign capital invested in those companies;

(c) their annual production capacity ;

(d) the amount that goes to foreign countries in the form of profit ;

(e) the number of Indian companies which are carrying on their business in other countries and their production capacity; and

(f) the amount of foreign exchange brought by Indian Companies in India in the form of profit ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi):

(a) and (b) : There were 552 foreign companies operating through branches in India as at the end of March 1969. The details of these companies are, however, not available at present.

Broadsheet No. 2/1967 which was published by the Research and Statistics Division of the Department of Company Affairs of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, gives the details of the 586 foreign companies working in India as at the end of March, 1966. Copies of this publication are available in the Library of the Lok Sabha.

The Reserve Bank of India, Bombay publish periodically material on foreign investments in India on the basis of their surveys or annual assessments conducted by them. The latest information available is as at the end of March, 1965 and is given in the article "India's International Investment position in 1963-64 and 1964-65" published by the Reserve Bank of India, Bombay in the January, 1967 issue of their monthly bulletin. According to Table 3 of this article foreign investments in branches of foreign companies were of the order of Rs. 268.6 crores as on the 31st March, 1965. Information relating to the subsequent periods may be available as soon as the Reserve Bank of India completes the assessments.

(c) The information in respect of the 586 foreign companies operating through branches in India as at the end of March, 1966, referred to in answer to part (a) of the question, is not readily available. Efforts are being made to collect the information which will be laid on the Table of the Lok Sabha in the manner and to the extent to which it is available.

(d) The remittances of profits abroad by branches of foreign companies during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 were as under :

(Rs. Crores)

Year	Current profits	Accumulated Profits
1965-66 (Revised)	9.86	3.64
1966-67 (Preliminary)	8.60	5.87
1967-68 (Preliminary)	7.64	8.31

(e) and (f) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in the manner and to the extent to which it is available.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I beg to draw the attention of the Minister of External Affairs and request him to make a statement in regard thereto.

"The reported statement made by Representative Larry Coughlin in the American Congress that the United States was secretly supplying arms to Pakistan from 30 days after the arms embargo was put on the 22nd September, 1965."

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): सरकार ने अमरीकी कांग्रेस के लैरीकफ्लीन के इस वक्तव्य की खबरें अखबारों में देखी हैं कि 1965 के पाकिस्तान-भारत संघर्ष के परिणाम-स्वरूप हथियारों के भेजने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से सम्बद्ध दावे करने के बावजूद अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को जहाज द्वारा हथियार भेजे हैं उन्होंने कहा है कि 1966 के शुरू में पश्चिम जर्मनी से ईरान होते हुए एफ-86 किस्म के 90 सेवर जैट विमान पाकिस्तान को और भेजे गये हैं और करीब 17 महीने पहले पश्चिम जर्मनी से पुनर्संज्जित शरमन टैंक इटली होते हुए पाकिस्तान भेजे गये थे।

2. जैसा कि सदन को मालूम ही है गैर-घातक चीजों की सप्लाई की इजाजत देने के लिए अमरीका ने 1966 के शूरू में हथियारों के भेजने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध में ढील दे दी थी। 1967

में इस नीति में और परिवर्तन किया गया तथा अमरीका से सीधे ही घातक हथियारों के पुर्जों की बिक्री की तथा अलग-अलग मामले के आधार पर तीसरे देश से घातक हथियारों की बिक्री की इजाजत दे दी गयी थी।

3. सरकार ने अमरीकी सरकार को यह साफ-साफ बता दिया है कि भारत पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बहुत खिलाफ हैं और वह इस मामले में अमरीकी सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए है। हमें इस बात की जानकारी नहीं हैं कि 1965 के संघर्ष के बाद कभी भी अमरीका से सीधे पाकिस्तान को घातक हथियार बेचे गये हैं। मोटे तौर पर हम तीसरे देशों के माध्यम से पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई रोकने में भी सफल हुए हैं।

4. जहाँ तक एफ-86 किस्म के 90 सैबर जैट विमानों की सप्लाई का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे मेरे पूर्वाधिकारी के उस वक्तव्य को देखें जो उन्होंने 2 सितम्बर, 1966 को लोक सभा में दिया था। जहाँ तक हमें मालूम है। 1965 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान को शरमन टैंक भी नहीं भेजे गये हैं। अगर माननीय सदस्यों का मतलब इटली के माध्यम से 100 पैटन टैंकों की सप्लाई से है तो इस सिलसिले में सदन को कई बार यह बताया जा चुका है कि यह सौदा पूरा नहीं उतर पाया।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, my question is that Members of Parliament of America are normally better informed about military affairs in comparison to the Members of this House and such things are not kept so secret. Recently while making charges against the American Government, Mr. Larry Coughlin said that recent suggestions that the U.S.A. might lift the embargo were misleading because there has been no effective ban. When a Member of Parliament there can say like this for record, whether hon. Minister would look into it and obtain fuller details about it through our Embassy in U.S.A.

My second question it about old, repaired weapons which India and Pakistan are getting from foreign countries. Will the hon. Minister try to see that Russia, America or any other country do not supply arms to India and Pakistan or any other country and we try to achieve selt sufficency in arms and other things.

Shri Dinesh Singh : As regards first question of the Hon. Member, we will try to get further details.

As regards second question, we have requested America not to supply arms to Pakistan. They have treated India and Pakistan at par. If they do not supply arms to Pakistan, they may not possibily supply arms to India also. But we will have to be prepared for that. Not to purchase arms from any country will not be in the interest of our Security. Hon. Member should understand that we have to safeguard our country not only from Pakistan but also from China and China has got sufficient arms. For that reasen we have to get arms from other Countries.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जहाँ तक एफ-86 सैबरे जेट विमानों की सप्लाई का सम्बन्ध है, बताया जाता है कि श्री कोगलिन ने एक वक्तव्य में कहा कि मैं आरोप लगाता हूँ कि हमारी सरकार आरम्भ से ही जानती थी कि वे 90 विमान पाकिस्तान के लिए थे। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस सभा में अपने पूर्वाधिकारी द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य का हवाला दिया है। उस वक्तव्य में हमें बताया गया कि पाकिस्तान में मरम्मत के बाद इन विमानों को वापस भेजा जायेगा या भेज दिया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि जब श्री कोगलिन ने कहा है

कि अमरीका की सरकार आरम्भ से जानती थी कि ये विमान पाकिस्तान के लिए है तो हमारी सरकार के अनुसार अब क्या स्थिति है ? क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि भविष्य में क्या किया जायेगा। क्या इस मामले से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अमरीका सरकार इस मामले में दोहरी नीति अपना रही है ? चीन की सरक र ने पाकिस्तान को खुले रूप से हथियार दिये, चोर दरवाजे से या अप्रत्यक्ष तरीकों से नहीं। श्री दिनेश सिंह अमरीका गये। अमरीका के राष्ट्रपति यहाँ आये। हमें हमेशा यह बताया गया कि उन्होंने इन सभी प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया है और हमें आश्वासन दिया गया कि कोई हथियार नहीं दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि ये तरीके जारी रहे तो क्या हमारी सरकार अमरीका के साथ राजनयिक सम्बन्ध समाप्त करने पर विचार करेगी।

श्री दिदेश सिंह : खुलेआम या गुप्त रूप से हथियार सप्लाई करना बुरा है। पाकिस्तान के हथियार खरीदने से हमें खतरा है। उन देशों को हथियार सप्लाई करने से भविष्य में कौन रोक सकता है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए कि पाकिस्तान हथियार न ले क्योंकि इन हथियारों को हमारे विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के पूर्वाधिकारी ने सभा में अपने वक्तव्य में कहा था कि पाकिस्तान में मरम्मत के बाद इन विमान को वापस ईरान भेजा जायेगा। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सरकार की क्या जानकारी है। क्या उन विमानों को वापस भेज दिया गया है या वे पाकिस्तान में हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे सहयोगी ने सभा को सूचना दी है कि कनाडा की सरकार ने जहाँ इन विमानों का निर्माण किया गया था हमें सूचना दी है कि ये विमान पाकिस्तान में सर्विस करने के बाद वापस चले जायेंगे। ईरान ने यह आश्वासन दिया है। जहां तक मुझे याद है कनाडा सरकार तथा पश्चिम जर्मन सरकार को जहाँ से इन विमानों को बेचा गया था सूचना दे दी गई है। इन दोनों देशों को आश्वासन दिया गया है कि कुछ सत्यापन करने के बाद इन विमानों को ईरान को लौटा दिया जायेगा। जहाँ तक हमें जानकारी है, ये विमान वापस चले गये हैं लेकिन इस मामले के बारे में स्पष्ट उत्तर देना कठिन है क्योंकि हम उस सूचना के आधार पर चलते हैं जो हमें प्राप्त होती है। हमें बताया गया है कि ये विमान वापस ईरान चले गये हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker, I would like to know the quantum of spare parts of lethal weapons gone to Pakistan ? Whether Pakistan have made up the loss caused to it during the conflict of 1965; whether it is a fact that the number of tanks in possession of Pakistan is more than us ?

Pakistan is also a member of some Defence Pacts along with U.S.A. Whether Pakistan have got some weapons from there or not ? The quantity of military equipment gone to Pakistan from third country through America or through Defence Pact or direct

Hon. Minister has said that main danger before us is from China and China's military strength is manifold. The security of entire Asia will be in danger if India is not in a position to face an attack from china. I want to know why should we not ask for weapons from America on the ground that we face danger from China. What

is the latest thinking of American Government about supply of arms to Pakistan ? What is the information of our Embassy in Washington in this regard ?

Shri Dinesh Singh : As regards the question of our security, the Defence Minister has explained many times that we are aware of the danger from China and Pakistan and the arrangements made therefor. He has stated in the House many times that we have made all the arrangements of our security according to our resources. I understand the Hon. Member should be satisfied with this reply.

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : राष्ट्रपति निक्सन के इस देश तथा पाकिस्तान के दौरे के संदर्भ में अमरीकी सरकार के विरुद्ध श्री कोगलिन ने मुख्य आरोप यह लगाया है कि यद्यपि औपचारिक रूप से हथियारों पर रोक लगाई गई थी लेकिन वास्तव में हथियारों पर कोई रोक नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दौरे के बाद हथियारों की सप्लाई के लिए दबाव बढ़ जायेगा। राष्ट्रपति की भारत तथा पाकिस्तान की यात्रा के बाद अमरीकी कांग्रेसजन ने आरोप लगाया है कि हथियारों पर कभी कोई रोक नहीं लगाई गई थी। इस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह जानकारी प्राप्त करने के बारे में पूर्वोपाय किये हैं कि क्या पैटन टैंक, शरमन टैंक जैसे फालतू हथियार जो ईरान; इटली, टर्की, बैलजियम आदि जैसे विभिन्न नाटों देशों में पड़े हैं तीसरे दलों के माध्यम से पाकिस्तान को बेचे जा रहे हैं ? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हथियारों की कोई नयी सप्लाई की जा रही है और क्या राष्ट्रपति निक्सन की पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहमा खाँ से बातचीत के बाद कोई नया निर्णय लिया जायेगा ? क्या इस के बारे में मंत्री महोदय को कोई जानकारी है ?

श्री दिनेश सिंह : जहाँ तक पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने इस मामले को सम्बन्धित सरकारों तथा अमरीका की सरकार के साथ उठाया। हम इटली तथा बाद में टर्की तथा पश्चिम जर्मनी से टैंकों की बिक्री रोक सके। हमें जो सूचना मिली, हमने सभा को ही और पाकिस्तान को हथियारों के ऐसे विक्रय को रोकने के लिए हर कार्यवाही की। हमें सीमित सुविधायें प्राप्त हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि और कोई बिक्री नहीं हुई।

जहाँ तक आगे बिक्री का सम्बन्ध है, हम यह नहीं कह सकते कि अमरीका की सरकार की क्या नीति होगी। हमने अपनी नीति के बारे में उनको बता दिया है। हमने अमरीका के विदेश मंत्री तथा राष्ट्रपति निक्सन के साथ बातचीत की है और हमें आशा है कि अमरीका की सरकार पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगी लेकिन कोई आश्वासन देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा क्योंकि अमरीका की सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय काग़ज़ों की बड़ी गम्भीरता तथा सावधानी से जांच करें। जिस दिन यह सूचना प्रकाशित हुई, उसी दिन दिनांक 14 अगस्त को हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में एक खबर छपी थी कि 'सीनेट पेनेल' को अमरीका-थाई गुप्त सन्धि की आशंका है। कहा जाता है कि अमरीका की सरकार की नीति कुछ गुप्त सन्धियाँ करना है और उन सन्धियों को कांग्रेस से गुप्त रखा जाता है। यही चीज़ यहाँ मिलती है। पश्चिम जर्मनी, ईरान जैसे अन्य देशों के माध्यम से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की गई। इन बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अमरीका की सरकार ने भारत को दिये गये उस वचन

का उल्लंघन किया है कि भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं किये जायेंगे। इस संदर्भ में क्या सरकार अमरीका की सरकार से विरोध प्रकट करने पर विचार करेगी और यदि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई जारी रही तो क्या सरकार अमरीका के प्रति अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : अमरीका सरकार ने अन्य देशों के साथ जो गुप्त संधि की है उसे वे गुप्त रखना चाहेंगे और हमें या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बतायेंगे। माननीय सदस्य ने एक गुप्त संधि की ओर ध्यान दिलाया है जो कि उन्होंने की है। हम इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ? ये ऐसे मामले हैं जो सरकारों के बीच गुप्त रखे जाते हैं। दूसरे देश न इन गुप्त बातों का पता लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन हमेशा पता लगाना सम्भव नहीं होता। ऐसा हम भी करते हैं। इसलिए इसे उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें हम इन मामलों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को खुले रूप से सहायता दी है। इस मामले पर हमने इस सभा में विचार-विमर्श किया और कई अवसरों पर अपनी राय अमरीका सरकार को बताई। पाकिस्तान चीन, रूस, अमरीका या फ्रांस से हथियार खरीदे या किसी अन्य देश से हथियार खरीदे, प्रश्न यह है कि हमें अपनी रक्षा करने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। हमें यह देखने में अधिक समय खराब नहीं करना चाहिए कि अमरीका क्या कर रहा है। हमें अधिक समय यह देखने में लगाना चाहिए कि हमने इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या करना है।

संसद सदस्यों को दिल्ली उच्चन्यायालय द्वारा भेजे गये सम्मन के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE RE. DELHI HIGH COURT SUMMONS TO M. P's.

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष विशेषाधिकार का एक प्रश्न पहले ही विचाराधीन है।

श्री हेमबरुआ (मंगलदाई) : मैंने आपको एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन विशेषाधिकार प्रस्ताव मिले हैं। सबसे पहले श्री मधु लिमये फिर श्री कुन्दू और 4 अगस्त को श्री साल्वे से ये प्रस्ताव मिले। ये प्रस्ताव इस सभा में हुई चर्चा के सम्बन्ध में हैं। इन प्रस्तावों में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं। कोई निर्णय लेने से पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं, उनकी बात सुन ली जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आपको इस उच्च पद पर निर्वाचित करने के पूर्व यह सारा मामला इस सभा में उठाया गया था और तत्कालीन उपाध्यक्ष जो उस समय सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने यह कहा था कि जब भी यह मामला लिया जायगा तब हम लोगों को उस पर वक्तव्य देने के लिये आमंत्रित किया जायगा। क्योंकि यह मामला समस्त सभा के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी को इस पर अपना विचार अभिव्यक्त करना है तो हम इसे कल भी जारी रख सकते हैं।

श्री साल्वे : बड़े खेद के साथ इस विशेषाधिकार के मामले को उठाने के लिये मैं सभा की अनुमति माँगने के लिये बाध्य हुआ है। विशेषाधिकार के इस मामले के अन्तर्गत सभा की गरिमा, अध्यक्ष के सम्मान और सदस्यों के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में कुछ अधिक महत्वपूर्ण और मूल प्रश्न सामने आते हैं। दिल्ली के कुछ नागरिकों द्वारा मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिये दायर किये गये वाद के कारण विशेषाधिकार का यह प्रश्न उठा। मैं उन नागरिकों के यहाँ नाम देकर उनके नामों का प्रचार नहीं करना चाहता। उस वाद पत्र में मुख्य आरोप यह है कि अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री, मैंने तथा दो अन्य सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेते हुए जगदगुरु शंकराचार्य के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियों की थी जो शंकराचार्य जी के लिये अत्यन्त अपमानजनक की सभा में जो कुछ कहा गया उससे वाद को दायर करने वालों का अपमान हुआ और वे आहत हुए। इसीलिये उन्होंने दिल्ली के उच्च न्यायालय में मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिये 26,000 रुपये का बाद दायर किया।

सभा के बाहर में जो भी घटनाएँ हुई हैं उनसे संसद सदस्यों और अध्यक्ष महोदय के अधिकारों को बड़ी दुष्टता के साथ कुचला गया है और उनके सम्मान तथा गरिमा को चोट पहुँची है, वादपत्र से यह स्पष्ट है कि वादीगण और उनके वकीलों को इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि कोई भी उच्च न्यायालय सभा की कार्यवाही पर निर्णय देने का साहस नहीं कर सकता। उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि माननीय सदस्यों ने सभा में जो कुछ कहा, उस पर निर्णय देना भी उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। उन्हें अपनी शिकायतें दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें केवल बदला लेने में ही दिलचस्पी थी।

आरोपों के चारपक्ष हैं। वादपत्र में सबसे पहले यह कहा गया है कि सारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही नियम भङ्ग करके गृहीत किया गया। उनके कहने का अर्थ यह था कि संसद ने अपनी क्षमता और क्षेत्राधिकार के बाहर कार्यवाही की। संसद के कार्य क्षेत्र के बारे में ऐसी व्यर्थ और बेवकूफी की बात मैंने कभी नहीं सुनी। वादपत्र में एक आरोप यह था कि शंकराचार्य के अस्पृश्यता पर दिये गये प्रवचनों पर संसद में चर्चा करना उचित नहीं है। दूसरा आरोप यह था कि अध्यक्ष महोदय की साँठगांठ से सभा को सार्वजनिक सभा बनाया गया; तीसरा और चौथा आरोप यह था कि जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, उन्होंने अशिष्ट और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और शंकराचार्य के विरुद्ध झूठा आरोप लगाया तथा शंकराचार्य की निन्दा करके उन्होंने जानबूझ कर शङ्कराचार्य के प्रभाव को समाप्त कर दिया है।

इन आरोपों में जरा भी सत्यता नहीं है। वादीगण और उनके वकीलों ने तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने और हमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक षड़यंत्र रचकर, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री तथा कुछ संसद सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। जिसमें उनके विरुद्ध अपमानजनक, अनुचित और आघात पहुँचाने वाले वक्तव्य दिए गए, उन्होंने सभा में सद्भावना और अन्तरात्मा से जो कुछ कहा उसके लिए उन पर अपवित्र आरोप लगाये गये और इस बात को पूरी तरह जानते हुए कि न्यायालय में उन पर कुछ नहीं किया जा सकता वे उसे किसी प्रयोजन से न्यायालय में लायें, इसलिए सभा को यह मामला यहीं सभा में ही उठाने की अनुमति देनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It was clearly stated in Article 105 (2) of the constitution that no member of Parisament would be liable to any proceedings in any court in respect of anything said by him in Parliament. Therefore it was not understood how Delhi High Court has entertained the suit and how the Registrar issued the summons to the Members concerned to appear before the Court. By doing so the Judge and the Registrar had encroached upon the rights of the Members of Parliament. The relationship between the Judiciary and the Parliament should be such that neither the judiciary encroached upon our rights nor did we encroach upon theirs.

श्री नाथ पाई : यह प्रश्न केवल संसद सदस्यों या संसद के विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं है। यह प्रश्न तो विधान मण्डल और न्यायपालिका के बीच सम्बन्धों का प्रश्न है। केशव सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अत्यन्त स्पष्ट परिभाषा में अन्तिम निर्णय दे दिया था। इस मामले पर पहले चर्चा हो चुकी है और उच्चतम न्यायालय तथा देश के अन्य न्यायालय इस पर अपना अन्तिम निर्णय भी दे चुके हैं संसदीय विशेषाधिकार समिति ने भारत सरकार को सिफारिश की थी और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की थी कि वे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का ध्यान दिला दें कि जब न्यायालयों के समक्ष संसदीय अभिलेख को पेश करने की आवश्यकता हो, तब एक समुचित तरीका अपनाया जाय और अनेक मामलों में पर्याप्त यह होगा कि किसी भी दशा में प्रथमत: दस्तावेजों की केवल प्रमाणित प्रतियां ही माँगी जाय और बाद में यदि पक्ष अपने प्रमाणों पर डटे रहें तो मूल कागजात माँगे जा सकते हैं। जब भी कागजात पेश करने की जरूरत हो तो उचित स्थिति यही है। लेकिन इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रमाणित प्रति माँगने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय ने शुरू में ही संसद सदस्यों को सम्मन जारी किये। शायद उस न्यायालय के योग्य न्यायाधीश अपने मूल कर्त्तव्यों को पूरी तरह भूल गए। जिस वादपत्र को नियम 11 या नियम 7 अथवा प्रक्रिया द्वारा रोका जाता है, उसे स्वीकार नहीं कहना चाहिये और वादपत्र पर एक नजर डालने से पता चलता है कि इस देश के सिविल प्रक्रिया कानून द्वारा वादपत्र को हर जगह रोका गया है। इसलिए मामला यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने सम्मन जारी करके ठीक किया है, जबकि सदस्य अपना कर्त्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये ताकि भविष्य में न्यायपालिका और विधान मण्डल के बीच कोई बनावटी संघर्ष न हो।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं श्री साल्वे के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिये। जब से इस संसद की स्थापना हुई ऐसी बात कभी नहीं हुई। विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है विशेषाधिकार समित को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस मामले में किन-किन व्यक्तियों को बुलाया जाये या दण्ड दिया जाये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): मैं इस बात पर सहमत हूँ कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय। परन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि संसद सदस्य अपने अधिकारों का जिम्मेदारी से प्रयोग करें, शंकराचार्य के बारे में जो कुछ कहा गया वह सभ्य भाषा

में नहीं था। मैं सभा से यह अपील करना चाहता हूँ कि भविष्य में हम जब कभी भी उन व्यक्तियों के बारे में बाते करें, जो अपनी सफाई देने के लिये इस सभा में उपस्थित नहीं हो सकते, तब हमें सदैव अपने पद के अनुकूल शिष्ट और सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

श्री उमानाथ (पुट्टुकोट्टै) : जब भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाता है, विशेषकर सदस्यगण जब भाषण दें उस समय उनके आचरण के सबन्ध में एक बात याद रखने की है कि सदस्यों को जिम्मेदार होना चाहिये। इस दलील से सभा से बाहर इस तरह के विशेषाधिकार भंग को प्रोत्साहन मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : हम लोग स्वयं ही निर्णायक हैं अतः इस मामले पर किसी न्यायालय के निर्णय की अपेक्षा नहीं है। सदन में ही इस मामले को तय करना है। इसलिये सदस्यों की सर्वसम्मति से मैं यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजता हूँ जिन दो बातों पर बिचार करना है, वे याचिकादाताओं द्वारा सभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन और याचिका को स्वीकार करने में न्यायाधीश की कार्यवाही के बारे में है मैं इस मामले को कल देखूंगा।

इसके पश्चात् लोकसभा माध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प्र० तक के लिये स्थागत हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा दो बजकर पाँच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled five minutes past Fourtren of the Clock

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
SHRI GODILINGANA GOWD *in the Chair*]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के चाय बगान के दो लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं और श्रम मन्त्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : 151 people were drowned on account of a boat having capsised in Monghyr. But the Dist. Magistrate is denying the fact. The Hon. Minister should inform the House about these 151 people reported to be drowned.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

फर्टिलाइजर कारपोरेशन के ट्राम्बे यूनिट की जाँच के बारे में टिप्पण

पेट्रोलिम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के ट्राम्बे यूनिट में कुछ भूलों की जांच के लिये एक आयोग की नियुक्ति के बारे में एक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1692/69]

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन—सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन नई दिल्ली का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1693/69]

सीमा शुल्क अधिनियम, आदि के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1833 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 2 अगस्त 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1836 जो दिनांक 29 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1694/69]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1780 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1782 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1695/69]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक पति :—

(एक) जी० एस० आर० 1776 जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1830 और 1831 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 2 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1696/69]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचना देने का निदेश मिला है कि लोक सभा द्वारा 7 अगस्त, 1969 को पास किये गये संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969 से राज्य सभा अपनी 13 अगस्त, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

पश्चिमी बंगाल में चाय बागान श्रमिकों की हड़ताल के बारे में
RE. STRIKE OF THE GARDEN WORKERS IN WEST BENGAL

सभापति महोदय : हम अब लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर खण्डवार चर्चा शुरू करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मैं नियम 340 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। सम्बन्धित मंत्री महोदय ने सभा पटल पर कुछ पत्र रखे है और अब लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर खण्डवार चर्चा होने जा रही है। मैं नियम 376 (2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ कि सभा के समक्ष जो कार्य हैं, नियम 340 के अधीन उसे स्थगित किया जाय, ताकि हम पश्चिम बंगाल में चाय बागान कर्मचारियों की हड़ताल पर चर्चा कर सकें। वहाँ की स्थिति चिन्ताजनक है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि विधेयक पर वाद विवाद स्थगित किया जाय और चाय बागान कर्मचारियों की हड़ताल पर चर्चा करने दी जाय। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में श्रममन्त्री महोदय आकर वक्तव्य दें।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं श्री स० मो० बनर्जी की माँग का समर्थन करता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : पश्चिम बंगाल में जब जूट कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, तब श्री ब० रा० भगत कलकत्ता गये थे। आज श्रम मन्त्री महोदय को कलकत्ता जाना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्य की बात सुन ली है।

श्री स० मो० बनर्जी : आप कृपया उनसे वक्तव्य देने के लिए कहें।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यदि वह वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। संसद कार्य मंत्री को इस सम्बन्ध में सभा में आश्वासन देना चाहिए।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : हम कल अध्यक्ष महोदय के कमरे में विरोधी दलों के नेताओं से मिले थे। उसमें यह निर्णय किया गया था कि यदि कोई

सदस्य सभा में कोई मामला उठाना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष महोदय को लिखना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमने पहले लिख दिया है ।

श्री रघुरामैया : और उस सदस्य को मुझे या सम्बन्धित मन्त्री को इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए, ताकि हमें इसकी जानकारी हो सके । मैं आपसे और सभा के अन्य सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस तरह की प्रक्रिया को याद रखें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय को एक नोट लिखा था, जिसमें मैंने नियम 377 के अधीन इस मामले को उठाने के लिये अनुमति देने का अनुरोध किया था । अध्यक्ष महोदय ने 'नहीं' नहीं कहा । मुझे इसे रद्द किये जाने के सम्बन्ध में भी सूचना नहीं दी गई । इसके अतिरिक्त संसद-कार्य मन्त्री को मालूम होना चाहिये कि मैंने इस सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा है । सभापति महोदय, क्या आप श्रम मन्त्री से वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, माननीय मंत्री महोदय ने वह सब सुन लिया है । यदि वह वक्तव्य नहीं देंगे, तो अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करेंगे ।

———

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक-जारी
LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL—CONTD.

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं वाद-विवाद का उत्तर नहीं दे रहा हूँ । मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर चर्चा करते समय और संसुक्त समिति में एक प्रश्न उठाया गया था कि प्रधान मन्त्री को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के कार्य क्षेत्र से अलग रखा जाय । सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि यह विधेयक प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित हैं । जिस आयोग ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया, उसने "मंत्री" शब्द की व्याख्या करते समय इसमें प्रधानमन्त्री को शामिल नहीं किया है । इसके साथ ही इसने प्रधानमन्त्री को इससे अलग भी नहीं किया है । इसलिए इस सभा में पेश किये गये विधेयक में मन्त्री शब्द की वही परिभाषा है, जो आयोग द्वारा भेजे गये मूल प्रारूप में है । जिस समय हमने संयुक्त समिति में उस परिभाषा पर सावधानी से विचार किया, उस समय हमें पता लगा कि यह परिभाषा पूरी नहीं है ।

समूचे विधेयक का कार्य यह है कि यदि किसी मन्त्री के विरुद्ध कोई आरोप होगा, तो लोकपाल समूचे मामले पर विचार करेगा और वह किसी सक्षम अधिकारी की सिफारिश करेगा । मंत्रियों के मामले में हमने बताया कि प्रधान मन्त्री सक्षम प्राधिकारी होंगी । मानलीजिए किसी मन्त्री के विरुद्ध सिफारिश की गई और वह प्रधान मन्त्री के पास भेजी गई और प्रधान मन्त्री ने लोकपाल की सिफारिश स्वीकार कर ली, तो हो सकता है कि मन्त्री महोदय को त्यागपत्र देना पड़े । लेकिन उसके त्यागपत्र से सरकार का पतन नहीं होगा । परन्तु प्रधान मन्त्री समूचे सरकारी ढांचे की कसौटी होता है, और यदि वह त्यागपत्र देगा, तो समूची सरकार का पतन होगा ।

सरकार का पतन करने का अभिकरण संसद के सिवाय और कोई नहीं हो सकता है। अतः लोकपाल या लोकायुक्त उस अधिकार को नहीं ले सकता। लोकपाल एक महत्वपूर्ण प्राधिकारी है, जिसे हम संसद के अधिनियम द्वारा बना रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन अधिनियम के अधीन संसदीय आयुक्त के रूप में वह संसद का एजेन्ट नहीं है। इसलिये मन्त्री की परिभाषा में प्रधानमन्त्री को शामिल करना अर्थहीन है। मूल सिफारिश पूर्णरूप से तर्क विरुद्ध है। अतः हम समझते हैं कि इस योजना को कार्य करने योग्य बनाने, व्यावहारिक रूप देने और पूर्ण बनाने के उद्देश्य से बेहतर यह है कि प्रधानमन्त्री को इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से अलग रखा जाय। मैं समझता हूँ कि यह संसद और संसदीय लोकतन्त्र के कार्य संचालन के हित में है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, the case made out by the Home Minister for the exclusion of the Prime Minister from the purview of Lokpal is not convincing. He tried to put the Prime Minister on a different level from the ministers. But according to constitution the Prime Minister is also a minister. The Home Minister said that if any action is required to be taken against the Prime Minister, the Lok Sabha would do it. But the question is that if there is any charge of corruption against the Prime Minister, how would it be decided that these charges are correct? Can that be decided on the basis of majority vote in Parliament? There should be somebody to prove the specific charges and than alone the Parliament can take a decision in this regard. But we find that no such machinery provide in the Bill.

If we exclude the Prime Minister, the states will also exclude the Chief Ministers from the purview of similar legislation in the states. This will be a very bad thing. In the past serious charges of corruption had been levelled against some Chief Ministers as well as the Prime Minister. Today the situation is not better. In fact there is a general fall in the standard of public morality. Therefore, there must be some machinery to keep a check on the Chief Ministers and the Prime Minister so that they do not become dictators.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलीन) : आज जब कि हमारे इतिहास में नया मोड़ आ रहा है जब कि एक दल का ठोस बहुमत नहीं रहा है, तब हमें मन्त्रियों के पक्षपात पूर्ण रवैये और इसमें निहित भ्रष्टाचार के मामले पर विचार करना चाहिये। पक्षपातपूर्ण भ्रष्टाचार का जो यह मामला है, वह बहुत ही गम्भीर मामला है और इस संदर्भ में राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, मन्त्री तथा पदाधिकारियों को, जिनका एक राज्य, संघ या किसी स्थानीय निकाय के शासन से कुछ सम्बन्ध है, शामिल करने का मामला भी उठाया जाना चाहिये, क्योंकि कोई विशेष चीज करने के लिये एक दल के अध्यक्ष के लिये मन्त्री के पास जाना और उसे धमकाना बहुत ही आसान बात है। प्रधान मन्त्री तथा संसद सदस्यों को शामिल करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। यदि हम इस विधेयक में प्रधानमन्त्री तथा संसद सदस्यों को शामिल कर लेंगे, तो इसमें मुख्य मन्त्री तथा विधायक स्वयं शामिल हो जायेंगे।

मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इन मामलों पर अच्छी तरह विचार करें और अपने साथी मन्त्रियों से भी परामर्श करें, ताकि देश यह महसूस न करे कि प्रधान मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अरोपों की जाँच करने का कोई तरीका नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय गृह मन्त्री ने अभी सभा में बताया कि यदि

प्रधानमन्त्री पर लगाये गये भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लोकपाल के पास भेजे गये, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैं भी इन विचारों से सहमत हूँ। हमें प्रधानमन्त्री और मन्त्रियों के बीच अन्तर रखना चाहिये। मैं श्रीकान्तन नायर के विचारों का पूरा समर्थन करता हूँ कि संसद सर्वोच्च है और यह प्रधानमन्त्री के आचरण पर विचार कर सकती है। अतः यदि कोई व्यक्ति प्रधान मन्त्री के विरुद्ध लोकपाल के पास कोई अरोप लगाना चाहता है, तो लोकपाल उसकी एक प्रति लोकसभा के अध्यक्ष के पास भेजे, जिससे इसे लोकसभा के सामने लाया जाय।

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) सभापति महोदय, प्रधानमन्त्री को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और विशेषकर उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में अधिक है, इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह सही है कि सरकार के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को प्रशासन चलाने तथा देश की रक्षा करने के लिये व्यापक शक्तियाँ दी जायें, परन्तु इसके साथ ही यह निश्चित किया जाये कि वे निजी स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिये किसी भी स्थिति में इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस मामले में क्या रोक है ? यह रोक लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिये। प्रधान मन्त्री नहीं बच सकते और यदि प्रधानमन्त्री को बाहर रखा गया, तो विधेयक का प्रभाव और इसकी मर्यादा समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि प्रधान मन्त्री को बाहर रखा गया, तो मुख्यमन्त्रियों को भी बाहर रखना पड़ेगा।

अब यह सामान्य सी बात हो गई है कि अनेक पराजित तथा अन्य मन्त्रियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। भूतपूर्व मन्त्री या मन्त्री या राजनैतिक पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति लोकपाल पद के लिये हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को लोकपाल या लोकायुक्त के पद पर नियुक्त न किया जाये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, the Prime Minister should be included in the purview of the Bill. If there is a charge against the Prime Minister, it should be looked into and the report should be presented to Parliament.

Honourable Home Minister has said that if the charge is made against the Prime Minister and as a result of the inquiry the Prime Minister tenders his resignation the whole Government would go. What is wrong in this. It is a common thing in democracy that when one Prime Minister goes out, the other Prime Minister comes in. If on account of some charges against the Prime Minisier we find that a particular person should not continue as Prime Minister, we must have the right to remove such a person from office and take necessary steps against him.

It has been said that no-confidence motion is a weapon to remove the Prime Minister from his office. But it is a political weapon and it can not be used successfully, if the Prime Minister has brute majority in the House.

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे नगरों में एक सामान्य शिकायत है कि सभी मजिस्ट्रेट संदेह से परे नहीं हैं। अतः इस शिकायत को देर करने के लिये आवश्यक यह है कि मजिस्ट्रेटों और न्यायपालिका को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाय।

प्रधानमन्त्री को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाय या नहीं इस पर सभा को निर्णय करना चाहिये। हम मान लेते हैं कि प्रधान मन्त्री निष्पक्ष हैं और वह हमेशा निष्पक्ष रहेंगी। लेकिन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यदि प्रधान-मन्त्री को विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, तो मुख्य मन्त्रियों को भी उससे बाहर रखना बहुत सरल हो जायेगा। मुख्य मन्त्रियों को इसके अन्तर्गत अवश्य ही रखा जाना चाहिये, नहीं तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Mr. Speaker, the Prime Minister and the Members of Parliament should be included in the purview of the Bill. If these persons are excluded from the jurisdiction of the Bill, the Chief Ministers and the Members of Legislative Assemblies and Legislative councils in the states would also have to be excluded. These are influential persons and they can get any thing done with their influence. Therefore if we want to eradicate corruption, it is necessary that the Prime Minister and the Members of Parliament are brought under the purview of this Bill, so that the states can also be covered under the Bill.

पृथक तेलंगाना राज्य के लिये आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. AGITATION FOR SEPARATE STATE OF TELENGANA

अध्यक्ष महोदय : अब हम तेलंगाना सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करत हूँ :—

"कि यह सभा पृथक तेलंगाना राज्य के लिये आन्दोलन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह आवश्यक कदम उठाये।"

The agitation for a seperate state of Telangana has been going on a very large scale for the last about seven months. The schools, colleges and even Government offices remainded closed for several months. It appears as if the entire administration has been paralysed. It is a matter of regret that no concrete steps have been taken to meet the deteriorating situation.

There is a general feeling that Telengana has not been given due attention in the matter of education, irrigation, agriculture, power and other developmental works during the last 22 years. Discrimination with the people of Telengana region has been made even in the matter of Government services.

The main cause of the agitation is regional imbalance in the economic development of Telengana. This is the very basis of the trouble which made the people agitate. It is, therefore, necessary that economic regional imbalances are removed.

In order to create a feeling of confidence amongst the Telengana people, Government should take some concrete steps. In this context it would be better, if the whole issue is considered at a national level and the opposition parties are consulted. If it is done, every party would work to solve the problem, thus it will be easy to solve the problem. Shri Bramhanand Reddy should resign. The arrested leaders of Telengana should be released. Then all the people should jointly work to remove the

fears of the people. It would be better, if a high powered comission is appointed to look into the economic regional imbalances. Its recommendation should be binding on the Government. In case it is done, we hope that the problem of Telengana would be solved amicably.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसमें कुछ संशोधन हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड) : मैं संशोधन पेश करता हूँ कि प्रस्ताव में "पृथक तेलंगाना राज्य के लिये आन्दोलन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह आवश्यक कदम उठाये" के स्थान पर "आंध्र प्रदेश के समूचे तेलंगाना क्षेत्र की उपेक्षा पर असंतोष व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह पृथक तेलंगाना राज्य की सम्भावना पर विचार करे और शीघ्र ही अनुकूल निर्णय लेने के लिये कदम उठाये ।" प्रतिस्थापित किया जाय ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् (विशाखापतनम) : मैं संशोधन पेश करता हूँ कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात् :—

'यह सभा पुनः अनुरोध करती हैं :

(क) तेलंगाना आन्दोलन के नेता और अनुयायी हिंसात्मक कार्यवाही न करें;

(ख) आंध्र प्रदेश की सरकार जनता पर दमन करना बन्द करे;

(ग) केन्द्रीय सरकार आठ-सूत्री कार्यक्रम को शीघ्र लागू करे और तेलंगाना क्षेत्रीय समिति को जो कार्य सौंपे गये हैं, उसके लिये उसे सांविधिक शक्तियां प्रदान करने के लिये कदम उठाये ।

श्री यशवंत सिंह कुशवाह (मिंड) : मैं संशोधन पेश करता हूँ कि प्रस्ताव में 'आवश्यक कदम उठाये' के स्थान पर " या तो समूचे देश भाषायी राज्यों को समाप्त करने के लिये या एक पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की माँग को शीघ्र स्वीकार करने के लिये कदम उठाये ।" प्रतिस्थापित किया जाय ।

श्री रंगा (श्री काकुलम्) : अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना की समस्या ने अब राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है । अभी हाल में सरकार ने कांग्रेस दल की ओर से एक अर्ध-राजनैतिक समाधान सामने रखा था जिसमें तेलंगाना की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि तेलंगाना की जनता मुख्य मन्त्री की सहायता करके शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक होगी तो सरकार ब्रह्मानन्द रेड्डी को मुख्य मन्त्री पद से त्यागपत्र दिलवा देगी । लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है ।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की भावना सहसा ही जागृत नहीं हो गई है । यह तो वर्षों से पनप रही थी । जिस समय आंध्र प्रदेश बना था, उस समय तेलंगाना की जनता अपना पृथक राज्य चाहती थी । राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार से कहा गया था कि वह पृथक तेलंगाना राज्य बनाये । लेकिन सरकार ने उस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

तेलंगाना की जनता को कुछ गारंटियाँ दी गई थीं। यह कार्य पूरा करने के लिये गृह मन्त्री से कहा गया। लेकिन अभी तक किसी भी गृह मन्त्री ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया। यदि तेलंगाना सलाहकार समिति और राज्य के मन्त्रालय में परस्पर कोई विरोध हो, तो यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिये और यदि उसकी सलाह न मानी जाये तो उसे राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजना चाहिये, जिससे भारत सरकार की सहायता प्राप्त की जा सके। लेकिन उस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

केन्द्रीय सरकार को यह अनुभव करना चाहिये कि पृथक तेलंगाना राज्य की मांग अत्यन्त लोकप्रिय मांग है। इसलिए वहाँ का आन्दोलन स्वाभाविक है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस आन्दोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया है। लेकिन जब तक डा० चेन्ना रेड्डी और श्री कोण्डा लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया, तब तक आन्दोलन का हिंसात्मक रूप बहुत कुछ शांत हो गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन किये गए। सरकार ने कुछ समितियां बताईं थीं। लेकिन उसने उन समितियों के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में इतनी देर लगा दी है।

अब समय आ गया है कि सरकार तेलंगाना वासियों को यह आश्वासन दे कि भारत सरकार पृथक तेलंगाना राज्य की मांग के प्रश्न पर निष्पक्ष रूप से विचार करेगी और ज्योंही वहाँ शांति कायम होगी, त्योंही शीघ्र ही वहाँ जनमत जानने के लिये कार्य आरम्भ किया जायेगा। यदि जनता का भारी बहुमत पृथक तेलंगाना राज्य के पक्ष में हो, तो वह एक राज्य या उप-राज्य के रूप में एक पृथक तेलंगाना राज्य बनायेगी। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि वह इन समितियों तथा राज्य समिति की सिफारिशों को भी मानेगी।

जहाँ तक तेलंगाना राज्य से एक मुख्य मन्त्री बनाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसे अब अधिक समय तक नहीं टाला जाना चाहिये। तेलंगाना कांग्रेस के विधान सभा के सदस्य और संसद सदस्यों को मिलकर यह निश्चित करना चाहिये कि मुख्य मन्त्री कौन हो। यदि 1972 के आम चुनावों में तेलंगाना की जनता अपनी मांग के समर्थन में 75 या 80 प्रतिशत अपने सदस्यों को चुनकर पृथक तेलंगाना राज्य की मांग स्पष्ट करती है, तो सरकार को तुरंत तेलंगाना जनता के लिए एक पृथक राज्य या उप-राज्य बना देना चाहिये।

अब तेलंगाना की जनता को यह अनुभव करना चाहिये कि उन्होंने तेलंगाना के विभिन्न भागों में आन्ध्र की जनता के विरुद्ध जो अन्याय और मूर्खतापूर्ण आन्दोलन आरम्भ किया था, वह गलत था। उन्हें आंध्र की जनता के साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखना चाहिये जैसा कि वे तेलंगाना में स्थायी रूप से रहने वाले अल्प लोगों के साथ करते आ रहे हैं।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अब यदि कोई व्यक्ति तेलंगाना का दौरा करे तो उसे एक या दो नारे जय तेलंगाना या जय तेलंगाना और जय हिन्द सुनाई देंगे। तेलंगाना के लोगों की मागें इस प्रकार हैं कि मुख्य मन्त्री तथा वर्तमान मन्त्रि परिषद् को हटा दिया जाये, गिरफ्तार नेताओं की तुरन्त रिहाई की जाये, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय और पृथक् तेलंगाना राज्य बनाया जाय। जनमत जानने के लिए तेलंगाना में मतदान

करवाये जाने चाहिये और यदि जनमत पृथक् तेलंगाना राज्य के पक्ष में हो तो पृथक् तेलंगाना राज्य बनाया जाय।

पिछले वर्ष नवम्बर में आन्दोलन आरम्भ हुआ था। 10 महीने बीत गये हैं लेकिन इस के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया। दो सौ पचास लोग गोली के शिकार हुए और 18 लोगों की लाठी चार्ज से मृत्यु हुई है। लगभग 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार की गई महिलाओं की संख्या 5000 तक पहुँच गई है। निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 280 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं। 3116 बार लाठी चार्ज हो चुका है। घायलों की संख्या 18,000 तक पहुँच गई है। इन में से 11,200 को गम्भीर चोटें आई हैं। लाठी चार्ज तथा गोली के कारण 1816 लोगों की हड्डियां टूट गई। 1850 बार अश्रु गैस शैलों का प्रयोग किया गया। तथा लगभग 11200 अश्रु गैस शैलों का प्रयोग किया गया।

[विवरण पुस्तकालय रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1928/69]

यदि हमारे साथ किसी को सहानुभूति है तो वह प्रधान मन्त्री हैं जिनके हम आभारी है। वह वहां पहुँची और अस्पताल गई और मरीजों की पूछताछ की। जब यह मालूम हुआ कि प्रधान मन्त्री बिना सूचना आई हैं और अस्पताल देखना चाहती हैं तो 85 मरीजों को छुट्टी दे दी गई और केवल 15 मरीज रह गये। एक मरीज ने इस तथ्य की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया। उन के दौरे के समय ऐसा हुआ। ऐसी घटनायें बराबर होती रहती हैं। पूरे तेलंगाना जिले में प्रतिदिन 15,000 से 20,000 लोग स्वयं ही अपने को गिरफ्तार करवा रहे हैं। स्वतन्त्र भारत में इस तरह का आन्दोलन एकमात्र उदाहरण है।

आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि इसने इस आन्दोलन को दबाने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इसका कारण यह है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार हमें अधिशेष धनराशि से वंचित रखना चाहती है। यदि 50 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं तो यह खर्च आन्ध्र क्षेत्र के कन्धों पर डाला जाना चाहिए। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

जब विशाल आन्ध्र के निर्माण का प्रश्न उठाया गया तब से पृथक तेलंगाना बनाने का प्रश्न चल रहा है। जब स्वर्गीय डा० रामाकृष्ण राव भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के मुख्य मंत्री थे तो आन्ध्र के साथ विलय के प्रश्न पर भोंगीर तथा हैदराबाद में गोली चलाई गई। उनकी कार जलाई गई। वे अलग तेलंगाना चाहते थे। उस समय हमने एक पक्का समझौता किया जबकि आन्ध्र के लोगों ने हमारे लिए कुछ करने का हमें आश्वासन दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग में तेलंगाना के कई कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता में प्रतिकूल परिवर्तन किये गये हैं। यदि तेलंगाना के साथ न्याय करना है तो 5 मुख्य इंजीनियरों, 19 अधीक्षक इंजीनियरों, 120 कार्यपालिका इंजीनियरों, 270 सहायक इंजीनियरों के पदों पर आन्ध्र लोगों की अवनति करनी होगी। क्या एक विभाग में पारस्परिक वरिष्ठता को सही करने में 13 वर्ष लगते हैं? ऐसा अन्य विभागों में भी हुआ है। इस तरह पिछले 13 वर्षों में तेलंगाना के साधन केवल आन्ध्र में ही प्रयुक्त हुए हैं। तेलंगाना के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता में प्रतिकूल परिवर्तन किये गये हैं और हमारी रोज़गार क्षमता समाप्त कर दी गई है।

हैदराबाद के दो सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियरों तथा तेलंगाना क्षेत्र के सुपरीटेंडिंग इंजीनियरों द्वारा लिखे गये एक दस्तावेज में बताया गया है कि नागार्जुनसागर के बायें किनारे वाली नहर से सिंचाई का क्षेत्रफल घटा दिया गया है और हर साल इसका पानी आन्ध्र क्षेत्र की ओर मोड़ा जा रहा है। वहाँ की यह दशा है।

[विवरण पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1928/69]

हैदराबाद में गुजरातियों, मारवाड़ियों, महाराष्ट्रियों, तमिल लोगों, अन्य लोगों तथा यहाँ तक कि आन्ध्रवासियों का भी स्वागत है। लेकिन हम तेलंगाना क्षेत्र को उपनिवेश नहीं बनाना चाहते। हम किसी अन्य के अधीन दासों की तरह नहीं रहना चाहते। हमने उनके साथ एक पक्का समझौता किया था। परन्तु 13 वर्षों के इस कटु अनुभव के बाद हम अलग राज्य चाहते हैं।

केन्द्रीय मंत्री अहिंसा की बात करते हैं। यदि लोग सत्याग्रह करते हैं और कुछ लोग इस तरह मारे जाते हैं तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। कुछ पत्रों में प्रकाशित लेख में मैंने लिखा था कि आन्दोलन महात्मा गाँधी के अहिंसा के सिद्धान्तों पर चलाया जाना चाहिए। इससे ही वांछनीय परिणाम प्राप्त होगा। जनजीवन तथा सम्पत्ति विशेष रूप से राष्ट्रीय रेलवे की सुरक्षा की जानी चाहिए।

आन्दोलन में जो भी हिंसात्मक तत्व थे वे अब पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं और अब इसे शान्तिपूर्ण तरीके से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी के अहिंसक संग्रामों के दौरान भी हिंसक घटनायें हुई। सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर कोई नियन्त्रण नहीं कर सकता। हिंसात्मक तत्वों को दबाने का हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं और हिंसा काफी हद तक कम हो गई है। परन्तु जन आन्दोलन अभी भी चल रहा है। 4,000 पुरुष गिरफ्तारी करवाते हैं और दो या तीन हज़ार महिलायें सभी क्षेत्रों से आती हैं। वकील तथा अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं।

गृह-मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि राजनीतिक कारणों से किसी पर भी निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। लेकिन 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से तीन व्यक्तियों को जब न्यायालय में भेजा गया तो कहा गया कि इन्होंने संगरेड्डी में भाषण दिया है और वे प्रजा समिति दल के है. लेकिन यह सिद्ध हो गया कि उस समय प्रजा समिति का कोई अस्तित्व नहीं था। इसी तरह यह कहा गया कि प्रजा समिति के कहने पर फला सिनेमा को आग लगाई गई। यह बात भी ग़लत सिद्ध हुई। ये सभी मामले सरकार के विरुद्ध गये। तब सरकार ने मुख्य मंत्री को मामला वापस लेने के लिए कहा और उन्हें मामला वापस लेने दिया गया। ऐसी घटनायें होती हैं। इसी तरह सत्याग्रह के समय जब हिंसा होती है तो उसमें पुलिस का हाथ होता है। पुलिस लोगों की पिटाई करती है। औरतों को पीटा जाता है।

श्री कंवल लाल गुप्त ने कहा कि तेलंगाना की समस्या शीघ्र हल की जानी चाहिये और कहा कि क्या हम आन्ध्र लोगों के साथ नहीं रह सकते। आन्ध्र ! लोगों का दो तिहाई बहुमत है। इस लिये हम वह कार्य नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। इसलिये उनके साथ रहना हमारे लिये

कठिन है। हम शेष भारत के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तेलंगाना क्षेत्र में वास्तव में एकता आई है।

इस वर्ष 15 अगस्त को हैदराबाद में धारा 144 लागू की गई थी। पिछले 20 वर्षों में देश के किसी भाग में इस दिन यह धारा लागू नहीं की गई। लेकिन हैदराबाद में इस बार इसे लागू किया गया। कई लोगों को पीटा गया। आदेश का उल्लंघन करने के लिये एक विधान सभा सदस्या सुमित्रा बाई को पीटा गया। श्री वेंकटस्वामी, संसद सदस्य के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया।

महोदय, तेलंगाना में यह स्थिति है। कुछ भी, तेलंगाना के लोग अंत तक लड़ेंगे। एक दिन पृथक तेलंगाना मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : कुछ संशोधनों की सूचना दी गई है। यदि उन्हें प्रस्तुत किया जाये तो वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्य उन पर टिप्पणी कर सकेंगे।

सभापति महोदय : संशोधन पहले ही सभा के सामने हैं।

श्री नारायण रेड्डी : कुछ संशोधनों को इस आधार पर परिचालित नहीं किया गया था कि वे काफी देर से मिले थे। हमें बताया गया था कि हमें वाद-विवाद के दौरान उन्हें प्रस्तुत करने की इजाजत दी जायेगी। जब तक उन्हें परिचालित नहीं किया जायेगा, सदस्य उन पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

सभापति महोदय : उन्हें तुरन्त परिचालित किया जा रहा है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैंटूर) : अफसोस है कि भारत सरकार ने पिछले 8 महीनों में कोई निर्णय नहीं लिया और अभी भी मालूम नहीं है कि क्या सरकार पहले करेगी और तिलंगाना के मामले को हल करने के लिये कोई ठोस कार्य करेगी। सभा के सभी वर्गों की राय थी कि आन्ध्र तथा तेलंगाना अलग न हों। हमने भी अनेक बार ऐसा कहा है। लेकिन अफसोस है कि सरकार विरोधी दलों के सहयोग का लाभ न उठा सकी और इस मामले को हल करने के लिये सर्वसम्मति से निर्णय लेने का अवसर खो दिया।

तेलंगाना आन्दोलन एक विचित्र तरह का आन्दोलन छेड़ा पिछले आठ महीनों से चल रहा है यह आन्दोलन बिना किसी नेता के और बिना किसी राजनीनिक दल के समर्थन के एक बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप में प्रारंभ हुआ था। विशाल आन्ध्र के संगठन के पूर्व तेलंगाना का पृथक अस्तित्व था और यह हम भी जानते हैं कि राज्य पुर्नगठन आयोग तेलंगाना के आन्ध्र में विलय के पक्ष में नहीं था इसलिये अलग तेलंगाना की मांग को देश के अन्य भागों के अलग होने की मांग के बराबर नहीं रखा जा सकता। यह एक विशिष्ट मांग है।

तेलंगाना के आन्ध्र में विलय के 12 वर्ष के कटू अनुभव के बाद यदि तेलंगाना वासीय यह अनुभव करते हैं कि वे आन्ध्र वासियों के साथ नहीं रह सकते तो क्या यह केन्द्र सरकर या राज्य अलग तेलंगानासरकार विशेष का कर्त्तव्य नहीं है कि वे तेलंगाना वासी और आन्ध्र वासियों के बीच मेल कराएँ।

इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के निर्णय न कर पाने में सरकार की अक्षमता अत्यन्त निन्दनीय है। सम्भवत: कुछ राजनीतिक कारणों से सरकार तत्काल उचित कार्यवाही नहीं कर रही है।

सरकार को सदन के विभिन्न वर्गों के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये स्थिति की वास्तविकता को समझना चाहिये।

मैंने गृह मन्त्री से यह पूछा था कि किसी भी तरह से सरकार इस मामले को सुलझाने और वहां की हिंसक स्थिति और अस्त व्यस्त जीवन को समाप्त करने के लिये तैयार हैं। तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि प्रत्येक आन्दोलन की अपनी अवधि होती है। सब लोग यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कांग्रेस का राज अब समाप्त होने वाला है इसलिये उससे पहले सरकार को यह आन्दोलन तो समाप्त कर ही देना चाहिये।

आठ महीनों से चलने वाले इस आन्दोलन का सर्वसाधारण पर कितना भयंकर प्रभाव पड़ा है और यदि वर्तमान सरकार इस आन्दोलन को समाप्त नहीं कर सकती तो क्या वह यह दावा कर सकती है कि कानून और व्यवस्था उसके नियंत्रण में है और सब जगह शान्ति है।

सरकार को तत्काल इस समस्या को हमेशा के लिये सुलझाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

तेलंगाना के आन्दोलन ने हमें एक पाठ पढ़ा दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला समय है कि जब यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि वह केवल भाषा ही एकमात्र कारण नहीं है जिससे सारी समस्यायें उठती हैं। देश की एकता में भाषा से अधिक आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों का महत्त्व है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : हम तेलंगाना वासियों के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते थे। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि तेलंगाना में यह वर्तमान संकट प्रारम्भ हो गया।

तेलंगाना वासियों की यह आम राय है कि आंध्रवासी उनके साथ दुर्व्यव्हार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि तेलंगाना के समस्त विधान सभा सदस्य एकमत होकर पृथक तेलंगाना की मांग करते तो उनकी मांग अवश्य स्वीकृत हो जाती परन्तु पृथक तेलंगाना के लिये समस्त विधायक एकमत नहीं थे। बहुमत एकता चाहता था। अत: आंध्रवासियों को दोषी नही ठहराना चाहिये।

प्रत्येक क्षेत्र या राज्य के लोग प्रगति करना चाहते हैं। इसलिये तेलंगाना वासियों ने जितनी प्रगति की है उससे यदि वे सन्तुष्ट नहीं हैं आंखे उससे भी अधिक प्रगति करना चाहते हैं तो इससे किसी को विरोध नहीं है। परन्तु वर्तमान अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो रही है। पिछले आठ महीनों से बच्चे स्कूल नहीं गये हैं और अराजपत्रित अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तेलंगाना या आंध्र दोनों क्षेत्रों के ही लोगों का जीवन बिल्कुल अरक्षित है। इसके लिये तेलंगाना प्रजा समिति या सरकार में से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब भी कोई आन्दोलन प्रारम्भ होता है उससे असामाजिक तत्व लाभ उठाकर मनमानी कार्य करते हैं। इस ओर सरकार को अवश्य ही कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

तेलंगाना के लोगों को आशंका है कि आंध्र के लोग अपनी अधिशेष निधियां आंध्र क्षेत्र में ले जा रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तेलंगाना के लोग 10 करोड़ रुपये अधिक ले सकते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर रहने वाले आंध्र लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहिये।

विदेश यात्रा पर जाने से पहले प्रधान मन्त्री ने हैदराबाद का दौरा किया। वहां पर जाने के बाद उन्होंने अराजपत्रित संघ के अध्यक्ष को, बातचीत करने के लिये बुलाया जिसे अपने पद से निलम्बित या बर्खास्त कर दिया गया है। यदि प्रधान मन्त्री राजनीतिज्ञों से विचारविमर्श करती तब तो कुछ लाभ भी होता परन्तु ऐसे कर्मचारियों से बातचीत करने से समस्या का क्या समाधान निकलेगा। प्रधानमन्त्री यदि उन लोगों से विचार विमर्श करना ही था तो उसे यहाँ से कुछ अधिकारियों को उनसे मिलने के लिये भेजना चाहिये था। परन्तु प्रधानमन्त्री ने समस्या को सुलझाने की बजाय केन्द्र सरकार के सचिवों की अध्यक्षता में आठ समितियों की नियुक्ति की है। इससे राज्य की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ता है।

इस सारी समस्या को सुलझाने के लिये केन्द्र सरकार को असम पहाड़ी प्रदेश के नमूने पर आंध्र प्रदेश में भी एक उपराज्य का संगठन करना चाहिये। तेलंगाना वासियों के लिये पृथक उप-राज्य की स्थापना से ही आंध्र प्रदेश की एकता बनी रह सकती है। इसलिये सरकार को यह कार्य शीघ्र ही कर डालना चाहिये।

Shri Yogendra Sharma (Begulsarai) : The basis on which the unity of Telgu speaking people of Andhra and Telengana was established has been destroyed by the state government of Andhra. The gentleman agreement on the basis of which the unity between these two regions was established has also not been implemented.

Regional imbalances in Andhra Pradesh have been increasing very rapidly for last 13 years. Both the state and the central government are responsible for this handicap. The capitalist system which our government had adopted in last few years has resulted into country wide regional imbalances. We must take some effective measures to remove these imbalances.

Regional imbalances should be eradicated on the political and economical ground.

The problem of Telengana could be solved if the government releases all the arrested persons unconditionaly and immediately. The supression of the people should be stopped without delay. Solution to the Telengana problem could not be found by supressing the agitation. Proper atmosphere has to be created to find the solution. Confidence should be restored among the people of Telengana. The present state government should be removed. After taking these steps, the leaders of Andhra and Telengana regions shonld sit together to evolve the solution of the problem.

Constitutional guarantee should be given to the people of Telengana. Unless this was done the demand for a seperate Telengana state could not be stopped.

श्री एम० नारायण रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक संशोधन प्रस्तुत करता हूँ जिसमें यह है कि 21 संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति की जाय जो स्थिति का पूर्ण अध्ययन करके समस्या का उचित, न्यायपूर्ण और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करे।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ जिसमें यह है कि संकल्प में यह भी सम्मिलित किया जाना चाहिये कि एक वर्ष के अन्दर ही सरकार को उचित सलाह देने के लिए राज्य पुर्नगठन आयोग के नमूने का एक उच्च शक्तीय आयोग की नियुक्ति होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ये दोनों संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri G. Venketaswamy (Siddipet) : The agitation had started just after the Fazal Ali report was submitted. Telengana people had sent the representation for not merging Telengana with Andhra, because they were backward in comparison to other states. The state reorganization commission had specifically written that after 1956, a separate state would be formed if two thirds majority would agree to the separation.

I myself was the Chairman of Andhra Pradesh Integration Committee for 6 months and we had tried our best far a United Andhra but now it is clear that a seperate Telengana state is the only way to solve all the problems of the state.

When Andhra Pradesh was formed we were given certain safe guards, e. g. Telengana persons would get employment with the Mulki Certificate. But these safeguards were never implemented. Students agitate because they do not get jobs after passing out from the Universities, whereas the students from Andhra get employment without any difficulty.

When Andhra was formed some assurances were given e. g. Telengana is a backward area so more funds would be spent upon the development of this region. But during the last 18 years the fund of Telengana worth Rs. two hundred crores have been diverted towards Andhra instead of using those fund, for the development of Telengana,

The Chief Minister had called an all party meeting in January. The Chief Minister had announced that all agreements and safeguards would be implemented immediately. But nothing has been done so far in that regard.

Telengana had lost all confidence in the people of Andhra. Therefore it was no longer possible for them to remain in Andhra Pradesh and they must have a seperate Telengana state.

During the last eight months the state government had been trying all sorts of repressive measures to put down the agitation for a seperate Telengana state. All the leaders of Talengana area had been arrested and some of them had been sent to Rajamundry Jail, so that the local people could not go to see them. But the people of Telengana were not going to be cowed down. They would not rest content till Shri Brahmanad Reddy is removed and some one from Telengana area is appointed the Chief Minister of Andhra.

The Home Minister should appoint a Commission to look into the deaths of the people who had been killed in the police firings.

श्री प० गोपालन (तेल्ली चेरी) : तेलंगाना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिये उसे पृथक राज्य बनाया जाय या विशाल आन्ध्र प्रदेश के भीतर ही उसे स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व मिले, यह तर्क उचित नहीं प्रतीत होता। हमारा देश ही पिछड़ा हुआ है और इसमें अनेक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक पिछड़े हुये हैं। इस तरह तो सभी अलग-अलग राज्य की मांग करेंगे।

इसमें सन्देह नहीं कि तेलगांना पिछड़ा हुआ क्षेत्र परन्तु यह देश में कांग्रेस के 22 वर्षीय राज का परिणाम है।

जब तक पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था समाप्त नहीं होती तब तक आर्थिक असमता भी दूर नहीं हो सकती। इसलिये पृथक तेलंगाना राज्य की स्थापना करके वहाँ के पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता। हमें समस्या के मूल में जाना चाहिये कि किस तरह कुछ तथाकथित नेता लोगों ने अपने स्वार्थ के लिये तेलगांना आन्दोलन को प्रारम्भ किया उन्हें हिंसा के लिए उकसाया और फिर उन्हें पुलिस की गोलियों का शिकार बनवाया। लोगों की निराशा, कठिनाइयों आदि का कुछ राजनीतिज्ञों ने वहां नाजायज फायदा उठाया है।

22 वर्ष से कांग्रेस सरकार के हाथ में सत्ता है उसने इन वर्षों में आंध्र प्रदेश के लोगों पर होने वाले अन्याय को रोकने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। तेलगांना समस्या का हल पृथक प्रदेश बनाया जायगा तो देश के अन्य प्रान्त भी यही मांग करेंगे।

यदि तेलंगाना वासियों को उस क्षेत्र के तथाकथित राजनीतिक नेताओं के चंगुल से छुड़ाया जा सके तभी वहाँ की समस्या का समाधान हो सकता है। ये नेतागण जनता को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिये सरकार को कुछ मूलभूत परिवर्तन करके जनता को पूंजीवादियों और भूस्वामियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ भूस्वामी, कुछ पूंजीवादी और विड़ला जैसे लोग अपने स्वार्थों के लिए इस आन्दोलन को भड़का रहे हैं।

सामाजिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करके ही वहां की जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सकता और तभी आन्ध्रप्रदेश की जनता की एकता को बनाये रखा जा सकता है।

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विषय की चर्चा के लिये समय दो घन्टे बढ़ा दिया जाय।"

इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये हर सदस्य को केवल पांच मिनट देना घोर अन्याय है।

श्री यशपाल सिंह : समय को बढ़ाकर दो घन्टे कर दिया जाना चाहिये।

श्री एम० नारायण रेड्डी : माननीय गृहमन्त्री यहाँ उपस्थित नहीं हैं अतः यदि श्री विद्याचरण शुक्ल हमारी बातों का उत्तर दें तो हम चर्चा प्रारम्भ करें। परन्तु गृहमन्त्री को यहाँ उपस्थित रहना चाहिये था केवल भाषणों को सुनने के लिये ही नहीं अपितु लोगों की भावना से अवगत होने के लिये।

सभापति महोदय : मैं पांच मिनट के बदले प्रत्येक सदस्य को सात मिनट का समय देता हूँ।

Shrimati Lakshmi Bai (Medak) : Communist member has just said that Hyderabad should remain in Vishal Andhra. But I think he is not aware of the situation prevailing there. We demand for a seperate Telenagana because in Democracy power to rule should rest with people.

सभापति महोदय—अध्यक्ष महोदय ने आधे घण्टे का समय निर्धारित किया था। मैं इसे बढ़ा नहीं सकता।

श्री एम० नारायण रेड्डी : इस समय आप ही सभा के अध्यक्ष हैं अतः आपको सभापति के सब अधिकार प्राप्त हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the chair*]

मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि तेलंगाना विषय पर चर्चा का समय बढ़ाकर दो घण्टे कर देना चाहिये सभा भी इस पर एक मत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विषय की चर्चा के लिए समय दो घन्टे बढ़ा दिया जाय।"

Shrimati Laxmi Bai : Mr. Speaker, the Hon. Member of Communist Party has just said that Hyderabad should be allowed to remain in Vishal Andhra. I understand that he is not aware of the position of Hyderabad. People speaking difgerent languages are living there, who were born there and will die there. We have much to do with the country and all the other states. We want separate Telengana because in a democracy the power should rest with the people. Democracy does not mean that administration should be carried on by altering the interests of the people.

Hyderabad state had been a seperate state in India for the last several hundred years. We have got mint, Railway, University and other things. It was only 12-13 years back that our state was aligned with our area and Andhra Pradesh was formed. During these years, Telengana have not recevied a fair deal from the Andhra Government. About 117 crores of Telengana funds have been diverted to Andhra region and nothing has been done for the development of Telengana wich is backward. Telengana students find it difficult to get admission in colleges. Also the students do not get job after they finish their education. Representation is not given to the people of Telengana in the Assembly and parliament.

The police have committed excess in dealing with the Satyagrahis. Hundreds of men and women were matheathed in Jail. Many people were killed inside jail, There is huge police force deployed in Telengana. CRP has unleashed a reign of terror. They beat Styagrahis mercilessly. On the 15th Angust, Shrimati Sumitra Devi, MLA was beaten. Today 30 lakh students are on the roads. Even goondas have been passed into service. Recently a young man of 25 years was killed by the goondas. When his body was picked up the police resorted to firing and 10-15 people were killed. Even the people find it difficult to dispose of the dead bodies. This is the sorry state of affairs in Telengana.

Sometimes back Congress President went there. While I and Dr. Mallkote were on our way to meet him, we were arrested. This is how the position is being tackled.

The ministry has been expanded in Andhra. Telengana Ministers taken in cabinet do not represent the people.

It is said that there is danger to the life of the Andhras in Telengana. There is no truth in this statement.

A Committee of the House should be appointed to make an on the spot study of the situation and suggest appropriate measures for a just and practicial solution of the problem.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी(केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार तेलंगाना की स्थिति को हल करने में बड़ी असफल ही नहीं रही बल्कि जिस ढंग से इस समस्या को हल करने का प्रयास किया गया है उसे देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि सरकार इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। यहां पर जो कुछ हुआ है उसके मुकाबले जलियां वाला बाग की घटना का कोई महत्व नहीं है। फिर भी सरकार शांत बैठी है। वह यह नहीं मानना चाहती कि देश के एक भाग में जहां व्यावहारिक तौर पर कोई सरकार नहीं है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

यहां पर प्रशासन ठप्प हो गया है और समूची जनता कुछ है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह आन्दोलन शरारती तत्त्वों का आन्दोलन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सामूहिक आन्दोलन है जो कि पिछले आठ-नौ महीनों से चल रहा है। देश के विभाजन के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नीतियां तथा सिद्धान्त अपनाने चाहिए। यदि सरकार कहे कि हम प्रादेशिक असंतुलन या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर देश का विभाजन नहीं कर सकते तो मैं इस बात से सहमत हूँगा। यदि इस आधार पर एक पृथक तेलंगाना की मांग की गई कि यह प्रादेशिक रूप से असंतुलित है और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन प्रश्न यह है कि तेलंगाना की जनता का राज्य के वर्तमान प्रशासन में विश्वास नहीं रहा है। चूंकि देश के उस हिस्से में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। इसलिए सरकार के पास केवल यही तरीका रह गया है कि वह राष्ट्रपति शासन लागू करे।

इस बारे में जो उथल-पुथल हमारे सामने हुई है और जो उथल-पुथल भविष्य में होने जा रही है उसका कारण यह है कि भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह नहीं सुनती है और वह आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह पालन नहीं करती है।

आयोग ने बताया कि तेलंगाना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अपनाये जाने वाले उपायों पर केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त कोई अन्य तरीका निरर्थक होगा। एक पक्का समझौता होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होती, तो शायद स्थिति अधिक अच्छी होती। लेकिन सरकार इस तरह की कोई चीज़ नहीं करना चाहती।

मालूम होता है कि तेलंगाना की जनता का वर्तमान प्रशासन में कोई विश्वास नहीं रहा है। वहां की सरकार असफल हो गई है। केन्द्रीय सरकार भी दल और सामूहिक हितों के कारण असफल हो गई है। वह ब्रह्मानन्द रेड्डी को छोड़ना नहीं चाहती।

वर्तमान प्रशासन में तेलंगाना के एक व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाने से समस्या हल नहीं होगी। आज समस्या तेलंगाना की जनता में विश्वास पैदा करने की है जिससे उसकी यह धारणा बन सके कि भविष्य के प्रशासन में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा। बन्दी बनाये गये सभी व्यक्तियों को रिहा किया जाना चाहिए और सामान्य स्थिति कायम की जानी चाहिये। एक संसदीय समिति भेजी जानी चाहिए जो तेलंगाना की स्थिति पर विचार करके यह निर्णय दे कि क्या हमें एक अलग राज्य बनाना चाहिए या नहीं। समिति को तेलंगाना के लोगों से मिलना चाहिए और उनके साथ इस पर विचार करना चाहिए।

मैं सुझाव देता हूँ कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे ताकि एक संसदीय समिति वहां पर जा सके। संसद केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से ऊपर है। संसदीय समिति जो सिफारिशें दे वे सरकार तथा आन्ध्र सरकार को स्वीकार होनी चाहिए।

श्री एम० बी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : महोदय, भाषण करने वाले सभी सदस्यों के भाषण से मालूम होता है कि सभी की एक राय है कि यह दोनों आध्र तथा तेलंगाना के हित में होगा कि वे मित्रों की तरह अलग हों। जैसा कि कहा गया है, तेलंगाना की जनता को आन्ध्र प्रदेश की सरकार में जो विश्वास होना चाहिए वह उसमें बिल्कुल नहीं रहा है। छात्रों ने निश्चय कर लिया है कि जब तक उन्हें आन्ध्र प्रदेश से अलग नहीं किया जायेगा तब तक तेलंगाना में उनका कोई भविष्य नहीं होगा। जब उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया है और जब वे पिछले सात आठ महीनों से देश में आन्दोलन कर रहे हैं तो सरकार जनता की भावनाओं को नहीं रोक सकती और इनको मारते रहना जारी नहीं रख सकती। भाषा के आधार पर देश के विभाजन का मैंने विरोध किया था लेकिन भाषा के आधार पर राज्य बना दिये गये देश के भाषा के आधार पर विभाजन का प्रश्न जो हमारे सामने है इसकी हमने पूर्व कल्पना की भी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस समय तेलंगाना में स्थिति अच्छी नहीं है। पुलिस को मंत्रियों तथा डाकुओं पर पहरा देना पड़ता है। डाकू तेलंगाना की स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। डर है कि वे मंत्रियों पर प्रहार न कर दें। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, राज्य के मुख्य मंत्री, की रक्षा के लिए हज़ारों सिपाही तैनात किये गये हैं।

एक पृथक तेलंगाना राज्य की मांग की निन्दा क्यों की जाये ? गृह मन्त्री कह सकते हैं कि यदि सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया तो अलग राज्यों के लिये अन्य क्षेत्रों से भी मांग आयेगी। उस स्थिति में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। पंजाब, हरियाणा, नागालैंड की तरह तेलंगाना को भी एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिये।

इसके अलावा हम पुराने मैसूर राज्य के लिए एक आन्दोलन चलाने जा रहे हैं और निस्संदेह जब तक हम इसे ले नहीं लेंगे तब तक हम इसे बन्द नहीं करेंगे क्योंकि उस क्षेत्र में तेलंगाना से भी अधिक शोषण हो रहा है। युग वर्ग इसके लिये भूमिका तैयार कर रहा है। जिस तरह तेलंगाना की जनता अपना कोई भविष्य नहीं देखती, उसी तरह मैसूर में भी युग वर्ग को शोषण के कारण कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मैसूर के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी महसूस करते हैं। कि यदि उनका एक जाति विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है तो उस राज्य में उनका कोई भविष्य नहीं है। जब तक उनका उस जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं है तब तक वे मुख्य अभियन्ता या किसी विभाग के प्रधान नहीं बन सकते। कल 1,400 विद्यार्थियों ने सांकेतिक हड़ताल की थी। मैसूर के लोग अपनी वैध मांगों के लिये आर्थिक तथा राजनीतिक आधारों पर अपना मामला तैयार कर रहे हैं। यदि एक मांग का काफी लोग समर्थन करते हैं और यह मांग वास्तविक है तो प्रशासन के कार्यभारी लोगों को इस पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये।

तेलंगाना के लोगों को गुंडा कहना गलत है। तेलंगाना में आन्दोलन अपने आप हुआ है और अब समय आ गया है कि सरकार समूचे मामले पर विचार करने के लिये एक आयोग नियुक्ति करे। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति ने भी इस बात की वकालत की है कि भारत में छोटे-छोटे राज्यों से ही केन्द्र मजबूत बनेगा। अब समय आ गया है कि सरकार इन बातों पर विचार करे। जब गोवा, पांडीचेरी जैसे छोटे-छोटे राज्य बनाये जा सकते हैं तो मैसूर तथा तेलंगाना को अलग राज्य क्यों न बनाया जाये जिन की आबादी डेढ़ करोड़ है।

इन बातों को व्यक्तिगत रुप से नहीं लिया जाना चाहिये। राज्य पुनर्गठन आयोग जैसी एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। इसमें कुछ विशेषज्ञों तथा न्यायाधीशों को शामिल किया जाना चाहिए। मैं श्री चव्हाण से अनुरोध करता हूँ कि मामले पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये या संसद सदस्यों की एक निष्पक्ष समिति वहां जा कर स्थिति का अध्ययन करे और उसके बारे में संसद को बताये।

Shri S. M. Joshi (Poona): Many persons say that this agitation for a seperate Telengana state was started by the disgrunted politicians. But it is not so. Agitation was started by the Government servants who felt that they were being discrimininatad against in the mater of services. At that moment, no political leader was involved in it.

If a person presses for his rights in a constitutional manner, he cannot be critisized for indulging in the activity that is likely to disintegrate the country. If this demand for a seperate Telengana state is against national integration, the question arises whether the National Integratiom Council has ever tried to find out a just solution to the problem. It is a matter of regret that no attempt has been made so for at any level to solve this mixed problem.

In response to the demand made in the House sometime ago, the Government had agreed that Prevention Dentetion Act would not be used in political matters. But it is regrettable that 280 people has been detained under that very Act in Telengana.

The agitation in Telengana was first treated as a law and order situation but now it has become a political question. Therefore, we would have to find out a political solution to this political problem. If devolution of power or regional autonomy can solve the problem, it should be acted upon. Besides, if the people of Telengana want that a Parliamentary Committee should visit Telengana, than leaders of Telengana should be released so that their views may be heard. Besides, an assurance should be given that the recommendations of the all party committee would be acceptable to the government. It is hoped that a solution so found would be acceptable to the people of Telengana.

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : Mr. Speakar, Sir, the Fazal Ali Commission has very clearly stated that Hyderabad should be made a seperate state. Pandit Jawhar Lal Nehru and Govind Ballabh Pant did not agree to it and confined Telengana and Andhra region together against their wishes.

There is no law and order in Telengana today. Bad elements are having free play in collusion with the police. In the circumstances it would be better if a Committee should be considered so as to make changes in the present political set up there. It is useless to say that formation of Telengana state would pose a danger to the unity of the country. If there is any truth in it, why the same thing was not said at the time of the formation of Hariyana and Nagaland.

In order to ascertain the wishes of the people an opinion poll should be conducted in Telengana. First of all the President's rule should be imposed there and then the poll should be held, so that it can be impartial.

The people and leaders of Telengana who have been arrested under the Preventive Dentention Act, should be released. Till that is done the arrested people who had been kept in Rajmundhri jail should be transfered to some other jail. I do not know why Government does not hold a round table conference after releasing all the detenus.

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर वाद-विवाद 21 अगस्त को होगा।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 19 **अगस्त,** 1969 / 28 **श्रावण,** 1891 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, August 19, 1969/Sravana 28, 1891 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.

P.L.S. 48. XXXI.20.69. (N)
600

© 1967 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय का प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
तीर्थराज प्रेस, इलाहाबाद-द्वारा मुद्रित

© 1967 By Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and printed by the Manager, Tirthraj Press, Allahabad.